सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रधानमंत्री विकास पैकेज पर प्रतिवेदन

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

यह प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत करने के लिए डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित है।

डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित:
राघवेन्द्र सिंह, निदेशक (आई.एस)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

जम्मू और कश्मीर सरकार

वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 2

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का

प्रधानमंत्री विकास पैकेज पर

प्रतिवेदन

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

जम्मू और कश्मीर सरकार

वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 2

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	पैराग्राफ	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		vii
कार्यकारी सार		ix-xix
अध्याय I: प्रस्तावना		
प्रस्तावना	1.1	1-2
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.2	3
लेखापरीक्षा मापदण्ड	1.3	4
लेखापरीक्षा विषय क्षेत्र और कार्यप्रणाली	1.4	4-5
अध्याय II: मानवीय राहत		
प्रस्तावना	2.1	7-8
पूर्णतः क्षतिग्रस्त/ अति क्षतिग्रस्त/ आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए सहायता	2.2	8-25
जम्मू प्रवासियों के लिए पुनर्वास पैकेज	2.3	25-32
पाकिस्तान अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर (पीओजेके) और छम्ब से विस्थापित व्यक्तियों के परिवारों को एक बार बसने के लिए पुनर्वास पैकेज	2.4	32-40
व्यापारियों/ स्व-नियोजित/ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की आजीविका के पुनः स्थापन हेतु सहायता पर ब्याज संसहायिकी	2.5	41-57
जम्मू एवं कश्मीर में पाँच भारतीय रिज़र्व बटालियनों का सृजन	2.6	57-60
अध्याय III: संकट प्रबंधन		
प्रस्तावना	3.1	61-62
उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अतिरिक्त बालिका छात्रावासों का निर्माण	3.2	62-67

विवरण	संदर्भ	
	पैराग्राफ	पृष्ठ संख्या
जम्मू एवं कश्मीर में हाई एन्ड सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था प्रणाली	3.3	67-76
झेलम नदी एवं इसकी सहायक नदियों के बाढ़ प्रबंधन हेतु व्यापक योजना, चरण I	3.4	76-96
क्षतिग्रस्त अवसंरचना का स्थायी पुनः स्थापन	3.5	96-120
अध्याय IV: सामाजिक अवसंरचना		
प्रस्तावना	4.1	121
हिमायत योजना के अंतर्गत उठाये गये कदम	4.2	121-135
विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) को ₹3,000 प्रति माह से ₹6,000 प्रति माह तक पारिश्रमिक की बढ़ी हुयी दर	4.3	136-138
अध्याय V: विकास परियोजनाएं		
प्रस्तावना	5.1	139-140
पुनर्नवीकरण और शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन	5.2	140-161
जम्मू एवं कश्मीर राज्य हेतु चालू जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन परियोजनाओं की शेष केन्द्रीय अंश देयता	5.3	161-172
जम्मू एवं कश्मीर के शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम की बाहय रूप से सहायता प्राप्त परियोजना और पीएमआरपी 2004 के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं का समापन: प्रतिस्थानी वित्त पोषण-एडीबी-II	5.4	173-193
क्षतिग्रस्त/ नष्ट परिसंपत्तियों के बदले में सरकारी पर्यटक परिसंपत्तियों का निर्माण	5.5	193-200
अध्याय VI: निष्कर्ष और अनुशंसाएं		
निष्कर्ष	6.1	201-205
अनुशंसाएं	6.2	206-207

परिशिष्ट

परिशिष्ट संख्या	विवरण	संदर्भ	
		पैराग्राफ	पृष्ठ संख्या
1.1	मार्च 2019 की समाप्ति पर निर्गत निधियाँ और किये गये व्यय सहित जीओआई तथा जीओजेएण्डके के विभागों/ अभिकरणों द्वारा निष्पादित पीएमडीपी परियोजनाओं के ब्योरों को दर्शाने वाला विवरण	1.1	209-223
1.2	चयनित पीएमडीपी परियोजनाओं के लेखापरीक्षा नमूना चयन	1.4, 5.2.3 और 5.5.1	224-225
2.3.1	अक्टूबर 2007 में पंजीकृत परंतु मई 2004 से सितंबर 2007 की अवधि हेतु प्रदत्त बकाया वाले जम्मू प्रवासियों के ब्योरों को दर्शाने वाला विवरण	2.3.5	226-227
2.4.1	सहायता के अदेय/ गलत भुगतानों को दर्शाने वाला विवरण	2.4.6	228
2.4.2	प्रकरण-1: दावेदार द्वारा तथ्य की अन्यथा प्रस्तुति	2.4.7	229
2.4.3	प्रकरण-2: दावेदार द्वारा प्रस्तुत विवरण और प्रपत्र ए के मध्य मिलान न होना	2.4.7	230
2.4.4	54 अपात्र/ संदेहास्पद मामलों के ब्योरों को दर्शाने वाला विवरण	2.4.7	231
2.4.5	10 अपात्र/ संदेहास्पद मामलों के ब्योरों को दर्शाने वाला विवरण	2.4.9	232

परिशिष्ट संख्या	विवरण	संदर्भ	
		पैराग्राफ	पृष्ठ संख्या
2.5.1	01 सितंबर 2014 और 31 दिसंबर 2015 के मध्य अपात्र खातों को प्रभारित ब्याज के 50 प्रतिशत की उपलब्ध करायी जाने वाली संसहायिकी को दर्शाने वाला विवरण	2.5.3.2	233-234
2.5.2	01 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2018 तक अपात्र खातों को प्रभारित ब्याज के पाँच प्रतिशत की उपलब्ध करायी जाने वाली संसहायिकी को दर्शाने वाला विवरण	2.5.3.2	235
2.5.3	₹ पाँच लाख की कैप से अधिक उपलब्ध करायी जाने वाली ब्याज संसहायिकी को दर्शाने वाला विवरण	2.5.3.3	236
2.5.4	सीएम की व्यवसाय ब्याज राहत योजना के अंतर्गत उपलब्ध करायी जाने वाली ब्याज संसहायिकी को दर्शाने वाला विवरण	2.5.4.2 (III)	237
3.3.1	31 अगस्त 2020 तक परियोजना के विभिन्न घटकों की भौतिक स्थिति	3.3.2	238-240
3.3.2	निविदाओं के बिना खरीदों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण	3.3.2.1	241-242
3.5.1	31 मार्च 2019 तक पीएमडीपी के अंतर्गत राज्य सरकार के विभागों/ अभिकरणों, जिनके लिए निधियाँ अनुमोदित, निर्गत के साथ-साथ उपयोग की गयी हैं, का विवरण	3.5.1	243
3.5.2	निधियों के अपयोजन को दर्शाने वाला विवरण	3.5.2	244

परिशिष्ट संख्या	विवरण	संदर्भ	
		पैराग्राफ	पृष्ठ संख्या
3.5.3	प्रशासनिक अनुमोदन/ तकनीकी संस्वीकृति के बिना निष्पादित कार्यों को दर्शाने वाला विवरण	3.5.3	245
3.5.4	निविदाओं के आमंत्रण के बिना निष्पादित कार्यों को दर्शाने वाला विवरण	3.5.4	246
5.2.1	जेएण्डके राज्य में एएमआरयूटी मिशन (2015-20) के अंतर्गत परियोजनाओं का क्षेत्र-वार विवरण	5.2.3	247-253
5.4.1	जेकेयूएसडीआईपी के अंतर्गत जेकेईआरए द्वारा आरंभ की गयी पीएमआरपी/ पीएमडीपी वित्तपोषित परियोजनाओं का विवरण	5.4.1	254-263
5.4.2	नमूना-जाँच के लिए प्रतिदर्श के रूप में चयनित जेकेयूएसडीआईपी उप-परियोजनाओं के ब्योरों को दर्शाने वाला विवरण	5.4.5	264-265
5.5.1	सितंबर 2020 तक नमूना उप-परियोजनाओं की प्रास्थिति	5.5.1	266
संक्षेपाक्षरों की शब्दावली			267-276

प्राक्कथन

मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत तैयार किया गया है। भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के निर्णय (जून 1994) के अनुसार, जहाँ कहीं भी राष्ट्रपति शासन एक वर्ष से अधिक विस्तारित किया जाता है, राज्य से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। अतः यह प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत करने हेतु राष्ट्रपति को भेजा जा रहा है। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जम्मू एवं कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, यह प्रतिवेदन आनुक्रमिक संघ शासित क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और संघ शासित क्षेत्र लद्दाख के उपराज्यपालों को भी भेजा जा रहा है।

इस प्रतिवेदन में, **अध्याय I** से **अध्याय VI** तक कुल छह अध्याय सम्मिलित हैं। **अध्याय I** भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 07 नवंबर 2015 को जम्मू एवं कश्मीर हेतु घोषित पैकेज का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है, **अध्याय II** से **अध्याय V** तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर द्वारा 16 पीएमडीपी परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर लेखापरीक्षा के महत्त्वपूर्ण प्रेक्षणों को प्रस्तुत करते हैं और **अध्याय VI** में इन 16 पीएमडीपी परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित लेखापरीक्षा के निष्कर्ष और अनुशंसाएं शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित वे मामले हैं जो वर्ष 2015-16 से 2018-19 की अवधि को समाविष्ट करते हुए मई 2019 से नवंबर 2019 तक की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आये। मार्च 2019 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी, जहाँ आवश्यक हो, शामिल किये गये हैं तथा वर्तमान स्थिति को इंगित करने के लिए कार्यों के समापन की स्थिति को तदुपरांत अद्यतित किया गया है।

कार्यकारी सार

कार्यकारी सार

पृष्ठभूमि

तत्कालीन राज्य जम्मू एवं कश्मीर (जेएण्डके) के लिए भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 07 नवंबर 2015 को एक समग्र पुनर्निर्माण योजना की घोषणा की गयी थी। प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) में निम्नलिखित पाँच प्रक्षेत्रों (स्तंभों) के अंतर्गत ₹80,068 करोड़ के परिव्यय सहित 63 परियोजनाएं सम्मिलित थी:

- मानवीय राहत[1],
- संकट प्रबंधन[2],
- सामाजिक अवसंरचना[3],
- विकास परियोजनाएं[4] और
- आर्थिक अवसंरचना[5]

पीएमडीपी, एक पुनर्निर्माण योजना का मूल लक्ष्य, आर्थिक अवसंरचना का विस्तार करना; आधारभूत सेवायें सुनिश्चित करना; रोजगार एवं आय सृजन पर जोर देना; सितंबर 2014 बाढ़ों के पीड़ितों को पुनर्वास और राहत उपलब्ध कराना तथा तत्कालीन राज्य की आपदा प्रबंधन प्रणाली को सशक्त करना है। पीएमडीपी तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य के तीन प्रदेशों जम्मू, कश्मीर एवं लद्दाख के संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना को सशक्त करने का भी अनुसरण करता है।

पीएमडीपी के अंतर्गत, ₹44,083 करोड़ के परियोजना परिव्यय सहित भारत सरकार के छह मंत्रालय/ अभिकरण 24 परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहे हैं और ₹35,985 करोड़ के परियोजना परिव्यय सहित जम्मू एवं कश्मीर सरकार (जीओजेएण्डके) के 14 विभाग/ अभिकरण 39 परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहे

---

1 ₹6,313 करोड़ के परिव्यय सहित।

2 ₹5,858 करोड़ के परिव्यय सहित।

3 ₹8,057 करोड़ के परिव्यय सहित।

4 ₹5,521 करोड़ के परिव्यय सहित।

5 ₹54,319 करोड़ के परिव्यय सहित।

हैं। इन 39 परियोजनाओं के संबंध में मार्च 2019 तक, कुल ₹11,100.28 करोड़ की राशि निर्गत की गयी थी तथा ₹9,282.84 करोड़ का व्यय किया गया था।

लेखापरीक्षा का उद्देश्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए यह आंकलन करना था कि क्या:

- कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा निधियों का निर्मोचन, लेखाबद्धीकरण और उपयोग किया गया था;
- संरचनात्मक क्रियाविधियाँ स्थापित थी; परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाएं और स्टाफ आवश्यकताएं पर्याप्त एवं प्रभावी थी;
- लागू वित्तीय नियमावली और स्थायी आदेशों/ अनुदेशों के प्रावधानों का अनुपालन;
- रोजगार प्राप्त कर लिया गया था और क्या यह निहित मानदण्डों के अनुसार था;
- पात्र हितभागियों की उचित प्रकार से पहचान की गयी थी और उन्हें निहित मानदण्डों के अनुसार वित्तीय सहायता का भुगतान किया गया था;
- निर्माण कार्यों का निष्पादन मितव्ययिता और प्रभावी रूप से संचालित किया गया था; और
- झेलम नदी के बाढ़ प्रबंधन निर्माण कार्यों के अनुवीक्षण तथा क्षतिग्रस्त अवसंरचना के पुनः स्थापन हेतु क्रियाविधि स्थापित थी।

लेखापरीक्षा नमूना को जोखिम और भौतिकता कारकों को सम्मिलित करते हुए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की तुलना में उनकी उपलब्धियों के आधार पर तैयार किया गया था। तदनुसार, लेखापरीक्षा द्वारा चार प्रक्षेत्रों, मानवीय राहत, संकट प्रबंधन, सामाजिक अवसंरचना तथा विकास परियोजनाओं ***(परिशिष्ट 1.2)*** के अंतर्गत जीओजेएण्डके द्वारा निष्पादित की जा रही पीएमडीपी की 39 परियोजनाओं में से 16 परियोजनाओं की अप्रैल 2019 से नवंबर 2019 की अवधि के दौरान नमूना जाँच की गयी थी।

प्रधान सचिव, योजना विकास तथा निगरानी विभाग, जीओजेएण्डके के साथ 20 मई 2019 को एक प्रविष्टि सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, विषय क्षेत्र, मापदण्ड और कार्यप्रणाली पर विचार-विमर्श किया गया था। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर वित्त आयुक्त, वित्त विभाग, जीओजेएण्डके के

साथ 20 अगस्त 2020 को आयोजित एक एक्ज़िट सम्मेलन में चर्चा की गयी थी जिसमें जीओजेएण्डके के सभी विभागों/ कार्यान्वयन अभिकरणों के प्रमुखों ने सहभागिता की थी। विभाग के उत्तरों को इस प्रतिवेदन में उपयुक्त एवं समुचित रूप से शामिल कर लिया गया है।

जबकि इस लेखापरीक्षा अंतःक्षेप का कुल वित्तीय प्रभाव ₹2,125.21 करोड़ है, भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से संबंधित महत्त्वपूर्ण निष्कर्षों एवं उनसे संबद्ध अनुशंसाओं को निम्नलिखित पैराग्राफ में संक्षिप्त किया गया है।

मानवीय राहत

पूर्णतः क्षतिग्रस्त/ अति क्षतिग्रस्त/ आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए सहायता

जीओआई के द्वारा निर्मोचित ₹1,194.85 करोड़ में से जम्मू एवं कश्मीर सरकार (वित्त विभाग) ने ₹102.80 करोड़ को रोके रखा था। बाढ़ प्रभावित आवासीय मकानों को क्षतियों का मूल्यांकन करने वाले गैर-तकनीकी अधिकारियों के प्रारंभिक प्रतिवेदनों के आधार पर श्रेणीबद्ध किया गया है। सात नमूना जाँच किये गये जिलों में, सितंबर 2014 की बाढ़ों के तुरंत बाद क्षतिग्रस्त के रूप में पहचाने गये 1.69 लाख घरों में से, मार्च 2019 तक 1.58 लाख परिवारों को एसडीआरएफ के अंतर्गत, 1.46 लाख परिवारों को पीएमएनआरएफ के अंतर्गत और 1.40 लाख परिवारों को पीएमडीपी के अंतर्गत वित्तीय सहायता का भुगतान किया गया था। जम्मू और राजौरी जिलों में 184 मामलों में ₹63.45 लाख की वित्तीय सहायता उन परिवारों के लिए उपलब्ध करायी गयी थी जो सितंबर 2014 की बाढ़ों के पश्चात् तैयार की गयी सूची में नहीं थे। छह जिलों में, ₹73.85 लाख की अतिरिक्त वित्तीय सहायता का भुगतान 85 प्रभावित परिवारों को उनके बैंक खातों में किया गया था। सहायक आयुक्त (राजस्व), राजौरी ने प्राधिकार के बिना वस्तुओं के क्रय और पुनः स्थापन निर्माण कार्यों/ किये गये कार्य की देयताओं की निर्बाधता हेतु ₹16.10 लाख अपयोजित किये थे। वित्त विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण विभाग को निधियों के निर्मोचन में 47 दिवसों से 31 महीनों तक के बीच का विलंब था।

(पैराग्राफ: 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.4, 2.2.4.2 एवं 2.2.4.3)

जम्मू प्रवासियों के लिए पुनर्वास पैकेज

प्रवासी परिवारों के सम्यक् सत्यापन के उपरांत, जेएण्डके के अपराध अन्वेषण विभाग (सीआईडी) द्वारा पात्र हितभागियों की पहचान करने के बावजूद, जम्मू प्रवासियों और उनके परिवारों का डेटाबेस तैयार नहीं किया गया था तथा जन्म, मृत्यु, अलगाव इत्यादि के कारण उसे आगे अद्यतित नहीं किया गया था। ₹78.63 लाख की बकाया राशि का भुगतान उन 72 प्रवासी परिवारों को किया गया था, जो न तो जेएण्डके के सीआईडी द्वारा तैयार की गयी सूची में थे और न ही न्यायालयों के निर्देशों पर तैयार की गयी सूची में थे। 84 प्रवासी परिवारों को ₹67.14 लाख की नगद सहायता का अतिरिक्त संवितरण एवं प्रवासी के रूप में उनके पंजीकरण से पूर्व की अवधि हेतु 49 प्रवासी परिवारों को ₹75.53 लाख के बकायों का अस्वीकार्य भुगतान किया गया था। इसके अलावा, राशन की लागत पर ब्याज के कारण 159 प्रवासी परिवारों को ₹28.99 लाख के बकायों का अतिरिक्त भुगतान भी देखा गया था। 20 प्रवासी परिवारों को प्रवासियों के रूप में उनके पंजीकरण के पश्चात् कोई नकद सहायता का भुगतान नहीं किया गया था, यद्यपि इन परिवारों को मुफ्त राशन की अनुमति प्रदान की गयी थी।

(पैराग्राफ: 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6 एवं 2.3.7)

पाकिस्तान अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर (पीओजेके) और छम्ब से विस्थापित व्यक्तियों के परिवारों को एक बार बसने के लिए पुनर्वास पैकेज

इस पैकेज के अंतर्गत सन् 1947 में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर (पीओजेके) और 1965 तथा 1971 वर्षों के दौरान छम्ब से विस्थापित 36,384 परिवारों को एक बार बसने के लिए जीओआई से ₹2,000 करोड़ की सहायता उपलब्ध करायी जानी थी। तथापि, जम्मू एवं कश्मीर से बाहर रहने वाले परिवारों को सम्मिलित करते हुए विस्थापित व्यक्तियों की पहचानों को स्थापित करने हेतु कोई सर्वेक्षण संचालित/ डाटाबेस अनुरक्षित नहीं किया गया था। चौसठ अपात्र या संदिग्ध मामलों को ₹3.52 करोड़ की वित्तीय सहायता का भुगतान किया गया था। उपर्युक्त के अतिरिक्त, 80 आवेदकों को सम्मिलित करते हुए 40 मामलों में, समान दस्तावेजों की प्रतियों का दो बार उपयोग किया गया था और व्यक्तियों द्वारा परिवारों का बंटवारा करते हुए या तथ्यों की अन्यथा प्रस्तुति द्वारा पृथक रूप से दो बार सहायता का दावा किया गया था, जिसने ₹2.31 करोड़ के अदेय/ गलत भुगतान का मार्ग प्रशस्त किया।

(पैराग्राफ: 2.4.1, 2.4.2, 2.4.6, 2.4.7 एवं 2.4.9)

व्यापारियों/ स्व-नियोजित/ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की आजीविका के पुनः स्थापन हेतु सहायता पर ब्याज संसहायिकी

योजना का मुख्य उद्देश्य जम्मू एवं कश्मीर में सितंबर 2014 की बाढों के दौरान प्रभावित व्यापारियों/ स्व-नियोजित/ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों इत्यादि की आजीविका के पुनः स्थापन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना था। तथापि, बैंक द्वारा 107 खातों के लिए ₹0.75 करोड़ की सीमा तक ब्याज संसहायिकी उपलब्ध करायी गयी जो इसके लिए पात्र नहीं थे। परियोजना हेतु निर्गत निधियों से ₹456.26 करोड़ (57 प्रतिशत) की राशि को सितंबर 2014 की बाढ़ से अप्रभावित 19 हाउसबोट मालिकों के बकाया ऋण के निपटान के प्रति (₹1.47 करोड़), शिल्पकार क्रेडिट कार्डों पर ब्याज के बकाया शेष (₹26 करोड़), किसान क्रेडिट कार्ड योजना (₹244.10 करोड़), मुख्यमंत्री व्यावसायिक ब्याज राहत योजना (₹180 करोड़), निजी न्यास के प्रति (₹0.55 करोड़) और निराश्रित महिलाओं/ क्षतिग्रस्त घरों के प्रति (₹4.14 करोड़) अपयोजित किया गया था। 425 व्यापारिक इकाइयों/ व्यापारियों को निर्धारित सीमा से अधिक ₹39.15 लाख की वित्तीय सहायता संवितरित की गयी थी, जिसमें से ₹0.35 लाख वसूल किये गये थे।

(पैराग्राफ: 2.5.1, 2.5.3.2, 2.5.4.1, 2.5.4.2, 2.5.5, 2.5.5.1 एवं 2.5.5.2)

जम्मू एवं कश्मीर में पाँच भारतीय रिज़र्व बटालियनों का सृजन

अशांति के अचानक एवं व्यापक विस्फोट से उत्पन्न परिनियोजनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, गृह मंत्रालय, जीओआई ने पीएमडीपी के अंतर्गत 'पाँच भारतीय रिज़र्व (आईआर) बटालियनों के सृजन' हेतु एक परियोजना को संस्वीकृति (फरवरी 2016) प्रदान की थी। परियोजना पर ₹116.21 करोड़ का व्यय किया गया था एवं मार्च 2019 की समाप्ति तक निधियों का उपयोग 58 प्रतिशत था। तथापि, नये सृजित पाँच आईआर बटालियनों हेतु 5,035 पुलिस कर्मियों की संस्वीकृत संख्या के प्रति 1,238 कार्मिकों (25 प्रतिशत) की समग्र कमी थी। वरिष्ठ रैंकों (हेड कांस्टेबल से) में कमियाँ 88 प्रतिशत थी।

(पैराग्राफ: 2.6.1, 2.6.2 एवं 2.6.4)

संकट प्रबंधन

उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अतिरिक्त बालिका छात्रावासों का निर्माण

चयनित पाँच महाविद्यालयों में से चार में, नामांकन के आधार पर जम्मू एवं कश्मीर आवास बोर्ड को सरकारी डिग्री कॉलेजों में बालिका छात्रावासों का निर्माण कार्य आबंटित किया गया था। चयनित महाविद्यालयों की छात्राओं को छात्रावास की सुविधा से वंचित रखते हुए, छात्रावासों का निर्माण जो कि कार्य को प्रदान करने की तिथि (फरवरी 2018) से आठ महीनों के अंदर पूरा किया जाना था, अभी तक पूर्ण (अक्टूबर 2020) नहीं किया गया था। यह ₹50 करोड़ की संस्वीकृत लागत के प्रति, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सात सरकारी डिग्री कॉलेजों के बैंक खातों में सीधे ही (जुलाई 2017 से अक्टूबर 2018) निर्गत किये गये ₹23.75 करोड़ के बावजूद किया गया था। केवल ₹15.29 करोड़ (तत्कालीन राज्य योजना के अंतर्गत निर्गत निधियों को सम्मिलित करते हुए) का व्यय किया गया (सितंबर 2020) था।

(पैराग्राफ: 3.2.1 एवं 3.2.3)

जम्मू एवं कश्मीर में हाई एन्ड सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था प्रणाली

भिन्न-भिन्न और उच्चतर दरों पर दो विनिर्माताओं से विलंब सहित, अनुमानित अत्यावश्यकता के बावजूद, गैर-सांपत्तिक मध्यम बुलेट प्रूफ वाहनों (एमबीपीवी) की अधिप्राप्ति को सांपत्तिक बताया गया था, जिसका परिणाम ₹9.20 करोड़ के अतिरिक्त व्यय और संस्वीकृत वाहनों की अपेक्षित संख्या की अधिप्राप्ति नहीं होने के रूप में हुआ।

(पैराग्राफ: 3.3.2.2)

झेलम नदी एवं इसकी सहायक नदियों के बाढ़ प्रबंधन हेतु व्यापक योजना चरण I

तलकर्षण के संदर्भ में लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी थी जो बाढ़ स्पिल चैनल (एफएससी) के माध्यम से और झेलम नदी के बाढ़ जल की वहन क्षमता को बढ़ाने के लिए परियोजना के अंतर्गत अपेक्षित थी। बाढ़ जल की अपवाह क्षमता को बढ़ाने हेतु एफएससी के महत्त्वपूर्ण क्षेत्र अभी तक उत्खननाधीन थे।

(पैराग्राफ: 3.4.6.1)

विभाग ने संविदा के निबंधन और शर्तों का पालन करने में विफलता हेतु तलकर्षण के लिए विनियोजित संविदाकार की निष्पादन बैंक प्रत्याभूति से कोई राशि जब्त नहीं की थी।

(पैराग्राफ: 3.4.6.1 (I एवं II))

क्षतिग्रस्त अवसंरचना का स्थायी पुनः स्थापन

'क्षतिग्रस्त अवसंरचना का स्थायी पुनः स्थापन' परियोजना का प्रमुख उद्देश्य सितंबर 2014 की बाढ़ों के कारण क्षतिग्रस्त अवसंरचना का पुनः स्थापन करना था। परियोजना के अंतर्गत, चयनित सात विभागों में 9,076 निर्माण कार्यों/ योजनाओं को निष्पादन हेतु आरंभ किया गया था।

5,707 निर्माण कार्यों पर ₹610.85 करोड़ का व्यय किया गया था जिन्हें आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदनों एवं तकनीकी संस्वीकृतियों को प्राप्त किये बिना निष्पादन हेतु आरंभ किया गया था। इसके अतिरिक्त, निविदाओं को आमंत्रित किये बिना गैर-पारदर्शी तरीके से 5,285 निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु ₹328.88 करोड़ का व्यय भी किया गया था।

(पैराग्राफ: 3.5.1, 3.5.3 एवं 3.5.4)

सामाजिक अवसंरचना

हिमायत योजना के अंतर्गत उठाये गये कदम

वर्ष 2016-19 एवं 2019-22 के लिए जम्मू एवं कश्मीर राज्य ग्रामीण आजीविका हिमायत प्रबंधन मिशन (जेकेएसआरएलएम) ने तीन वर्षीय योजना किसी आधारभूत सर्वेक्षण एवं कौशल अंतराल को दर्शाने के लिए विश्लेषण किये बिना तैयार की थी। कार्यान्वयन इकाई (एचएमएमयू) में, 340 संस्वीकृत पदों के प्रति जिला एवं खण्ड स्तरों पर 100 प्रतिशत की कमी सहित, शीर्ष स्तर पर पदों की 63 प्रतिशत तक कमी थी। मानित तिथि और आरंभ की वास्तविक तिथि के संबंध में, 20 कार्यक्रम कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा परियोजनाओं को आरंभ करने में बड़ी देरी हुयी थी। वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान, 53,547 युवाओं को प्रशिक्षित किये जाने के उद्देश्य के प्रति, केवल 4,494 युवाओं (8 प्रतिशत) को प्रशिक्षित किया गया था। इसके अतिरिक्त, 4,494 प्रशिक्षित युवाओं में से, केवल 732 युवाओं (16 प्रतिशत) को नौकरियों पर रखा गया था। प्रक्रिया के अनुवीक्षण हेतु टीमें स्थापित नहीं थी।

(पैराग्राफ: 4.2.5, 4.2.7, 4.2.7.1, 4.2.8 एवं 4.2.9)

विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) को ₹3,000 प्रति माह से ₹6,000 प्रति माह तक पारिश्रमिक की बढ़ी हुयी दर

परियोजना का मुख्य उद्देश्य विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के रहने की स्थितियों में सुधार करना था। विभाग द्वारा एसपीओ के चयन में अपनाये गये तदर्थ दृष्टिकोण का परिणाम 2,650 एसपीओ, जिन्हें अविनियोजित किया जाना था, के रूप में हुआ। इसके अतिरिक्त, नमूना जाँच किये गये जिलों में, अतिरिक्त जनशक्ति को नियमितीकरण के बिना रोके रखा था।

(पैराग्राफ: 4.3.1 एवं 4.3.2)

विकास योजनाएं

पुनर्नवीकरण और शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन (एएमआरयूटी)

लेह परियोजना में जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत जल वितरण नेटवर्क, यद्यपि एक ऐसे क्षेत्र हेतु बिछाया गया था जो एक डम्पिंग स्थल था, अपूर्ण रहा था। जल आपूर्ति परियोजना, अनंतनाग के निर्माण कार्यों को आरंभ करने से पूर्व भूमि के गैर-अधिग्रहण का परिणाम योजना के निष्पादन में विलंब और मशीनरी/ उपकरण के अप्रयुक्त रहने के रूप में हुआ, जिससे ₹4.14 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

(पैराग्राफ: 5.2.4.1 (I एवं II))

जम्मू शहर में सीवरेज उपचार संयंत्र के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण लंबित और निविदा, निर्माण कार्यों के निष्पादन में विलंब हुआ था, जो ₹6.36 करोड़ का व्यय करने के बावजूद, अपूर्ण रहे।

(पैराग्राफ: 5.2.4.2 (I))

विभाग ने जम्मू शहर में सेप्टेज उपचार संयंत्र का निर्माण क्षेत्र में सेप्टेज के यथार्थवादी मूल्यों को अभिनिश्चित किये बिना, तकनीकी मामलों का समाधान किये बिना और पर्यावरणीय निर्बाधता के अभाव में आरंभ किया था। परिणामस्वरूप, ₹4.16 करोड़ का व्यय निष्फल करते हुए, परियोजना को पूर्ण नहीं किया जा सका। परियोजना पर किये गये ₹7.67 करोड़ के व्यय सहित, श्रीनगर शहर में सेप्टेज प्रबंधन योजना लगभग तीन वर्षों तक सक्शन-सह-जेटिंग मशीनों की अधिप्राप्ति हेतु संविदा को अंतिम रूप नहीं दिये जाने के कारण पूर्ण नहीं की जा सकी।

(पैराग्राफ: 5.2.4.3 (I एवं II))

जम्मू शहर में इंटेलिजेन्ट लाइटिंग सिस्टम का उद्देश्य परियोजना के कुछ महत्त्वपूर्ण घटकों (लाल बत्ती संकेत उल्लंघन संसूचन (आरएलवीडी) प्रणाली) के गैर-निष्पादन तथा 64 चौराहों पर यातायात संकेतकों के उल्लंघन के अनुवीक्षण हेतु क्रियाविधि के गैर-अस्तित्व के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका, जिसने परियोजना के उद्देश्य को विफल कर दिया। स्थल चयन संबंधी मामलों ने अनंतनाग, जम्मू और श्रीनगर में मल्टी कार पार्किंग परियोजनाओं को गंभीर रूप से बाधित किया।

(पैराग्राफ: 5.2.4.5 (I) एवं 5.2.4.6)

जम्मू एवं कश्मीर राज्य हेतु चालू जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन परियोजनाओं की शेष केन्द्रीय अंश देयता

विभाग द्वारा मामलों के निपटान में विलंब एवं कार्य के निष्पादन में अनुचित योजना के साथ समयबद्ध तरीके से भूमि के गैर-अधिग्रहण का परिणाम निधियों की उपलब्धता के बावजूद, लेह में 'ठोस अपशिष्ट प्रबंधन' की परियोजना के अपूर्ण रहने के रूप में हुआ और इसने पर्यावरण और जन स्वास्थ्य के लिए खतरा होते हुए खुले क्षेत्रों में कस्बे के अपशिष्ट के निपटान का मार्ग प्रशस्त किया। इसके अलावा, ₹9.18 करोड़ का व्यय काफी हद तक निष्फल रहा।

(पैराग्राफ: 5.3.3.2)

'जल आपूर्ति योजना लेह' के लिए नलकूपों के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहित करने में विभाग की विफलता ने इसके स्रोत की गैर-स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया जिसका परिणाम ₹51.10 करोड़ के अप्रयुक्त निवेश के रूप में हुआ। ₹10.48 करोड़ की राशि को अननुमोदित मदों/ निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु 'लेह में सड़क नेटवर्क सुधार' परियोजना से अपयोजित किया गया था।

(पैराग्राफ: 5.3.3.3 एवं 5.3.3.4)

जम्मू एवं कश्मीर शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम की बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजना और पीएमआरपी 2004 के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं का समापन: प्रतिस्थानी वित्त पोषण - एडीबी II

आठ उप-परियोजनाओं की मूल संविदा राशि से अधिक सकल वृद्धि 24 प्रतिशत और 80 प्रतिशत के बीच रही और इन उप-परियोजनाओं की लागत को एशियाई विकास बैंक का अनुमोदन प्राप्त किये बिना संशोधित किया गया था। उप-परियोजनाओं

'(i) घरेलू जल मीटरों की आपूर्ति, संस्थापन और अपसारण के माध्यम से गैर राजस्व जल (एनआरडब्ल्यू) का आंकलन एवं विश्लेषण (ii) स्वचालित मीटर रीडरों सहित जल मीटरों के संस्थापन द्वारा एनआरडब्ल्यू की कमी हेतु प्रबंधन' का उद्देश्य पहचानी गयी अवस्थितियों में जल हानियों को कम करना और एक व्यापक गैर-राजस्व जल कमी योजना को तैयार करना प्राप्त नहीं किया गया था, क्यों कि परियोजना निष्पादन में अंतरालों और जल आपूर्ति नेटवर्क से संबंधित आधारभूत आँकड़ों के अभाव, संविदाकार को लाइन विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये उपभोक्ता डेटाबेस तथा अद्यतित पाइप लाइन नेटवर्क के कारण जल हानियों की सीमा का आंकलन नहीं किया जा सका।

(पैराग्राफ: 5.4.5.3 एवं 5.4.7)

क्षतिग्रस्त/ नष्ट परिसंपत्तियों के बदले में सरकारी पर्यटक परिसंपत्तियों का निर्माण

इस परियोजना के अंतर्गत पुनर्निर्मित पर्यटक परिसंपत्तियों के प्रचालन तथा प्रबंधन हेतु विभाग के पास कोई योजना नहीं थी। सितंबर 2020 तक, 23 उप-परियोजनाओं में से, 15 उप-परियोजनाएं पूर्ण हो गयी थी और एक परियोजना छोड़ दी गयी थी जबकि सात उप-परियोजनाएं निष्पादनाधीन थी।

(पैराग्राफ: 5.5.1 एवं 5.5.4)

अनुशंसाएं

सरकार को चाहिए:

- *अपात्र हितभागियों, जिन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी है, को संवितरित अस्वीकार्य और अतिरिक्त भुगतानों की वसूली के लिए कदम उठाना;*
- *प्रवासियों के विवरण को प्राप्त और अद्यतित करने के लिए प्रवासियों के सतत् डेटाबेस को तैयार करना जिससे वास्तविक प्रवासी परिवारों को समय पर सहायता उपलब्ध करायी जा सके;*
- *जीओजेएण्डके की अन्य योजनाओं/ कार्यक्रमों और प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत हितभागियों को भुगतान के लिए ब्याज संसहायिकी योजना से अपयोजित निधियों की प्रतिपूर्ति करना;*
- *इन परियोजनाओं में शामिल भूमि अधिग्रहण, विलम्बों, भूमि प्रतिकर के मामलों के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाना;*

- *हाई एन्ड सुरक्षा परियोजना के अंतर्गत वाहनों/ उपकरण हेतु अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना ताकि खरीदें समय पर और अपेक्षित संख्या में की जा सके;*
- *बटालियनों को उनके पूर्णरूपेण परिचालन हेतु पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध करवाना;*
- *अस्थायी गबन को सम्मिलित करते हुए निधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्रियाविधि स्थापित करना और हिमायत योजना के तकनीकी सहायता अभिकरण के संपर्क एवं निगरानी को शामिल करते हुए जिला तथा खण्ड स्तरों पर स्टाफ की भर्ती द्वारा उचित संरचनात्मक सहायता उपलब्ध कराना;*
- *भारत सरकार को प्रस्तुत किये जाने वाले उपयोगिता प्रमाण-पत्रों, वित्तीय समाप्ति और परियोजना समापन प्रतिवेदनों की तैयारी हेतु समय सीमा का पालन करना;*
- *परियोजनाओं के समय पर समापन हेतु, विशेष रूप से वे जिनमें बाह्य सहायता शामिल है, सभी शामिल अभिकरणों/ विभागों के संयुक्त प्रयास तथा समन्वय करना;*
- *तकनीकी एवं भारी अभियांत्रिकी शामिल परियोजनाओं के संदर्भ में सहायता के लिए प्रभाव क्षेत्र विशेषज्ञों को विनियोजित करना; और*
- *निधियों का अपयोजन, निविदा के बिना कार्य का निष्पादन इत्यादि व्यपगमनों हेतु जिम्मेदार कार्मिकों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करना और उत्तरदायित्व निर्धारित करना।*

अध्याय-I

प्रस्तावना

अध्याय - I

1.1 प्रस्तावना

तत्कालीन राज्य जम्मू एवं कश्मीर (जेएण्डके) के लिए ₹80,068 करोड़ के परिव्यय सहित भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 07 नवंबर 2015 को एक व्यापक पुनर्निर्माण योजना, प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) की घोषणा की गयी थी। इस पैकेज में 63 परियोजनाएं सम्मिलित हैं जिन्हें पाँच क्षेत्रों के अंतर्गत वर्गीकृत मूल स्तंभ कहा जाता है। ये पाँच स्तंभ हैं:

- मानवीय राहत,
- संकट प्रबंधन,
- सामाजिक अवसंरचना,
- विकास परियोजनाएं और
- आर्थिक अवसंरचना

पीएमडीपी का लक्ष्य, अन्य बातों के साथ-साथ, आर्थिक अवसंरचना का विस्तार करना; आधारभूत सेवायें सुनिश्चित करना; रोजगार एवं आय सृजन पर जोर देना; सितंबर 2014 बाढ़ों के पीड़ितों को पुनर्वास और राहत उपलब्ध कराना; तथा तत्कालीन राज्य की आपदा प्रबंधन प्रणाली को सशक्त करना है। पुनर्निर्माण योजना तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य के तीन प्रदेशों[1] के संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना को सशक्त करने का भी अनुसरण करती है। तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य में गृह मंत्रालय (एमएचए), भारत सरकार (जीओआई) पीएमडीपी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु जीओआई स्तर पर एक नोडल अभिकरण है। व्यक्तिगत परियोजनाओं का कार्यान्वयन भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के तहत किया जा रहा है।

भारत सरकार और जम्मू एवं कश्मीर सरकार (जीओजेएण्डके) द्वारा निष्पादित की जा रही परियोजनाओं की संख्या सहित पीएमडीपी के अंतर्गत वित्तीय पैकेज **तालिका 1.1** में दिया गया है।

[1] जम्मू, कश्मीर और लद्दाख।

तालिका 1.1: पीएमडीपी के अंतर्गत परियोजनाओं का क्षेत्र वार विवरण

क्र. सं.	क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या		परियोजना लागत (₹ करोड़ में) (कुल परिव्यय का प्रतिशत)	संस्वीकृत राशि भारत सरकार (₹ करोड़ में)	व्यय (₹ करोड़ में)
		जीओआई	जीओजेएण्डके			
1.	मानवीय राहत	0	7	6,313.00 *(8)*	6,307.38	3,181.84
2.	संकट प्रबंधन	0	7	5,858.00 *(7)*	4,212.63	2,248.53
3.	सामाजिक अवसंरचना	6	4	8,057.00 *(10)*	8,652.42	1,530.77
4.	विकास परियोजनाएं	1	12	5,521.00 *(7)*	4,173.09	1,639.15
5.	आर्थिक अवसंरचना	17	9	54,319.00 *(68)*	33,763.55	19,805.11
	कुल	**24**	**39**	**80,068.00**	**57,109.07**	**28,405.40**

(स्रोत: पीएमडीपी 2015 पर अनुवीक्षण प्रतिवेदन; 31 मार्च 2019 तक की स्थिति)

पीएमडीपी के अंतर्गत ₹80,068 करोड़ के कुल परियोजना परिव्यय सहित समग्र 63 परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया था जिसके प्रति ₹57,109.07 करोड़ (71 प्रतिशत) संस्वीकृत किये गये थे और 31 मार्च 2019 तक भारत सरकार द्वारा ₹30,808.31 करोड़ (38 प्रतिशत) निर्गत किये गये थे। 31 मार्च 2019 तक किया गया व्यय ₹28,405.40 करोड़ था। वर्ष 2018-19 तक परियोजना लागत, संस्वीकृत लागत, निर्मोचित निधियाँ और किये गये व्यय का परियोजना वार विवरण ***परिशिष्ट 1.1*** में दिया गया है।

भारत सरकार के विभाग/ अभिकरण 24 परियोजनाओं को निष्पादित कर रहे थे तथा मार्च 2019 तक ₹19,708.02 करोड़ निर्गत किये गये थे, जिसमें से ₹19,122.56 करोड़ का व्यय किया गया था। इसी प्रकार, जीओजेएण्डके के विभागों/ अभिकरणों ने ₹35,985 करोड़ के परियोजना परिव्यय सहित 39 परियोजनाओं का निष्पादन किया था जिसके लिए ₹11,100.28 करोड़ निर्गत किये गये थे और मार्च 2019 तक ₹9,282.84 करोड़ का व्यय किया गया था।

1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आंकलन करना था कि क्या:

- जीओजेएण्डके द्वारा परियोजनाओं और अवसंरचनात्मक सुविधाओं के कार्यान्वयन हेतु संरचनात्मक क्रियाविधियाँ स्थापित की गयी थी; परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए स्टाफ की आवश्यकताएं पर्याप्त एवं प्रभावी थी;
- निर्मोचित निधियों का जीओजेएण्डके के कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा लेखाबद्धीकरण और उपयोग समय पर और लागू वित्तीय नियमावली और स्थायी आदेशों/ अनुदेशों के अनुपालन में किया गया था;
- प्रशिक्षणार्थियों के कम से कम 70 प्रतिशत तक रोजगार सुनिश्चित करने का प्रमुख लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था और क्या हिमायत योजना में परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों तथा प्रशिक्षणार्थियों का चयन निहित मानदण्डों के अनुसार किया गया था;
- बाढ़ से प्रभावित परिवारों/ व्यापारियों की उचित प्रकार से पहचान की गयी थी और हितभागियों की पहचान के लिए संचालित सर्वेक्षण पर्याप्त थे तथा पात्र हितभागियों को निहित मानदण्डों के अनुसार वित्तीय सहायता का भुगतान किया गया था;
- क्षतिग्रस्त निर्माण कार्यों हेतु पर्याप्त सर्वेक्षण, संकट प्रबंधन के अंतर्गत प्राथमिक निर्माण कार्यों का प्रभावी रूप से संचालन किया गया था, निर्माण कार्यों का निष्पादन मितव्ययिता और कुशलतापूर्वक किया गया था; और
- झेलम नदी के बाढ़ प्रबंधन निर्माण कार्यों के अनुवीक्षण/ क्षतिग्रस्त अवसंरचना के स्थायी पुनः स्थापन हेतु क्रियाविधि स्थापित थी; क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की पहचान सही प्रकार से कर ली गयी थी, क्षतिग्रस्त अवसंरचना का पूर्णरूपेण पुनः स्थापन कर लिया गया था और वह प्रकार्यात्मक है तथा परियोजनाओं का अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन पर्याप्त व प्रभावी था।

1.3 लेखापरीक्षा मापदण्ड

लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से उद्धृत किये गये हैं:

- जेएण्डके वित्तीय संहिता और जेएण्डके लोक निर्माण लेखा संहिता, परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर जीओजेएण्डके/ जीओआई द्वारा जारी अनुदेश/ संस्वीकृतियाँ तथा जीओआई/ जीओजेएण्डके द्वारा निर्मित निष्पादन संकेतक;
- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) में उपलब्ध कराये गये मानदण्ड और विनिर्देशन तथा भौतिक/ वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन, निविदा दस्तावेज;
- गृह विभाग, जीओजेएण्डके द्वारा विशेष पुलिस अधिकारियों के विनियमन और नियुक्ति हेतु निर्मित दिशानिर्देश, सितंबर 2014 की बाढ़ों द्वारा प्रभावित परिवारों/ व्यापारियों की पहचान हेतु जीओजेएण्डके द्वारा जारी किये गये आदेश/ अनुदेश तथा प्रभावित हितभागी परिवारों/ व्यावसायिक इकाइयों को वित्तीय सहायता के भुगतान के लिए जीओआई/ जीओजेएण्डके द्वारा जारी किये गये विभिन्न आदेश, अधिसूचनाएं, परिपत्र, अनुदेश;
- ब्याज संसहायिकी योजना के दिशानिर्देश और तत्कालीन राज्य में योजना के कार्यान्वयन से संबंधित जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (जेकेएसएलबीसी); दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू-जीकेवाई) परिचालन दिशानिर्देश तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा जारी मानक प्रचालन प्रक्रियाएं; और
- क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के प्रतिवेदन और बाढ़ प्रबंधन निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु विभाग द्वारा जारी किये गये अनुदेश/ आदेश तथा जीओआई के बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) दिशानिर्देश।

1.4 लेखापरीक्षा विषय क्षेत्र और कार्यप्रणाली

पीएमडीपी व्यक्तिगत प्रयोजनों सहित 63 व्यक्तिगत परियोजनाओं का एक पैकेज है; वर्ष 2014-15 से 2015-2019 की अवधि के दौरान परियोजनाओं के निष्पादन हेतु विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों के साथ-साथ व्यक्तिगत वित्तपोषण कार्यनीति। यद्यपि, प्रत्येक परियोजना का प्रयोजन भिन्न-भिन्न होता है फिर भी इन्हें कार्यान्वयन उद्देश्य के लिए पाँच भिन्न-भिन्न प्रक्षेत्रों के अंतर्गत विस्तृत रूप से

वर्गीकृत किया गया है। जोखिम और भौतिकता कारकों को सम्मिलित करते हुए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की तुलना में उनकी उपलब्धियों के आधार पर, इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को तैयार करते समय लेखापरीक्षा नमूना के चयन हेतु चार प्रक्षेत्रों, मानवीय राहत, संकट प्रबंधन, सामाजिक अवसंरचना तथा विकास परियोजनाओं ***(परिशिष्ट 1.2)*** के अंतर्गत जीओजेएण्डके द्वारा निष्पादित की जा रही 39 परियोजनाओं में से पीएमडीपी की 16 परियोजनायों की अप्रैल 2019 से नवंबर 2019 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जाँच की गयी थी। लेखापरीक्षा निष्कर्षों की इस प्रतिवेदन के अध्याय II से अध्याय V के अंतर्गत विस्तृत चर्चा की गयी है। आर्थिक अवसंरचना के प्रक्षेत्र के अंतर्गत लेखापरीक्षा के लिए किसी भी परियोजना का चयन नहीं किया गया था क्योंकि परियोजनाएं प्रमुखतया जीओआई के विभागों/ अभिकरणों द्वारा निष्पादित की जा रही हैं।

प्रधान सचिव, योजना विकास एवं निगरानी विभाग, जीओजेएण्डके के साथ 20 मई 2019 को एक प्रविष्टि सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, विषय क्षेत्र, मापदण्ड और कार्यप्रणाली पर विचार-विमर्श किया गया था। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर वित्त आयुक्त, वित्त विभाग, जीओजेएण्डके के साथ 20 अगस्त 2020 को आयोजित एक एक्जिट सम्मेलन में चर्चा की गयी थी जिसमें जीओजेएण्डके के सभी विभागों/ कार्यान्वयन अभिकरणों के प्रमुखों ने सहभागिता की थी। इस प्रतिवेदन में विभाग के उत्तरों को समुचित रूप से शामिल कर लिया गया है।

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग इस लेखापरीक्षा समनुदेशन के संचालन के दौरान अभिलेखों और सूचना को प्रस्तुत करने में जीओजेएण्डके के संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये सहयोग और सहायता को अभिस्वीकृत करता है।

अध्याय-II

मानवीय राहत

अध्याय - II

मानवीय राहत

2.1 प्रस्तावना

प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) के अंतर्गत सितंबर 2014 की बाढ़ों से प्रभावित परिवारों को घरों के पुनर्निर्माण के लिए वर्धित अनुग्रह राहत के रूप में सहायता; व्यापारियों/ स्व-नियोजित/ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों इत्यादि के लिए ब्याज संसहायिकी के रूप में आजीविका के पुनर्वास हेतु सहायता; पाक अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर (पीओजेके) और छम्ब के विस्थापित व्यक्तियों (डीपी) से परिवारों को एकबार बसने के लिए पुनर्वास पैकेज और पारगमन आवास के लिए प्रावधान तथा कश्मीरी प्रवासियों के लिए अतिरिक्त नौकरियों को शामिल करते हुए मानवीय राहत उपलब्ध करायी जानी थी।

मानवीय राहत के अंतर्गत, ₹6,313 करोड़ के परिव्यय पर सात[1] परियोनाओं को पूरा किया जाना था। इन सात परियोजनाओं में से, ₹4,313 करोड़ के संयुक्त परिव्यय सहित पाँच परियोजनाओं को नमूना जाँच के लिए लेखापरीक्षा हेतु चुना गया था जिनका विवरण **तालिका 2.1** में दिया गया है।

तालिका 2.1: मार्च 2019 तक चयनित पाँच परियोजनाओं की परियोजना लागत और व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजनाएं	परियोजना परिव्यय	निर्गत निधियाँ भारत सरकार	व्यय (मार्च 2019) (परियोजना परिव्यय प्रतिशत)	अप्रयुक्त निधि
1.	पूर्णतः क्षतिग्रस्त/ अति क्षतिग्रस्त/ आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए सहायता	1,200	1,194.85	1,043.55 (87)	151.30
2.	जम्मू प्रवासियों के लिए पुनर्वास पैकेज	13	13	13 (100)	-
3.	पीओजेके और छम्ब डीपी से 36,384 परिवारों को एकबार बसने हेतु पुनर्वास पैकेज	2,000	1,159.16	1,159.16 (58)	-

---

1 1. पूर्णतः क्षतिग्रस्त/ अति क्षतिग्रस्त/ आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए सहायता; 2. व्यापारियों/ स्व-नियोजित/ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए आजीविका के पुनः स्थापन हेतु सहायता पर संसहायिकी ब्याज; 3. अतिरिक्त 3,000 कश्मीरी प्रवासियों को राज्य सरकारी नौकरी; 4. कश्मीर घाटी में 6,000 पारगमन आवासों का निर्माण; 5. पीओजेके और छम्ब डीपी से 36,384 परिवारों को एकबार बसने के लिए पुनर्वास पैकेज; 6. जम्मू प्रवासियों के लिए पुनर्वास पैकेज; और 7. आईआर बटालियन (जेएण्डके में पाँच)।

क्र. सं.	परियोजनाएं	परियोजना परिव्यय	निर्गत निधियाँ भारत सरकार	व्यय (मार्च 2019) (परियोजना परिव्यय प्रतिशत)	अप्रयुक्त निधि
4.	व्यापारियों/ स्व-नियोजित/ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों इत्यादि के लिए आजीविका के पुनः स्थापन हेतु सहायता पर ब्याज संसहायिकी	800	800	800 (100)	-
5.	भारतीय रिज़र्व (आईआर) बटालियन (जेएण्डके में 5 लगभग ₹60 करोड़ प्रति बटालियन की लागत पर)	300	199.09	116.13 (39)	82.96
	कुल	**4,313**	**3,366.10**	**3,131.84**	**234.26**

(स्रोत: पीएमडीपी पर राज्य सरकार द्वारा तैयार किये गये अनुवीक्षण प्रतिवेदन)

जैसा कि **तालिका 2.1** से देखा जा सकता है, पाँच चयनित परियोजनाओं की प्राक्कलित लागत ₹4,313 करोड़ थी, जबकि जीओआई द्वारा निर्गत निधियाँ क्रमशः ₹3,366.10 करोड़ और व्यय (मार्च 2019) ₹3,131.84 करोड़ था। इस प्रकार, 31 मार्च 2019 तक इन पाँच परियोजनाओं पर किया गया कुल व्यय उपलब्ध निधियों से कम था। जीओजेएण्डके ₹6,313 करोड़ के कुल परिव्यय में से ₹946.90 करोड़ का लाभ नहीं ले सकी।

प्रतिचयन कार्यप्रणाली अध्याय I के ***परिशिष्ट 1.2*** में दर्शायी गयी है और इसके लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा उत्तरवर्ती पैराग्राफों में की गयी है।

आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग

2.2 पूर्णतः क्षतिग्रस्त/ अति क्षतिग्रस्त/ आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए सहायता

2.2.1 प्रस्तावना

तत्कालीन जेएण्डके राज्य में सितंबर 2014 में आयी बाढ़ों का परिणाम पक्के/ कच्चे घरों[2] के पूर्णतः/ अति/ आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने के रूप में हुआ। तत्कालीन राज्य सरकार ने इन बाढ़ों के उपरांत जिला स्तर पर सर्वेक्षणों (सितंबर-अक्टूबर 2014) का संचालन किया और 2.35 लाख घर क्षतिग्रस्त के रूप में पहचाने गये। एक आंकलन यह जानने के लिए भी किया गया कि क्या घरों को क्षति पूर्णतः/ अति/ आंशिक रूप से थी। तदुपरांत, तीन भिन्न-भिन्न योजनाओं के अंतर्गत इन बाढ़ों के कारण क्षतिग्रस्त हुए घरों की मरम्मत के लिए सहायता संवितरित की गयी थी।

2 पक्के घरः लकड़ी, ईंट, सीमेन्ट, लोहे की रोड़ों और स्टील से बने हुए मजबूत घर तथा कच्चे घरः लकड़ी, गीली मिट्टी, घास-फूस और सूखे पत्तों से बने हुए घर।

सहायता का पहला अंश राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) से निर्गत हुआ था, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से दूसरा अंश निर्गत हुआ और तीसरा अंश प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) के अंतर्गत उपलब्ध कराया गया है। शीर्ष स्तर पर योजना का कार्यान्वयन आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग, जीओजेएण्डके द्वारा और जिला स्तर पर 20 बाढ़ प्रभावित जिलों के संबंधित उपायुक्तों (डीसी) द्वारा तथा तहसील स्तर पर उप-प्रभागीय मजिस्ट्रटों एवं तहसीलदारों द्वारा किया जाता है।

2.2.2 वित्तीय सहायता

वर्ष 2014-15 में बाढ़ से प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता की प्रथम किस्त का भुगतान बाढ़ों के तुरंत बाद एसडीआरएफ के अंतर्गत संबंधित उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेटों/ तहसीलदारों के माध्यम से किया गया था, जबकि वर्ष 2015-16 के दौरान पीएमएनआरएफ के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा दूसरी किस्त का भुगतान जीओजेएण्डके द्वारा प्रस्तुत विवरण के आधार पर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे ही घर के मालिकों के बैंक खातों में किया गया था। पीएमडीपी के अंतर्गत वित्तीय सहायता की तीसरी किस्त का भुगतान वर्ष 2016 से घर के मालिकों को डीबीटी के माध्यम से संबंधित डीसी द्वारा किया गया था।

पीएमडीपी के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत (जनवरी 2016) ₹1,200 करोड़ के परियोजना परिव्यय के प्रति, केवल ₹1,194.85 करोड़ निर्गत किये गये थे क्योंकि उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग, जीओजेएण्डके द्वारा प्राप्त ₹1,194.85 करोड़ की राशि में से, जून 2019 तक 20 डीसी को आपदा प्रबंधन, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग, जीओजेएण्डके के माध्यम से ₹1,085.60 करोड़ ही निर्गत किये गये थे जैसा कि **तालिका 2.2.1** में इंगित किया गया है।

तालिका 2.2.1: जिला-वार निर्गत निधि एवं किया गया व्यय
(जून 2019 तक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	जिले का नाम	निर्गत निधियाँ	किया गया व्यय
1.	अनंतनाग	99.66	98.91
2.	बांदीपोरा	40.56	39.84
3.	बारामूला	35.92	35.41
4.	बडगाम	88.15	78.13

क्र. सं.	जिले का नाम	निर्गत निधियाँ	किया गया व्यय
5.	डोडा	3.04	3.02
6.	गांदरबल	0.82	0.81
7.	जम्मू	62.93	62.03
8.	कठुआ	8.77	8.77
9.	किश्तवाड	2.41	2.41
10.	कुलगाम	19.62	19.62
11.	कुपवाडा	0.21	0.21
12.	पुंछ	20.80	20.80
13.	पुलवामा	75.59	75.59
14.	राजौरी	65.11	49.82
15.	रामबन	7.53	7.53
16.	रियासी	29.34	29.13
17.	सांबा	4.56	4.56
18.	शोपियां	7.28	7.28
19.	श्रीनगर	500.31	494.36
20.	ऊधमपुर	12.99	12.98
	कुल	**1,085.60**	**1,051.21**

(स्रोत: राहत, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना)

जनवरी 2016 से जून 2019 की अवधि के दौरान, पीएमडीपी के अंतर्गत तत्कालीन जेएण्डके राज्य के 20 जिलों में सितंबर 2014 की बाढ़ों के कारण क्षतिग्रस्त हुए 2.18 लाख घरों के लिए मुआवजे के भुगतान हेतु ₹1,051.21 करोड़ का व्यय किया गया था और सितंबर 2020 तक छह[3] जिलों को ₹6.45 करोड़ की राशि निर्गत की गयी थी तथा सितंबर 2020 तक ₹102.80 करोड़ की अप्रयुक्त राशि वित्त विभाग द्वारा प्रतिधारित थी।

सात जिलों (बडगाम, बारामूला, बांदीपोरा, जम्मू, राजौरी, श्रीनगर और पुंछ) में निर्गत ₹813.78 करोड़ में से ₹780.39 करोड़ का व्यय किया गया था। इन सात जिलों में, 69 तहसीलों/ उप प्रभागों (एसडी) में से 25 तहसीलों/ एसडी को लेखापरीक्षा में समाविष्ट किया गया था। इसके अतिरिक्त, इन 25 तहसीलों/ एसडी हेतु 0.95 लाख घरों में से जिन्हें क्षतिग्रस्त के रूप में पहचाना गया था, लेखापरीक्षा में 0.14 लाख घरों (15 प्रतिशत) के लिए मुआवजे के भुगतान से संबंधित अभिलेखों की नमूना-जाँच की गयी थी।

[3] बारामूला: ₹22.90 लाख; बडगाम: ₹149.25 लाख; गांदरबल: ₹0.40 लाख; कुलगाम: ₹2.85 लाख; पुलवामा: ₹265.45 लाख; और शोपियां: ₹204 लाख।

2.2.2.1 वित्तीय सहायता की संस्वीकृति में विलंब

वित्त विभाग, जीओजेएण्डके ने मार्च 2016 से जनवरी 2020 की अवधि के दौरान, 47 दिनों से 31 महीनों के बीच की देरी सहित आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग, जीओजेएण्डके के पक्ष में निधियाँ संस्वीकृत की थी। निधियों के विलंब से जारी होने से जिलों में प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता के भुगतान में देरी हुई जो हितभागियों की कठिनाई का कारण बना। यह भी देखा गया था कि पीएमडीपी के अंतर्गत तीसरे अंश में जीओजेएण्डके ने बाढ़ से प्रभावित परिवारों के बीच नकद सहायता संवितरित करने के लिए उपायुक्त, बडगाम के पक्ष में ₹29.98 करोड़ में से ₹10.02 करोड़ निर्गत करने हेतु संस्वीकृति प्रदान (जून 2016) की थी। यह हितभागियों को इस आधार पर संवितरित नहीं की गयी थी कि उन्हें ₹10.02 करोड़ का निर्गत आदेश प्राप्त नहीं हुआ था। परिणामस्वरूप, जून 2016 में यथासंभव शीघ्र संस्वीकृति होने के बावजूद, वर्ष 2016-17 के दौरान निधियाँ प्राप्त नहीं की जा सकीं। तत्पश्चात्, जनवरी 2020 में बडगाम जिले के लिए केवल ₹1.49 करोड़ इस परिणाम सहित निर्गत किये गये हैं कि यद्यपि प्रभावित परिवारों की पहचान बाढ़ों के तुरंत बाद कर ली गयी थी लेकिन जिला बडगाम में क्षतिग्रस्त घरों में से कुछ को सहायता का भुगतान नहीं किया गया था।

2.2.2.2 वित्तीय सहायता का अपयोजन

सहायक आयुक्त (राजस्व), राजौरी ने पीएमडीपी निधियों में से ₹16.10 लाख की राशि को खरीदों और पुनः स्थापन/ किये गये कार्य की देयता की निर्बाधता के प्रति अपयोजित (अगस्त/ सितंबर 2018) किया था जैसा कि **तालिका 2.2.2** में इंगित किया गया है।

तालिका 2.2.2: अगस्त 2018 से सितंबर 2018 तक की अवधि के दौरान निधियों का अपयोजन

क्र. सं.	निधियों के हस्तांतरण की तिथि	राशि (₹)	विवरण
1.	21.08.2018	25,350	ब्याज राशि से बाहर मैसर्स पीएस इलेक्ट्रॉनिक से वस्तुओं का क्रय।
2.	17.09.2018	45,000	ब्याज राशि से बाहर निजी व्यक्ति के चिकित्सा उपचार हेतु।
3.	18.09.2018	31,000	ब्याज राशि से बाहर मैसर्स पीएस इलेक्ट्रॉनिक से माइक्रोवेव का क्रय।

क्र. सं.	निधियों के हस्तांतरण की तिथि	राशि (₹)	विवरण
4.	18.09.2018	11,00,000	निर्माण कार्यों की देयताओं का पुनः स्थापन/ निर्बाधता (i) डब्ल्यूएसएस शाहधरा शरीफ (₹ छह लाख) के मजूर में 200 एमएम की बोरवैल की खुदाई। (ii) अब्दुल्ला पुल राजौरी (₹ पाँच लाख) के निकट 200 एमएम के बोरवैल की खुदाई और डब्ल्यूएसएस का पुनः प्रवर्तन।
5.	18.09.2018	3,88,000	अट्टी गली पंचायत, अट्टी ब्लॉक, राजौरी में सड़क सुधार और पुनः स्थापन के निर्माण कार्य की देयताओं का पुनः स्थापन/ निर्बाधता।
6.	20.09.2018	21,000	ब्याज राशि से बाहर मैसर्स पी एस इलेक्ट्रॉनिक्स से वस्तुओं का क्रय।
	कुल	**16,10,350**	

(स्रोतः सहायक आयुक्त (राजस्व), राजौरी)

इस ₹16.10 लाख के व्यय में बैंक खाते के प्रोद्भूत ब्याज से हस्तांतरित (अगस्त/ सितंबर 2018) ₹1.22 लाख और सितंबर 2014 की बाढ़ों के दौरान प्रभावित राजौरी जिले में परिवारों को पीएमडीपी के अंतर्गत वित्तीय सहायता के संवितरण के आशय की निधियों में से देयताओं के पुनः स्थापन/ निर्बाधता हेतु ₹14.88 लाख शामिल थे। इस प्रकार, सरकार द्वारा संस्वीकृत और निर्गत सहायता से वास्तविक बाढ़ पीड़ित वंचित रह गये।

अपर उपायुक्त, राजौरी, कार्यालय उपायुक्त, राजौरी ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए कहा (अगस्त 2020) कि पीएमडीपी खाते में राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

2.2.2.3 निधियों का गैर-उपयोग

बाढ़ प्रभावित परिवारों को संवितरण के लिए वर्ष 2015-16 से 2018-19 की अवधि के दौरान उपायुक्तों, राजौरी और जम्मू को पीएमडीपी के अंतर्गत ₹128.05 करोड़ की राशि संस्वीकृत की गयी थी जिसके प्रति, ₹16.14 करोड़ (13 प्रतिशत) का शेष छोड़ते हुए जिसे संबंधित वर्षों के अंत में अभ्यर्पित किया गया था, ₹111.91 करोड़ का व्यय किया गया जैसा कि **तालिका 2.2.3** में दिया गया है।

तालिका 2.2.3: निधियों की गैर-उपयोगिता

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	कार्यालय का नाम	संस्वीकृत निधियाँ	किया गया व्यय	निधियों की गैर-उपयोगिता/ अभ्यर्पण
1.	उपायुक्त, राजौरी	65.11	49.88	15.23
2.	उपायुक्त, जम्मू	62.94	62.03[4]	0.91
	कुल	**128.05**	**111.91**	**16.14**

(स्रोतः विभागीय अभिलेख)

लेखापरीक्षा में यह पाया गया (सितंबर 2019) कि उपायुक्त, राजौरी द्वारा निर्गत (मार्च 2016) ₹22 करोड़ में से, सहायक आयुक्त (राजस्व), राजौरी ने कोषागार से ₹13.22 करोड़ का आहरण किया और ₹8.78 करोड़ का अभ्यर्पण किया जिससे बाढ़ प्रभावित परिवार वित्तीय सहायता से वंचित रह गये। इसके अतिरिक्त, ₹13.22 करोड़ में से ₹9.90 लाख (₹2.48 लाख के ब्याज को शामिल करते हुए) का अगस्त 2020 तक बैंक खातों में अप्रयुक्त रहना जारी रहा जिससे वास्तविक बाढ़ पीड़ित ₹7.42 लाख की वित्तीय सहायता से वंचित रहे।

सहायक आयुक्त (राजस्व), राजौरी ने कहा (अक्टूबर 2019) कि कोई भी हितभागी यह सूचित करने के लिए कार्यालय नहीं पहुँचा कि बैंक ने उनके खाते में धन का हस्तांतरण नहीं किया।

तथ्य, हालांकि, यह रहता है कि छूटे हुए परिवारों को वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए मिलान का संचालन नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त, जीओजेएण्डके ने वर्ष 2014-15 से 2016-17 की अवधि के दौरान बाढ़ से प्रभावित पीड़ितों को संवितरण हेतु उपायुक्त, जम्मू को पीएमडीपी के अंतर्गत ₹62.94 करोड़ संस्वीकृत किये जिसके प्रति ₹0.91 करोड़ मार्च 2017 में अभ्यर्पित किये गये थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि ₹62.03 करोड़ 17,357 हितभागियों को सहायता के भुगतान के लिए प्रयुक्त दर्शाये गये थे, तथापि ₹1.82 करोड़ सहायक आयुक्त (राजस्व), जम्मू के बैंक खातों में अव्ययित (नवंबर 2019) पड़े रहे, अतः व्यय के आँकड़ों को बढ़ाने के बावजूद, 564 प्रभावित परिवार वित्तीय सहायता से वंचित रहे। उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, बैंक

4 ₹62.03 करोड़ में से, ₹1.82 करोड़ बैंक खातों में अव्ययित रहे।

खातों में अभी तक ₹1.34 करोड़ अव्ययित छोड़ते हुए, आगे ₹47.95 लाख की राशि हितभागियों के मध्य संवितरित (दिसंबर 2019) की गयी थी।

2.2.3 क्षतियों का आंकलन

जीओजेएण्डके ने आपदाओं का सामना करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) को अंगीकार करने हेतु संस्वीकृति प्रदान (मार्च 2014) की थी जिसके द्वारा संबंधित जिलों के उपायुक्तों को एसडीआरएफ के अंतर्गत स्वीकार्य दावों को संस्वीकृत करना होता है। अचल निजी संपत्ति की क्षति से संबंधित दावों का आंकलन सदस्यों के रूप में सहायक आयुक्त (राजस्व), संबंधित तहसीलदार, कार्यपालक अभियंता (आरएण्डबी) सहित अपर जिला विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति द्वारा किया जाना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि:

- राजौरी और जम्मू जिलों की तहसीलों/ उप-प्रभागों में नमूना जाँच किये गये मामलों में अपर जिला विकास आयुक्त, सहायक आयुक्त (राजस्व) तथा कार्यपालक अभियंता (आरएण्डबी) निजी अवसंरचना जैसे आवासीय घर, पशुशालाओं इत्यादि की क्षतियों के आंकलन में शामिल नहीं थे। इसके बजाय, क्षतियों का आंकलन संबंधित सरपंचों, पटवारियों, गिरदावरों, नायब तहसीलदारों की रिपोर्टों और संबंधित तहसीलदारों की अनुशंसाओं के आधार पर किया गया था। बाढ़ प्रभावित घरों को संबंधित सरपंच/ पटवारी इत्यादि, जो कि एसओपी के अनुसार, क्षतियों का आंकलन करने में तकनीकी रूप से सक्षम नहीं थे, की रिपोर्टों के आधार पर पूर्णतः, अत्यधिक और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

- इसके अतिरिक्त, बडगाम, पुंछ, राजौरी और श्रीनगर जिलों की तहसीलों/ उप-प्रभागों के अभिलेखों की नमूना-जाँच के दौरान, यह पाया गया कि घरों को तकनीकी रूप से योग्य कार्मिक द्वारा किसी संवीक्षा के बिना गैर-तकनीकी व्यक्तियों की रिपोर्टों और अभिलेखों के आधार पर पूर्णतः, अत्यधिक और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया था यद्यपि एसओपी के अनुसार, तकनीकी सदस्यों जैसे कार्यपालक अभियंता (आरएण्डबी) को आंकलन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में होना था।

- बारामूला जिले के खोए पट्टन, सोपोर की तहसीलों/ उप-प्रभागों के हितभागियों की अनुमोदित सूचियों में एसओपी के अनुसार इस प्रयोजन हेतु नामांकित सभी

सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं पाये गये। इस प्रकार से, सभी सदस्य निजी संपत्तियों की क्षतियों के आंकलन के लिए सर्वेक्षणों/ स्थान भ्रमणों के दौरान जुड़ नहीं पाये थे।

उपायुक्त, जम्मू ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण की पुष्टि (अगस्त 2020) करते हुए कहा कि जम्मू में अचानक आयी बाढ़ और भू-स्खलनों के कारण बृहत् पैमाने की क्षति की दृष्टि से केन्द्रीकृत जिला स्तरीय समिति के लिए जिले के सभी भागों में क्षतियों का आंकलन करना संभव नहीं था और प्रभागीय आयुक्त, जम्मू के मौखिक निर्देशों के अनुसार शीघ्र निपटान हेतु विद्यमान कार्यविधि को शिथिल करने की आवश्यकता का अनुभव किया गया। उपायुक्त, बडगाम ने कहा (अगस्त 2020) कि अधीनस्थ क्षेत्रीय प्राधिकरणों को प्रचलित मानदण्डों के अनुसार क्षति आंकलनों को संचालित करने का निर्देश दिया गया था तथा संबंधित तहसीलदारों ने उनके संबंधित प्रादेशिक क्षेत्राधिकारों हेतु क्षति आंकलन प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किया।

उपायुक्त, बारामूला ने कहा (जुलाई 2019) कि सूचियाँ तहसीलदारों के हस्ताक्षरों से तहसील स्तर पर तैयार की गयी थी और उसके बाद अन्य सदस्यों ने जिला स्तर पर सूचियों को हस्ताक्षरित/ प्रमाणित किया था जो कि जिला मुख्यालयों में उपलब्ध थी। जवाब पुष्टि करता है कि हितभागियों की सूचियाँ तकनीकी सदस्यों द्वारा मूल्यांकन के साथ-साथ निजी संपत्तियों को हुई क्षतियों का आंकलन करने के लिए एसओपी के अनुसार आधारभूत सर्वेक्षणों का संचालन किये बिना तहसील स्तर पर तैयार की गयी थी, जिनकी अनुपस्थिति संदेह उत्पन्न करती है कि क्या इस परियोजना के अधीन वास्तविक हितभागियों को सहायता उपलब्ध करायी गयी है।

2.2.4 क्षतिग्रस्त घरों को सहायता

परियोजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना था जिनके घर सितंबर 2014 की बाढ़ों में क्षतिग्रस्त हो गये थे और तदनुसार, जीओजेएण्डके ने पीएमडीपी के अंतर्गत निर्धारित पैमाने के अनुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध (फरवरी 2016) करायी। एसडीआरएफ, पीएमएनआरएफ एवं पीएमडीपी के अंतर्गत एक क्षतिग्रस्त परिवार को उपलब्ध करायी गयी संयुक्त वित्तीय सहायता को **तालिका 2.2.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2.4: क्षतिग्रस्त परिवारों हेतु संयुक्त वित्तीय सहायता

(राशि ₹ में)

क्षतिग्रस्त घरों की श्रेणी	संस्वीकृत वित्तीय सहायता			कुल वित्तीय सहायता
	एसडीआरएफ	पीएमएनआरएफ	पीएमडीपी	
	1	2	3	4 (1+2+3)
पूर्णतः क्षतिग्रस्त पक्का घर	75,000	1,00,000	2,50,000	4,25,000
पूर्णतः क्षतिग्रस्त कच्चा घर	17,600	50,000	1,00,000	1,67,600
अति क्षतिग्रस्त पक्का घर	12,600	50,000	1,25,000	1,87,600
अति क्षतिग्रस्त कच्चा घर	3,800	10,000	50,000	63,800
आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्का घर	3,800	25,000	20,000	48,800
आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चा घर	2,300	5,000	10,000	17,300

(स्रोतः राहत, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना)

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए), जीओआई द्वारा पीएमएनआरएफ के अंतर्गत नकद सहायता बाढ़ से प्रभावित उन परिवारों को संवितरित (वर्ष 2015-16) की गयी थी जिनके पूरे विवरण 31 मार्च 2016 को या इससे पूर्व पीएफएमएस वेबसाइट पर अपलोड थे। तदुपरांत, पीएमएनआरएफ के अंतर्गत सहायता के भुगतान के लिए हितभागियों के आँकड़ों की अपलोडिंग बंद (31 मार्च 2016) कर दी गयी थी। पीएमडीपी के अंतर्गत नकद सहायता की तीसरी किस्त संबंधित उपायुक्तों द्वारा सीधे ही प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से बाढ़ से प्रभावित केवल उन परिवारों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जानी थी जिन्हें पीएमएनआरएफ के अंतर्गत पहले सहायता उपलब्ध करायी गयी थी। जून 2019 तक, पीएमडीपी के अंतर्गत विभाग द्वारा राज्य के 20 जिलों में 2.18 लाख[5] बाढ़ से प्रभावित परिवारों (हितभागियों) के मध्य संवितरण हेतु ₹1,051.21 करोड़ की राशि को प्रयुक्त दर्शाया गया था। एसडीआरएफ, पीएमएनआरएफ और पीएमडीपी के अंतर्गत समग्र तथा पृथक रूप से प्रत्येक क्षतिग्रस्त परिवार को प्रदत्त एवं देय वित्तीय सहायता के विवरण राज्य स्तर पर केन्द्रीकृत डेटाबेस में अनुरक्षित नहीं किये गये थे, परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा में इन तीन अंशों के अंतर्गत पृथक रूप के साथ-साथ, समग्र वित्तीय सहायता से वंचित क्षतिग्रस्त परिवारों की संख्या अभिनिश्चित नहीं की जा सकी।

---

[5] पूर्णतः क्षतिग्रस्त पक्के घर: 0.11 लाख; पूर्णतः क्षतिग्रस्त कच्चे घर: 0.11 लाख; अति क्षतिग्रस्त पक्के घर: 0.37 लाख; अति क्षतिग्रस्त कच्चे घर: 0.14 लाख; आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के घर: 1.06 लाख; और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे घर: 0.39 लाख।

पृथक रूप से नमूना जाँच किये गये सात जिलों में एसडीआरएफ, पीएमएनआरएफ और पीएमडीपी के अंतर्गत विभाग द्वारा सहायता किये गये परिवारों और क्षतिग्रस्त घरों की स्थिति **तालिका 2.2.5** में दी गयी है।

तालिका 2.2.5: मार्च 2019 तक छोड़े गये परिवार

क्र. सं.	जिला	क्षतिग्रस्त घरों की संख्या	के अंतर्गत भुगतान किये गये क्षतिग्रस्त परिवारों की संख्या		
			एसडीआरएफ	पीएमएनआरएफ	पीएमडीपी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बांदीपोरा	7,699	7,699	7,160	7,258
2.	बारामूला	8,668	8,668	8,553	8,553
3.	बडगाम	14,076	14,076	13,687	11,148
4.	जम्मू	20,864	20,627	17,627	17,357
5.	पुंछ	7,427	7,427	7,409	5,893
6.	राजौरी	18,242	12,277	13,147	12,077
7.	श्रीनगर	92,120	86,973	78,633	77,569
	कुल	**1,69,096**	**1,57,747**	**1,46,216**	**1,39,855**

(स्रोत: नमूना जाँच किये गये उपायुक्तों के अभिलेख)

जैसा कि **तालिका 2.2.5** में देखा जा सकता है, नमूना जाँच किये गये सात जिलों में, सितंबर 2014 की बाढ़ों के तुरंत बाद क्षतिग्रस्त के रूप में पहचाने गये 1.69 लाख घरों में से, 1.58 लाख परिवारों को एसडीआरएफ के अंतर्गत, 1.46 लाख परिवारों को पीएमएनआरएफ के अंतर्गत और 1.40 लाख परिवारों को पीएमडीपी के अंतर्गत सहायता का भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा में आगे निम्नलिखित पाया गया:

- श्रीनगर जिले में, उपायुक्त (डीसी), श्रीनगर द्वारा प्रभावित घरों के मालिकों के अभ्यावेदनों के आधार पर 405 क्षतिग्रस्त परिवारों की श्रेणी परिशोधित (मई 2016) की गयी थी। यह 31 मार्च 2016 की अंतिम तिथि के उपरांत की गयी थी और इसलिए पीएफएमएस पर अपलोड नहीं की जा सकी। अतः इन घरों के मालिक परिशोधित श्रेणी में उनकी हकदारिता के अनुसार पीएमडीपी के अंतर्गत द्वितीय भाग में अतिरिक्त राशि और ₹4.52 करोड़ की वित्तीय सहायता से वंचित रहे। विभाग ने पीएमडीपी के अंतर्गत भुगतान हेतु शर्त के शिथिलीकरण या 31 मार्च 2016 के उपरांत हितभागियों को अपलोड करने के लिए कोई क्रियाविधि विकसित नहीं की।

- जम्मू जिले की पाँच तहसीलों[6] में, सितंबर 2014 की बाढ़ों के उपरांत सर्वेक्षण समिति द्वारा 425 क्षतिग्रस्त परिवारों की पहचान की गयी थी, जिन्हें अगस्त 2020 तक पीएमडीपी के अंतर्गत ₹1.48 करोड़ की सहायता का भुगतान नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में विशेष रूप से पूछे जाने के बावजूद डीसी, जम्मू द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किये गये।
- राजौरी जिले में, सितंबर 2014 की बाढ़ों के पश्चात्, राहत हेतु छोड़े गये पात्र मामलों के सत्यापन के लिए अपर जिला विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन (दिसंबर 2015) किया गया था। समिति के समक्ष कुल 2,632 मामले रखे गये, जिसमें से 1,732 मामले (क्षतिग्रस्त घरों के 1,383 मामलों को शामिल करते हुए) वास्तविक पाये गये (मार्च 2017), अतः इनको अनुग्रह राहत की संस्वीकृति के लिए अनुशंसा की गयी। हालांकि, इन प्रभावित परिवारों को पीएमडीपी के अधीन सहायता प्रदान नहीं की गयी थी।

डीसी, बडगाम ने कहा (अगस्त 2020) कि वर्ष 2014 की बाढ़ों के कारण छोड़े गये क्षतिग्रस्त घरों के मामले प्रभागीय आयुक्त, कश्मीर को सूचित किये गये थे लेकिन पीएमडीपी के अंतर्गत इन छोड़े गये परिवारों को कोई भुगतान निर्गत नहीं किया गया था। डीसी, राजौरी ने कहा (सितंबर 2019) कि निधियों के निर्मोचन के लिए जीओजेएण्डके को राहत हेतु मांग प्रस्तावित की गयी थी जो प्रतीक्षित थी।

तथापि, सितंबर 2020 तक इन प्रभावित परिवारों को पीएमडीपी के अंतर्गत सहायता प्रदान नहीं की गयी थी।

2.2.4.1 हितभागियों का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण

संबंधित उपायुक्तों (डीसी) द्वारा पीएमडीपी के अंतर्गत वित्तीय सहायता की तीसरी किस्त का निर्मोचन उन प्रभावित परिवारों के लिए किया जाना था जिन्हें पीएमएनआरएफ के अंतर्गत द्वितीय किस्त का भुगतान किया गया था और 31 मार्च 2016 तक जिनके पूर्ण विवरण पीएफएमएस वेबसाइट पर अपलोड थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जून 2019) कि बांदीपोरा जिले की हाजिन तहसील में तहसीलदार, हाजिन द्वारा पीएमडीपी के अंतर्गत आठ प्रभावित परिवारों की प्रास्थिति को अप्राधिकृत रूप से अति पक्के से पूर्णतः पक्के के रूप में परिशोधित कर दिया

---

[6] खौर, खाराबली, पर्गवल, मण्डल और मायरा मैंद्रियां।

गया जिसने डीबीटी मोड के माध्यम से, जनवरी 2017 से अप्रैल 2017 की अवधि के दौरान ₹10 लाख के अतिरिक्त भुगतान का मार्ग प्रशस्त किया।

उपायुक्त, बांदीपोरा ने कहा (जून 2019) कि इन आठ मामलों में एसडीआरएफ में पूर्णतः पक्का श्रेणी हेतु भुगतान किया गया था जैसा कि पीएमडीपी में भी पूर्णतः पक्का श्रेणी के अंतर्गत इनका भुगतान किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में पूर्णतः पक्का श्रेणी के अंतर्गत इन हितभागियों के क्षतिग्रस्त परिवारों की प्रास्थिति को नहीं दर्शाया गया था। हालांकि, सहायक आयुक्त (राजस्व), बांदीपोरा ने कहा (अगस्त 2020) कि एक हितभागी से ₹0.25 लाख की वसूली कर ली गयी थी और शेष हितभागियों के संबंध में नोटिस जारी किये गये थे।

2.2.4.2 सहायता का अस्वीकार्य भुगतान

जम्मू जिले की छह तहसीलों और राजौरी जिले के सुंदरबनी उप-प्रभाग में, पीएमडीपी के अंतर्गत ₹63.45 लाख की सहायता का भुगतान किया गया था जैसा कि **तालिका 2.2.6** में इंगित किया गया है, तथापि 184 घर सितंबर 2014 की बाढ़ों से क्षतिग्रस्त हुए घरों की सूची में नहीं थे।

तालिका 2.2.6: अस्वीकार्य भुगतान

जिले का नाम	तहसील/ उप-प्रभाग का नाम	हितभागियों की संख्या	प्रदत्त अस्वीकार्य सहायता (₹ लाख में)
जम्मू	मायरा मैंद्रियां	44	15.30
	मण्डल	42	13.85
	पर्गवल	36	12.60
	खौर	18	6.90
	चौकी चौरा	16	6.00
	खाराबली	13	1.30
राजौरी	सुंदरबनी	15	7.50
	कुल	**184**	**63.45**

(स्रोत: नमूना जाँच किये गये एसडीएम/ तहसीलदारों के अभिलेख)

उपायुक्त, जम्मू ने कहा (अगस्त 2020) कि सितंबर 2014 की बाढ़ों द्वारा परिवार संपत्तियों को हुई क्षतियों के आंकलन हेतु तहसील स्तर पर समितियाँ गठित की गयी थी और तहसीलदारों द्वारा प्रभावित परिवारों से प्राप्त नवीन अभ्यावेदनों के आधार पर, एसडीआरएफ के अंतर्गत भुगतान के लिए संबंधित तहसीलदारों द्वारा अन्य वास्तविक छोड़े गये मामलों की अनुशंसा की गयी थी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पीएमडीपी के अंतर्गत तात्कालिक मामलों में भुगतान उन परिवारों को किये गये थे जिनके घर आंकलन प्रतिवेदनों में शामिल नहीं थे।

लेखापरीक्षा में आगे निम्नलिखित पाया गया:

- पुंछ जिले में, नमूना जांच हेतु चयनित दो तहसीलों (छह तहसीलों में से) में 60 हितभागियों के नाम, जिनको भुगतान (सितंबर 2019) किया गया था, एसडीआरएफ हितभागी सूची में विद्यमान नहीं थे, जिसका परिणाम पीएमडीपी के अंतर्गत ₹14.50 लाख की सहायता के अस्वीकार्य भुगतान के रूप में हुआ।
- दो हितभागियों को क्षतियों के आंकलन के प्रतिवेदनों, जिन्हें संबंधित तहसीलदार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, के आधार पर एसडीएम, सुंदरबनी के अधीन ₹0.20 लाख की सहायता का भुगतान (नवंबर 2016) किया गया था।
- पुंछ जिले की दो तहसीलों में, तीन श्रेणियों (पूर्णतः कच्चा, अंशतः कच्चा और अति पक्का) के तहत 147 परिवारों[7] को एसडीआरएफ के अंतर्गत अंतिम रूप दिये गये क्षतिग्रस्त घरों की सूची में बाद में जोड़ा गया था और उन्हें पीएमडीपी के अंतर्गत सहायता का भुगतान किया गया था। इसका परिणाम इन 147 अपात्र हितभागियों को ₹37.45 लाख की सहायता के अस्वीकार्य भुगतान के रूप में हुआ।

डीसी, पुंछ ने कहा (अक्टूबर 2019) कि संबंधित स्टाफ को मामले की जांच और स्थिति के स्पष्टीकरण हेतु कहा जाएगा।

इस प्रकार, सहायता का भुगतान उन घरों के मालिकों को किया गया था जिनके नाम क्षति आंकलन प्रतिवेदनों/ एसडीआरएफ सर्वेक्षण सूची में शामिल नहीं थे, परिणामस्वरूप इन घरों के मालिकों को अस्वीकार्य भुगतान हुआ।

2.2.4.3 नकद सहायता का अतिरिक्त भुगतान

वित्तीय सहायता डीबीटी मोड के माध्यम से पहचाने गए बाढ़ प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जानी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया (जुलाई 2019 से सितंबर 2019) कि छह जिलों में ₹73.85 लाख की अतिरिक्त सहायता 85 हितभागियों के बैंक खातों में जमा की गयी थी जैसा कि **तालिका 2.2.7** में दिया गया है।

7 मेनधरः 146 (पूर्णतः कच्चाः 24 और अंशतः कच्चाः 122) तथा बालाकोटः 01 (अति पक्का)।

तालिका 2.2.7: सहायता का अतिरिक्त भुगतान

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला	हितभागियों की संख्या	देय सहायता	प्रदत्त सहायता	अस्वीकार्य प्रदत्त सहायता
1.	श्रीनगर	10	11.30	21.80	10.50
2.	बडगाम	38	34.48	69.48	35.00
3.	बारामूला	2	1.45	2.90	1.45
4.	बांदीपोरा	17	10.50	22.00	11.50
5.	राजौरी	16	7.50	19.40	11.90
6.	पुंछ	2	2.25	5.75	3.50
	कुल	**85**	**67.48**	**141.33**	**73.85**

(स्रोत: नमूना जाँच किये गये एसडीएम/ तहसीलदारों के अभिलेख)

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने (सितंबर 2019) पर, उपायुक्त, राजौरी ने संबंधित तहसीलदारों को उत्तरदायित्व निर्धारित करने एवं अतिरिक्त राशि की वसूली के लिए निर्देश जारी (सितंबर 2019) किये। उपायुक्त, बडगाम ने कहा (अगस्त 2020) कि अतिरिक्त राशि की वसूली के लिए संबंधित तहसीलदारों को आदेश जारी कर दिया गया था और ₹10.48 लाख की वसूली की जा चुकी थी तथा आगे वसूली प्रक्रियाधीन थी। सहायक आयुक्त (राजस्व), बांदीपोरा ने कहा (अगस्त 2020) कि सात मामलों[8] में ₹2.05 लाख की वसूली कर ली गयी थी और शेष हितभागियों को, जिन्हें अतिरिक्त राहत प्राप्त हुयी थी, नोटिस जारी (अगस्त 2020) किये गये थे।

2.2.4.4 प्रभावित परिवारों की श्रेणी

एसडीआरएफ के अंतर्गत वित्तीय सहायता की प्रथम किस्त संवितरण के दौरान बनायी गयी सूचियों और आधारभूत सर्वेक्षण आंकलन प्रतिवेदनों के अनुसार क्षतिग्रस्त घरों की श्रेणी के आधार पर पहचाने गये बाढ़ प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जानी थी। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गयाः

- राजौरी जिले में, 13 प्रभावित परिवारों[9] की प्रास्थिति को अधिक प्रतिकर हेतु हकदारिता वाले क्षतिग्रस्त घरों की श्रेणी[10] में परिशोधित कर दिया गया था जिसके कारण ₹8.70 लाख की वित्तीय सहायता का अतिरिक्त भुगतान किया

---

[8] तहसील बांदीपोरा: एक; हाजिन: एक; सुंबल सोनावारी: पाँच।

[9] तहसील राजौरीः 4 और उप-प्रभाग सुंदरबनीः 9

[10] आंशिक रूप से पक्के को पूर्णतः कच्चे, आंशिक रूप से कच्चे को पूर्णतः कच्चे, पूर्णतः कच्चे को पूर्णतः पक्के, पशुशाला को आंशिक रूप से कच्चे, आंशिक रूप से कच्चे को अति कच्चे और आंशिक रूप से कच्चे को आंशिक रूप से पक्के।

गया था। इसके अतिरिक्त, 24 प्रभावित परिवारों[11] की प्रास्थिति कम प्रतिकर हेतु हकदारिता वाले क्षतिग्रस्त[12] घरों की श्रेणी में परिशोधित कर दी गयी थी जिसके कारण ₹3.30 लाख की वित्तीय सहायता की बचत हुई थी।

- राजौरी जिले में, 51 प्रभावित परिवारों[13] की प्रास्थिति पीएमएनआरएफ के अंतर्गत सहायता के भुगतान के लिए आँकड़ों की अपलोडिंग के दौरान, अधिक प्रतिकर हेतु हकदारिता वाले क्षतिग्रस्त घरों की श्रेणी[14] में परिशोधित कर दी गयी थी। इसका परिणाम पीएमएनआरएफ के अंतर्गत इन 51 हितभागियों को ₹21.35 लाख की वित्तीय सहायता के अतिरिक्त भुगतान के रूप में हुआ। यद्यपि, इन हितभागियों के पक्ष में पीएमडीपी के अंतर्गत भुगतान को निर्गत नहीं किया गया था लेकिन पीएमडीपी के अंतर्गत वित्तीय सहायता की किस्त का समायोजन करने के बावजूद, ₹15.45 लाख की राशि अभी तक इन हितभागियों से वसूली योग्य थी। इसके अतिरिक्त, राजौरी जिले में चार प्रभावित परिवारों को अनियमित रूप से अधिक प्रतिकर हेतु हकदारिता वाले क्षतिग्रस्त घरों की श्रेणी में परिशोधित कर दिया गया था, जिसका परिणाम पीएमडीपी के अंतर्गत ₹3.50 लाख के अतिरिक्त भुगतान के रूप में हुआ।
- सुंबल तहसील में, नौ परिवारों को आंशिक रूप से पक्का श्रेणी के तहत पीएमएनआरएफ के अंतर्गत सहायता के भुगतान हेतु अपलोड किया गया था। ये हितभागी पीएमएनआरएफ के अंतर्गत प्रत्येक ₹0.25 लाख की सहायता के लिए हकदार थे। तथापि, इन हितभागियों को पीएमएनआरएफ के अंतर्गत प्रत्येक को ₹0.50 लाख का भुगतान किया गया था जिसका परिणाम ₹2.25 लाख के अतिरिक्त भुगतान के रूप में हुआ। यद्यपि, इन हितभागियों के पक्ष में पीएमडीपी के अधीन भुगतान निर्गत नहीं किया था परंतु पीएमडीपी के अंतर्गत वित्तीय सहायता की किस्त को समायोजित करने के बावजूद, इन हितभागियों से ₹0.45 लाख वसूली योग्य रहे। जवाब में तहसीलदार, सुंबल ने कहा (नवंबर 2019) कि भुगतान की गयी अतिरिक्त राशि की वसूली की जाएगी।

---

[11] तहसील राजौरीः 20 और उप-प्रभाग सुंदरबनीः 4

[12] आंशिक रूप से पक्के को आंशिक रूप से कच्चे, अति कच्चे को आंशिक रूप से कच्चे, पूर्णतः कच्चे को आंशिक रूप से कच्चे।

[13] तहसील राजौरीः 42 और उप-प्रभाग थानामण्डीः 9

[14] आंशिक रूप से पक्के/ आंशिक रूप से कच्चे को पूर्णतः कच्चे।

- बारामूला जिले में क्षतिग्रस्त घरों की श्रेणी के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण, स्वीकार्य राशि के अतिरिक्त ₹0.97 लाख परिवार हितभागियों के बैंक खातों में जमा किये गये थे।

- हाजिन तहसील में, क्षतिग्रस्त घरों की श्रेणी के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण, पाँच हितभागियों को पीएमएनआरएफ के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं से ₹0.83 लाख कम का भुगतान किया गया था जबकि 17 मामलों में हितभागियों को ₹2.83 लाख की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया था। तहसीलदार, हाजिन ने दो मामलों में ₹0.30 लाख की वसूली कर ली थी और यह भी कहा गया (नवंबर 2019) था कि संबंधित प्राधिकरणों के साथ मामले को उठाते हुए हितभागियों के संबंध में शेष राशि के भुगतान की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाये जायेंगे।

- इसी तरह बांदीपोरा तहसील में, क्षतिग्रस्त घरों की श्रेणी के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण, तीन हितभागियों को पीएमएनआरएफ के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं से ₹0.65 लाख कम का भुगतान किया गया था जबकि तीन अन्य मामलों में हितभागियों को ₹0.55 लाख की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया था। जवाब में तहसीलदार, बांदीपोरा ने कहा (दिसंबर 2019) कि मामला ऐसे हितभागी, जिन्होंने कम भुगतान प्राप्त किया था, के संबंध में शेष राशि के भुगतान के लिए उठाया जाएगा और अन्य मामलों में, हितभागियों को प्रदत्त अतिरिक्त राशि की वसूली के लिए कदम उठाये जायेंगे।

- पुंछ जिले में, 13 हितभागियों के घरों की क्षतियों की श्रेणी को पीएमडीपी के अंतर्गत भुगतान करते समय परिवर्तित कर दिया गया था। पाँच हितभागियों के संबंध में, क्षतियों की श्रेणी अप्राधिकृत रूप से निम्नतर से उच्चतर हकदारिताओं में परिवर्तित[15] कर दी गयी थी जिसका परिणाम ₹5.30 लाख के अतिरिक्त भुगतान के रूप में हुआ। हालांकि, आठ हितभागियों के संबंध में क्षतियों की सीमा को हकदारिता की उच्चतर श्रेणी से निम्नतर श्रेणी में कम कर दिया गया था जिसका परिणाम ₹5.60 लाख के कम भुगतान के रूप में हुआ। जवाब में डीसी,

---

[15] पशुशाला को आंशिक रूप से कच्चा घर, आंशिक रूप से पक्के को पूर्णतः पक्का, अति कच्चे को पूर्णतः कच्चा, आंशिक रूप से कच्चे को पूर्णतः कच्चा और पूर्णतः कच्चे को पूर्णतः पक्का।

पुंछ ने कहा (अक्टूबर 2019) कि तथ्यों को अभिलेखों से सत्यापित कर लिया जायेगा और तथ्यात्मक स्थिति अभिनिश्चित की जायेगी।

- तहसील मायरा मैंद्रियां में, दस हितभागियों को क्षतिग्रस्त घरों की श्रेणी के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण रूप से वर्गीकृत[16] किया गया था जो कि कम प्रतिकर हेतु हकदार थे जिसका परिणाम ₹2.70 लाख की वित्तीय सहायता के अतिरिक्त भुगतान के रूप में हुआ। तथापि, 11 मामलों में तहसील के प्रभावित परिवार क्षतिग्रस्त घरों की निम्नतर श्रेणी[17] के अधीन वर्गीकृत किये गये थे और इन्हें ₹5.50 लाख की सीमा तक वित्तीय सहायता का कम भुगतान किया गया था। विभाग ने इस लेखापरीक्षा प्रेक्षण का उत्तर नहीं दिया।

2.2.5 शिकायतों का निवारण

उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन (दिसंबर 2015) में, जीओजेएण्डके ने अध्यक्ष के रूप में संबंधित जिले के उपायुक्त, सदस्य के रूप में सहायक आयुक्त (राजस्व) और सदस्य सचिव के रूप में संबंधित तहसील के तहसीलदार सहित सितंबर 2014 की बाढ़ों से प्रभावित प्रत्येक जिले में एक समिति का गठन किया था। समिति को बाढ़ प्रभावित लोगों द्वारा प्रस्तुत शिकायतों की जाँच और उपचारी कार्रवाई करनी थी, जिससे समयबद्ध तरीके से प्रभावित व्यक्तियों की शिकायतों का निपटारा किया जा सके। समिति को मासिक आधार पर शिकायतों के निपटान संबंधी रिपोर्ट भी सरकार के राहत और पुनर्वास विभाग को प्रस्तुत करनी थी।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच (सितंबर/ नवंबर 2019) से प्रकट हुआ कि राजौरी और जम्मू जिलों में बाढ़ प्रभावित लोगों द्वारा प्रस्तुत शिकायतों के विवरण, शिकायतों के निवारण हेतु किये गये उपाय और इस संबंध में संबंधित अभिलेखों/ रजिस्टरों सहित मासिक आधार पर सरकार को प्रस्तुत प्रतिवेदनों का अनुरक्षण (सितंबर 2019) नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, शिकायतों के निवारण हेतु बाढ़ प्रभावित लोगों की शिकायतों के अनुवीक्षण का संचालन नहीं किया जा सका।

---

16 अति कच्चा से पूर्णतः कच्चा, आंशिक रूप से कच्चा से पूर्णतः कच्चा, गौशाला से आंशिक रूप से कच्चा।

17 पूर्णतः कच्चा से अति कच्चा।

पुंछ जिले में, क्षतियों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की तुलना में सहायता के गैर-भुगतान के लिए शिकायतों के निवारण से संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण (अक्टूबर 2019) नहीं किया गया था। यद्यपि, एसडीआरएफ के अंतर्गत हितभागियों की सूची को अंतिम रूप देने से पहले शिकायतों का निवारण किया जाना उल्लिखित किया गया था, इन अभिलेखों के गैर-अनुरक्षण के कारण लेखापरीक्षा में तथ्यात्मक स्थिति सत्यापित नहीं की जा सकी।

2.3 जम्मू प्रवासियों के लिए पुनर्वास पैकेज

2.3.1 प्रस्तावना

जीओजेएण्डके ने ऐसे परिवारों, जो जम्मू प्रदेश में ग्रामीण जिलों से, मुख्यतः डोडा, रियासी, राजौरी, रामबन और ऊधमपुर जिलों से प्रवासित हुए थे, को नकद सहायता के भुगतान और मुफ्त राशन की आपूर्ति हेतु संस्वीकृति[18] प्रदान (फरवरी 2003) की थी। जीओजेएण्डके, राहत और पुनर्वास विभाग के प्रस्ताव (जनवरी 2016) के अनुसार कुल 1,054[19] परिवारों को इस प्रकार की सहायता का भुगतान किया जाना था। अक्टूबर 2007 से इन प्रवासियों को नकद सहायता और मुफ्त राशन लगातार निर्गत किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय (जुलाई 2006)/ उच्च न्यायालय (अप्रैल 2016) के आदेशों के अनुसार, इन प्रवासियों को अप्रैल 2004 से सितंबर 2007 तक बकायों का भुगतान किया गया था। 18 नवंबर 2015 से, जम्मू से प्रवासियों को नकद सहायता और मुफ्त राशन का यह पैकेज कश्मीर प्रभाग से प्रवासियों के समतुल्य किए जाने हेतु गृह मंत्रालय (एमएचए), भारत सरकार (जीओआई) द्वारा पीएमडीपी के अंतर्गत अनुमोदित (दिसंबर 2015) किया गया था। तदनुसार, जीओजेएण्डके ने 18 नवंबर 2015 से अधिकतम ₹10,000 प्रति परिवार प्रति माह के अध्यधीन ₹2,500 प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर पर पंजीकृत जम्मू प्रवासियों को नकद सहायता के भुगतान के साथ-साथ विद्यमान पैमाने पर राशन की संस्वीकृति प्रदान (30 दिसंबर 2015) की। तत्पश्चात्, नकद राहत की दरें

[18] ₹400 प्रति व्यक्ति प्रति माह की नकद सहायता अधिकतम ₹1,600 प्रति परिवार प्रति माह के अध्यधीन, आटा 9 किग्रा परिवार का प्रति सदस्य प्रति माह की दर पर, चावल 2 किग्रा परिवार का प्रति सदस्य प्रति माह की दर पर, केरोसीन तेल 10 लीटर प्रति परिवार प्रति माह की दर पर, चारे की खरीद के लिए प्रत्येक परिवार को ₹300 प्रति माह प्रति पशु की दर पर नकद।

[19] 4,952 सदस्यों को शामिल करते हुए।

13 जून 2018 से ₹13,000 प्रति परिवार प्रति माह की अधिकतम सीमा के अध्यधीन ₹3,250 प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर तक बढ़ा दी गयी थी।

अपराध अन्वेषण विभाग (सीआईडी), जम्मू ने पहले 1,489 पहचाने गये प्रवासी परिवारों (अक्टूबर 2007), जो जम्मू प्रांत के विभिन्न जिलों से प्रवासित हुए थे, के सत्यापन के संचालन के उपरांत पात्र हितभागियों की पहचान हेतु अधिदेश दिया था। राहत और पुनर्वास आयुक्त (प्रवासी), जम्मू ने निर्देश दिया (दिसंबर 2009) कि किसी भी परिवार पर, जो सीआईडी प्राधिकरणों से प्राप्त सूची में शामिल नहीं था, पंजीकरण या किसी सहायता के निर्मोचन के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए।

2.3.2 वित्तीय स्थिति

जम्मू प्रवासियों पर जीओजेएण्डके द्वारा नकद सहायता और मुफ्त राशन के कारण किये गये आवर्ती व्यय की प्रतिपूर्ति जीओआई के अंतर्गत सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) द्वारा की जाती है। वर्ष 2015-16 से 2018-19 की अवधि के दौरान, जीओजेएण्डके ने ₹69.52 करोड़ की राशि निर्गत की और जम्मू प्रवासियों के संबंध में नकद सहायता तथा खाद्यान्न के कारण विभाग द्वारा ₹58.45 करोड़ का व्यय किया गया था जैसा कि **तालिका 2.3.1** में दिया गया है।

तालिका 2.3.1: मार्च 2019 तक वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	संस्वीकृत निधियाँ	किया गया व्यय
1.	2015-16	4.00	2.62
2.	2016-17	31.52	26.29
3.	2017-18	17.00	14.13
4.	2018-19	17.00	15.41
	कुल	**69.52**	**58.45**

(स्रोत: राहत और पुनर्वास आयुक्त (प्रवासी), जम्मू द्वारा प्रस्तुत आँकड़े)

वर्ष 2015-19 की अवधि के दौरान परियोजना हेतु संस्वीकृत ₹69.52 करोड़ की राशि की निधियों में पीएमडीपी के अंतर्गत जीओआई द्वारा ₹13 करोड़ का नियतन शामिल था जिसे पूरा संवितरित किया गया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019-20 से 2020-21 (सितंबर 2020) की अवधि के दौरान, विभाग द्वारा एसआरई के अंतर्गत ₹35.56 करोड़ के निर्मोचन के प्रति ₹25.81 करोड़ का व्यय किया गया था।

2.3.3 प्रवासियों के लिए नीति का गैर-सूत्रीकरण

अगस्त 2020 तक, विभाग ने जम्मू के प्रवासी परिवारों की वापसी के लिए जन्म या मृत्यु, द्विभाजन, पुनर्वास के कारण परिवार के सदस्यों को शामिल करने/ हटाने और हितभागियों द्वारा किसी सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के उपरांत नकद सहायता और मुफ्त राशन के विराम हेतु कोई नीति नहीं अपनायी गयी थी।

विभाग द्वारा व्यवसाय, परिवार के सदस्यों की संख्या, मूल निवास स्थान, वर्तमान पता इत्यादि के विवरण को इंगित करने के लिए जम्मू प्रवासियों का अद्यतित डेटाबेस तैयार (अगस्त 2020) नहीं किया गया था। प्रवासी परिवारों के सदस्यों के आवधिक अद्यतित विवरण सहित डेटाबेस के अभाव का परिणाम अपात्र व्यक्तियों/ परिवारों को मुफ्त राशन की आपूर्ति और नकद सहायता के निर्मोचन के रूप में हो सकता था।

राहत और पुनर्वास आयुक्त (प्रवासी), जम्मू ने कहा (अगस्त 2020) कि सामान्य प्रशासन विभाग, जीओजेएण्डके ने एक समिति (जनवरी 2020) गठित की थी जिसने जम्मू प्रवासी परिवारों के द्विभाजन एवं समावेशन की अनुशंसा (जुलाई 2020) की थी। प्रशासन विभाग को भी गृह मंत्रालय, जीओआई के साथ मामला उठाने के लिए प्रस्तावित किया गया था। यह भी कहा गया था कि इन परिवारों के डाटाबेस को तैयार करने के लिए पंजीकृत जम्मू प्रवासी परिवारों को डाटा फॉर्मों को जारी करने की संस्वीकृति प्रदान करने संबंधी मामला प्रशासनिक विभाग के साथ उठाया गया था।

इस प्रकार, डाटाबेस के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि योजनाओं के अंतर्गत केवल पात्र हितभागियों को ही सहायता का भुगतान किया गया था।

2.3.4 अपात्र प्रवासी परिवारों को राहत का भुगतान

तहसीलदार, महोर (रियासी जिला) ने 25 परिवारों को, जिन्हें सीआईडी द्वारा प्रस्तुत सूची में शामिल नहीं किया गया था, राहत लाभों का भुगतान किया गया था। इन परिवारों को मासिक नकद सहायता सहित ₹27.26 लाख के बकायों का भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त, तहसीलदार, रियासी के मामले में, 47 प्रवासी परिवारों, जो न तो सीआईडी की सूची और न ही उच्च न्यायालय की सूची में विद्यमान थे, को अप्रैल 2004 से सितंबर 2007 तक ₹51.37 लाख के बकायों का भुगतान किया गया था।

राहत और पुनर्वास आयुक्त (प्रवासी), जम्मू ने कहा (जुलाई 2020) कि संबंधित तहसीलदार को संवितरण के विवरण उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध (जुलाई 2020) किया गया था। चूँकि ₹78.63 लाख के भुगतान निर्दिष्ट सूचियों में नहीं दर्शाये गये हितभागियों को किया गया था, अतः इसकी जाँच किये जाने की आवश्यकता है जिससे अपात्र हितभागियों से वसूली को प्रभावी किया जा सके।

2.3.5 अपात्र प्रवासी परिवारों को वर्धित नकद सहायता का भुगतान

फरवरी 2003 और दिसंबर 2015 के जीओजेएण्डके के सरकारी आदेशों के अनुसार, 17 नवंबर 2015 तक जम्मू प्रभाग से प्रवासी ₹1,600 प्रति परिवार प्रति माह की अधिकतम सीमा के अध्यधीन ₹400 प्रति व्यक्ति प्रति माह और तदुपरांत, ₹10,000 प्रति परिवार प्रति माह की अधिकतम सीमा के अध्यधीन, ₹2,500 प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर पर नकद सहायता हेतु हकदार थे। हालांकि, आँचलिक अधिकारियों (राहत), नानक नगर और जगती (ए) अंचल, जम्मू ने आदेश की प्रभावी तिथि से पहले ₹1,000 प्रति व्यक्ति प्रति माह की बढ़ी हुई नकद सहायता का भुगतान किया था जिसका परिणाम वर्ष 2012-13 से 17 नवंबर 2015 तक की अवधि के लिए 84 प्रवासी परिवारों को ₹67.14 लाख[20] की अस्वीकार्य नकद सहायता के रूप में हुआ।

राहत और पुनर्वास आयुक्त (प्रवासी), जम्मू ने कहा (जुलाई 2020) कि आंचलिक अधिकारियों (राहत), नानक नगर और जगती (ए) अंचल, जम्मू के संबंधित अभिलेखों की जाँच की जायेगी तथा संबंधित हितभागियों से अतिरिक्त नकद सहायता की प्रमात्रा वसूली जायेगी।

ऊधमपुर जिले में, सीआईडी अभिकरणों द्वारा संस्वीकृत और जिला स्तरीय जाँच-सह-समन्वय समिति द्वारा अनुमोदित 72 परिवारों को अक्टूबर 2007 में प्रवासी के रूप में पंजीकृत किया गया था। उपायुक्त, ऊधमपुर के निर्देशों (14 जुलाई 2011) पर, तहसीलदार, ऊधमपुर ने प्रस्तुत किया (27 जुलाई 2011) कि ये 72 प्रवासी परिवार अक्टूबर 2007 से बकायों को प्राप्त करने हेतु पंजीकृत/ हकदार थे। तथापि, 72 जम्मू प्रवासी परिवारों में से 49 प्रवासी परिवारों को प्रवासियों के रूप में (मई 2004 से सितंबर 2007) उनके पंजीकरण से पूर्व की अवधि हेतु

---

20 नानक नगर अंचल: ₹65 लाख; जगती (ए) अंचल: ₹2.14 लाख।

₹75.53 लाख के बकायों का भुगतान किया गया था जैसा कि ***परिशिष्ट 2.3.1*** में वर्णित है।

सीआईडी, जम्मू ने सत्यापन (अक्टूबर 2007) के संचालन के उपरांत 1,489 परिवारों की पहचान की जिन्होंने जम्मू प्रदेश के विभिन्न जिलों से प्रवास किया था। राहत और पुनर्वास आयुक्त (प्रवासी), जम्मू ने निर्देश दिया (दिसंबर 2009) कि कोई भी परिवार जो सीआईडी प्राधिकरणों से प्राप्त सूची में प्रदर्शित नहीं था उसका पंजीकरण करने या किसी भी सहायता को निर्गत करने पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और उपायुक्त, रामबन, रियासी और ऊधमपुर से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया कि कोई भी प्रवासी परिवार, जो सीआईडी सूची में प्रदर्शित नहीं था, को नये पंजीकरण की अनुमति नहीं दी गयी।

जनवरी 2010 से 9 प्रतिशत ब्याज सहित जम्मू प्रदेश के पहचाने गये 994 प्रवासी परिवारों को अप्रैल 2004 से सितंबर 2007 तक की अवधि हेतु बकायों के भुगतान संबंधी जम्मू एवं कश्मीर के उच्च न्यायालय के आदेशों (अप्रैल 2016) के अनुपालन में, राहत और पुनर्वास विभाग, जीओजेएण्डके ने पंजीकृत जम्मू प्रवासियों को भुगतान हेतु राहत और पुनर्वास आयुक्त (प्रवासी), जम्मू के पक्ष में ₹16.09 करोड़ के निर्मोचन के लिए संस्वीकृति प्रदान (नवंबर 2016) की। तदनुसार, राहत और पुनर्वास आयुक्त (प्रवासी), जम्मू ने जम्मू प्रवासियों को बकायों के संवितरण हेतु उपायुक्त, ऊधमपुर के पक्ष में ₹2.47 करोड़ की राशि निर्गत (दिसंबर 2016) की थी। देय सत्यापन के उपरांत भुगतान पंजीकृत/ वास्तविक जम्मू प्रवासियों को किया जाना था। उच्च न्यायालय, जम्मू एवं कश्मीर ने दूसरे आदेश द्वारा विभाग को बकायों के भुगतान के लिए ऊधमपुर जिले में शेष 59 जम्मू प्रवासी परिवारों के दावों पर विचार करने का निर्देश (मार्च 2017) दिया था।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि:

- तहसीलदार, महोर ने ₹2.39 लाख के बकायों का भुगतान (अप्रैल 2004 से सितंबर 2007) उन दो प्रवासी परिवारों को किया था जो न्यायालय की सूची में विद्यमान नहीं थे।
- तहसीलदार, रियासी ने उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में, जम्मू के प्रवासी परिवारों को बकायों के भुगतान निर्गत करते हुए प्रत्येक प्रवासी परिवार

में सदस्यों की संख्या का ध्यान नहीं रखा गया और पांच प्रवासी परिवारों को ₹2.06 लाख के अतिरिक्त बकायों का भुतगान किया गया। इसके अलावा, दो जम्मू प्रवासी परिवारों से संबंधित बकायों का भुगतान परिवार सदस्यों की घटी हुई संख्या के आधार पर किया गया था, जिसका परिणाम ₹1.99 लाख के बकायों के कम भुगतान के रूप में हुआ। इसने इंगित किया कि बकायों का भुगतान करते समय सीआईडी और न्यायालय सूचियों के अनुसार प्रवासी परिवारों के सदस्यों की वास्तविक संख्या की उपेक्षा की गयी थी।

राजस्व और पुनर्वास आयुक्त (प्रवासी), जम्मू ने कहा (अगस्त 2020) कि संबंधित उपायुक्तों को दस्तावेजी साक्ष्य सहित तथ्यात्मक रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए आग्रह (अगस्त 2020) किया गया है तथा तहसीलदार, ऊधमपुर ने सूचित (अगस्त 2020) किया कि मई 2004 से सितंबर 2007 तक की अवधि के लिए राहत और मुफ्त राशन के लिए बकायों का भुगतान उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार संवितरित किया गया था।

तहसीलदार, ऊधमपुर का जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ऊधमपुर में वर्ष 2007 में 49 प्रवासी परिवार पंजीकृत थे और वे न्यायालय की सूची में नहीं दर्शाये गये थे। इसलिए, प्रवासियों को बकाया देय नहीं थे क्योंकि वे न्यायालय की सूची में नहीं दर्शाये गये थे तथा वे पंजीकृत नहीं थे।

2.3.6 राशन की लागत पर ब्याज के कारण बकायों का अतिरिक्त भुगतान

जम्मू एवं कश्मीर के उच्च न्यायालय ने जनवरी 2010 से नौ प्रतिशत ब्याज सहित जम्मू प्रदेश के पहचाने गये प्रवासी परिवारों को अप्रैल 2004 से सितंबर 2007 तक की अवधि हेतु बकायों का भुगतान करने का निर्देश (अप्रैल 2016) दिया था। तहसीलदार, ऊधमपुर द्वारा 159 प्रवासी परिवारों को मई 2004 से सितंबर 2007 की अवधि हेतु नकद सहायता और राशन के लिए नौ प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित ₹2.43 करोड़ की राशि के बकायों का भुगतान किया गया था। ब्याज का भुगतान इसे केवल नकद सहायता घटक तक प्रतिबंधित करने के बजाय राशन की लागत के साथ-साथ नकद सहायता दोनों पर किया गया था। इसका परिणाम 159 प्रवासी परिवारों को ₹28.99 लाख के बकायों के अतिरिक्त भुगतान के रूप में हुआ। इसके अतिरिक्त, तहसीलदारों, महोर, रियासी और आंचलिक अधिकारी, नानक नगर, जम्मू

द्वारा इस प्रकार के प्रवासियों को राशन के कारण बकायों पर किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था।

उत्तर में, राहत और पुनर्वास आयुक्त (प्रवासी), जम्मू ने कहा (जुलाई 2020) कि न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, नौ प्रतिशत की दर पर ब्याज देय था तथा नकद सहायता घटक पर प्रतिबंधित था और तहसीलदार, ऊधमपुर को मुफ्त राशन के खाद्यान्न घटक पर बकायों के संवितरण के स्पष्टीकरण हेतु आग्रह किया गया था।

इस मामले में आगे की प्रगति प्रतीक्षित (दिसंबर 2020) थी।

2.3.7 प्रवासी परिवारों को नकद सहायता का इनकार

राहत और पुनर्वास आयुक्त (प्रवासी), जम्मू द्वारा वर्ष 1999-2000 के दौरान पंजीकृत 20 जम्मू प्रवासी परिवारों[21] को मुफ्त राशन की अनुमति प्रदान की गयी थी। हालांकि, इन 20 पंजीकृत प्रवासी परिवारों को नकद सहायता का भुगतान नहीं किया गया था यद्यपि इन्हें मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा था। लेखापरीक्षा इन 20 प्रवासी परिवारों को नकद सहायता के भुगतान के बिना केवल मुफ्त राशन की आपूर्ति के लिए विभाग के अभिलेखों से कारणों को अभिनिश्चित नहीं कर सकी।

राहत और पुनर्वास आयुक्त (प्रवासी), जम्मू ने कहा (अगस्त 2020) कि मामले में आवश्यक निर्देशों के लिए प्रशासनिक विभाग से आग्रह किया गया है।

2.3.8 निधियों का प्रतिधारण

नवंबर 2017 से नकद राहत का संवितरण सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पोर्टल पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से किया गया है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 29 अगस्त 2019 तक तहसीलदार, रियासी के बैंक खाते में ₹50.18 लाख का असंवितरित शेष था। इसके अतिरिक्त, तहसीलदार, रियासी ने 31 मार्च 2020 तक ₹17 लाख सरकारी खाते में प्रेषित किये थे।

राहत और पुनर्वास आयुक्त (प्र), जम्मू ने कहा (जुलाई 2020) कि नवंबर 2017 से आधिकारिक खाते में निधियों के प्रतिधारण का मामला संबंधित कार्मिक के साथ उठाया जाएगा, नकद राहत पीएफएमएस पोर्टल पर डीबीटी मोड के माध्यम से दी गयी थी और यह सफलतापूर्वक चल रही थी।

---

[21] नानक नगर अंचल: 17 परिवार और जगती अंचल (ए): 3 परिवार।

इस मामले में आगे की प्रगति प्रतीक्षित (दिसंबर 2020) थी।

2.4 पाकिस्तान अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर (पीओजेके) और छम्ब से विस्थापित व्यक्तियों के परिवारों को एक बार बसने के लिए पुनर्वास पैकेज

2.4.1 प्रस्तावना

परियोजना का लक्ष्य ₹5,49,692 की जीओआई सहायता और जीओजेएण्डके के केवल ₹308 के अंश सहित प्रत्येक विस्थापित परिवार को एक बार बसने के लिए ₹5.5 लाख की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना था। परियोजना को जीओआई से ₹2,000 करोड़ के अंशदान द्वारा वित्तपोषित किया जाना था और जीओजेएण्डके को ₹1.12 करोड़ का अंशदान करना था। केन्द्रीय अंश से संबंधित हितभागियों को भुगतान जीओआई, एमएचए और राज्य अंश के संबंध में जीओजेएण्डके द्वारा सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) द्वारा पाकिस्तान अधिकृत जम्मू एवं कश्मीर (पीओजेके) 1947, छम्ब 1965 और 1971 (कैम्प/ नॉन-कैम्प) के विस्थापित व्यक्तियों की किसी भी श्रेणी से संबंधित 36,384 परिवारों को किया जाना था।

प्रांतीय पुनर्वास अधिकारी (विस्थापितों की संपत्ति के अभिरक्षक), जम्मू सत्यापन योग्य और विश्वसनीय दस्तावेजों के माध्यम से पहचान के उपरांत 'पीओजेके 1947' की श्रेणी से संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के संबंध में प्रभागीय आयुक्त, जम्मू को मामलों के प्रस्तुतीकरण हेतु उत्तरदायी था। इसी तरह, संबंधित जिलों के उपायुक्त सत्यापन योग्य और विश्वसनीय दस्तावेजों के माध्यम से पहचान के उपरांत 'छम्ब 1965 तथा 1971 (कैम्प/ नॉन-कैम्प)' की श्रेणी से संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के संबंध में प्रभागीय आयुक्त, जम्मू मामलों के प्रस्तुतीकरण हेतु उत्तरदायी थे।

2.4.2 विस्थापित परिवारों की पहचान

भारत सरकार के निर्धारित (दिसंबर 2016) दिशानिर्देशों के अनुसार, जीओजेएण्डके को विस्थापित व्यक्तियों की पहचान के लिए सत्यापन योग्य और विश्वसनीय दस्तावेजों को निर्धारित करना था। राज्य सरकार के अनुदेशों (दिसंबर 2016) के अनुसार, विस्थापित व्यक्तियों (डीपी) या उनके विधिक उत्तराधिकारियों को परियोजना के अंतर्गत सहायता के लिए अपने दावों के समर्थन में निर्दिष्ट प्राधिकारियों को दस्तावेज सहित यथावत् भरे हुए आवेदनों को प्रस्तुत करना था। डीपी की सभी श्रेणियों के लिए निर्धारित सामान्य दस्तावेजों में स्थायी निवास प्रमाण-पत्र (पीआरसी), आधार कार्ड,

आधार से जुड़ी बैंक खाता संख्या, संबंधित बैंक द्वारा यथावत् साक्ष्यांकित अधिदेश प्रपत्र शामिल थे।

'पीओजेके 1947 के डीपी' की पहचान हेतु अपेक्षित दस्तावेज थे:

- प्रांतीय पुनर्वास अधिकारी (पीआरओ)/ उप पीआरओ द्वारा यथावत् प्रमाणित प्रपत्र ए या पीआरओ/ उप पीआरओ द्वारा यथावत् प्रमाणित ऋण लेजर;
- पीआरओ/ उप पीआरओ द्वारा यथावत् प्रमाणित नोमीनल रॉल (पंजीकरण संख्या); और
- पीआरओ/ उप पीआरओ द्वारा यथावत् प्रमाणित भूमि-प्लॉट के आबंटन का आदेश/ आवासीय क्वार्टर

'छम्ब 1965 और 1971 (कैम्प) के डीपी' हेतु अपेक्षित दस्तावेज:

- भू-स्वामित्व अभिलेख;
- राशन कार्ड की प्रति; और
- मतदाता सूची।

'छम्ब 1965 और 1971 (नॉन-कैम्प)' के डीपी को भूमि के आबंटन के बदले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा उनको ₹25,000 के भुगतान का सबूत भी प्रस्तुत करना अपेक्षित था।

परियोजना की प्रगति की समीक्षा हेतु एक बैठक[22] (फरवरी 2018) के दौरान, यह निर्णय (फरवरी 2018) लिया गया था कि पीआरओ, जम्मू को ऐसे परिवार, जो राज्य से बाहर रह रहे थे, को सम्मिलिति करते हुए पीओजेके 1947 के विस्थापित व्यक्तियों के पूर्ण आँकड़े तैयार करना अपेक्षित था। पीआरओ ने आश्वासन दिया था कि आँकड़े 10 मार्च 2018 तक तैयार और प्रस्तुत किये जायेंगे।

लेखापरीक्षा में पाया गया (अक्टूबर 2019) कि ना तो पीओजेके के वास्तविक विस्थापित व्यक्तियों की पहचान हेतु सर्वेक्षण का संचालन किया गया था और न ही राज्य से बाहर रह रहे परिवारों को सम्मिलित करते हुए विस्थापित परिवारों के आँकड़े तैयार किये गये थे, जिसका परिणाम सहायता के संवितरण हेतु एमएचए को अपात्र मामलों की अनुशंसा के रूप में हुआ जैसा कि उत्तरवर्ती पैराग्राफों में वर्णित किया गया है।

---

22 'आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण' जीओजेएण्डके मंत्री की अध्यक्षता में बैठक।

पीआरओ, जम्मू ने स्वीकार (अगस्त 2020) किया कि विस्थापित व्यक्तियों के आँकड़े स्टाफ/ अवसंरचना के अभाव में और कार्य के अधिक भार के कारण तैयार नहीं किये जा सके।

विस्थापित व्यक्तियों पर आँकड़ों के अभाव में, लेखापरीक्षा में हितभागियों को किये गये भुगतानों की यथार्थता का सत्यापन नहीं किया जा सका।

2.4.3 वित्तीय स्थिति

परियोजना में उपबंधित (दिसंबर 2016) था कि भारत सरकार के निर्णयानुसार, जीओआई और जीओजेएण्डके दोनों के घटकों के संवितरण की समूची प्रक्रिया चार महीनों (अप्रैल 2017) में पूर्ण की जानी थी। इस परियोजना की समीक्षा बैठक[23] में, जीओजेएण्डके को आधार से जुड़े हुए सत्यापित बैंक खातों सहित पात्र हितभागियों के विवरण अपलोड करने में तेजी लाने और हितभागियों को सहायता के शीघ्र संवितरण के लिए आग्रह किया गया था। इसके अतिरिक्त, जीओजेएण्डके ने एक संकल्प[24] किया कि डीबीटी के माध्यम से संवितरण वर्ष 2018 तक पूरा होने की संभावना थी और नवंबर 2017[25] में इस बात पर जोर दिया गया था कि जीओजेएण्डके द्वारा हितभागियों के आँकड़ों को अपलोड करने में शीघ्रता की जाएगी।

वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान हितभागियों को डीबीटी के माध्यम से संवितरित सहायता की वर्ष वार स्थिति **तालिका 2.4.1** में दी गयी है।

तालिका 2.4.1: हितभागियों को सहायता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एमएचए द्वारा संवितरित राशि	सहायता किये गये हितभागियों की संख्या	जीओजेएण्डके द्वारा संवितरित राशि	सहायता किये गये हितभागियों की संख्या
2016-17	9.33	175	5.28	96
2017-18	470.00	10,348	-	-
2018-19	679.83	16,003	-	-
कुल	**1,159.16**	**26,526**	**5.28**	**96**

(स्रोत: जेएण्डके सरकार, मार्च 2020 का पीएमडीपी का अनुवीक्षण प्रतिवेदन)

जैसा कि **तालिका 2.4.1** से देखा जा सकता है, जीओजेएण्डके ने परियोजना के रोल आउट के समय इसके अपने संसाधनों से चैकों के माध्यम से ₹5.28 करोड़ की राशि की वित्तीय सहायता 96 विस्थापित परिवारों (प्रत्येक को ₹5.50 लाख की दर पर) को

[23] बैठक दिनांक 27.04.2017 को गृह मंत्री, जीओआई द्वारा आयोजित की गयी।

[24] गृह सचिव, जीओआई द्वारा दिनांक 31.07.2017 को आयोजित बैठक में।

[25] गृह सचिव, जीओआई द्वारा दिनांक 20 से 30 नवंबर 2017 को आयोजित बैठक में।

संवितरित (दिसंबर 2016) की थी। इस प्रकार, जीओजेएण्डके ने ₹308 प्रति परिवार की दर पर 36,384 विस्थापित परिवारों के लिए ₹1.12 करोड़ के अपेक्षित राज्य अंश के अतिरिक्त ₹4.16 करोड़ का अधिक व्यय किया। तत्पश्चात्, आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग, जीओजेएण्डके ने 31 अगस्त 2020 की समाप्ति पर पीएफएमएस पर 32,039 हितभागियों (₹1,386.14 करोड़) को अपलोड किया था।

2.4.4 अपर्याप्त अवसंरचना सहायता

योजना दिशानिर्देशों (दिसंबर 2016) के अनुसार, पीआरओ, जम्मू के अवसंरचनात्मक पक्ष को आवश्यक जनशक्ति और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) संसाधनों[26] को उपलब्ध करवा कर सशक्त किया जाना था।

योजना के कार्यान्वयन के लिए आईटी अवसंरचना के उन्नयन हेतु, योजना विकास और अनुवीक्षण विभाग, जीओजेएण्डके ने जिला विकास आयुक्त (डीडीसी), जम्मू के पक्ष में ₹ पाँच लाख निर्गत (फरवरी 2017) किये, जिसने कंप्यूटर हार्डवेयर[27] और उप साधनों इत्यादि की खरीद पर व्यय (मार्च 2017) किया था।

हालांकि, डीडीसी, जम्मू ने विस्थापित व्यक्ति (डीपी) प्रकोष्ठ को केवल दो डेस्कटॉप, एक एचपी प्रिन्टर तथा दो यूपीएस जारी किये जबकि शेष वस्तुएं कार्यालय में योजना के कार्यान्वयन से असम्बद्ध अन्य अनुभागों को अपयोजित की गयी थी।

इसके अतिरिक्त, आईटी अवसंरचना के उन्नयन के लिए, प्रभागीय आयुक्त, जम्मू ने पीआरओ, जम्मू के पक्ष में ₹3.50 लाख निर्गत (फरवरी 2017) किये जिसने कंप्यूटर हार्डवेयर, उप साधनों व एक फोटोकॉपियर की खरीद पर ₹1.18 लाख का व्यय किया (मार्च 2017) और ₹2.32 लाख अभ्यर्पित किये।

इस प्रकार, विभाग द्वारा अपेक्षित अवसंरचना उपलब्ध नहीं करायी गयी थी जैसा कि योजना दिशानिर्देशों में उल्लिखित था।

पीओजेके 1947 के विस्थापित व्यक्ति

2.4.5 वास्तविक दस्तावेजों के बिना हितभागियों की पहचान

इस योजना के दिशानिर्देशों में जीओजेएण्डके को हितभागियों की पहचान के लिए एक क्रियाविधि निर्धारित करना अपेक्षित था जैसा कि पैराग्राफ 2.4.2 में उल्लिखित है।

---

26 जनशक्ति (नायब तहसीलदारः एक; गिरदावरः दो; आँकड़ा प्रविष्टि प्रचालकः तीन); कंप्यूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयरः बाह्य उपकरणों सहित कंप्यूटर/ डेस्कटॉपः तीन।

27 डेस्कटॉप पीसीः तीन, लैपटॉपः एक।

2,730 नमूना जाँच किये गये मामलों में से, 460 मामलों[28] के संबंध में संग्रहित आँकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि केवल 75 मामलों (16 प्रतिशत) में सहायक आयुक्तों (राजस्व)/ तहसीलदारों से दावों के समर्थन में विधिक उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र मांगे गये थे। हालांकि, शेष 385 मामलों (84 प्रतिशत) के संबंध में या तो दस्तावेज जैसे न्यायालय डिक्री (34 प्रतिशत), मुख्तारनामा (30 प्रतिशत) और शपथपत्र (11 प्रतिशत) मांगे गये थे या कोई दस्तावेजी साक्ष्य (9 प्रतिशत) प्राप्त नहीं किया गया था।

जैसा कि प्रलेखन में कमियों के मामलों से स्पष्ट है, विभाग ने विस्थापित व्यक्तियों के विधिक उत्तराधिकारियों की पहचान हेतु एक सुदृढ़ क्रियाविधि स्थापित नहीं की थी और विधिक उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्रों/ शपथपत्रों/ मुख्तारनामा/ न्यायालय डिक्री इत्यादि की आवश्यकता संबंधी कोई उचित कार्यविधि नहीं अपनायी।

पीआरओ, जम्मू ने कहा (अगस्त 2020) कि एकरूप कार्यविधि संभव नहीं थी क्योंकि आबंटन प्रकृति में पृथक थे और दस्तावेज जैसे सिविल न्यायालय से डिक्री और शपथपत्र द्वारा समर्थित तहसीलदार से विधिक उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र तथा मुख्तारनामा समान रूप से महत्त्वपूर्ण थे एवं इन पर उच्च प्राधिकारियों के साथ परामर्श के उपरांत ही विचार किया गया था। एकरूप कार्यविधि न बनाने का परिणाम परियोजना के कार्यान्वयन में अंतरालों के रूप में हुआ, जैसा कि उत्तरवर्ती पैराग्राफों में प्रकाश डाला गया है।

2.4.6 अपात्र दावेदारों को प्रतिकर की अनुशंसा

एकमुश्त सहायता का भुगतान पंजीकृत विस्थापित व्यक्ति को किया जाना था, यदि वह जीवित है, अन्यथा इसे अपेक्षित अनुपातों में विधिक उत्तराधिकारियों के मध्य विभाजित किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि पीआरओ, जम्मू द्वारा योजना के अंतर्गत एक से अधिक बार सहायता का दावा करने के लिए दावेदारों द्वारा उनके उपयोग की अभिरक्षा करने हेतु दिशानिर्देशों (दिसंबर 2016) के अनुपालन में दावेदारों को जारी प्रपत्र ए[29]/ ऋण लेजर[30]/ नोमीनल रॉल[31] (पीआरओ/

---

28 पीआरओ, जम्मू में।

29 परिवार का विवरण, पीओजेके और जेएण्डके में पता तथा जेएण्डके में वह स्थान जहाँ वह बसना चाहता/ चाहती है, का ब्योरा देने वाला विस्थापित व्यक्तियों से लिया गया घोषणा पत्र।

30 वर्ष 1947 में शरणार्थी के रूप में उनके पंजीकरण के पश्चात् विस्थापित व्यक्ति को सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण का अभिलेख।

31 सहायक बंदोबस्त आयुक्त, जम्मू द्वारा हितभागियों के अनुग्रह दावों से की गई वसूली का विवरण।

उप पीआरओ द्वारा प्रमाणित) की प्रतियों के विवरणों को अभिलेखबद्ध करने के लिए कोई नियंत्रण रजिस्टर अनुरक्षित नहीं किया गया था। 80 आवेदकों ***(परिशिष्ट 2.4.1)*** को शामिल करते हुए 40 मामलों में, समान दस्तावेजों की प्रतियों का दो बार उपयोग किया गया था और सहायता का दावा व्यक्तियों द्वारा परिवारों को विभाजित करते हुए या तथ्यों की अन्यथा प्रस्तुति द्वारा पृथक रूप से दो बार किया गया था। इसका परिणाम विस्थापित परिवारों के अपात्र मामलों की अनुशंसा के रूप में हुआ और फलस्वरूप ₹2.31 करोड़ का अदेय/ गलत भुगतान हुआ।

पीआरओ, जम्मू ने कहा (अगस्त 2020) कि आठ मामलों में या तो पूर्ण/ आंशिक वसूली की गयी थी, तीन मामलों में भुगतान रोके गये/ खाता फ्रीज किया गया और तीन मामलों में वसूली की कार्यवाहियाँ आरंभ कर दी गयी थी, जबकि 12 मामलों में सत्यापन का संचालन किया जा रहा था और 14 मामलों में फाइलों के साथ परिवार के पृथक साक्ष्य संलग्न किये गये थे। हालांकि, 14 मामलों के संबंध में परिवार के साक्ष्य उत्तर के साथ संलग्न नहीं किये गये थे।

2.4.7 अपूर्ण दस्तावेज

जीओजेएण्डके के अनुदेशों के अनुसार (दिसंबर 2016) 'पीओजेके-1947 के डीपी' की पहचान हेतु आवश्यक दस्तावेज थेः

- प्रांतीय पुनर्वास अधिकारी (पीआरओ)/ उप पीआरओ द्वारा यथावत् प्रमाणित प्रपत्र 'ए' या पीआरओ/ उप पीआरओ द्वारा यथावत् प्रमाणित ऋण लेजर;
- पीआरओ/ उप पीआरओ द्वारा यथावत् प्रमाणित नोमीनल रॉल (पंजीकरण संख्या); और
- पीआरओ/ उप पीआरओ द्वारा यथावत् प्रमाणित भूमि-प्लॉट के आबंटन का आदेश/ आवासीय क्वार्टर।

लेखापरीक्षा में परियोजना के अंतर्गत सहायता के लिए, पीआरओ, जम्मू द्वारा अनुशंसा करने के मामलों में निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी (सितंबर 2019) गयी।

- मूल पंजीकरण दस्तावेजों (प्रपत्र ए/ ऋण लेजर) में वर्णित परिवार के सदस्यों की उपेक्षा की गयी थी;
- परिवार के सदस्यों से संबंधित 10 दावेदारों द्वारा तथ्यों की अन्यथा प्रस्तुति;
- दावेदारों द्वारा प्रस्तुत विवरणों के साथ मूल दस्तावेजों में पीओजेके में नामों/ पता का मिलान न होना;

- प्रतिकर का दावा करने वाले या मूल दस्तावेजों में उल्लेख नहीं मिलने पर दूसरों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने वाले 1947 के आसपास पैदा हुए व्यक्ति;
- विस्थापन के समय परिवार के विवरण के बिना मूल दस्तावेज; और
- दस्तावेज जैसे पीओए/ शपथपत्र अभिलेखबद्ध नहीं किये गये थे इसके बजाय केवल शपथपत्रों पर भरोसा किया गया था जबकि विधिक उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था ***(परिशिष्ट 2.4.2 एवं 2.4.3)***।

इन त्रुटियों का परिणाम ₹2.97 करोड़ की वित्तीय सहायता को शामिल करने वाले 54 अपात्र/ संदेहास्पद मामलों ***(परिशिष्ट 2.4.4)*** की अनुशंसा के रूप में हुआ। जवाब में पीआरओ, जम्मू ने कहा (अगस्त 2020) कि 18 मामलों में दावेदारों से आवश्यक दस्तावेजों की मांग की जा रही थी और दो मामलों में सत्यापन आरंभ कर दिया था जबकि एक मामले में कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुयी थी तथा 33 मामलों से संबंधित उत्तर में लेखापरीक्षा प्रेक्षण का समाधान नहीं हुआ।

छम्ब के विस्थापित व्यक्ति (1965/ 1971)

2.4.8 राहत कैम्पों में निवासी विस्थापित परिवार

जम्मू जिले में राहत कैम्पों में रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों के 256 मामलों के अभिलेखों की नमूना-जाँच से पता चला कि 57 मामलों (22 प्रतिशत) में राशन कार्डों की प्रतियाँ संलग्न नहीं पायी गयी थी और 15 मामलों (छह प्रतिशत) में संलग्न राशन कार्ड सुपाठ्य नहीं थे। 40 मामलों (16 प्रतिशत) में स्थायी निवास प्रमाण-पत्र (पीआरसी) की प्रतियाँ संलग्न नहीं पायी गयी तथा सात मामलों में (तीन प्रतिशत) हितभागियों से भूमि-आबंटन के अभिलेखों को प्राप्त नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, 29 मामलों (11 प्रतिशत) में यद्यपि भूमि-आबंटन के अभिलेख उपलब्ध थे, पर इन्हें तहसीलदार द्वारा प्रमाणित/ हस्ताक्षरित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि 201 मामलों (256 मामलों में से) में विधिक उत्तराधिकारियों से मुख्तारनामा केवल 29 मामलों (14 प्रतिशत) में संलग्न पाये गये थे, ₹7.47 करोड़ के भुगतान को शामिल करने वाले 154 मामलों (77 प्रतिशत) में केवल विधिक उत्तराधिकरियों के शपथपत्रों को अभिलेखबद्ध किया गया था और ₹0.80 करोड़ के भुगतान को शामिल करने वाले 18 मामलों (नौ प्रतिशत) में दावेदारों की वास्तविकता सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेज संलग्न नहीं था।

सहायक आयुक्त (राजस्व), जम्मू ने कहा (अक्टूबर 2019) कि प्रतिकर मामले दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित थे और अप्राधिकृत/ अपात्र हितभागियों को भुगतान की कोई गुंजाइश नहीं थी। उत्तर तथ्यों के विपरीत है जैसाकि अग्रलिखित पैराग्राफों में वर्णित है।

2.4.9 अपात्र दावेदारों को प्रदत्त प्रतिकर

जीओजेएण्डके के अनुदेशों के अनुसार (दिसंबर 2016) 'छम्ब 1965 और 1971 (कैम्प) के डीपी' की पहचान हेतु आवश्यक दस्तावेज थेः

- भूमि के स्वामित्व के अभिलेख;
- राशन कार्ड की प्रति; और
- मतदाता सूची

लेखापरीक्षा में परियोजना के अंतर्गत सहायता के लिए उपायुक्त, जम्मू द्वारा अनुशंसित मामलों में निम्नलिखित त्रुटियाँ पायी (अक्टूबर 2019) गयी।

- मूल पंजीकरण दस्तावेजों में वर्णित परिवार के सदस्यों की उपेक्षा की गयी थी;
- दावेदारों द्वारा परिवार के सदस्यों से संबंधित सूचना का छिपाव;
- दावेदारों द्वारा प्रस्तुत विवरणों के साथ मूल दस्तावेजों में नामों का मिलान न होना;
- राशन कार्ड, जिसमें राहत कैम्पों में ठहरने के दौरान परिवार के सदस्यों के नाम निहित होते हैं, के बिना मामलों का निपटान;
- उन मामलों में जहाँ दावेदार दत्तक पुत्र था, दत्तक विलेख को संलग्न नहीं करना; और
- दस्तावेज जैसे मुख्तारनामा/ शपथपत्रों को अभिलेखबद्ध नहीं किया गया था।

इन अनियमितताओं का परिणाम उपायुक्त, जम्मू द्वारा ₹54.96 लाख की वित्तीय सहायता को शामिल करने वाले दस अपात्र/ संदेहास्पद मामलों ***(परिशिष्ट 2.4.5)*** की अनुशंसा के रूप में हुआ।

सहायक आयुक्त (राजस्व), जम्मू ने कहा (दिसंबर 2019) कि मामलों को सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत अंतिम रूप दिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यक्तिगत प्रकरण फाइलों में आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे और लेखापरीक्षा को प्रेक्षण विशेष उत्तर प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

सरकार को परियोजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के भुगतान हेतु पात्र परिवारों के मामलों की पहचान और अनुशंसा करने के लिए एक समय सीमा बनानी चाहिए। सरकार प्रदत्त अस्वीकार्य वित्तीय सहायता की वसूली के लिए कार्रवाई और परियोजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए अपात्र मामलों की अनुशंसा करने हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित कर सकती है।

2.4.10 राहत कैम्पों में निवासी नहीं रहे विस्थापित परिवार

कैम्पों में नहीं रहने वाले छम्ब शरणार्थियों से संबंधित मामलों को अंतिम रूप देने के लिए जीओजेएण्डके द्वारा निर्धारित दस्तावेजों में दावेदार के स्थायी निवासी प्रमाण-पत्र (पीआरसी) के अलावा भूमि-आबंटन के बदले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा ₹25,000 के भुगतान के सबूत शामिल थे।

जम्मू जिले में लेखापरीक्षा में नमूना जाँच की गयी 261 प्रकरणों की फाइलों में से, 17 मामलों (सात प्रतिशत) में पीआरसी संलग्न नहीं पाया गया था यद्यपि उनके मामलों के भुगतान हेतु अनुशंसा की गयी थी।

सहायक आयुक्त (राजस्व), जम्मू ने कहा (दिसंबर 2019) कि दिशानिर्देशों के अनुसार परिवार के सदस्यों में से किसी को भी पीआरसी उपलब्ध कराना अपेक्षित था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मामले को अंतिम रूप देने के लिए दावेदार की पीआरसी को उपलब्ध कराना अपेक्षित था।

एक मामले[32] में, एनएचआरसी द्वारा ₹25,000 की राशि का भुगतान[33] किया गया था, यद्यपि विस्थापित व्यक्ति का नाम और उसके पिता का नाम प्रतिकर के भुगतान के लिए उपायुक्त, जम्मू द्वारा अनुशंसित दावेदार[34] के साथ मेल नहीं खाता था।

सहायक आयुक्त (राजस्व), जम्मू ने कहा (दिसंबर 2019) कि मुल सिंह (पुत्र सोहन सिंह) और मूल राज (पुत्र सावन सिंह) एक ही व्यक्ति था।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा विवाद के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

---

32 मूल राज पुत्र सावन सिंह।

33 मुल सिंह पुत्र सोहन सिंह।

34 प्रकरण फाइल सं. 2898- चैक सं. 413128 दिनांक 28.05.2005-कोड सं. 706/117

वित्त विभाग

2.5 व्यापारियों/ स्व-नियोजित/ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की आजीविका के पुनः स्थापन हेतु सहायता पर ब्याज संसहायिकी

2.5.1 प्रस्तावना

जम्मू एवं कश्मीर (जेएण्डके) राज्य में सितंबर 2014 में बाढों से प्रभावित व्यापारियों/ स्व-नियोजित/ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों इत्यादि की आजीविका के पुनः स्थापन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए 'प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी)' के अंतर्गत भारत सरकार (जीओआई) द्वारा ब्याज संसहायिकी हेतु योजना को संस्वीकृति (अप्रैल 2016) प्रदान की गयी थी। विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित औद्योगिक और व्यावसायिक उद्यमों की आजीविका पुनः स्थापन की चुनौती से निपटने के लिए ₹800 करोड़ का प्रावधान किया (नवंबर 2015) गया था। योजना दिशानिर्देशों (फरवरी 2016) के अनुसार, ब्याज संसहायिकी केवल उन इकाइयों तक सीमित की जानी थी जो व्यावसायिक उद्देश्यों (व्यापार एवं विनिर्माण गतिविधियों) के लिए बैंकों से क्रेडिट सुविधा का लाभ ले रहे थे और सितंबर 2014 की बाढ़ों से प्रभावित थे। इस योजना के अंतर्गत, जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (जेकेएसएलबीसी) द्वारा कुल 28,246 व्यावसायिक इकाइयों की पहचान की गयी थी और जिनके खाते सितंबर 2014 की बाढ़ के तुरंत बाद पुनर्गठित किये गये थे उन्हें ब्याज संसहायिकी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जानी थी। इसके अतिरिक्त, संबंधित उपायुक्तों की अनुशंसाओं के आधार पर, प्रभागीय आयुक्त, कश्मीर द्वारा 50,081 छोटे व्यापारियों/ कारोबारियों (₹10 लाख तक कुल कारोबार वाले) की पहचान की गयी थी जिन्हें उनके द्वारा उठायी गयी वास्तविक हानियों के 50 प्रतिशत तक की सीमा तक वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जानी थी। लेखापरीक्षा में योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा वित्त विभाग जीओजेएण्डके, जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, निदेशक वित्त, मुख्यमंत्री सचिवालय, जीओजेएण्डके तथा निदेशक पर्यटन, कश्मीर एवं संबंधित उपायुक्तों के अभिलेखों की नमूना जाँच द्वारा की गयी थी।

2.5.2 संरचनात्मक क्रियाविधि और निधि की स्थिति

जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड (जेकेबीएल) राज्य में जेकेएसएलबीसी का संयोजक था। योजना का कार्यान्वयन प्रधान सचिव, वित्त विभाग, जीओजेएण्डके द्वारा जेकेएसएलबीसी/ जेकेबीएल, मुख्यमंत्री सचिवालय और कश्मीर प्रभाग में आठ जिलों[35] के उपायुक्तों के माध्यम से किया गया था।

जीओआई ने वित्त विभाग, जीओजेएण्डके को ₹800 करोड़ के निर्मोचन हेतु संस्वीकृति (अप्रैल 2016) प्रदान की और वित्त विभाग, जीओजेएण्डके ने बदले में जुलाई 2016 से जनवरी 2019 की अवधि के दौरान जेकेएसएलबीसी/ जेकेबीएल को ₹617.92 करोड़, मुख्यमंत्री सचिवालय को ₹187.37 करोड़ तथा निदेशक पर्यटन, कश्मीर को ₹1.47 करोड़ निर्गत[36] किये।

2.5.3 पुनर्गठित खाते ओर वित्तीय व्यवस्था

योजना दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 2.5 के अनुसार, फरवरी 2016 तक कुल ₹2,480 करोड़[37] की बकाया देयता सहित जम्मू एवं कश्मीर में सितंबर 2014 की बाढ़ों के पश्चात्, 28,246 व्यावसायिक इकाइयों को 30 बैंकों द्वारा लाभों[38] का पुनर्गठन/ संवर्धन उपलब्ध कराया जाना था। इसके अतिरिक्त, ₹ दस लाख तक के कुल वार्षिक कारोबार वाले 50,081 छोटे व्यापारियों/ कारोबारियों को ₹ पांच लाख तक के कुल वार्षिक कारोबार वाली इकाइयों के मामले में ₹ एक लाख के कैप और ₹10 लाख तक के कुल वार्षिक कारोबार वाली इकाइयों के मामले में ₹ दो लाख के कैप सहित उनके द्वारा उठायी गयी वास्तविक हानियों के 50 प्रतिशत तक की सीमा तक वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जानी थी। इन व्यापार/ व्यावसायिक इकाइयों की सूची संबंधित उपायुक्तों की अनुशंसाओं के आधार पर बनायी गयी थी।

---

[35] 1. अनंतनाग, 2. बांदीपोरा, 3. बारामूला, 4. बडगाम, 5. कुलगाम, 6. पुलवामा, 7. शोपियां और 8. श्रीनगर।

[36] वित्त विभाग द्वारा राज्य सरकार संसाधनों में से ₹6.76 करोड़ जीओआई संस्वीकृति के अतिरिक्त निर्गत किये गये।

[37] 31 दिसंबर 2015 तक इन इकाइयों के संबंध में ऋण बकाया ₹2,035.12 करोड़ था (मूलधन ₹1,838.17 करोड़ और ब्याज ₹196.95 करोड़) जो फरवरी 2016 में ₹2,480 करोड़ तक बढ़ गया।

[38] संवर्धन लाभः पुनर्गठन में प्रतिसंदाय अवधि में परिवर्तन और/ या विद्यमान क्रेडिट सीमाओं में बढ़ोतरी के माध्यम से क्रेडिट की शर्तों में आशोधन सम्मिलित होता है।

जीओजेएण्डके ने योजना के अंतर्गत निम्नानुसार ₹800 करोड़ के उपयोग हेतु संस्वीकृति (अप्रैल 2016) प्रदान कीः

- 01 सितंबर 2014 से 31 दिसंबर 2015 तक की अवधि हेतु सितंबर 2014 में बाढ़ से प्रभावित 28,246 व्यापारियों/ व्यावसायिक इकाइयों के संबंध में ₹ पाँच लाख प्रति इकाई (₹175 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ को शामिल करते हुए) के कैप सहित 50 प्रतिशत की सीमा तक ब्याज पर सहायिकी।
- उपर्युक्त 28,246 व्यावसायिक इकाइयों (₹92 करोड़ प्रति वर्ष के वित्तीय निहितार्थ को शामिल करते हुए और चार वर्षों की अवधि के लिए ₹368 करोड़) के संबंध में ₹ पाँच लाख प्रति व्यावसायिक इकाई के कैप सहित 01 जनवरी 2016 से पाँच प्रतिशत ब्याज संसहायिकी की स्वीकृति।
- ₹ 10 लाख (₹132 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ को शामिल करते हुए) तक के कुल कारोबार वाले छोटे व्यापारियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सहायता।
- ₹ 10 लाख प्रति वर्ष से कम कुल वार्षिक कारोबार वाले 50,081 व्यापारियों की हानियों के 50 प्रतिशत को कवर[39] करना जिन्होंने सितंबर 2014 की बाढ़ों के कारण हानियाँ उठायी थी तथा जिनको संबंधित उपायुक्तों द्वारा पहचाना गया था। इस सहायिकी की अधिकतम सीमा ₹ पाँच लाख या इससे कम के कुल कारोबार वाले व्यापारियों के लिए ₹ एक लाख थी और ₹ पाँच लाख और ₹ 10 लाख के मध्य कुल कारोबार वाले व्यापारियों के लिए अधिकतम सीमा ₹ दो लाख थी।
- ₹125 करोड़ के शेष प्रावधान[40] का उपयोग राज्य वित्तीय निगम (एसएफसी) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) इत्यादि जैसे संस्थानों से छूटे हुए उधारकर्त्ताओं को शामिल करने के लिए किया जाना था।

जेकेएसएलबीसी ने आरंभ में सितंबर 2014 की बाढ़ों से प्रभावित व्यापारियों/ व्यावसायिक इकाइयों के 28,246 खातों की पहचान की जिन्हें सितंबर 2014 की बाढ़ों के तुरंत बाद पुनर्गठित किया गया था। योजना दिशानिर्देशों के अनुसार कृषि ऋणों और व्यक्तिगत ऋणों को निकालते हुए खातों की संख्या को 23,491 खातों

---

39 जीओजेएण्डके के निर्णयानुसार।

40 जीओजेएण्डके के आदेश (अप्रैल 2016) के अनुसार।

तक परिशोधित (जुलाई 2017) किया गया था। इन 23,491 खातों को ₹161.84 करोड़[41] की ब्याज संसहायिकी प्रदान की गयी थी।

इसके अतिरिक्त, उपायुक्तों द्वारा पहचाने गये 50,081 छोटे[42] व्यापारी/ कारोबारी, जो बाढ़ से प्रभावित हुए थे, में से 48,638 व्यापारियों/ व्यावसायिक इकाइयों को ₹135.47 करोड़ की वित्तीय सहायता संवितरित (सितंबर 2020) की गयी थी।

यद्यपि एसएफसी और एनबीएफसी इत्यादि जैसे संस्थानों से छूटे हुए उधारकर्त्ताओं के लिए प्रावधान था जिसके लिए ₹125 करोड़ चिह्नित थे, इस प्रावधान के अंतर्गत (अगस्त 2020) एक भी हितभागी को वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करायी गयी थी।

2.5.3.1 पुनर्गठित खातों को ब्याज संसहायिकी

योजना दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 4.1 एवं 4.3 के अनुसार, बाढ़ से प्रभावित 28,246 व्यापारियों/ व्यावसायिक इकाइयों/ स्व-नियोजित के संबंध में ₹ पाँच लाख प्रति इकाई के कैप सहित 01 सितंबर 2014 से 31 दिसंबर 2015 की अवधि हेतु 50 प्रतिशत की सीमा तक ब्याज और ₹ पाँच लाख प्रति व्यावसायिक इकाई प्रति वर्ष के कैप सहित 01 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक पाँच प्रतिशत ब्याज संसहायिकी उपलब्ध करायी जानी थी।

जेकेएसएलबीसी ने पहचाने गये 28,246 खातों का संभावित बैंक वार विवरण अग्रेषित किया था जिन्हें जीओजेएण्डके के लिए, वह आधार जिस पर जीओजेएण्डके ने इन खातों पर ब्याज संसहायिकी उपलब्ध कराने के लिए ₹543 करोड़ चिह्नित करते हुए योजना दिशानिर्देशों का गठन किया था, पुनर्गठित किया गया था। जेकेएसएलबीसी द्वारा आरंभ में पहचाने गये 28,246 पुनर्गठित खातों की सूची को, सूची से व्यक्तिगत और कृषि ऋणों को निकालने के उपरांत, 23,491 पुनर्गठित खातों के रूप में परिशोधित किया गया था। कुल ₹543 करोड़ में से, योजना निधियों के अपयोजन हेतु गुंजाइश छोड़ते हुए 23,491 खातों को केवल ₹161.84 करोड़ की वित्तीय

---

41 01 सितंबर 2014 से 31 दिसंबर 2015 की अवधि हेतु 50 प्रतिशत की ब्याज सहायिकी हेतु ₹57.36 करोड़ और 01 जनवरी 2016 से 30 सितंबर 2018 तक ब्याज संसहायिकी के पाँच प्रतिशत की स्वीकृति हेतु ₹104.48 करोड़।

42 ₹ 10 लाख तक के कुल वार्षिक कारोबार वाले।

सहायता प्रदान की थी जैसा कि इस प्रतिवेदन के पैराग्राफों 2.5.4.1 से 2.5.4.2 तक चर्चा की गयी है।

2.5.3.2 अपात्र उधारकर्त्ताओं को ब्याज संसहायिकी

योजना दिशानिर्देशों[43] के अनुसार, जेकेबीएल को 01 सितंबर 2014 से 31 दिसंबर 2015 के मध्य 11,449 पहचाने गये पुनर्गठित खातों के लिए प्रभारित ब्याज के 50 प्रतिशत और 01 जनवरी 2016 से प्रत्येक व्यावसायिक इकाई/ व्यापारी हेतु प्रति वर्ष ब्याज के पाँच प्रतिशत की ब्याज संसहायिकी उपलब्ध करानी थी। तदनुसार, सितंबर 2014 की बाढ़ों से प्रभावित सत्वों के पुनर्गठित खाते योजना के अंतर्गत पुनर्वास/ पुनः प्रवर्तन पैकेज के लिए पात्र थे।

लेखापरीक्षा में देखा गया (जून 2019) कि नौ उधारकर्त्ताओं के खाते जो सितंबर 2014 की बाढ़ों से पूर्व अव-मानक[44] थे, उनको बाद में जेकेबीएल द्वारा तैयार की गयी 11,449 खातों की सूची में शामिल कर लिया गया था और उन्हें 01 सितंबर 2014 से 31 दिसंबर 2015 के दौरान प्रभारित ब्याज के 50 प्रतिशत की ब्याज संसहायिकी के रूप में ₹16.49 लाख की राशि उपलब्ध (जुलाई 2016) करायी गयी जैसा कि ***परिशिष्ट 2.5.1*** में विवरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त, इन नौ उधारकर्त्ताओं को 01 जनवरी 2016 से 30 सितंबर 2018 की अवधि हेतु पाँच प्रतिशत ब्याज संसहायिकी के रूप में ₹36.62 लाख की राशि उपलब्ध करायी गयी थी जैसा कि ***परिशिष्ट 2.5.2*** में विवरण दिया गया है।

इसी तरह, इलाक्वाई देहाती बैंक द्वारा सितंबर 2014 की बाढ़ों के उपरांत पुनर्गठित 6,167 खातों में से, 98 खाते सितंबर 2014 की बाढ़ों से पूर्व ही अव-मानक थे। इन खातों को ₹21.46 लाख की ब्याज संसहायिकी उपलब्ध (जुलाई 2016 से जनवरी 2019) करायी गयी थी।

इस प्रकार, दो बैंकों के 107 खातों के लिए ₹74.57 लाख की सीमा तक ब्याज संसहायिकी उपलब्ध करायी गयी थी जो सितंबर 2014 की बाढ़ों से पूर्व अव-मानक थे और इस प्रकार, योजना दिशानिर्देशों के अनुसार अपात्र थे।

---

43 पैरा सं. 11 और 12

44 बैंक द्वारा एक खाता अव-मानक के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब उसका मूलधन या ब्याज का भुगतान अतिदेय हो जाता है। एक खाता गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बन जाता है, यदि उसके मूलधन या ब्याज का भुगतान 90 दिनों या अधिक के लिए अतिदेय हो जाता है।

जेकेबीएल ने कहा (अगस्त 2020) कि जेएण्डके में प्राकृतिक आपदा (बाढ़ 2014) द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के लिए विशेष पुनर्वास/ पुनः प्रवर्तन पैकेज के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, 31 अगस्त 2014 तक बकाया मानक ऋण योजना के अंतर्गत पात्र थे और नौ खातों में से, 31 अगस्त 2014 तक आठ खाते मानक थे और योजना के अंतर्गत पुनर्वास हेतु पात्र थे। शेष एक[45] उधारकर्त्ता को बाढ़ पुनर्वास योजना के अंतर्गत ब्याज संसहायिकी उपलब्ध करायी गयी थी और उसके पक्ष में निर्गत ₹20 लाख की वसूली की जायेगी तथा जेकेएसएलबीसी के माध्यम से सरकार को प्रतिदाय किया जाएगा।

बैंक प्रबंधन का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नौ खाते, जो कि 30 जून 2014 तक अव-मानक थे, जेकेबीएल द्वारा 11,449 पुनर्गठित खातों की सूची में अनियमित रूप से शामिल किये गये थे और इन्हें ब्याज संसहायिकी उपलब्ध करायी गयी थी।

इन निष्कर्षों के आलोक में, यह अनुशंसा की जाती है कि जीओजेएण्डके ऐसे सभी मामलों की, जहाँ ब्याज संसहायिकी को अनुमति प्रदान की गयी है, यह सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा करे कि केवल वास्तविक मामले स्वीकार किये गये हैं और ऐसी इकाइयों से वसूली प्रभावी कर दी गयी है जो मापदण्ड को पूरा नहीं करती हैं लेकिन जिन्होंने यह लाभ लिया है।

2.5.3.3 ब्याज संसहायिकी हेतु अतिरिक्त संवितरण

I. योजना दिशानिर्देशों[46] के अनुसार, सितंबर 2014 तक की अवधि हेतु एक साथ सभी खातों के लिए ₹ पाँच लाख प्रति वर्ष प्रति इकाई की अधिकतम सीमा ब्याज संसहायिकी उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित की गयी थी।

जेकेएसएलबीसी के अभिलेखों के लेखापरीक्षा परीक्षण से प्रकट हुआ कि तीन उधारकर्त्ताओं को जेकेबीएल और एचडीएफसी बैंक द्वारा निर्धारित सीमा (सितंबर 2018 तक) से परे, ब्याज संसहायिकी के अंतर्गत लाभ उपलब्ध कराया गया था जिसका परिणाम ₹5.45 लाख के अतिरिक्त भुगतान के रूप में हुआ जैसा कि ***परिशिष्ट 2.5.3*** में विवरण दिया गया है।

---

[45] मैसर्स झेलम रोलर फ्लोर मिल्स।

[46] योजना दिशानिर्देशों का पैरा 11 और 12

टिप्पणी को स्वीकार करते हुए, जेकेएसएलबीसी ने कहा (अगस्त 2020) कि अंतर-बैंक आधार पर हितभागियों की खाता आईडी की जाँच करने के लिए कोई तकनीकी क्रियाविधि उपलब्ध नहीं थी और जेएण्डके बैंक लिमिटेड को पहचाने गये उधारकर्त्ताओं से अतिरिक्त राशि को वसूल करने की सलाह दी गयी थी जहाँ सामूहिक रूप से जेकेबीएल और एचडीएफसी बैंक के माध्यम से ₹ पाँच लाख प्रति वर्ष से अधिक लाभ प्रदान किया गया था।

हालांकि, वसूली के विवरण प्रतीक्षित (अगस्त 2020) थे।

II. योजना दिशानिर्देशों[47] के अनुसार, वे इकाइयाँ, जो सितंबर 2014 की बाढ़ों से प्रभावित थी और जिन्हें मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कोष (सीएमएफआरएफ) के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी थी, योजना के अंतर्गत बैंकों में बकाया ऋण की सीमा तक ब्याज संसहायिकी हेतु पात्र थी। दिशानिर्देश आगे उपबंधित[48] करते हैं कि दोनों स्रोतों (सीएमएफआरएफ और ब्याज संसहायिकी) से कुल लाभ ₹ पाँच लाख से अधिक नहीं होना था। इस प्रयोजन हेतु, संबंधित बैंक शाखाओं द्वारा सत्यापन हेतु प्रभावित व्यापारियों/ स्व-नियोजित/ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सूची प्रभागीय आयुक्तों द्वारा जेकेएसएलबीसी को अग्रेषित की जानी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जून 2019) कि जेकेएसएलबीसी को इस प्रकार की कोई सूची अग्रेषित नहीं की गयी थी, परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा में दो स्रोतों (सीएमएफआरएफ और ब्याज संसहायिकी) के अंतर्गत कुल लाभ का सत्यापन नहीं किया जा सका जो इन हितभागियों के लिए ₹ पाँच लाख से अधिक नहीं था।

जेकेएसएलबीसी प्रबंधन ने स्वीकार किया (अगस्त 2020) कि इसे किसी भी कार्यालय से ऐसी कोई सूची प्राप्त नहीं हुई थी।

इन निष्कर्षों के आलोक में, यह अनुशंसा की जाती है कि जीओजेएण्डके सभी मामलों की समीक्षा करे जहाँ समान श्रेणी के अंतर्गत भिन्न-भिन्न स्रोतों को संयुक्त किये बिना ब्याज संसहायिकी की अनुमति प्रदान की गयी है और जहाँ कहीं उचित हो इकाइयों से वसूली आरंभ करे।

---

47 योजना दिशानिर्देशों का पैरा 3.3 (डी)।

48 योजना दिशानिर्देशों के पैरा 5.8 के अनुसार।

2.5.3.4 व्यावसायिक गतिविधि का अनुवीक्षण करने के लिए क्रियाविधि का अभाव

योजना दिशानिर्देशों[49] में उपबंधित था कि यदि ब्याज संसहायिकी का लाभ लेने के पश्चात् व्यापारी/ व्यावसायिक इकाई ने व्यावसायिक गतिविधि को बंद किया या दो वर्षों तक इसकी अवस्थिति को परिवर्तित किया, तो इकाई को एकबार सुनवाई का अवसर देने के उपरांत सहायिकी के प्रतिदाय हेतु कहा जाएगा।

हालांकि, अभिलेखों के परीक्षण (जून 2019) ने दर्शाया कि जेकेएसएलबीसी ने व्यावसायिक गतिविधि और व्यापारी/ व्यावसायिक इकाई के अनुवीक्षण हेतु कोई क्रियाविधि स्थापित नहीं की। इस प्रकार, जेकेएसएलबीसी अनुप्रयोज्य शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर सकी।

लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए जेकेएसएलबीसी प्रबंधन ने कहा (अगस्त 2020) कि योजना के अंतर्गत अनुदेशों/ पात्रता मापदण्ड, जैसा कि दावों को मांगने के लिए जीओजेएण्डके से प्राप्त हुए, सदस्य बैंक को प्रचारित किये गये थे जिन्होंने योजना के तहत दावों को प्रविष्ट किया था। यह भी कहा गया था कि जैसे ही बैंकों से कोई भी वसूली गयी राशि/ लाभ प्राप्त होता है, उन्हें राज्य सरकार को प्रतिदाय किया जाएगा।

अतः, ऐसी किसी भी क्रियाविधि के अभाव में, लेखापरीक्षा में ऐसे व्यापारियों/ व्यावसायिक इकाइयों की प्रमात्रा को अभिनिश्चित नहीं किया जा सका जिन्होंने ब्याज संसहायिकी का लाभ उठाया था और बाद में व्यावसायिक गतिविधि को बंद कर दिया या दो वर्षों तक उनकी अवस्थिति परिवर्तित कर दी गयी थी और जिन्हें ली गयी सहायिकी का प्रतिदाय करना था।

2.5.4 योजना निधियों का अपयोजन

भारत सरकार के संस्वीकृति आदेश (अप्रैल 2016) के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत सहायता का उपयोग सितंबर 2014 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में बाढ़ों के कारण प्रभावित व्यापारी/ स्व-नियोजित/ व्यावसायिक प्रतिष्ठान और जो बैंकों से क्रेडिट सुविधा का लाभ ले रहे थे, की आजीविका के पुनः स्थापन हेतु केवल ब्याज संसहायिकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए किया जाना था।

---

[49] योजना दिशानिर्देशों का पैरा 3.5 और 3.6

लेखापरीक्षा में ₹806.76 करोड़ की कुल योजना निधियों में से ₹452.12 करोड़ (56 प्रतिशत) के अपयोजन के मामले पाये (जुलाई 2019) गये, जैसा कि उत्तरवर्ती उप-पैराग्राफों में चर्चा की गयी है।

2.5.4.1 हाउसबोट मालिकों को सहायता का अपयोजन

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वित्त विभाग ने पर्यटन विभाग, जीओजेएण्डके को ₹1.47 करोड़ की राशि 19 हाउसबोट मालिकों, जो पूर्व में लिये गये ऋणों हेतु इन मामलों के एकबार निपटान स्वरूप बैंकों में त्रुटिकर्त्ता के रूप में बदल गये थे, के संबंध में ऋणों की माफी के लिए निर्गत (जनवरी 2018) की गयी थी। निदेशक पर्यटन, कश्मीर ने इन ऋणों के निपटान हेतु नौ बैंकों को ₹1.47 करोड़[50] संवितरित (मार्च 2018) किये जो योजना के अंतर्गत शामिल किये जाने के लिए पात्र नहीं थे।

ये हाउसबोट मालिक सितंबर 2014 की बाढ़ों के दौरान प्रभावित नहीं हुए थे और इन ऋणों की माफी योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन थी।

लेखापरीक्षा टिप्पणी की पुष्टि करते हुए, संयुक्त निदेशक (संसाधन), वित्त विभाग ने कहा (अगस्त 2020) कि उस समय के वित्त मंत्री, जीओजेएण्डके ने अपने बजट भाषण 2018 में पिछली बजट घोषणाओं के प्रारूप पर इस प्रकार के सभी ऋण मामलों की एकबार माफी प्रस्तावित की थी और तदनुसार इन मामलों के एकबार निपटान स्वरूप इन 19 हाउसबोट मालिकों के पक्ष में सहायता निर्गत की थी जो बैंकों में त्रुटिकर्त्ता के रूप में बदल गये थे।

प्रदान किये गये ऋणों के लिए ब्याज संसहायिकी को वसूल किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि वे योजना दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं हैं।

[50] फरवरी 2004 और फरवरी 2005 के मध्य उनके पक्ष में बैंकों द्वारा संस्वीकृत ₹55 लाख के ऋण पर ब्याज को शामिल करते हुए ₹1.47 करोड़ संचित हो गया।

2.5.4.2 अपात्र योजनाओं के लिए सहायता का अपयोजन

I. शिल्पकार क्रेडिट कार्ड योजना

भारतीय बैंक संगठन (आईबीए) द्वारा शिल्पकार क्रेडिट कार्ड (एसीसी)[51] योजना का आरंभ (2002) जम्मू एवं कश्मीर राज्य में शिल्पकारों को सुकर क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। योजना का उद्देश्य अपने स्वयं के स्वतंत्र उद्यमों को आरंभ करने की भिन्न-भिन्न गतिविधियों में लगे हुए कारीगरों, बुनकरों, सहकारी समितियों के सदस्यों और शिल्पकारों को क्रेडिट सुविधायें उपलब्ध कराना था। वित्तीय सहायता विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ₹ एक लाख की अधिकतम सीमा सहित ऋण के रूप में की जानी थी। भारत सरकार को पाँच वर्षों की अवधि तक ऋण पर 10 प्रतिशत की ब्याज सहायिकी उपलब्ध करानी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जुलाई 2019) कि शिल्पकार क्रेडिट कार्डों पर ब्याज के बकाया शेष के निपटान हेतु 'प्रधानमंत्री विकास पैकेज' के अंतर्गत जेकेबीएल के पक्ष में जीओजेएण्डके द्वारा ₹26 करोड़ के निर्मोचन (जुलाई 2016) के पश्चात् जेकेबीएल ने 36,891 शिल्पकार हितभागियों के मध्य ब्याज संसहायिकी के रूप में ₹26 करोड़ संवितरित (जुलाई 2016 से फरवरी 2017) किये थे। जीओजेएण्डके ने उद्योग एवं वाणिज्य (आईएण्डसी) विभाग/ जेकेबीएल को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश (जुलाई 2016) दिया कि केवल वास्तविक बाढ़ प्रभावित (सितंबर 2014) एसीसी धारकों को एक उचित सत्यापन क्रियाविधि स्थापित करके समाविष्ट किया जाए।

एसीसी एक ऐसी योजना थी जो पीएमडीपी की घोषणा से पूर्व विद्यमान थी और ब्याज संसहायिकी योजना के अधीन सहायता हेतु पात्र नहीं थी। इसके अलावा, बाढ़ के कारण हुई क्षतियों के लिए विशिष्ट लिंकेज नहीं किया गया था।

संयुक्त निदेशक (संसाधन), वित्त विभाग ने कहा (अगस्त 2020) कि तत्कालीन राज्य जम्मू एवं कश्मीर के उस समय के वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में (जुलाई 2016) लिये गये एक नीतिगत निर्णय में, यह निर्धारित किया गया था कि ब्याज संसहायिकी के कारण बकाया ₹26 करोड़ की राशि को एकबार राहत स्वरूप शिल्पकार समुदाय को उपलब्ध कराया जाए क्योंकि यह वर्ग सितंबर 2014 की बाढ़ों

---

51 भारतीय रिजर्व बैंक और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित योजना को कार्यान्वयन हेतु बैंकों द्वारा अपनाया गया है।

द्वारा बुरी तरह से प्रभावित हुआ था और वास्तविक हितभागियों का सत्यापन आईएण्डसी विभाग और जेएण्डके बैंक में निहित था।

जवाब में लेखापरीक्षा टिप्पणी की पुष्टि हुयी कि योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत निधियाँ एसीसी योजना के अंतर्गत शिल्पकारों को ब्याज सहायिकी के भुगतान हेतु जीओजेएण्डके की प्रतिबद्धता के प्रति अपयोजित की गयी थी जो स्वीकार्य नहीं थी।

II. किसान क्रेडिट कार्ड योजना

इसी तरह, किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी)[52] एक पूर्व-विद्यमान योजना थी जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकिंग प्रणाली से पर्याप्त और समय पर सहयोग[53] उपलब्ध कराने के लिए सन् 1998 में आरंभ किया गया था। जीओजेएण्डके ने जुलाई 2016 और जून 2017 के मध्य ₹244.78 करोड़ की राशि की निधियाँ जेकेएसएलबीसी को आगे राज्य में केसीसी योजना का संचालन करने वाली बैंकों को संवितरित करने के लिए निर्गत की थी। जेकेएसएलबीसी ने बदले में जुलाई 2016 से जून 2017 की अवधि के दौरान जेकेबीएल को तीन भागों में ₹134.30 करोड़ निर्गत किये जिसने बदले में यह राशि राज्य के सभी 22 जिलों के 66,015 केसीसी धारकों के खातों में जमा (जनवरी 2017 से अप्रैल 2018) कर दी। जेकेएसएलबीसी ने आगे केसीसी के 49,302 खातों के लिए 19 अन्य बैंकों को ₹109.80 करोड़ निर्गत किये। इसके अलावा, ₹0.04 करोड़ की राशि जेकेबीएल द्वारा 05 जुलाई 2016 को 33 उधारकर्त्ताओं को गलत तरीके से जमा कर दी थी जो अपात्र थे। जेकेएसएलबीसी द्वारा ₹0.64 करोड़ की शेष राशि जीओजेएण्डके को प्रतिदाय (अक्टूबर 2017/ अप्रैल 2018) कर दी गयी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जुलाई 2019) कि जीओजेएण्डके द्वारा निधियों की संस्वीकृति ब्याज संसहायिकी दिशानिर्देशों का उल्लंघन था और परिणामस्वरूप ₹244.10 करोड़ की सीमा तक निधियों का अपयोजन हुआ था क्योंकि योजना कृषि उत्पादन ऋणों को विस्तार योग्य नहीं थी। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि

---

52 कार्ड वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और सार्वजनिक सहकारिताओं द्वारा प्रदान किया जाता है। केसीसी किसानों को फसल संबंधी खर्चे जैसे बीजों, उर्वरकों, कीटनाशकों, विद्युत और डीजल प्रभारों इत्यादि को वहन करने के लिए नकद उधार की अनुमति प्रदान करता है।

53 किसानों को उनकी कृषि एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए लचीली और सरलीकृत कार्यविधि के साथ एकल खिड़की के माध्यम से।

केसीसी को पीएमडीपी के अंतर्गत ब्याज संसहायिकी योजना विस्तारित करते हुए और भुगतान करते समय जेकेएसएलबीसी/ बैंकों द्वारा बाढ़ के कारण हुई क्षतियों के लिए विशिष्ट लिंकेज नहीं किया गया था। इसके अलावा, योजना दिशानिर्देशों के विचलन और उसके सरकारी संस्वीकृति आदेशों को जीओआई के अनुमोदन से जारी नहीं किया गया था।

संयुक्त निदेशक (संसाधन), वित्त विभाग ने कहा (अगस्त 2020) कि तत्कालीन राज्य जम्मू एवं कश्मीर के उस समय के वित्त मंत्री की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में (जुलाई 2016) लिये गये एक नीतिगत निर्णय में, यह निर्धारित किया गया था कि उन सभी केसीसी हितभागियों, जिनके खाते 31 अगस्त 2014 तक मानक थे, के साथ-साथ वे जिनकी संस्वीकृत राशि की सीमा ₹ एक लाख थी, के प्रति 31 मार्च 2015 तक बकाया शेष पर योजना के अंतर्गत 50 प्रतिशत माफी हेतु विचार किया जाएगा क्योंकि ऋण केसीसी के विरूद्ध लिये गये थे।

उत्तर ने पुष्टि की कि जीओआई द्वारा निर्गत योजना निधियों को केसीसी योजना के अंतर्गत किसानों के कृषि उत्पादन ऋणों के प्रति अपयोजित किया गया था और इसका परिणाम ब्याज संसहायिकी योजना के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के रूप में हुआ।

III. मुख्यमंत्री व्यावसायिक ब्याज राहत योजना

जीओजेएण्डके ने 01 जनवरी 2018 से मुख्यमंत्री व्यावसायिक ब्याज राहत योजना (सीएमबीआईआरएस)[54] आरंभ की।

योजना के अनुसार, जीओजेएण्डके को मासिक किस्त/ उधारकर्ता के ब्याज भुगतान का एक-तिहाई अंशदान करना था यदि वह वास्तव में पूर्व मासिक किस्त के दो-तिहाई का भुगतान कर चुका था। योजना सितंबर 2014 की बाढ़ों से प्रभावित पुनर्गठित खातों के साथ ही वर्ष 2016 की अशांति के उपरांत पुनर्गठित खातों के लिए भी लागू थी।

सीएमबीआईआरएस के अंतर्गत, वित्त विभाग, जीओजेएण्डके ने मार्च 2018 और मार्च 2019 के मध्य जेकेएसएलबीसी के पक्ष में ₹200 करोड़[55] निर्गत किये। इसमें

---

54 वित्त मंत्री, जीओजेएण्डके द्वारा वर्ष 2018-19 हेतु बजट भाषण में की गयी घोषणा पर।

55 पीएमडीपी निधियों में से ₹180 करोड़ सम्मिलित करते हुए।

से, ₹199.96 करोड़ की राशि तत्कालीन जेएण्डके राज्य में संचालित 15[56] बैंकों को मार्च 2019 तक प्रेषित की गयी थी।

जीओआई से ₹180 करोड़ की राशि प्राप्त हुयी थी और वर्ष 2018-19 के बजट सत्र के दौरान जीओजेएण्डके द्वारा किये गये संकल्प के प्रति सीएमबीआईआरएस के अंतर्गत हितभागियों को किया गया भुगतान, पीएमडीपी की ब्याज संसहायिकी योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं था। इसके अतिरिक्त, अभिलेखों की संवीक्षा (जुलाई 2019) से प्रकट हुआ कि जेकेबीएल को ₹190.20 करोड़ के निर्मोचन में से, ₹41.32 करोड़[57] केवल 19 उधारकर्त्ताओं को उपलब्ध कराये गये थे जैसा कि ***परिशिष्ट 2.5.4*** में विवरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त, इन 19 उधारकर्त्ताओं में से, दस उधारकर्त्ताओं[58] के खाते, जिनको ₹21.02 करोड़ की ब्याज संसहायिकी का लाभ उपलब्ध (मार्च 2018 और मार्च 2019 के मध्य) कराया गया था, सितंबर 2014 की बाढ़ों के दौरान बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए थे और उन्हें केवल 2016 की अशांति के उपरांत विशेष पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत पुनर्गठित किया गया था।

संयुक्त निदेशक (संसाधन), वित्त विभाग ने कहा (अगस्त 2020) कि वर्ष 2018-19 में अपने बजट भाषण में उस समय के वित्त मंत्री द्वारा की गयी घोषणा के अनुसार सीएमबीआईआरएस के रॉल आउट के लिए संस्वीकृति प्रदान (मार्च 2018) की गयी थी और वास्तविक हितभागियों का सत्यापन जेकेबीएल में निहित था।

उत्तर से पुष्टि हुयी कि जीओआई द्वारा निर्गत निधियों को जीओजेएण्डके द्वारा ब्याज संसहायिकी योजना के तहत भुगतान के लिए नहीं, अपितु अपने स्वयं के संकल्प हेतु अपयोजित किया गया था।

IV. निजी न्यास को सहायता

जेकेबीएल ने आरंभ में दृष्टि बाधित बच्चों के लिए एक केन्द्र के निर्माण हेतु मैसर्स डीपी धर मेमोरियल ट्रस्ट को ₹8.50 करोड़ का अवधि ऋण संस्वीकृत (दिसंबर 2017)

---

56 जेकेबीएलः ₹190.20 करोड़ को सम्मिलित करते हुए।

57 ₹0.69 करोड़ और ₹5.73 करोड़ के बीच की सहायता एक उधारकर्त्ता को उपलब्ध करायी गयी थी।

58 1. मैसर्स एचके सीमेन्ट इण्डस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड, 2. खैबर इण्डस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड, 3. ट्रम्बो इण्डस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड, 4. पीक ऑटो जम्मू प्रा. लिमिटेड, 5. पीक्स एग्रो वेयरहाउसिंग प्रा. लिमिटेड, 6. जेएण्डके सीमेन्ट्स लिमिटेड, 7. कश्मीर फ्रूट प्रिजर्वर्स पार्टनर्स, 8. कश्मीर प्रीमियम एप्पल प्रा. लिमिटेड, 9. शाहीन एग्रो फ्रैश प्रा. लिमिटेड और 10. एचएन एग्रीव प्रा. लिमिटेड।

किया था। पीएममडीपी के अंतर्गत ब्याज संसहायिकी योजना का लाभ उपलब्ध कराने के लिए, जीओजेएण्डके ने ट्रस्ट को जेकेबीएल के माध्यम से संवितरित किये जाने हेतु ₹1.86 करोड़[59] संस्वीकृत (मई 2018) किये थे। ब्याज संसहायिकी को वार्षिक आधार पर निर्गत किया जाना था।

लेखापरीक्षा में देखा गया (जुलाई 2019) कि जेकेबीएल ने फरवरी 2018 में ₹8.50 करोड़ के ऋण का संवितरण आरंभ किया और जून 2018 से जून 2019 के मध्य ₹0.35 करोड़ (₹1.86 करोड़ की संस्वीकृत राशि का 19 प्रतिशत) की ब्याज संसहायिकी निर्गत की थी। इसके अतिरिक्त, 01 सितंबर 2014 से 31 दिसंबर 2015 तक प्रभारित ब्याज के 50 प्रतिशत की संसहायिकी और 01 जनवरी 2016 से 30 सितंबर 2018 तक पाँच प्रतिशत ब्याज संसहायिकी के रूप में ट्रस्ट को ₹0.20 करोड़ की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करायी गयी थी। ब्याज संसहायिकी योजना में एक निजी न्यास को सहायता निर्गत करने के लिए कोई प्रावधान नहीं था, वह भी ऐसा एक जो सितंबर 2014 की बाढ़ों से प्रभावित नहीं हुआ है और इसका परिणाम एक निजी संस्थान के प्रति ₹0.55 करोड़ की योजना निधियों के अपयोजन के रूप में हुआ।

संयुक्त निदेशक (संसाधन), वित्त विभाग, जीओजेएण्डके ने कहा (अगस्त 2020) कि सरकार ने एक नीतिगत निर्णयानुसार जेकेबीएल द्वारा की गयी अधियाचना के आधार पर मैसर्स डीपी धर मेमोरियल ट्रस्ट के पक्ष में राशि निर्गत की थी और यह एक नेक काम हेतु किया गया था।

उत्तर से पुष्टि हुयी कि ब्याज संसहायिकी योजना हेतु जीओआई द्वारा निर्गत निधियाँ एक निजी न्यास के पक्ष में ब्याज सहायिकी के भुगतान के प्रति अपयोजित की गयी थी, जो योजना दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

---

59 पाँच प्रतिशत की ब्याज सहायिकी अर्थात् सात वर्षों की अवधि हेतु परियोजना ऋण की 50 प्रतिशत ब्याज संसहायिकी (संवितरण की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए अधिस्थगन को शामिल करते हुए)।

2.5.5 मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कोष के माध्यम से सहायता का संवितरण

अप्रैल 2015 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान, निदेशक (वित्त), मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा कश्मीर प्रभाग के आठ जिलों[60] के उपायुक्तों को ₹101.89 करोड़ ₹ 10 लाख तक के कुल कारोबार वाले और सामान्य क्रेडिट प्रणाली[61] से नहीं जुड़े हुए शेष छोटे व्यापारियों/ व्यावसायिक इकाइयों को भुगतान हेतु निर्गत किये गये थे। तत्पश्चात्, पीएमडीपी के अंतर्गत, वित्त विभाग, जीओजेएण्डके द्वारा ₹187.37 करोड़ निर्गत (सितंबर 2017) किये गये जिसमें पूर्व में मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कोष (सीएमएफआरएफ) से किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति के प्रति ₹101.89 करोड़ और मुख्यमंत्री सचिवालय के पक्ष में ₹85.48 करोड़ शामिल थे। यह ₹85.48 करोड़ की राशि आगे कश्मीर प्रभाग के चार जिलों[62] के उपायुक्तों को आगे इन छोटे व्यापारियों/ व्यावसायिक इकाइयों को संवितरण के लिए निर्गत (नवंबर 2017) की गयी थी।

लेखापरीक्षा की महत्त्वपूर्ण टिप्पणियों की चर्चा आगे के पैराग्राफों में की गयी है।

2.5.5.1 छोटी व्यावसायिक इकाइयों/ व्यापारियों हेतु वित्तीय सहायता का अपयोजन

पहचानी गयी 50,081 व्यावसायिक इकाइयों/ छोटे व्यापारियों हेतु ब्याज संसहायिकी की योजना को इन सत्वों की वित्तीय सहायता के समाधान तक प्रतिबंधित किया गया था।

₹4.01 करोड़ की सीमा तक योजना निधियों का उपयोग कश्मीर प्रभाग के आठ जिलों में 903 निराश्रित महिलाओं को भुगतान के प्रति किया गया था। श्रीनगर जिले की दो तहसीलों में भी, ₹12.77 लाख का उपयोग क्षतिग्रस्त आवासीय घरों (₹8.59 लाख) और राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) के हितभागियों (₹4.18 लाख), जो ब्याज संसहायिकी योजना के अंतर्गत शामिल नहीं थे, को सहायता के भुगतान के प्रति किया गया था।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने (मई 2019) पर, अपर उपायुक्त, बडगाम ने कहा (मई 2019) कि सहायता के अपयोजन संबंधी मामला संबंधित तहसीलदारों के

---

60 अनंतनाग: ₹20.38 करोड़; बांदीपोरा: ₹5.30 करोड़; बारामूला: ₹1.33 करोड़; बडगाम: ₹11.21 करोड़; कुलगाम: ₹4.36 करोड़; पुलवामा: ₹10 करोड़; शोपियां ₹0.31 करोड़; और श्रीनगर: ₹49 करोड़।

61 बैंक और सहकारी समितियाँ क्रेडिट के सामान्य क्षेत्र का निर्माण करती हैं।

62 अनंतनाग: ₹12.99 करोड़; कुलगाम: ₹0.67 करोड़; पुलवामा: ₹7.58 करोड़; और श्रीनगर: ₹64.24 करोड़।

साथ उठाया गया था। अपर उपायुक्त, श्रीनगर ने कहा (जुलाई 2019) कि भुगतान संबंधित तहसीलदारों द्वारा उस समय के उपायुक्तों के निर्देशों के अनुसार किये गये थे।

उत्तर ने लेखापरीक्षा टिप्पणी की पुष्टि की कि योजना से ₹4.01 करोड़ अपयोजित किये गये थे।

सरकार को योजना निधियों के सभी अपयोजनों हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहिए और उत्तरदायी कार्मिकों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करनी चाहिए।

2.5.5.2 सहायता का अतिरिक्त भुगतान

जीओजेएण्डके ने उन व्यापारियों के लिए जिन्होंने सितंबर 2014 की बाढ़ों से क्षतियाँ उठायी थी, ऐसे छोटे व्यापारियों/ व्यावसायिक इकाइयों की क्षतियों के 50 प्रतिशत को समाविष्ट करने का निर्णय (अप्रैल 2016) लिया। ₹ पाँच लाख या कम के कुल कारोबार वाले छोटे व्यापारियों/ व्यावसायिक इकाइयों के लिए सहायता ₹ एक लाख की अधिकतम सीमा तक सीमित की जानी थी और ₹ पांच लाख और ₹ 10 लाख के मध्य कुल कारोबार वाले व्यापारियों हेतु अधिकतम सीमा ₹ दो लाख थी।

लेखापरीक्षा में देखा गया किः

- श्रीनगर में तीन तहसीलों[63] में ₹11.05 लाख की स्वीकार्य सहायता के प्रति 39 प्रभावित व्यापारियों को ₹21.20 लाख की सहायता संवितरित की गयी थी। जनवरी 2016 से फरवरी 2019 की अवधि के दौरान इन हितभागियों के खातों में यह राशि दो बार जमा की गयी थी, जिसका परिणाम ₹10.15 लाख के अतिरिक्त संवितरण के रूप में हुआ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने (जून 2019) के पश्चात्, तहसीलदार, खान्यार ने दो हितभागियों से केवल ₹0.35 लाख की वसूली प्रभावी की और शेष मामलों की वसूली की प्रगति प्रतीक्षित थी।

- बारामूला जिले में, 386 व्यावसायिक इकाइयों/ छोटे व्यापारियों[64] को ₹58.01 लाख की सहायता का भुगतान किया गया था जो उठायी गयी कुल क्षतियों के 50 प्रतिशत के बजाय, आंकलित क्षति का 100 प्रतिशत था।

---

[63] 1. खान्यार, 2. श्रीनगर दक्षिण और 3. श्रीनगर केन्द्रीय।

[64] 317 व्यावसायिक इकाइयाँ/ व्यापारी, ₹ पाँच लाख तक कुल कारोबार सहित और 69 व्यावसायिक इकाइयाँ/ व्यापारी ₹ पाँच लाख और ₹10 लाख के मध्य कुल कारोबार सहित।

इसका परिणाम 386 व्यावसायिक इकाइयों/ व्यापारियों को ₹29 लाख की अतिरिक्त सहायता के भुगतान के रूप में हुआ।

गृह विभाग

2.6 जम्मू एवं कश्मीर में पाँच भारतीय रिज़र्व बटालियनों का सृजन

2.6.1 प्रस्तावना

सुरक्षा ग्रिड में बढ़ती हुयी खाई को पाटने के लिए जो कि जम्मू एवं कश्मीर (जेएण्डके) पुलिस पर लगातार बढ़ती जा रही थी और जेएण्डके पुलिस के पास अशांति के अचानक एवं व्यापक विस्फोट से उत्पन्न परिनियोजनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपर्याप्त जनशक्ति थी। गृह मंत्रालय (एमएचए), भारत सरकार (जीओआई) ने पीएमडीपी के अंतर्गत 'पाँच भारतीय रिज़र्व (आईआर) बटालियनों के सृजन' हेतु एक परियोजना को संस्वीकृति (फरवरी 2016) प्रदान की थी। जीओजेएण्डके ने पाँच जिलों[65] में पाँच[66] आईआर बटालियनों के सृजन के लिए आवश्यक अनुदेश/ संस्वीकृति जारी (सितंबर 2016) की थी।

2.6.2 वित्तीय प्रबंधन

परियोजना वित्तपोषण प्रतिमान के अनुसार, प्रत्येक आईआर बटालियन के सृजन के लिए अपेक्षित ₹34.92 करोड़ में से, जीओआई द्वारा ₹26.19 करोड़ की प्रतिपूर्ति की जानी थी जो मानक लागत का 75 प्रतिशत थी। इसके अतिरक्त, जीओआई द्वारा ₹25 करोड़ की अधिकतम सीमा के अध्यधीन, अवसंरचना के सृजन पर किये गये व्यय का अपेक्षित विवरण प्रस्तुत करने पर प्रत्येक बटालियन हेतु अवसंरचना लागत[67] के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति की जानी थी। सृजन की मानक लागत और पूँजीगत अवसंरचना लागत की प्रतिपूर्ति अनुदान सहायता के रूप में सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) के अंतर्गत आबंटित निधियों से प्राप्त की जानी थी। वर्ष 2017-18 से 2018-19 की अवधि के दौरान प्राप्त निधियों और किय गये व्यय की प्रास्थिति **तालिका 2.6.1** में दी गयी है।

---

65 बांदीपोरा, किश्तवाड, लेह, पुलवामा और ऊधमपुर जिले।

66 आईआर बटालियन 21, 22, 23, 24 और 25

67 भूमि की लागत शामिल न करके।

तालिका 2.6.1: निधि की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	निर्गत निधियाँ			किया गया व्यय			अंत शेष	निधियों की उपयोगिता की प्रतिशतता
	जीओआई अंश	राज्य अंश	कुल	जीओआई अंश	राज्य अंश	कुल		
2017-18	43.25	3.49	46.74	28.48	3.49	31.97	14.77	68
2018-19	127.32	25.00	152.32	84.24	-	84.24	68.08	55
कुल	**170.57**	**28.49**	**199.06**	**112.72**	**3.49**	**116.21**		

(स्रोत: पुलिस मुख्यालय, जेएण्डके द्वारा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन)

जैसा कि तालिका 2.6.1 में देखा जा सकता है, 31 मार्च 2019 तक ₹68.08 करोड़ के अव्ययित शेष सहित निधियों की अनुपयोगिता 68 प्रतिशत (2017-18) और 55 प्रतिशत (2018-19) थी। तथापि, शेष राशि को खर्च करने के लिए कोई दृढ़ प्रतिबद्धता नहीं थी।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने (सितंबर 2019) पर, कम खर्च के लिए विभाग द्वारा प्रस्तुत कारणों में घाटी में कानून और व्यवस्था की स्थिति और अशांति को जिम्मेदार ठहराया।

विभाग ने यह भी कहा (अगस्त 2020) कि जून 2020 तक ₹136.22 करोड़ का व्यय किया गया था और वस्त्र, संचार और वाहन घटकों के अंतर्गत अधिप्राप्ति पूर्ण कर ली गयी थी, जबकि हथियार और गोला बारूद के घटक के अंतर्गत शेष मदों के लिए आपूर्ति आदेश दिये गये थे।

2.6.3 भूमि के अधिग्रहण में विलंब

नवीन रूप से सृजित बटालियनों की स्थापना और आवश्यक अवसंरचना के सृजन हेतु बांदीपोरा, किश्तवाड, लेह, पुलवामा और ऊधमपुर जिलों में पाँच अवस्थितियों पर भूमि अधिग्रहित की जानी थी। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया छह महीनों[68] (अगस्त 2016) के अंदर पूरी की जानी थी। नवंबर 2019 तक, भूमि केवल तीन अवस्थितियों किश्तवाड, लेह, पुलवामा पर अधिग्रहित की गयी थी। बांदीपोरा और ऊधमपुर की शेष दो अवस्थितियों में भूमि का अधिग्रहण प्रक्रियाधीन था। स्थलों में परिवर्तन के कारण भूमि अधिग्रहण में विचारणीय देरी थी तथा निजी भूमि मालिकों को मुआवजे के

68 परियोजना की संस्वीकृति की तिथि से।

विलंब से भुगतान का परिणाम अवसंरचना के गैर-सृजन और फलस्वरूप परियोजना के अंतर्गत अव्ययित शेषों का संचय हो गया।

विभाग ने विलंब के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में शामिल विचारणीय समय, भूमि विवादों और ऊधमपुर और लेह में भूमि के स्थानांतरण को जिम्मेदार (अगस्त 2020) ठहराया।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भूमि अधिग्रहण हेतु समय अनुसूची परियोजना की संस्वीकृति (फरवरी 2016) की तिथि से छह महीनों तक थी, जो प्राप्त (अगस्त 2020) नहीं की गयी थी।

2.6.4 जनशक्ति की न्यूनता

पाँच भिन्न-भिन्न अवस्थितियों पर पाँच आईआर बटालियनों की स्थापना हेतु, जीओजेएण्डके ने भिन्न-भिन्न संवर्गों (1,007 पद प्रति बटालियन) के 5,035 अतिरिक्त पदों को सृजित (सितंबर 2016) किया था। इन बटालियनों को प्रकार्यात्मक बनाने हेतु, विभाग के लिए यथाशीघ्र इन पदों के विरुद्ध स्टाफ की भर्ती/तैनाती करना अनिवार्य था। मार्च 2019 तक सृजित पदों, भरे गये पदों और कमी की संवर्ग-वार प्रास्थिति **तालिका 2.6.2** में दी गयी है।

तालिका 2.6.2: जनशक्ति की प्रास्थिति

क्र. सं.	पद का नाम	सृजित पदों की संख्या	विनियोजित व्यक्तियों की संख्या	कमी	कमी का प्रतिशत
1.	समादेशक	5	4	1	20
2.	उप समादेशक	15	-	15	100
3.	पुलिस उप अधीक्षक (डीएसपी)	35	9	26	74
4.	निरीक्षक	35	4	31	89
5.	उप-निरीक्षक (एसआई)	115	13	102	89
6.	सहायक उप-निरीक्षक (एएसआई)	90	29	61	68
7.	हेड कांस्टेबल (एचसी)	800	77	723	90
8.	कांस्टेबल	3,375	3,321	54	2
9.	अन्य	345	340	5	1
10.	अनुसचिवीय स्टाफ	35	-	35	100
11.	वायरलैस स्टाफ	165	-	165	100
12.	चिकित्सा स्टाफ	20	-	20	100
कुल		**5,035**	**3,797**	**1,238**	**25**

(स्रोत: पुलिस मुख्यालय, जेएण्डके द्वारा प्रस्तुत संस्वीकृत पदों और कार्यरत कर्मियों की प्रास्थिति)

पाँच आईआर बटालियनों के लिए पदों की विभिन्न श्रेणियों की भर्ती/ नियुक्ति में पद वार कमी एक प्रतिशत और 100 प्रतिशत के मध्य सहित समग्र कमी 25 प्रतिशत थी। सितंबर 2020 तक वरिष्ठ रैंकों[69] में कमी 88 प्रतिशत तक उच्च थी।

विभाग ने कहा (अगस्त 2020) कि पाँच आईआर बटालियनों की भर्ती के दौरान, आरक्षित श्रेणियों में उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण कांस्टेबल के 341 पद खाली रह गये।

उत्तर में वरिष्ठ रैंक (हेड कांस्टेबल से) पदों, जो कि परियोजना के एक महत्त्वपूर्ण घटक का निर्माण करते हैं, में कार्मिकों की कमियों से संबंधित टिप्पणियों का समाधान नहीं होता है।

69 हेड कांस्टेबल, सहायक उप-निरीक्षक, उप-निरीक्षक, निरीक्षक और पुलिस उप अधीक्षक।

अध्याय-III

संकट प्रबंधन

अध्याय - III

संकट प्रबंधन

3.1 प्रस्तावना

पीएमडीपी के अंतर्गत संकट प्रबंधन भाग में ₹5,858 करोड़ की अनुमानित लागत पर निष्पादित किये जाने हेतु आपातकालीन परिचालन केन्द्रों तथा संबद्ध अवसंरचना इत्यादि की स्थापना को शामिल करने वाली, राज्य में आपदा प्रबंधन ढांचे को सशक्त करते हुए क्षतिग्रस्त सार्वजनिक अवसंरचना परिसंपत्तियों के स्थायी पुनःस्थापन हेतु सहायता; डि-सिलटिंग और तलकर्षण को सम्मिलित करते हुए झेलम नदी एवं इसकी सहायक नदियों के लिए एक व्यापक बाढ़ नियंत्रण परियोजना को शामिल करने वाली सात[1] परियोजनाएं सम्मिलित हैं।

संकट प्रबंधन भाग के अंतर्गत लेखापरीक्षा में ₹2,830 करोड़ के परिव्यय सहित कुल सात परियोजनाओं में से, चार[2] परियोजनाओं की नमूना जाँच की गयी।

इन चार परियोजनाओं पर किये गये व्यय को शामिल करने वाले वित्तीय विवरण **तालिका 3.1.1** में दिये गये हैं:

तालिका 3.1.1: लागत के परियोजना वार विवरण की तुलना में किया गया व्यय
(31 मार्च 2019 तक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजनाएं	परियोजना लागत	संस्वीकृत निधियाँ	निर्मोचित	व्यय	अप्रयुक्त निधियाँ (प्रतिशत)
1.	उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अतिरिक्त बालिका छात्रावासों का निर्माण	50	23.75	23.75	9.16	14.59 *(61)*
2.	जेएण्डके में हाई एन्ड सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था प्रणाली	500	501.86	501.86	261.96	239.90 *(48)*
3.	झेलम नदी एवं इसकी सहायक नदियों के बाढ़ प्रबंधन हेतु व्यापक योजना (चरण I)	280	287.43	287.43	280.87	6.56 *(2)*
4.	क्षतिग्रस्त अवसंरचना का स्थायी पुनःस्थापन	2,000	1,178.34	1,178.34	915.17	263.17 *(22)*
	कुल	**2,830**	**1,991.38**	**1,991.38**	**1,467.16**	**524.22** ***(26)***

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

---

[1] (i) उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अतिरिक्त बालिका छात्रावासों का निर्माण; (ii) गृह विभाग द्वारा जेएण्डके में हाई एन्ड सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था प्रणाली; (iii) झेलम नदी एवं इसकी सहायक नदियों के व्यापक बाढ़ प्रबंधन हेतु योजना (चरण I); (iv) झेलम नदी एवं इसकी सहायक नदियों के व्यापक बाढ़ प्रबंधन हेतु योजना (चरण II); (v) क्षतिग्रस्त अवसंरचना का स्थायी पुनः स्थापन; (vi) जेएण्डके में क्षतिग्रस्त उद्यान-कृषि क्षेत्रों का पुनः स्थापन व उद्यान-कृषि का विकास; तथा (vii) झेलम-तवी बाढ़ पुनर्निर्माण परियोजना हेतु विश्व बैंक सहायता का 90 प्रतिशत अनुदान अंश।

[2] (i) उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अतिरिक्त बालिका छात्रावासों का निर्माण (ii) गृह विभाग द्वारा जेएण्डके में हाई एन्ड सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था प्रणाली (iii) झेलम नदी एवं इसकी सहायक नदियों के व्यापक बाढ़ प्रबंधन हेतु योजना (चरण I) और (iv) क्षतिग्रस्त अवसंरचना का स्थायी पुनःस्थापन।

इन चार परियोजनाओं के लिए ₹2,830 करोड़ कुल परिव्यय में से, जैसा कि **तालिका 3.1.1** में दिया गया है, भारत सरकार द्वारा ₹1,991.38 करोड़ संस्वीकृत एवं निर्गत किये गये थे और मार्च 2019 तक ₹524.22 करोड़ (26 प्रतिशत) का अप्रयुक्त शेष छोड़ते हुए, 31 मार्च 2019 तक ₹1,467.16 करोड़ का व्यय किया गया था।

उच्चतर शिक्षा विभाग

3.2 उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अतिरिक्त बालिका छात्रावासों का निर्माण

उच्चतर शिक्षा विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार (जीओजेएण्डके) ने सरकारी डिग्री कॉलेजों (जीडीसी) में सात बालिका छात्रावासों[3] के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव (अक्टूबर 2016) प्रस्तुत किया था। इसे भारत सरकार (जीओआई) द्वारा प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) के अंतर्गत ₹50 करोड़ की कुल परियोजना लागत हेतु अनुमोदित (मार्च 2017) किया गया था। परियोजना के निर्माण कार्य[4] विकास आयुक्त (निर्माण) द्वारा तकनीकी रूप से ₹48.41 करोड़ के लिए पुनरीक्षित किये गये थे तथा समापन की अवधि प्राधिकार पत्र के जारी होने की तिथि से आठ महीनों (फरवरी 2018) तक थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के माध्यम से जीओआई से सहायता, यूजीसी द्वारा आबंटन से अधिक व्यय को संस्थानों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से प्राप्त किये जाने के अध्यधीन, अनुमोदित लागत का 100 प्रतिशत थी।

निर्माण किये जाने वाले सात बालिका छात्रावासों में से, जीडीसी में पांच[5] बालिका छात्रावासों को लेखापरीक्षा में नमूना जाँच के लिए चयनित किया गया था।

जैसा कि पैराग्राफ 3.2.3 में दिये गये अभिलेखों और छायाचित्रों से देखा जा सकता है, जीडीसी में नमूना जाँच किये गये पाँच बालिका छात्रावास, जहाँ छात्रावासों का निर्माण प्रस्तावित था, में से तीन[6] बालिका छात्रावासों के निर्माण का कार्य भिन्न-भिन्न चरणों में था। शेष दो[7] बालिका छात्रावासों में कार्य, ₹3.01 करोड़ का

---

[3] सरकारी डिग्री कॉलेज (i) पलौरा (जम्मू), (ii) राजौरी, (iii) भदरवाह (आरंभिक रूप से ठाटरी-डोडा हेतु अनुमोदित), (iv) बेमिना (श्रीनगर), (v) कारगिल, (vi) पुलवामा और (vii) कुपवाडा।

[4] मार्च 2018 में छह निर्माण कार्य तथा दिसम्बर 2018 में भदरवाह में शेष निर्माण कार्य।

[5] सरकारी डिग्री कॉलेज (i) पलौरा (जम्मू), (ii) राजौरी, (iii) भदरवाह, (iv) बेमिना (श्रीनगर) और (v) कारगिल (लद्दाख)।

[6] जीडीसी (i) पलौरा, (जम्मू), (ii) राजौरी और (iii) भदरवाह।

[7] बेमिना (श्रीनगर) और कारगिल (लद्दाख)।

व्यय करने (मार्च 2019) के बावजूद, अपनायी जाने वाली नई तकनीक[8] की जानकारी के साथ-साथ कार्यान्वयन अभिकरणों के विशिष्ट अनुभव की कमी के कारण प्लिंथ स्तर पर रोक दिया गया था। बालिका छात्रावासों में किसी का भी कार्य पूर्ण नहीं हुआ था, जैसा कि उत्तरवर्ती पैराग्राफों में विवरण दिया गया है ।

3.2.1 वित्तीय प्रबंधन

₹50 करोड़ की संस्वीकृत लागत में से, यूजीसी के द्वारा सात जीडीसी के बैंक खातों में ₹23.75 करोड़ की राशि सीधे ही निर्गत (जुलाई 2017 से अक्टूबर 2018) की गयी थी, जिन्होंने बदले में निर्माण अभिकरणों[9] को ₹10.22 करोड़ निर्गत किये।

वर्ष 2019-20 और 2020-21 (सितंबर 2020) की अवधि के दौरान, यूजीसी द्वारा आगे तीन जीडीसी के बैंक खातों में ₹9 करोड़ की राशि निर्गत की गयी थी, जिन्होंने बदले में निर्माण अभिकरणों को ₹11.59 करोड़ निर्गत किये। सितंबर 2020 तक शेष ₹12 करोड़ की निधियाँ महाविद्यालयों में रहीं जैसा कि **तालिका 3.2.1** में दिया गया है।

तालिका 3.2.1: सितंबर 2020 तक निधि की स्थिति

(₹ करोड़ में)

अवधि	संस्वीकृत लागत	यूजीसी के द्वारा निर्गत निधियाँ	निर्माण अभिकरणों को निर्मोचित	अप्रयुक्त शेष
2017-18	50.00	8.00	9.06*	0.00
2018-19		15.75	1.16	14.59
2019-20		7.00	6.59	15.00
2020-21 (सितंबर 2020 की समाप्ति)		2.00	5.00	12.00
कुल	**50.00**	**32.75**	**21.81***	

* राज्य योजना निधियों के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा निर्मोचित (मई 2017) ₹1.06 करोड़ (जीडीसी कुपवाड़ा: ₹1.02 करोड़ एवं जीडीसी कारगिल: ₹0.04 करोड़) शामिल हैं।

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

लेखापरीक्षा में देखा गया (अक्टूबर 2020) कि पाँच नमूना महाविद्यालयों में से चार के लिए, जहाँ जम्मू व कश्मीर आवास बोर्ड (जेकेएचबी) निर्माण अभिकरण था, ₹12.23 करोड़ का व्यय किया गया (सितंबर 2020) था। तथापि, निर्माण अभिकरण

8 प्री-इंजीनियर्ड संरचना प्रौद्योगिकी।

9 जेएण्डके आवास बोर्ड (छह महाविद्यालय): ₹9.06 करोड़; जेकेपीएचसी (एक महाविद्यालय): ₹1.16 करोड़।

द्‌वारा ₹15.29 करोड़ हेतु उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (यूसी) को प्रस्तुत (नवम्बर 2017 एवं अगस्त 2020 के मध्य) किया गया था, जिसका परिणाम ₹3.06 करोड़ की सीमा तक बढ़े हुए यूसी के प्रस्तुतीकरण के रूप में हुआ। इसके अतिरिक्त, जीडीसी में सात बालिका छात्रावासों के निर्माण हेतु ₹50 करोड़ की संस्वीकृत राशि के प्रति यूजीसी द्‌वारा ₹33.81 करोड़ की राशि निर्गत की गयी थी। इसमें से, सितंबर 2020 तक सात बालिका छात्रावासों के लिए ₹16.67 करोड़ का व्यय किया गया था।

योजना निदेशक, उच्चतर शिक्षा विभाग, जीओजेएण्डके ने कहा (जुलाई 2020) कि यूसी किये गये कार्य के आधार पर जारी किये गये थे जिसमें कार्यस्थल पर लायी गयी सामग्री शामिल थी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि किये गये वास्तविक व्यय में कार्यान्वयन प्रभागों द्‌वारा अग्रिम रूप से बुक की गयी सामग्री शामिल थी और इसलिए, प्रस्तुत किये गये यूसी बढ़े हुए थे। इसके अतिरिक्त, जैसा कि अंतर राशि अभी तक जीडीसी के बैंक खाते में पड़ी हुयी थी, भविष्य में इसकी दुरूपयोगिता/ दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

योजना निदेशक, उच्चतर शिक्षा विभाग, जीओजेएण्डके ने कार्य की धीमी प्रगति के लिए संरचनात्मक आरेखणों एवं तकनीकी संस्वीकृतियों के विलंब से प्राप्त होने और कश्मीर प्रभाग में प्रचलित सुरक्षा वातावरण तथा शीत ऋतु की लंबी अवधि को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू प्रभाग में तीन[10] बालिका छात्रावासों का निर्माण समापन के करीब था, हालांकि, वह दो[11] जीडीसी के मामले में 30 सितंबर 2020 को लिये गये छायाचित्रों **(पैरा सं 3.2.3 में)** और दस्तावेजों द्‌वारा समर्थित नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चार[12] डिग्री कॉलेजों में किसी भी बालिका छात्रावास का निर्माण आरंभ नहीं किया गया था जिन्हें फरवरी 2020 तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित था, जिनको समापन की वास्तविक तिथि से 31 महीनों के उपरांत ही पूर्ण (अक्टूबर 2020) किया गया था, तथा जिनके शीघ्र समापन हेतु डीपीआर में प्री-इंजीनियर्ड संरचनाओं का प्रावधान था।

---

[10] जीडीसी (i) पलौरा, (जम्मू), (ii) राजौरी और (iii) भदरवाह।

[11] जीडीसी (i) पलौरा और (ii) राजौरी।

[12] जीडीसी (i) पलौरा, जम्मू (ii) राजौरी (iii) बेमिना, श्रीनगर और (iv) कारगिल, लद्दाख।

इस प्रकार, निधियों की उपलब्धता के बावजूद, छात्राओं द्वारा झेली गयी कठिनाईयों को दूर करने हेतु छात्रावासों के समयबद्ध (फरवरी 2018) सृजन का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया था।

3.2.2 भवन समितियाँ

जैसा कि उपलब्ध कराये गये अभिलेखों से देखा जा सकता है, लद्दाख प्रभाग के जीडीसी, कारगिल एवं जीडीसी, पलौरा, जम्मू में भवन समितियों का गठन नहीं किया गया था। यद्यपि शेष तीन[13] महाविद्यालयों में भवन समितियों का गठन किया गया था, तथापि इन्होंने दो महाविद्यालयों[14] में निर्माण कार्यों के निष्पादन पर किसी तरह के नियंत्रण का अभ्यास नहीं किया था।

3.2.3 छात्रावासों का निर्माण

योजना विकास एवं निगरानी विभाग, जीओजेएण्डके ने निर्देश (अक्टूबर 2012) दिया कि जेकेएचबी, विकासशील कॉलोनियों के इसके कर्त्तव्यों के अतिरिक्त, राजधानी शहर जम्मू एवं श्रीनगर तथा इनके संलग्न जिलों में स्वास्थ्य और शिक्षा प्रक्षेत्रों की परियोजनाओं के निर्माण/ बृहत् निर्माण कार्यों के निष्पादन से संबंधित प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगाने की प्रक्रिया में भागीदारी कर सकता है।

₹35 करोड़ की परियोजना लागत सहित पाँच नमूना महाविद्यालयों में से, चार[15] में बालिका छात्रावासों का निर्माण कार्य नामांकन के आधार पर आबंटित किया गया था। यद्यपि चार बालिका छात्रावासों का निर्माण कार्य, सरकारी अभिकरण (जेकेएचबी) द्वारा नामांकन के आधार पर, बिना किसी निविदा प्रक्रिया[16] के किया जा रहा था, जो अभी तक पूर्ण किये जाने थे। सितंबर 2020 तक इन छात्रावासों पर ₹12.23 करोड़ का व्यय किया गया था।

जीडीसी में बालिका छात्रावासों का निर्माण आठ महीनों (फरवरी 2018) की अवधि के अंदर पूर्ण किया जाना था जिसमें विफल होने पर जेकेएचबी पर लागत के दो प्रतिशत की दर पर शास्ति अधिरोपित की जानी थी। ढाई वर्षों के उपरांत भी विभाग द्वारा

---

13 जीडीसी (i) भदरवाह (ii) राजौरी और (iii) बेमिना।

14 जीडीसी, बेमिना और जीडीसी, राजौरी।

15 जीडीसी (i) पलौरा (ii) राजौरी (iii) बेमिना और (iv) कारगिल।

16 शिक्षा मंत्री, जीओजेएण्डके ने 16 मई 2017 को बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें जेकेएचबी के द्वारा बालिका छात्रावासों के निर्माण हेतु प्राधिकार से अवगत कराया गया था।

निर्माण कार्यों के समापन में विलंब हेतु कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की गयी जिससे उनका समापन शीघ्र हो सके।

योजना निदेशक, उच्चतर शिक्षा विभाग, जीओजेएण्डके ने कहा (जुलाई 2020) कि जेकेएचबी, अन्य विभागों की विभिन्न परियोजनाओं/ निर्माण कार्यों हेतु एक सरकारी अभिकरण है तथा इसे ऐसी परियोजनाओं को आरंभ करने हेतु सशक्त किया गया है। यह भी कहा गया (जुलाई 2020) था कि कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा विलंब के कारणों के लिए घाटी में अशांति को जिम्मेदार ठहराया गया था तथा परिणामस्वरूप श्रीनगर में प्री-इंजीनियर्ड संरचना हेतु कार्यशाला की स्थापना नहीं की जा सकी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जेकेएचबी ने विलंब हेतु कार्य के आरंभ के समय विशिष्ट अनुभव एवं नई प्रौद्योगिकी (प्री-इंजीनियर्ड संरचना) की जानकारी के अभाव को जिम्मेदार (जुलाई 2020) ठहराया है, जिसने प्लिंथ स्तर के उपरांत कार्य के ठहराव का मार्ग प्रशस्त किया।

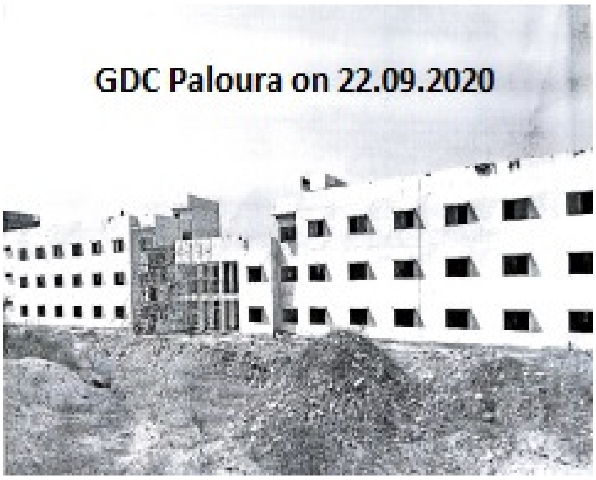

इस प्रकार, निधियों की उपलब्धता के बावजूद, छात्रावास भवनों के समय पर समापन को सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता तथा नामांकन के आधार पर कार्य को सौंपने का परिणाम पाँच नमूना महाविद्यालयों की 936 छात्राओं को छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य की गैर-प्राप्ति के रूप में हुआ।

बालिका छात्रावासों के परियोजना निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए ताकि छात्राओं को योजना के लाभ पहुँच सकें।

गृह विभाग

जम्मू एवं कश्मीर में हाई एन्ड सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था प्रणाली

3.3 प्रस्तावना

जान व माल को क्षति पहुँचाये बिना नवीनतम तकनीक एवं गैर-घातक उपकरण के उपयोग के माध्यम से कानून और व्यवस्था संभालने एवं जवाबी कार्रवाई के संचालनों तथा विभिन्न कानून और व्यवस्था की स्थितियों का शीघ्रता से जवाब देने में जम्मू एवं कश्मीर पुलिस को सक्षम बनाने की दृष्टि से, पीएमडीपी के अंतर्गत गृह मंत्रालय (एमएचए), भारत सरकार (जीओआई) द्वारा ₹500 करोड़ की लागत पर एक परियोजना[17] को अनुमोदित (अक्टूबर 2017) किया गया था। परियोजना को मार्च 2020 तक पूर्ण किया जाना निर्धारित था। परियोजना की मुख्य विशेषताएं थी:

- दो केन्द्रीय कमान केन्द्रों, श्रीनगर एवं जम्मू प्रत्येक में एक-एक, को शामिल करते हुए एकीकृत कमान केन्द्रों, जिला कमान केन्द्रों तथा लखनपुर से श्रीनगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) निगरानी प्रणाली की स्थापना,

[17] पीएमडीपी की परियोजना संख्या 42

- सीसीटीवी कैमरों, आईपी आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली, इलैक्ट्रिक बूम बैरियर्स, हाइड्रोलिक क्रेनों, बुलेट प्रतिरोधी जैकेटों, डीप सर्च मेटल डिटेक्टरों इत्यादि को उपलब्ध कराना,
- विशेष रूप से डिजायन किये गये दंगा-विरोधी वाहनों, हेलमेटों, गैस मास्कों, विशेष रूप से महिला सुरक्षा इकाइयों हेतु ग्रुप शील्ड, बुलेट प्रूफ (बीपी) बंकर वाहन[18], बेहतर संचार एवं कानून और व्यवस्था हेतु बेतार संचार केन्द्र उपलब्ध कराना।

3.3.1 वित्तीय व्यवस्था

प्रारंभिक व्यय राज्य निधियों से किया जाता है तथा बाद में वित्त विभाग, जीओजेएण्डके के माध्यम से एमएचए को प्रतिपूर्ति के लिए दावा प्रस्तुत किया जाता है, भारत सरकार परियोजना की संपूर्ण लागत की प्रतिपूर्ति हेतु सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई) क्रियाविधि के माध्यम से राज्य सरकार को निधियाँ निर्गत करती है। परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2016 से 2019 तक की अवधि के दौरान किये गये व्यय तथा निर्मोचित निधियों की प्रास्थिति **तालिका 3.3.1** में दी गयी है।

तालिका 3.3.1: निधियों एवं व्यय की प्रास्थिति
(31 मार्च 2019 तक)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	निर्गत निधियाँ	किया गया व्यय (प्रतिशत)	अप्रयुक्त निधियाँ
2016-17	18.30	15.53 *(85)*	2.77
2017-18	311.69	154.34 *(50)*	157.35
2018-19	171.87	92.09 *(54)*	79.78
कुल	**501.86**	**261.96** *(52)*	

(स्रोत: परियोजना के प्रगति प्रतिवेदन)

वर्ष 2016 से 2019 तक की अवधि के दौरान, जीओजेएण्डके ने ₹501.86 करोड़ निर्गत किये, जिसमें से विभाग द्वारा ₹261.96 करोड़ (52 प्रतिशत) का व्यय किया गया था। उक्त अवधि के दौरान उपलब्ध निधियों की तुलना में व्यय की प्रतिशतता क्रमशः 50 एवं 85 के बीच रही। अव्ययित शेष अप्रैल 2017 में ₹2.77 करोड़ से बढ़कर मार्च 2019 की समाप्ति पर ₹79.78 करोड़ हो गये। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019-20 के दौरान परियोजना के अंतर्गत जीओआई द्वारा ₹119 करोड़ की राशि संस्वीकृत की गयी थी और जिसमें से 31 मार्च 2020 तक ₹89.23 करोड़ के

[18] पूर्व निर्धारित सुरक्षा मानकों सहित विशेष बुलेट प्रूफ वाहन।

अप्रयुक्त शेष को छोड़ते हुए, विभाग के द्वारा ₹29.77 करोड़ का व्यय किया गया था। वर्ष 2020-21 (अगस्त 2020 तक) के दौरान जीओआई द्वारा ₹25.15 करोड़ की राशि निर्गत की गयी थी जिसके प्रति कोई व्यय (अगस्त 2020) नहीं किया गया था।

3.3.2 उपकरण की अधिप्राप्ति

परियोजना के अंतर्गत 56 मदों/ कार्यों को अधिप्राप्त/ संस्थापित किया जाना था, जिसमें से अगस्त 2020 तक विभाग द्वारा 33 मदों/ कार्यों (59 प्रतिशत) का अधिप्रापण/ संस्थापन पूर्ण किया गया था, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.3.1*** में विवरण दिया गया है।

- 31 अगस्त 2020 तक एकीकृत कमान केन्द्रों एवं इसके जुड़े हुए घटकों का निष्पादन आरंभ नहीं किया गया था।
- पुलिस थानों के लिए 413 सीसीटीवी का अधिप्रापण निविदा प्रक्रियाधीन (अगस्त 2020) था।
- विभिन्न प्रकार (बुलेट प्रूफ बंकर, रक्षक वाहन, जिप्सी, दंगा-रोधी वाहन, हायड्रोलिक क्रेन, जेसीबी, ट्रेक्टर) के 669 वाहनों को संस्वीकृति प्रदान की गयी थी, 547 वाहनों की अधिप्राप्ति की गयी थी जिसमें से अगस्त 2020 तक 499 वाहनों की सुपुर्दगी की जा चुकी थी।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ देखी गयी थी।

3.3.2.1 निविदा के बिना खरीद

जम्मू एवं कश्मीर वित्तीय संहिता का नियम 8.4 प्रावधान करता है कि भण्डारों की खरीद अति मितव्ययी ढंग से तथा सार्वजनिक सेवा की निश्चित आवश्यकताओं के अनुसार करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 जीओआई का नियम 166 प्रावधान करता है कि एकल स्रोत से अधिप्राप्ति का सहारा लिया जा सकता है:

- यदि उपयोगकर्त्ता विभाग को यह पता है कि केवल एक विशिष्ट फर्म ही अपेक्षित वस्तुओं की विनिर्माता है।
- आपातकालीन स्थिति के मामले में, आवश्यक वस्तुओं की अनिवार्य रूप से किसी विशिष्ट स्रोत से खरीद की जानी होती है तथा इस प्रकार के निर्णय का कारण अभिलेखबद्ध करना होता है एवं सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना होता है।

पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू), जेएण्डके द्वारा ₹100.27 करोड़ के मूल्य की खरीदें, जिसमें वाहनों, बॉडी प्रोटेक्टरों, बुलेट प्रूफ पटकों[19], दंगा-विरोधी वाहनों, फार्म ट्रैक ट्रैक्टर एवं बैकहो लोडर शामिल थे, निविदायें इत्यादि आमंत्रित करने के माध्यम से दरों की उपयुक्तता को अभिनिश्चित किये बिना या तो आदेश दोहरान के आधार पर या मूल विनिर्माताओं से की गयी थी; जैसा कि ***परिशिष्ट 3.3.2*** में विवरण दिया गया है।

मामला सरकार को भेजे (जून 2020) जाने के उपरांत, विभाग ने उत्तर में कहा (अगस्त 2020) कि पीएचक्यू, जेएण्डके ने बुलेट प्रतिरोधी वाहनों को, राज्य स्तरीय क्रय समिति (एसएलपीसी) के अनुमोदन के पश्चात् प्रचलित सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए आतंकवाद विरोधी अभियानों एवं कानून और व्यवस्था के लिए जेएण्डके पुलिस की तत्काल आवश्यकता की पूर्ति हेतु सांपत्तिक मद के रूप में सीधे मूल विनिर्माता/ प्राधिकृत डीलरों से खरीदा था। यह भी कहा गया था कि जेएण्डके पुलिस द्वारा वाहनों एवं अन्य मदों को सांपत्तिक मदों के रूप में सरकारी विभागों के लिए लागू न्यूनतम कंपनी दरों पर मूल विनिर्माताओं से खरीदा गया था तथा वाहन जीईएम[20] पर उपलब्ध नहीं थे।

उत्तर इस तथ्य के आलोक में तर्कसंगत नहीं है कि समान मशीनरी/ उपकरण एवं बुलेट प्रूफ वाहन कई फर्मों द्वारा विनिर्मित किये गये थे और विभाग द्वारा प्राधिकृत डीलरों/ फर्मों से भी दरों की उपयुक्तता सुनिश्चित नहीं की गयी थी।

3.3.2.2 विशिष्ट फर्मों से खरीद

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि विभाग ने विशेष फर्मों/ एकल स्रोत से खरीदें की थी, जिसका परिणाम ₹9.20 करोड़ के परिहार्य व्यय के रूप में हुआ, जैसा कि उत्तरवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गयी है।

ए. मध्यम बुलेट प्रूफ वाहनों का क्रय

भारत सरकार ने 15 मध्यम बुलेटप्रूफ (4x4 ड्राइव) वाहनों (एमबीपीवी) सहित 40 बुलेटप्रूफ वाहनों[21] के क्रय हेतु ₹18.30 करोड़ की संस्वीकृति (जुलाई 2016) प्रदान

---

19 बुलेट प्रूफ पटका: हेलमेटों के नीचे पहने जाने वाले बुलेट प्रूफ गुलूबंद ।

20 सरकारी ई मार्केटप्लेस।

21 ₹0.52 करोड़ प्रति वाहन की दर पर 15 एमबीपीवी और ₹0.42 करोड़ प्रति वाहन की दर पर 25 बुलेट प्रूफ एसयूवी वाहन।

की थी। पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) ने निम्नलिखित के क्रय हेतु राज्य सरकार के गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव (अगस्त 2016) प्रेषित किया:

- ₹54.16 लाख प्रति वाहन पर मैसर्स अशोक लीलैण्ड लिमिटेड से सात एमबीपीवी, बीएस III;
- ₹48.09 लाख प्रति वाहन पर मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड से आठ टाटा लाइट आर्मर्ड ट्रूप कैरियर्स, बीएस III

इसकी अनुशंसा में, पीएचक्यू ने स्पष्ट (सितंबर 2016) किया था कि दोनों एमबीपीवी, बीएस III और आर्मर्ड ट्रूप कैरियर्स, बीएस III मध्यम बुलेटप्रूफ (4x4 ड्राइव) वाहन (एमबीपीवी) थे जैसा कि एमएचए, जीओआई द्वारा संस्वीकृति प्रदान की गयी थी और डीजीएसएण्डडी दरों/ न्यूनतम कंपनी दरों पर मूल विनिर्माताओं[22] से इन वाहनों की खरीद एसएलपीसी द्वारा अनुशंसित थी। गृह विभाग, जीओजेएण्डके ने 15 एमबीपी (4x4 ड्राइव) वाहनों की खरीद हेतु संस्वीकृति प्रदान की थी एवं कुछ शर्तों, जिसमें शामिल था कि इन वाहनों की खरीद अति मितव्ययी दरों पर की जानी थी, के अध्यधीन पुलिस महानिदेशक, जेएण्डके के पक्ष में ₹18.30 करोड़[23] निर्गत किये।

तदुपरांत पीएचक्यू, जेएण्डके ने गृह विभाग, जीओजेएण्डके (अगस्त 2016) को उनके प्रस्ताव के अनुसार 15 (4x4 ड्राइव) एमबीपी वाहनों की आपूर्ति हेतु आदेश दिये (अक्टूबर 2016)।

जैसा कि 31 मार्च 2017 के पश्चात् भारत में बीएस III वाहनों के विनिर्माण या विक्रय को अनुमति प्रदान नहीं की गयी थी, पीएचक्यू, जीओजेएण्डके ने दोनों फर्मों से बीएस IV अनुरूप इंजनों सहित वाहनों के विनिर्माण के लिए कहा। तदुपरांत, बीएस III से बीएस IV में परिवर्तन हेतु अतिरिक्त प्रभारों तथा उस पर वस्तु एवं सेवा कर को शामिल करने के उपरांत मैसर्स अशोक लीलैण्ड लिमिटेड के पक्ष में आपूर्ति आदेश ₹56.32 लाख प्रति वाहन तक परिशोधित (अगस्त 2017) किया गया था। यद्यपि आपूर्ति आदेश को परिशोधित नहीं किया गया था, मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड ने बीएस IV विशिष्टियों सहित ₹50.12 लाख प्रति वाहन की दर प्रस्तावित (फरवरी 2018) की। हालांकि, फर्म ने ₹41.83 लाख प्रति वाहन की दर पर आठ वाहनों की आपूर्ति की।

---

22 मैसर्स अशोक लीलैण्ड लिमिटेड एवं मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड।

23 25 बुलेट प्रूफ एसयूवी वाहनों की खरीद को सम्मलित करते हुए।

इस प्रकार, मैसर्स अशोक लीलैण्ड लिमिटेड की तुलना में मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड के एमबीपी वाहनों की दरें ₹14.49 लाख प्रति वाहन तक कम थी, विभाग ने फर्म से मात्र आठ इस प्रकार के वाहन तथा शेष सात एमबीपी वाहन मैसर्स अशोक लीलैण्ड लिमिटेड से खरीदे। मैसर्स अशोक लीलैण्ड लिमिटेड ने ₹3.94 करोड़[24] की लागत पर सात एमबीपी वाहनों की आपूर्ति (सितंबर/ अक्टूबर 2017) की। मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड ने मार्च/ अप्रैल 2018 में ₹3.35 करोड़[25] की लागत पर आठ वाहनों की आपूर्ति की। अप्रैल 2018 में ₹9.83 लाख के समायोजन के पश्चात् देरी से आपूर्ति के कारण मैसर्स अशोक लीलैण्ड लिमिटेड के पक्ष में ₹62.15 लाख का शेष भुगतान किया गया, जबकि वाहनों की देरी से आपूर्ति के कारण मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड के पक्ष में ₹7.63 लाख का शेष भुगतान नहीं किया गया था।

इस प्रकार, विभाग ने मैसर्स अशोक लीलैण्ड लिमिटेड से उच्चतर दरों पर सात एमबीपी वाहनों की खरीद की, जिससे ₹1.01 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

मामला सरकार को भेजे जाने (जून 2020) के उपरांत, विभाग ने कहा (अगस्त 2020) कि पीएचक्यू ने आरंभिक रूप से दो मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड और मैसर्स अशोक लीलैण्ड डिफेन्स सिस्टम लिमिटेड से मध्यम बीपी बंकर वाहनों की, सांपत्तिक मदें होने के कारण, खरीद की क्योंकि उक्त मदें जीईएम पर उपलब्ध नहीं थी। प्रचलित सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, सुपुर्दगी में बाधा एवं परिचालनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर पीएमडीपी के अंतर्गत 15 मध्यम बीपी बंकरों हेतु दो फर्मों को आदेश दिया गया था।

हालांकि तथ्य यह रहता है कि एमबीपी वाहनों हेतु मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड द्वारा कम दरों को प्रस्तावित किये जाने के बावजूद, सात वाहनों की अधिप्राप्ति मैसर्स अशोक लीलैण्ड डिफेन्स सिस्टम लिमिटेड से उच्चतर दरों पर की गयी थी।

बी. सीआरपीएफ के लिए मध्यम बीपी वाहनों की खरीद

भारत सरकार (अक्टूबर 2017) ने परियोजना के अंतर्गत ₹34.75 करोड़ की लागत पर सीआरपीएफ हेतु 125[26] बुलेट प्रूफ (बीपी) वाहनों की अधिप्राप्ति की संस्वीकृति प्रदान की थी। गृह विभाग, जीओजेएण्डके ने 30 मध्यम बीपी वाहनों की खरीद हेतु

[24] वाहनों की आपूर्ति में विलंब हेतु ₹9.83 लाख की कटौती सहित ₹56.32 लाख प्रति वाहन की दर पर।

[25] ₹41.83 लाख प्रति वाहन की दर पर।

[26] 80 बीपी जिप्सी, 30 मध्यम बीपी वाहन एवं 15 महिन्द्रा वाहन।

₹15.20 करोड़ के अग्रिम आहरण के लिए डीजीपी, जेएण्डके के पक्ष में (जनवरी 2018) संस्वीकृति प्रदान की थी जिसे सीआरपीएफ के निपटान पर इस शर्त के अध्यधीन रखा जाना था कि खरीद, दरों की उपयुक्तता अभिनिश्चित किये जाने और मूल विनिर्माताओं से कोडल औपचारिकताओं की पूर्ति के उपरांत, अति मितव्ययी दरों पर की जानी चाहिए।

दो फर्मों[27] ने 30 मध्यम बीपी वाहनों की आपूर्ति हेतु अपनी दरों को प्रस्तुत किया (फरवरी 2018) था। मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित अति मितव्ययी दरों[28] पर इन मध्यम बीपी वाहनों की खरीद के बजाय, पीएचक्यू, जेएण्डके ने प्रति वाहन उच्चतर दर (₹58.11 लाख) पर मैसर्स अशोक लीलैण्ड डिफेन्स सिस्टम लिमिटेड को 26 मध्यम बीपी वाहनों[29] की आपूर्ति हेतु आदेश दिया (फरवरी 2018) तथा उसके बाद एमएचए, जीओआई को ₹15.20 करोड़ के अनुमोदित बजट के अंदर इन वाहनों की खरीद हेतु कार्योत्तर मंजूरी देने का आग्रह (अप्रैल 2018) किया गया था। एमएचए, जीओआई ने डीजीपी, जेएण्डके को सूचित (अप्रैल 2018) किया कि एसआरई स्थायी समिति की बैठक (फरवरी 2018) में एक विशेष निर्माता के वाहनों की खरीद पर चर्चा की गयी थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि जीओजेएण्डके को एमएचए, जीओआई द्वारा संस्वीकृत राशि के अंदर उनकी निहित प्रक्रियाओं के अनुसार मदों की अधिप्राप्ति की जानी चाहिए। तथापि, डीजीपी, जेएण्डके ने मैसर्स अशोक लीलैण्ड डिफेन्स सिस्टम लिमिटेड के पक्ष में उच्चतर दरों पर आदेश दिये (फरवरी 2018) तथा फर्म को ₹13.60 करोड़ का अग्रिम भुगतान (आपूर्ति आदेश के मूल्य का 90 प्रतिशत) किया (जून 2018) गया। इस प्रकार, पीएचक्यू, जेएण्डके द्वारा उच्चतर दरों पर 26 मध्यम बीपी वाहनों की अधिप्राप्ति का परिणाम ₹2.08 करोड़ के अतिरिक्त व्यय के रूप में हुआ।

मामला सरकार को भेजे जाने (जून 2020) के उपरांत, विभाग ने कहा (अगस्त 2020) कि पीएचक्यू, जेएण्डके ने 26 अशोक लीलैण्ड मध्यम बीपी बंकरों, बीएस IV की खरीद, सक्षम प्राधिकारी/ एसएलपीसी के अनुमोदन के पश्चात् उनके अधिकारियों के बोर्ड के निर्णय के आधार पर और सीआरपीएफ की अनुशंसा पर एक

---

27 मैसर्स अशोक लीलैण्ड डिफेन्स सिस्टम लिमिटेड ₹58.11 लाख प्रति वाहन की दर पर एवं मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड ₹50.12 लाख प्रति वाहन की दर पर।

28 ₹50.12 लाख प्रति वाहन की दर पर।

29 4 डब्ल्यूडी, बीएस IV, 3,607 एमएम व्हील बेस सहित उन्नत मॉडल 'तोपची'।

सांपत्तिक मद के रूप में की गयी थी। उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि मध्यम बीपी वाहनों के समान प्रकार हेतु अन्य प्रतिष्ठित फर्म मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित निम्नतम दरों की विभाग द्वारा उपेक्षा की गयी थी तथा उनके बोर्ड के निर्णय के आधार पर की गयी सीआरपीएफ की अनुशंसाओं को न तो अभिलेखबद्ध किया गया न ही उत्तर सहित प्रस्तुत किया गया।

सी. बीपी वाहनों की खरीद

जीओआई ने परियोजना के अंतर्गत ₹50.67 करोड़ की लागत पर पुलिस थानों के लिए 100 बुलेट प्रूफ (बीपी) बंकरों एवं ₹22.05 करोड़ की लागत पर 63 बुलेट प्रूफ बंकर (बीपी) वाहनों की अधिप्राप्ति हेतु संस्वीकृति प्रदान की (अक्टूबर 2017) थी। गृह विभाग, जेएण्डके सरकार ने डीजीपी, जेएण्डके के पक्ष में संस्वीकृति इस शर्त के अध्यधीन प्रदान की थी कि दरों की उपयुक्तता को अभिनिश्चित करने और कोडल औपचारिकताओं की पूर्ति के पश्चात् ही खरीदें की जानी चाहिए।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से (सितंबर 2018 व सितंबर 2019) निम्नलिखित प्रकट हुआः

मध्यम बीपी वाहनों के लिए, मैसर्स अशोक लीलैण्ड डिफेन्स सिस्टम लिमिटेड द्वारा ₹58.11 लाख एवं मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड द्वारा ₹50.12 लाख की प्रति वाहन दर प्रस्तावित (फरवरी 2018) की गयी थी। गृह विभाग, जेएण्डके ने ₹58.11 लाख प्रति वाहन की दर पर 38 बीपी बंकरों (अशोक लीलैण्ड मध्यम बीपी वाहन) की खरीद हेतु संस्वीकृति प्रदान (मार्च 2018) की थी तथा डीजीपी, जेएण्डके को ₹22.08 करोड़ निर्गत (मार्च 2018) किये गये। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंत में निधियाँ व्यपगत हो गयी जिन्हें गृह विभाग द्वारा पुनः विधिमान्यकृत किया गया था तथा डीजीपी, जेएण्डके के पक्ष में निर्गत (मार्च 2019) किया गया। तदुपरांत, पीएचक्यू, जेएण्डके ने पंजीकृत विनिर्माताओं से प्रस्ताव प्राप्त किये बिना, फर्म के प्रोफॉर्मा बीजक (फरवरी 2019) के आधार पर ₹57.06 लाख प्रति वाहन की दर पर 38 बीपी बंकरों की आपूर्ति हेतु मैसर्स अशोक लीलैण्ड डिफेन्स सिस्टम लिमिटेड के पक्ष में आदेश दिया। पीएचक्यू, जीओजेएण्डके ने फर्म के पक्ष में ₹19.52 करोड़ का अग्रिम (90 प्रतिशत) भुगतान निर्गत (फरवरी 2019) किया।

अतः मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड के प्रस्ताव की उपेक्षा करते हुए तथा इसकी जगह मैसर्स अशोक लीलैण्ड डिफेन्स सिस्टम लिमिटेड से उच्चतर दरों पर बीपी बंकरों की अधिप्राप्ति करते हुए, विभाग द्वारा ₹2.64 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया था। मामला सरकार को भेजे जाने (जून 2020) के उपरांत, विभाग ने कहा (अगस्त 2020) कि पीएचक्यू, जेएण्डके ने उपयुक्त/ निविदा अनुमोदित दर पर, एक सांपत्तिक मद के रूप में मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) मैसर्स अशोक लीलैण्ड डिफेन्स सिस्टम लिमिटेड, चेन्नई से 38 बीपी बंकरों की खरीद की गयी थी और तत्काल अधिप्राप्ति में नियत प्रक्रिया का पालन किया गया था। उत्तर इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया था एवं मैसर्स अशोक लीलैण्ड डिफेन्स सिस्टम लिमिटेड से उच्चतर दरों पर खरीदें की गयी थी।

II. पुलिस थानों के लिए 100 बीपी बंकर की खरीदी हेतु गृह विभाग, जीओजेएण्डके ने डीजीपी, जेएण्डके द्वारा ₹50.67 करोड़ के अग्रिम के आहरण हेतु संस्वीकृति (जनवरी 2018) प्रदान की थी। पीएचक्यू, जेएण्डके ने ₹50.67 करोड़ के अनुमोदित बजट में 94[30] बीपी बंकर की खरीद के लिए एमएचए, जीओआई का अनुमोदन मांगा (जनवरी 2018) था, जो प्रदान नहीं किया गया था। तथापि, पीएचक्यू ने चार महीने के अंदर आपूर्ति किये जाने हेतु मैसर्स अशोक लीलैण्ड डिफेन्स सिस्टम लिमिटेड, चेन्नई को ₹58.11 लाख प्रति वाहन की लागत पर 50 मध्यम बुलेट प्रूफ वाहन (एमबीपीवी)[31] की आपूर्ति हेतु आदेश (फरवरी 2018) दिया था जबकि मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड को कोई आपूर्ति आदेश नहीं दिया गया था। तदुपरांत, पीएचक्यू, जीओजेएण्डके ने अनुमोदित बजट के अंदर इन वाहनों की खरीद के लिए एमएचए, जीओआई से कार्योत्तर मंजूरी हेतु अनुरोध (अप्रैल 2018) किया था परन्तु एमएचए, जीओआई ने सूचित (अप्रैल 2018) किया कि एसआरई स्थायी समिति की बैठक (फरवरी 2018) में एक विशेष निर्माता के वाहनों की खरीद पर चर्चा की गयी थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार को एमएचए द्वारा संस्वीकृत राशि के अंदर उनकी निहित प्रक्रियाओं के अनुसार मदों की अधिप्राप्ति की जानी चाहिए। गृह विभाग, जेएण्डके सरकार ने ₹29.06 करोड़ की लागत पर 50 अशोक लीलैण्ड मध्यम बीपी बंकरों (₹58.11 लाख प्रति वाहन की दर

30 टाटा लाइट आर्मर्ड ट्रूप कैरियर: 50 और अशोक लीलैण्ड मध्यम बीपी बंकर: 44

31 4 डब्ल्यूडी, बीएस-IV

पर) की अधिप्राप्ति की संस्वीकृति परिशोधित की तथा मैसर्स अशोक लीलैण्ड डिफेन्स सिस्टम लिमिटेड के पक्ष में आपूर्ति आदेश को पीएचक्यू द्वारा ₹57.06 लाख प्रति वाहन की दर पर आपूर्ति हेतु आंशिक रूप से परिशोधित (जनवरी 2019) किया गया था। तत्पश्चात्, पीएचक्यू ने फर्म के पक्ष में ₹25.68 करोड़ का अग्रिम भुगतान (90 प्रतिशत) निर्गत (जनवरी 2019) किया।

अतः उच्चतर दरों पर मैसर्स अशोक लीलैण्ड डिफेन्स सिस्टम लिमिटेड से बीपी बंकरों की अधिप्राप्ति करते हुए, विभाग ने ₹3.47 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया था। मामला सरकार को भेजे जाने (जून 2020) के उपरांत, विभाग ने कहा (अगस्त 2020) कि पीएचक्यू, जेएण्डके ने अनुमोदित निविदा दर पर, एक सांपत्तिक मद के रूप में मैसर्स अशोक लीलैण्ड डिफेन्स सिस्टम लिमिटेड, चेन्नई से पुलिस थानों के लिए 50 बीपी बंकरों (100 में से) की खरीद की थी और तत्काल अधिप्राप्ति में नियत प्रक्रिया का पालन किया गया था। तथ्य यह रहता है कि खरीदें, मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड, जिसने समान वाहन हेतु ₹50.12 लाख की दर प्रस्तावित की थी, को शामिल करने के माध्यम से दरों की उपयुक्तता को अभिनिश्चित करने के बाद, मितव्ययी ढंग से नहीं की गयी थी।

यद्यपि विभाग ने यह तर्क दिया था कि एमबीपी वाहन एक सांपत्तिक मद हैं, तथापि दोनों फर्मों को आपूर्ति आदेश देने की प्रक्रिया परस्पर विरोधी थी। अतः, ऐसी खरीदों हेतु अत्यावश्यकता की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, विभाग हाई एन्ड सुरक्षा के प्रयोजनों के अनुरूप, एक सुव्यवस्थित कार्यविधि अपना सकता है।

जल शक्ति विभाग

3.4 झेलम नदी एवं इसकी सहायक नदियों के बाढ़ प्रबंधन हेतु व्यापक योजना, चरण I

3.4.1 प्रस्तावना

झेलम नदी के जलग्रहण क्षेत्र के विशेषतः दक्षिणतम भाग में असामान्य रूप से उच्च एवं व्यापक वर्षा के परिणामस्वरूप सितंबर 2014 में श्रीनगर शहर को रिकॉर्ड बाढ़ का सामना करना पड़ा था। बाढ़ का क्षेत्र लगभग 850 वर्ग किलोमीटर था। श्रीनगर में, बाढ़ का पानी नदी तटबंधों से लगभग 1.5 मीटर ऊपर था एवं शहर के बड़े हिस्से 6 मीटर तक पानी से भर गये थे। झेलम नदी से बाढ़ों के तत्काल खतरे से बचने के

लिए, विभाग ने 'झेलम नदी एवं इसकी सहायक नदियों के व्यापक बाढ़ प्रबंधन हेतु प्राथमिकता निर्माण कार्य योजनाः चरण I' परियोजना के अंतर्गत बाढ़ न्यूनीकरण उपायों को प्राथमिकता दी जिसमें बाढ़ के जल की निकासी हेतु फ्लड स्पिल चैनल (एफएससी) की क्षमता बढ़ाते हुए, झेलम नदी पर बाढ़ सुरक्षा संरचनाओं का निर्माण और तलकर्षण शामिल हैं। परियोजना का मुख्य उद्देश्य तात्कालिक उपायों के माध्यम से भविष्य में बाढ़ की क्षतियों को न्यूनतम करना था।

3.4.2 चरण I परियोजना

मार्च 2016 में भारत सरकार (जीओआई) द्वारा ₹399.29 करोड़ की अनुमानित लागत पर परियोजना[32] संस्वीकृत की गयी, जिसका उद्देश्य फ्लड स्पिल चैनल (एफएससी) के माध्यम से बाढ़ जल की वहन क्षमता बढ़ाना तथा झेलम नदी के तटों का टिकाऊपन सुनिश्चित करना, भविष्य में बाढ़ के तात्कालिक खतरे से बचना और बाढ़ क्षतियों को न्यूनतम करना था। परियोजना के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं:

- शरीफाबाद एवं नैधखाई[33] में एफएससी को चौड़ा करने हेतु भूमि अधिग्रहण;
- शरीफाबाद एवं नैधखाई[34] में एफएससी नहर का पुनः विभाजन/ भू-कटाव;
- शरीफाबाद एवं नैधखाई[35] में एफएससी पर दो पुलों का निर्माण;
- श्रीनगर एवं बारामूला में स्ट्रेचों में झेलम नदी का तलकर्षण[36]; तथा
- झेलम नदी पर बाढ़ सुरक्षा/ अपरदन विरोधी निर्माण कार्य, शहर की *सुनरी* एवं *कुटकुल*[37] नहरों के बहिर्प्रवाह के नहरीकरण को सम्मिलित करते हुए खानबल से हाजिन तक सुभेद्य स्थलों पर रिटैनिंग/ टो वॉल्स एवं गेबीयन/ क्रेट संरक्षण निर्माण कार्यों का निर्माण।

---

32 पीएमडीपी की परियोजना संख्या 61

33 ₹142.33 करोड़ की अनुमानित लागत।

34 ₹81.75 करोड़ की अनुमानित लागत।

35 ₹35.29 करोड़ की अनुमानित लागत।

36 ₹27.01 करोड़ की अनुमानित लागत।

37 ₹81.60 करोड़ की अनुमानित लागत।

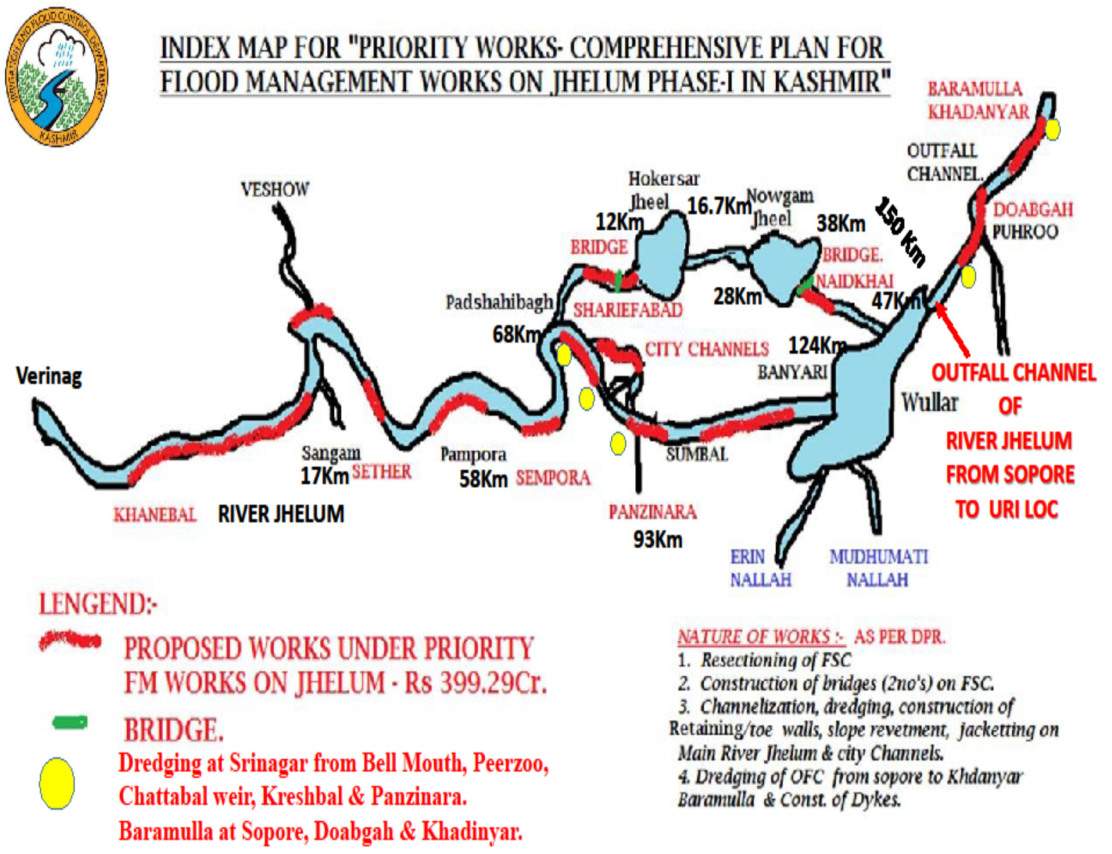

(मानचित्र का स्रोत: कार्यपालक अभियंता, फ्लड स्पिल चैनल प्रभाग, नारबल)

3.4.3 वित्तीय प्रबंधन

पीएमडीपी के अंतर्गत परियोजना की अनुमानित लागत ₹399.29 करोड़ थी तथा बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) के अंतर्गत जीओआई एवं जीओजेएण्डके के बीच वित्तपोषण प्रतिमान क्रमशः 70:30 के अनुपात में था। लेखापरीक्षण एवं अन्य स्थापना प्रभारों के रूप में ₹22.52 करोड़ की राशि की कटौती के उपरांत, एफएमपी के अंतर्गत निवल लागत ₹376.77 करोड़ थी, जिसमें से केवल ₹142.33 करोड़ भूमि अधिग्रहण घटक राशि थी। परियोजना हेतु जीओआई का अंश ₹234.44 करोड़ था। वर्ष 2015-16 से 2018-19 की अवधि के दौरान परियोजना के प्रति जीओआई/ जीओजेएण्डके द्वारा निर्गत की गयी निधियों की तुलना में किये गये व्यय की वर्ष-वार प्रास्थिति **तालिका 3.4.1** में दी गयी है।

तालिका 3.4.1: निधि की प्रास्थिति

(31 मार्च 2019 तक)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आदि शेष (जीओआई)	संस्वीकृत राशि		कुल उपलब्ध निधियाँ	किया गया व्यय			अप्रयुक्त शेष (जीओआई अंश)
		जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश		जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल (प्रतिशत)	
2015-16	-	20.68	35.33	56.01	शून्य	35.33	35.33 *(63)*	20.68
2016-17	20.68	40.56	45.01	106.25	40.49	45.01	85.50 *(80)*	20.75
2017-18	20.75	92.06	शून्य	112.81	75.30	-	75.30 *(67)*	37.51
2018-19	37.51	40.57	13.22	91.30	71.52	13.22	84.74 *(93)*	6.56
कुल		**193.87**	**93.56**		**187.31**	**93.56**	**280.87**	

(स्रोत: मुख्य अभियंता, आईएण्डएफसी विभाग, कश्मीर का विवरण)

तालिका 3.4.1 इंगित करती है कि वर्ष 2015-16 से 2018-19 की अवधि के दौरान जीओआई और जीओजेएण्डके द्वारा संस्वीकृत ₹287.43 करोड़ की कुल निधियों में से, मार्च 2019 तक परियोजना पर ₹280.87 करोड़ का व्यय किया गया था। वर्ष 2015-16 से 2018-19 की अवधि के दौरान उपलब्ध निधियों की उपयोगिता का प्रतिशत 63 तथा 93 के बीच रहा। वर्ष 2017-18 के दौरान जीओजेएण्डके का कोई अंश निर्गत नहीं किया गया था तथा कम निर्मोचन हेतु कोई कारण बताये बिना वर्ष 2018-19 के दौरान जीओजेएण्डके द्वारा केवल ₹93.56 करोड़ निर्गत किये गये। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019-20 के दौरान, परियोजना के अंतर्गत ₹26.37 करोड़[38] की राशि निर्गत की गयी थी तथा विभाग द्वारा ₹32.93 करोड़[39] का व्यय किया गया था।

यह मामला सरकार को भेजने (जून 2020) के उपरांत, मुख्य अभियंता, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (आईएण्डएफसी) विभाग, कश्मीर ने कहा (जुलाई 2020) कि 01 अप्रैल 2020 तक ₹85.49 करोड़[40] की शेष राशि छोड़ते हुए, मार्च 2020 की समाप्ति तक परियोजना का कुल संचयी व्यय ₹313.79 करोड़[41] था और केन्द्रीय

38 जीओआई अंश: ₹20.29 करोड़ तथा जीओजेएण्डके अंश: ₹6.08 करोड़।

39 जीओआई अंश: ₹26.84 करोड़ तथा जीओजेएण्डके अंश: ₹6.09 करोड़।

40 जीओआई अंश: ₹20.29 करोड़ तथा जीओजेएण्डके अंश: ₹65.20 करोड़।

41 जीओआई अंश: ₹214.15 करोड़ तथा जीओजेएण्डके अंश: ₹99.64 करोड़।

सहायता सामान्यतः वित्तीय वर्ष के एकदम अंत में निर्गत की गयी थी, जिसका परिणाम निधियों की कम उपयोगिता के रूप में हुआ।

3.4.4 परियोजना निष्पादन

परियोजना का निष्पादन वर्ष 2015-16 के दौरान प्रारम्भ हुआ एवं इसे मार्च 2017 तक दो साल के अंदर पूर्ण किया जाना था। तथापि, विभाग द्वारा समापन अवधि को तात्कालिक विगत छह महीनों में कश्मीर घाटी में अशांति के आधार पर और जीओआई की सहायता के निर्मोचन में विलंब के कारण भी मार्च 2019 तक बढ़ा दिया गया था।

मुख्य अभियंता (सीई), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (आईएण्डएफसी) विभाग, कश्मीर ने कहा (जुलाई 2020) कि वर्ष 2015 के दौरान सुभेद्यता आंकलन अचानक आई बाढ़ों की श्रृंखला के कारण पुनः करना पड़ा था, जिसने तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता वाले अधिक सुभेद्य स्थलों को उजागर किया तथा इनका निष्पादन किया गया था तथा विभाग द्वारा दर्शायी गयी उपलब्धियाँ, किये गये कार्य का प्रतिबिम्ब थी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि झेलम नदी के सुभेद्य स्थलों पर 6,431.34 आरएम[42] (42 प्रतिशत) की सीमा तक सुरक्षा निर्माण कार्यों को पूर्ण नहीं किया गया था तथा अनुमोदित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) से विचलन, भारत सरकार (जीओआई) से नियमित नहीं कराया गया था।

3.4.5 बाढ़ प्रबंधन उपाय

बाढ़ नियंत्रण उपाय झेलम नदी के किनारों और एफएससी के निरंतर सुधारों एवं अनुरक्षण के रूप में थे। महत्त्वपूर्ण निष्कर्षों पर उत्तरवर्ती पैराग्राफों में प्रकाश डाला गया है।

3.4.5.1 बाढ़ स्पिल चैनल में बाढ़ न्यूनीकरण उपाय

एफएससी की लंबाई, होकेरसर झील व नौगाम झील के जलाशयों को सम्मिलित करते हुए, पादशाही बाग, श्रीनगर में इसके आरंभिक बिन्दु से वुलर झील में इसके प्रवेश तक 49 किलोमीटर (किमी) है। वर्ष 1904 में एफएससी का निर्माण झेलम नदी से 8,000 क्यूसेक अतिरिक्त बाढ़ के जल को पादशाही बाग के माध्यम से वुलर झील

[42] आरएम: रनिंग मीटर।

तक दिक्परिवर्तित करने हेतु किया गया था जो सोपोर में पुनः झेलम नदी में गिरता है। एफएससी में परियोजना के अंतर्गत आरंभ किये गये प्राथमिक निर्माण कार्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ, शरीफाबाद एवं नैधखाई में एफएससी के ऊपर पुलों के निर्माण के अलावा, भूमि अधिग्रहण, पुनर्विभाजन/ आरडी[43] 6,055 मीटर से आरडी 11,947 मीटर और आरडी 38,068 मीटर से आरडी 39,860 मीटर पर मिट्टी की खुदाई के कार्य सम्मिलित थे। भिन्न-भिन्न खण्डों पर एफएससी का पुनर्विभाजन अनुमोदित डीपीआर के प्रावधानों के अनुसार किया गया था।

3.4.5.2 बाढ़ स्पिल चैनल

I. भूमि अधिग्रहण

परियोजना के कार्य की महत्त्वपूर्ण मद विभिन्न अवस्थितियों पर बाढ़ स्पिल चैनल (एफएससी) का पुनर्विभाजन थी। कार्य के इस घटक को सुकर बनाने के लिए विभाग द्वारा 1,761 कनाल एवं 13 मरला के माप की भूमि का अधिग्रहण किया जाना था। विभाग अपेक्षित 1,761 कनाल एवं 13 मरला भूमि में से 1,683 कनाल एवं 10 मरला भूमि का अधिग्रहण कर सका तथा 78 केनाल एवं 3 मरला भूमि (आरडी 39,443 मीटर से आरडी 39,824 मीटर अर्थात् 381 मीटर) (4 प्रतिशत) का अधिग्रहण अभी पूरा किया जाना (सितंबर 2020) था।

इसके अलावा, विभाग द्वारा एफएससी के विस्तारित भाग के दायरे में आने वाली 24 संरचनाओं को अधिग्रहित/ ध्वस्त नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, कलेक्टर के माध्यम से आगे भूमि के मुआवजे के लिए आगे संवितरित करने हेतु निर्गत किये गये (मार्च 2016 व मार्च 2019 के बीच) ₹43.60 करोड़ के अग्रिम भुगतान के विस्तृत लेखे सितंबर 2020 तक राजस्व विभाग से प्राप्त नहीं किये गये थे। राजस्व अभिलेखों में भूमि का नामांतरण विभाग के पक्ष में नहीं किया गया था।

यह मामला सरकार को भेजे जाने (जून 2020) के उपरांत, मुख्य अभियंता (सीई), आईएण्डएफसी विभाग, कश्मीर ने कहा (जुलाई 2020) कि भूमि अधिग्रहण के मुआवजे हेतु बिल भूस्वामियों को भुगतान के लिए संबंधित कोषागार में जमा किये गये थे परन्तु कोविड-19 महामारी एवं वित्त विभाग, जीओजेएण्डके से प्राप्त अनुदेशों, कि 30 जून 2020 तक बिलों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था, के कारण भूमि

43 आरडी: रनिंग डिस्टेन्स।

अधिग्रहण में विलंब हुआ। भूमि अधिग्रहण में देरी हेतु कारणों के लिए मार्च 2016 से मार्च 2019 तक की अवधि के दौरान विभिन्न मूल्य वार्ता समितियाँ (पीएनसी) रखने एवं कुछ समय के लिए कलेक्टर की अनुपलब्धता को भी जिम्मेदार ठहराया गया था।

विभाग का जवाब इस तथ्य की पुष्टि करता है कि भूमि अधिग्रहण की कार्यविधियाँ समयबद्ध तरीके से पूर्ण नहीं की गयी थी।

इस प्रकार, सितंबर 2020 तक एफएससी का पुनर्विभाजन अपूर्ण रहा।

II. पुनर्विभाजन में कमी

वर्षों से अवसादीकरण और अतिक्रमणों के कारण, एफएससी की क्षमता 6,000 क्यूसेक तक कम हो गयी थी। एफएससी की 8,700 क्यूसेक तक बाढ़ जल वहन क्षमता को बढ़ाने के लिए, विभिन्न स्थलों पर पुनर्विभाजन किये जाने की आवश्यकता थी। उत्खनन हेतु 18.11 लाख क्यूबिक मीटर भूमि के लक्ष्य के प्रति, मार्च 2019 तक, 13.13 लाख क्यूबिक मीटर भूमि का उत्खनन किया गया था, जिसका परिणाम 4.98 लाख क्यूबिक मीटर भूमि (27 प्रतिशत) के कम उत्खनन के रूप में हुआ।

28 दिसंबर 2019 को आरडी 38.068-39.860 पर एफएससी के गैर-उत्खनित भाग को दर्शाने वाला छायाचित्र

यह मामला सरकार को भेजे जाने (जून 2020) के उपरांत, सीई, आईएण्डएफसी विभाग, कश्मीर ने कहा (जुलाई 2020) कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेज कर दिया गया था और मार्च 2019 तक विचारणीय प्रगति प्राप्त कर ली गयी थी। जुलाई 2020 तक, शरीफाबाद एवं नैधखाई स्ट्रेचों (हिस्सों) से क्रमशः भूमि का 0.50 लाख क्यूबिक मीटर एवं 1.50 लाख क्यूबिक मीटर ही उत्खनित किया जाना था। आगे यह भी कहा गया था कि देरी, पीएनसी में विलंब के कारण हुयी थी जिन्हें

अप्रैल 2015 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान पृथक स्ट्रेचों हेतु तीन बार किया जाना था, क्योंकि भूमि मालिकों ने उनको प्रस्तावित दरों को स्वीकार करने की अनिच्छा जाहिर की थी।

उत्तर पुष्टि करता है कि भूमि अधिग्रहण में विलंब हुआ था, साथ ही सितंबर 2020 तक भी 2 लाख क्यूबिक मीटर भूमि की शेष मात्रा के उत्खनन को प्राप्त नहीं किया जा सका, जिसके द्वारा पुनर्विभाजित एफएससी की बढ़ी हुई वहन क्षमता की पूर्ण उपयोगिता में बाधा उत्पन्न हुई।

3.4.5.3 पुल

परियोजना के डीपीआर के अनुसार, शरीफाबाद (रनिंग डिस्टेन्स (आरडी) 9.60 किमी) में पूरे एफएससी पर अस्थायी सड़क कटाव को ₹20.56 करोड़ की अनुमानित लागत पर एक पुल द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना था। मार्च 2017 में पुल का निर्माण कार्य जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम (जेकेपीसीसी) को सौंपा गया था, जिसे मार्च 2019 तक पूरा किया जाना था। पाट पी1 एवं पी2 के लिए ट्रस्ड गिर्डर्स के निर्माण और संयोजन का कार्य एवं शरीफाबाद पुल हेतु पहुँच मार्गों का निर्माण अभी तक प्रगति के अधीन (सितंबर 2020) था।

इस प्रकार, पुल के निर्माण के गैर-समापन के कारण शरीफाबाद स्थल पर बाढ़ के जल की वहन क्षमता को बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

यह मामला सरकार को भेजे जाने (जून 2020) के उपरांत, सीई, आईएण्डएफसी, कश्मीर ने कहा (जुलाई 2020) कि जेकेपीसीसी के अनुसार, निर्धारित समय में पुल के समापन में विलंब का कारण था कि संरचनात्मक इस्पात एवं मूल निर्माण सामग्री की अधिप्राप्ति ने पुलों के शीघ्र समापन पर रोक लगा दी थी। आगे यह कहा गया कि शरीफाबाद पुल 90 प्रतिशत की सीमा तक पूर्ण हो गया तथा इसे अगस्त 2020 में प्रमोचित किया जाएगा।

(शरीफाबाद में एफएससी के ऊपर अधूरा पुल 28 दिसंबर 2019)

चूँकि, यह कार्य पूरा नहीं हो सका, अतः शरीफाबाद में विद्यमान अस्थायी सड़क एफएससी को बाधित करती रही। परिणामस्वरूप, इस स्थल पर जलमार्ग संकुचित बना रहा।

3.4.6 झेलम नदी पर बाढ़ प्रबंधन उपाय

परियोजना के अंतर्गत पहचाने गये प्राथमिक निर्माण कार्य झेलम नदी की खानबल की निचली धारा से बारामूला में आउटफॉल चैनल (ओएफसी) तक विद्यमान बाढ़ जल वहन क्षमता के सुधार पर आधारित थे और इसमें झेलम नदी पर खानबल से बारामूला तक टो संरक्षण/ रिटैनिंग वॉल, गेबीयन/ क्रेट कार्य, रिवेटमेन्ट का निर्माण शामिल था।

महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उत्तरवर्ती पैराग्राफों में प्रकाश डाला गया है।

3.4.6.1 झेलम नदी का तलकर्षण

आबंटन आदेश के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, झेलम नदी पर तलकर्षण हेतु संविदायें, फर्म द्वारा संविदा की किसी भी शर्त के प्रेक्षण या निष्पादन करने में विफलता या संविदा के किसी भी तरह के उल्लंघन के मामले में संपूर्ण निष्पादन बैंक प्रत्याभूति/ प्रतिभूति के अपवर्तन का प्रावधान है। संपूर्ण कार्य समापन पर, निष्पादन प्रतिभूति फर्म को लौटायी जानी थी।

I. पादशाही बाग, श्रीनगर से पंजीनारा तक बेल माउथ

झेलम नदी में बेल माउथ (पादशाही बाग, श्रीनगर में एफएससी का आरंभिक बिन्दु) से पंजीनारा (6.07 किमी) तक सात लाख क्यूबिक मीटर तलछट के तलकर्षण का कार्य राज्य स्तरीय संविदा समिति (एसएलसीसी) की अनुशंसा पर ₹20.23 करोड़ की लागत पर समापन की निर्धारित तिथि जनवरी 2017 सहित, सीई, आईएण्डएफसी विभाग, कश्मीर द्वारा एक संविदाकार[44] को प्रदान किया (मई 2016) गया था।

ए. संविदा के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, फर्म को छह भिन्न-भिन्न स्थलों से सात लाख क्यूबिक मीटर नदी तलछट को बाहर निकालना अपेक्षित था। संविदाकार ने जनवरी 2017 तक आबंटित कुल मात्रा की केवल 0.84 लाख क्यूबिक मीटर तलछट (12 प्रतिशत) बाहर निकाली तथा जिसने संविदा के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार निष्पादन प्रत्याभूति के अपवर्तन को आकर्षित किया। तथापि, दिनांक 10 अक्टूबर 2017 को आयोजित एसएलसीसी की बैठक में सीई, आईएण्डएफसी विभाग, कश्मीर ने तलकर्षण स्थलों को डीपीआर के कार्यक्षेत्र से बाहर अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करना प्रस्तावित किया था।

तथापि, इसे एसएलसीसी[45] द्वारा सहमति प्रदान नहीं की गयी थी, इसके अलावा, एसएलसीसी ने सीई, आईएण्डएफसी विभाग, कश्मीर को संविदात्मक बाध्यताओं का सम्मान करने हेतु संविदाकार फर्म को ध्यान दिलाने तथा और उन्हीं निबंधन एवं शर्तों पर, जो कि मूल संविदा में थी, मार्च 2018 तक संविदा के समापन की अवधि को विस्तारित करने हेतु निर्देश दिया। तथापि, विस्तारित अवधि में भी केवल 5.015 लाख क्यूबिक मीटर तलछट का निकर्षण किया गया, जो आबंटित मात्रा का 72 प्रतिशत है। हालांकि, विभाग द्वारा निष्पादन बैंक प्रत्याभूति का अवलंब नहीं लिया गया था।

संविदाकार ने मार्च 2018 के परे नदी तलछट का 1.85 लाख क्यूबिक मीटर की सीमा तक तलकर्षण करना जारी रखा जिसके लिए ₹5.34 करोड़[46] का भुगतान भी किया गया था। संविदाकार ने कुल 6.86 लाख क्यूबिक मीटर (98 प्रतिशत) तलछट

---

44 मैसर्स रीच ड्रेजिंग लिमिटेड, कोलकाता।

45 10 अक्टूबर 2017 को आयोजित इसकी बैठक में।

46 जुलाई 2018 में ₹4 करोड़ तथा फरवरी 2019 में ₹1.34 करोड़।

का तलकर्षण किया जिसके लिए अगस्त 2016 से फरवरी 2019 के दौरान ₹19.81 करोड़ का भुगतान किया गया था।

मामला सरकार को भेजे जाने (जून 2020) के उपरांत, सीई, आईएण्डएफसी विभाग, कश्मीर ने कहा (जुलाई 2020) कि तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमण्डल उप-समिति ने संविदा के औपचारिक विस्तारीकरण के बिना कार्य को जारी रखने का निर्देश (मई 2017) दिया तथा इस प्रकार, निष्पादन प्रत्याभूति के अपवर्तन हेतु कोई कारण नहीं था और कार्य के विरुद्ध कोई लंबित दावा नहीं था।

यह उत्तर तर्कसंगत नहीं था, क्योंकि संविदा की विस्तारित अवधि मार्च 2018 में भी कार्य का कम निष्पादन था, जिसने संविदा के निबंधन एवं शर्तों के प्रावधानों के आलोक में बैंक निष्पादन प्रत्याभूति के अपवर्तन को आकर्षित किया।

इस प्रकार, संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था साथ ही कार्य को शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए उस पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं की गयी थी, जैसा कि इस परियोजना के अंतर्गत अपेक्षित था।

बी. लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि संविदाकार ने महत्त्वपूर्ण स्थलों पर निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार तलकर्षण का संचालन नहीं किया जैसा कि निम्नलिखित **तालिका 3.4.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.4.2: झेलम नदी का तलकर्षण

(क्यूबिक मीटर में)

क्र. सं.	स्थल का विवरण	लक्ष्य	उपलब्धि	अतिरिक्त उपलब्धि	कम उपलब्धि
1.	डीसी कार्यालय आरडी 68.606 किमी से आरडी 74.763 किमी तक से एफएससी का बेल माउथ	1,48,999	1,78,406	29,407	-
2.	डीसी कार्यालय से वेयर आरडी 74.753 किमी से आरडी 79.045 किमी तक	30,950	-	-	30,950
3.	वेयर से गुजरबल आरडी 79.045 किमी से आरडी 82.467 किमी	1,68,129	1,89,533	21,404	-
4.	गुजरबल पुल से पंजीनारा आरडी 82.467 किमी से आरडी 93.050 किमी	2,73,000	2,80,256	7,256	-
5.	द्वीप	42,244	12,007	-	30,237
6.	विविध शिवपोरे	36,678	26,330	-	10,348
	कुल	**7,00,000**	**6,86,532**	**58,067**	**71,535**

(स्रोत: ईई, आईएण्डएफसी प्रभाग, श्रीनगर से प्राप्त किये गये दस्तावेज)

यद्यपि नदी तलछट के तलकर्षण की समग्र उपलब्धि सात लाख क्यूबिक मीटर के लक्ष्य के प्रति 6.86 लाख क्यूबिक मीटर (98 प्रतिशत) थी, छह स्थलों पर निर्धारित

आवश्यकताओं के अनुसार तलकर्षण नहीं किया गया था, वास्तव में, तीन[47] स्थलों पर 0.58 लाख क्यूबिक मीटर अतिरिक्त तलछट का तलकर्षण किया गया था दूसरी ओर, एक स्थल[48] पर पूर्णतया कोई भी तलकर्षण नहीं किया गया था तथा दो स्थलों[49] पर कम तलकर्षण किया गया। परिणामस्वरूप, इन तीनों स्थलों पर नदी तलछट के कुल 0.72 लाख क्यूबिक मीटर का (तलकर्षण के माध्यम से अनुमानित निष्कासन का दस प्रतिशत) तलकर्षण नहीं किया गया था। एसएलसीसी ने यह भी अवलोकन[50] किया कि यदि आबंटित स्ट्रेचों का तलकर्षण नहीं किया जाता है, तो ये स्ट्रेच समय के साथ प्रगतिशील गाद जमाव के संपर्क में आ सकते हैं, जिससे बाढ़ों की घटनाओं के दौरान इन स्ट्रेचों के साथ-साथ आसपास के निचले क्षेत्रों में जलप्लावन की संभावना बढ़ जाती है।

सीई, आईएण्डएफसी विभाग, कश्मीर ने कोई विशेष उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।

इस प्रकार, कार्य का निष्पादन संविदा के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार नहीं था, इसके अलावा यह बढ़े हुए प्रवाह के लिए झेलम नदी में तलकर्षण कार्यों की प्रभावकारिता को सीमित करेगा, जैसा कि एसएलसीसी द्वारा भी अवलोकन किया गया था।

II. सोपोर से शीरी बारामूला

सोपोर से शीरी बारामूला (आउट फॉल चैनल) तक झेलम नदी के तलकर्षण का कार्य नवंबर 2016 में ₹26.77 करोड़ की लागत पर एक संविदाकार[51] को आबंटित किया गया था और 20 महीनों (15 सितंबर 2017) की समापन अवधि सहित, इस आशय का पत्र 16 जनवरी 2016 को जारी किया गया था। संविदा के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, संविदाकार द्वारा 9.15 लाख क्यूबिक मीटर नदी तलछट का तलकर्षण करना अपेक्षित था और संविदा की किसी भी शर्त के प्रेक्षण या निष्पादन करने में विफलता या संविदा के किसी भी तरह के उल्लंघन के मामले में संपूर्ण निष्पादन बैंक प्रत्याभूति का अपवर्तन किया जाना था।

---

47 तालिका 3.4.2 की क्र. सं. 1, 3 और 4

48 तालिका 3.4.2 की क्र. सं. 2

49 तालिका 3.4.2 की क्र. सं. 5 व 6

50 10 अक्टूबर 2017 की बैठक के कार्यवृत्त में।

51 मैसर्स रीच इण्डिया लिमिटेड।

संविदाकार ने सितंबर 2017 तक केवल 4.20 लाख क्यूबिक मीटर (आबंटित मात्रा का 46 प्रतिशत) नदी तलछट का तलकर्षण किया था। एसएलसीसी[52] ने सीई, आईएण्डएफसी विभाग, कश्मीर से संविदाकार के माध्यम से कार्य पूर्ण कराने एवं समापन की तिथि बढ़ाने के लिए कहा। सीई, आईएण्डएफसी, कश्मीर ने समापन की तिथि को सितंबर 2017 से मार्च 2018 तक विस्तारित किया। समापन की विस्तारित तिथि के बावजूद, संविदाकार ने केवल 7.41 लाख क्यूबिक मीटर तलछट (81 प्रतिशत) का तलकर्षण किया जिसके चलते नदी तलछट का 1.74 लाख क्यूबिक मीटर (19 प्रतिशत) अनिकर्षित रहा। संविदाकार को वर्ष 2016 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान ₹21.66 करोड़ का भुगतान किया गया था। संविदा के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार मार्च 2018 तक आबंटित कार्य को पूर्ण करने में विफलता के लिए विभाग ने इसके पास उपलब्ध निष्पादन बैंक प्रत्याभूति का अपवर्तन नहीं किया एवं बावजूद इसके मई 2018 में संविदाकार को पूरी राशि निर्गत की गयी।

मामला सरकार को भेजे जाने (जून 2020) के उपरांत, सीई, आईएण्डएफसी विभाग, कश्मीर ने कहा (जुलाई 2020) कि मात्रा के संबंध में लक्ष्य प्रारंभिक डीपीआर स्तरीय आंकलन पर आधारित थे जिसके आधार पर निविदाएं आमंत्रित की गयी थी और कार्य निष्पादन के दौरान विस्तृत सर्वेक्षण का संचालन किया गया था और वास्तविक आवश्यकता की गणना की गयी थी और कुछ मामलों में स्थानीय लोगों ने नदी के किनारों के कमजोर होने के भय से तलकर्षण की अनुमति प्रदान नहीं की थी जिसने कार्य की प्रगति को भी प्रभावित किया था। आगे यह भी कहा गया था कि गत्यवरोध के अपनयन और बाढ़ जल के त्वरित अपवाह को सुकर बनाने के वांछित उद्देश्य को वस्तुतः प्राप्त कर लिया गया था तथा इस प्रकार संविदाकार की निष्पादन बैंक प्रत्याभूति के अपवर्तन का कोई कारण नहीं था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 1.74 लाख क्यूबिक मीटर नदी तलछट का तलकर्षण नहीं करने के कारण नदी में खण्ड रह गये, जो प्रवाह की वांछित गति को सीमित करेंगे।

III. विभिन्न स्थलों पर गत्यवरोधों की निर्बाधता

चरण I का डीपीआर झेलम नदी के बाढ़ जल की वहन क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न स्थलों पर गत्यवरोधों की निर्बाधता का उपबंध करता है। आरडी

---

[52] 10 अक्टूबर 2017 की इसकी बैठक के कार्यवृत्त में।

50.130 किमी से 50.380 किमी और आरडी 7.070 किमी से 8.060 किमी पर दो स्थानों की पहचान की गयी थी जहाँ **तालिका 3.4.3** में दिये गए विवरणानुसार नदी तलछट के 2.02 लाख क्यूबिक मीटर का तलकर्षण किया जाना था। खानाबल से कादलबल, पंपोर तक (अगस्त 2019) लक्षित 1.42 लाख क्यूबिक मीटर का 11,698 क्यूबिक मीटर (8 प्रतिशत) ही निकर्षित किया गया था और सेथर से सेम्पोर, पंपोर (जुलाई 2019) तक 0.60 लाख क्यूबिक मीटर के लक्ष्य के प्रति कोई तलकर्षण नहीं किया गया था।

तालिका 3.4.3: तलकर्षण कार्यों की प्रास्थिति

(क्यूबिक मीटर में)

क्र. सं.	स्थल का विवरण	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी (प्रतिशत)
1.	गलन्धर पर सेथर से सेम्पोर, पंपोर तक आरडी 50.130 किमी से आरडी 50.380 किमी तक झेलम नदी का तलकर्षण (जुलाई 2019)	60,000	शून्य	60,000 (100)
2.	आरडी 7.070 किमी से आरडी 8.060 किमी तक खानबल से कादलबल, पम्पोर तक झेलम नदी का तलकर्षण/ गहरा करना/ चौडा करना (अगस्त 2019)	1,42,000	11,698	1,30,302 (92)
	कुल	**2,02,000**	**11,698**	**1,90,302**

(स्रोत: आईएण्डएफसी विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों के विभागीय अभिलेख)

नदी झेलम में, पहचाने गये स्थलों पर गैर-निष्पादित कार्य का 94 प्रतिशत छोड़ते हुए, लक्षित 2.02 लाख क्यूबिक मीटर के प्रति नदी तलछट का केवल 11,698 क्यूबिक मीटर निकर्षित किया गया था जिसके द्वारा बाढ़ का खतरा केवल आंशिक रूप से कम हुआ था।

सीई, आईएण्डएफसी विभाग, कश्मीर ने कहा (जुलाई 2020) कि केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केन्द्र (सीडब्ल्यूपीआरएस) की अनुशंसाओं के अनुसार तलकर्षण संचालित किया गया था जिसने शीर्ष उपगमनों में तलकर्षण के विरुद्ध सलाह दी थी क्योंकि वही उसका प्रति उत्पाद होगा।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि तलकर्षण सेथर से सेम्पोर, पम्पोर एवं खानबल से कादलबल तक किया जाना था जो झेलम नदी के मध्य क्षेत्रों में स्थित हैं तथा शीर्ष उपगमनों पर नहीं है।

3.4.7 संरक्षण निर्माण कार्यों का निष्पादन

इस परियोजना के अंतर्गत तीन प्रभागों द्वारा पाइल्स बिछाना, मेढ़ों का ढलान तैयार करना, रिटेनिंग दीवारों इत्यादि को सम्मिलित करते हुए संरक्षण निर्माण कार्यों का निष्पादन ₹ सात करोड़ की डीपीआर/ आबंटित लागत में अनुमानित लागत पर किया जाना था, जहाँ ₹4.96 करोड़ (सितंबर 2020) का अतिरिक्त व्यय किया गया था, जैसा कि **तालिका 3.4.4** में इंगित किया गया है। विशेषकर जियो-सिंथेटिक बैगों को बिछाने के लिए निर्माण कार्यों की इन अतिरिक्त मदों का परिणाम सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना, निष्पादन प्रभागों द्वारा किये गये अतिरिक्त व्यय के रूप में हुआ।

तालिका 3.4.4: निर्माण कार्यों की अतिरिक्त मदों के निष्पादन पर अधिक व्यय

(₹ करोड़ में)

कार्यान्वयन प्रभाग का नाम	निर्माण कार्यों के निष्पादन के स्थान/ स्थल	अवधि	अनुमानित डीपीआर लागत	किया गया व्यय	अतिरिक्त व्यय	अभ्युक्तियाँ
आईएण्डएफसी प्रभाग, सुंबल	आरडी 105.462 किमी से आरडी 109.356 किमी एवं आरडी 112.791 किमी से आरडी 115.314 किमी (पंडाबोनी एवं बगनीतर में)	मार्च 2017 से मार्च 2019	4.29	7.69	3.40	एनआईटी, श्रीनगर से प्राप्त डिजायन के अनुसार पंडाबोनी पर जियो-सिंथेटिक बैगों एवं पाइल निर्माण कार्यों की उपयोगिता सहित मूल डीपीआर में अनुपलब्ध मदों पर किया गया अधिक व्यय।
एफसी प्रभाग, अनंतनाग	आरडी 0 से 14,880 मीटर (खानबल पुल तथा पादशाही बाग की ऊपरी धारा और निचली धारा)	मार्च 2017 से मार्च 2019	2.07	2.87	0.80	रिटेनिंग दीवार की ऊंचाई में वृद्धि के कारण अधिक व्यय बुक किया गया था जो कि परियोजना के मूल डीपीआर के कार्यक्षेत्र से परे था।
आईएण्डएफसी प्रभाग, श्रीनगर	कुसरू राजबाघ में स्थल 3 और 4	मार्च 2017 से मार्च 2019	0.64	1.40	0.76	रिटेनिंग दीवार की ऊंचाई में वृद्धि के कारण और क्षमता संबंधी मामलों का समाधान करने राफ्ट उपलब्ध कराने के माध्यम से कंक्रीट की अतिरिक्त मात्राओं का निष्पादन जोकि परियोजना के डीपीआर में अनुपलब्ध थे।
	कुल		**7.00**	**11.96**	**4.96**	

(स्रोत: आईएण्डएफसी प्रभाग, सुंबल, अनंतनाग एवं श्रीनगर से प्राप्त सूचना)

सीई, आईएण्डएफसी विभाग, कश्मीर ने कहा (2020 जुलाई) कि स्थल अवस्थाओं के कारण निर्माण कार्य का कार्यक्षेत्र जैसे रिटेनिंग दीवार की ऊँचाई में वृद्धि करना एवं कंक्रीट/ मिट्टी के कार्य की अतिरिक्त मात्राओं इत्यादि में परिवर्तन किया गया था तथा इसलिए, किये गये कार्य की मात्राओं में वृद्धि हो गयी। इसके अलावा, इस प्रकार के निर्माण कार्यों हेतु आधुनिक नवाचार होने से जियो-सिंथेटिक बैगों का आसरा लिया गया, जोकि समय की मांग थी, परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय हुआ।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि जियो-सिंथेटिक बैग, जोकि विशेष रूप से परियोजना के डीपीआर में शामिल और नदी प्रशिक्षण उद्देश्यों हेतु उपयुक्त नहीं थे, के उपयोग के कारण बड़ी मात्रा में अतिरिक्त व्यय हुआ था।

3.4.8 अन्य रोचक बिन्दु

पूर्व पैराग्राफों में उल्लिखित विभिन्न परियोजनाओं हेतु सामान्य प्रेक्षणों के अतिरिक्त, उप-परियोजनाओं या उप-परियोजनाओं के वर्ग के लिए विशिष्ट सामान्य प्रकृति के अन्य प्रेक्षणों पर निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गयी है।

3.4.8.1 प्राक्कलनों की संस्वीकृति

निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु, क्षेत्रीय प्रभाग प्राक्कलनों को तैयार करते हैं तथा इन प्राक्कलनों को शक्तियों[53] के प्रत्यायोजन के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृति प्रदान की जाती है। पाँच प्रभागों[54] के अभिलेखों के लेखापरीक्षा परीक्षण से प्रकट हुआ कि परीक्षित 98 प्राक्कलनों में से 68 निर्माण कार्यों के संबंध में, ₹19.81 करोड़ की मूल आबंटित लागत को विस्तारणों के माध्यम से ₹35.60 करोड़ तक परिशोधित किया गया था। वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान कार्य की मूल/ आबंटित लागत पर ₹15.79 करोड़ की अतिरिक्त राशि का औसत[55] 26 प्रतिशत से 298 प्रतिशत तक था।

---

53 ईई तथा एसई के मामले में: उपलब्ध कराये गये संस्वीकृत प्राक्कलनों के पाँच प्रतिशत की सीमा के अंदर तकनीकी रूप से संस्वीकृत प्राक्कलनों हेतु उनकी शक्तियों की सीमा से अधिक नहीं होती है। मुख्य अभियंता: जेएण्डके की वित्तीय शक्तियों की पुस्तक के नियम 5.11 के अनुसार मूल प्राक्कलन की राशि के 5 प्रतिशत की सीमा तक।

54 (i) एफएससी प्रभाग, नरबाल; (ii) आईएण्डएफसी प्रभाग, सुंबल; (iii) आईएण्डएफसी प्रभाग, श्रीनगर; (iv) एफसी प्रभाग, काकापोरा; तथा (v) एफसी प्रभाग, अनंतनाग।

55 26 से 100 प्रतिशत के औसत से अधिक में 51 निर्माण कार्य तथा 101 से 298 प्रतिशत के औसत से अधिक में 17 निर्माण कार्य।

यह भी प्रेक्षित किया गया कि मूल/ आबंटित लागत पर अतिरेक विभागीय अधिकारियों की शक्तियों से परे था। परिणामस्वरूप, प्राक्कलनों के विभाजन की संभावना को नियम विरुद्ध घोषित नहीं किया जा सकता तथा जिससे समुचित स्तरों पर आवश्यक संवीक्षा नहीं हो पायी।

मुख्य अभियंता, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, कश्मीर ने कहा (जुलाई 2020) कि निर्माण कार्य अधिकांश सुरक्षा/ पुनः स्थापन प्रकृति के थे जहाँ कमजोर या क्षतिग्रस्त स्थानों को सशक्त किया जाना था तथा खामियों को दूर करना था और क्षतियों के अधिक होने के भय से इन निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु निविदा प्रक्रिया की प्रतीक्षा करना संभव या व्यावहारिक नहीं था जो क्षतिग्रस्त किनारों के पास बसे हुए आवास की सुरक्षा एवं संरक्षा के प्रति समझौता होता और इस तरह विद्यमान संविदा को समस्त क्षतियों के समावेशन हेतु विस्तारित किया गया था।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है जहाँ तक निर्माण कार्यों को तात्कालिक बताया गया था, परंतु तथ्य यह रहा कि संबंधित अधिकारियों की वित्तीय शक्तियों से परे आबंटित लागत से अधिक व्यय किया गया था।

3.4.8.2 निर्माण कार्यों का अनियमित निष्पादन

(I) निर्माण कार्यों के निष्पादन में प्रतिस्पर्धात्मकता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए, प्रभागीय प्राधिकारियों को प्रत्येक कार्य हेतु निविदायें आमंत्रित करना अपेक्षित था। तथापि, दो[56] प्रभागों ने निविदायें आमंत्रित किये बिना 116 निर्माण कार्यों का निष्पादन किया जो वित्तीय नियमावली का उल्लंघन था। पथों का निर्माण, टो वॉल्स एवं तटबंधों/ मेढ़ों के अन्य निर्माण कार्यों को मजबूत करने सहित ये निर्माण कार्य नेमी प्रकृति के थे। इस प्रकार, वर्ष 2016-19 की अवधि के दौरान निर्माण कार्यों पर ₹3.99 करोड़ का किया गया व्यय अनियमित था।

मुख्य अभियंता, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, कश्मीर ने कहा (जुलाई 2020) कि कभी-कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुयी कि जब विभाग निविदा के सामान्य माध्यम से निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु प्रतीक्षा नहीं कर सका तथा विवशता के अधीन विभागीय निष्पादन का सहारा लेना पड़ा है तथा विभाग ने जीवन एवं संपत्ति की क्षति को रोकने तथा तत्काल राहत उपलब्ध कराने हेतु तात्कालिक प्रकृति के निर्माण

[56] एफसी प्रभाग, अनंतनाग: ₹65.83 लाख (8 निर्माण कार्य) (ii) आईएण्डएफसी प्रभाग, श्रीनगर: ₹3.33 करोड़ (108 निर्माण कार्य)।

कार्यों का निष्पादन किया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निष्पादित निर्माण कार्य आकस्मिक प्रकृति के नहीं थे, इसलिए वित्तीय संहिता खण्ड I के तहत वर्तमान नियमों का अनुसरण किया जाना अपेक्षित था।

(II) जेएण्डके राज्य वित्तीय संहिता का नियम 9-3 निष्पादन हेतु निर्माण कार्यों को आरंभ से पूर्व प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी संस्वीकृति प्राप्त करने का प्रावधान करता है।

सौंपे गये प्राथमिक निर्माण कार्यों के निष्पादन वाले, छह कार्यन्वयन प्रभागों के अभिलेखों के लेखापरीक्षा परीक्षण से पता चला कि वर्ष 2015-19 की अवधि के दौरान प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी संस्वीकृति के पूर्वानुमान में झेलम नदी पर 185 निर्माण कार्यों का निष्पादन किया गया था और ₹100.18 करोड़ का व्यय किया गया था।

सीई, आईएण्डएफसी, कश्मीर ने कहा (जुलाई 2020) कि परियोजना को अनुमोदित किया गया था और जीओआई द्वारा निधियाँ निर्गत की गयी थी इस प्रकार यह माना गया था कि जीओजेएण्डके द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। यद्यपि, यह अभिस्वीकृत किया गया था कि कार्य को आरंभ करने से पूर्व तकनीकी संस्वीकृति प्रदान की जानी थी परन्तु शर्त पूरी नहीं हुयी थी तथा जीवन और संपत्ति की क्षति को रोकने के लिए निष्पादित किये गये निर्माण कार्यों की तात्कालिक प्रकृति की दृष्टि से, कुछ प्रभागों द्वारा प्रक्रियागत व्यपगमनों को क्षमा किये जाने की आवश्यकता है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निर्माण कार्यों को प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी संस्वीकृति प्रदान करने के बाद ही निष्पादित किया जाना होता है।

3.4.8.3 एफएससी से डम्पिंग स्थलों तक मिट्टी की ढुलाई

कार्यपालक अभियंता, एफएससी प्रभाग, नरबाल ने बाढ़ जल के निर्बाध एवं सहज प्रवाह के लिए फ्लड स्पिल चैनल, नरबाल की डि-सिलटिंग हेतु आरडी 6,554 मीटर और आरडी 38,818 मीटर के मध्य स्थलों की उत्खनित मिट्टी के 3.20 लाख क्यूबिक मीटर की ढुलाई पर मार्च 2016 से मार्च 2018 के दौरान ₹3.77 करोड़ का व्यय किया गया था। चूँकि स्थल, जहाँ उत्खनित सामग्री को डाला गया था, के

पूर्व-प्राकृतिक सतही स्तर तथा पश्च-प्राकृतिक सतही स्तर[57] को अभिलेखबद्ध नहीं किया गया था इसलिए, एफएससी से डम्पिंग स्थल तक मिट्टी की ढुलाई पर किये गये ₹3.77 करोड़ के व्यय को लेखापरीक्षा में सत्यापित (जुलाई 2020) नहीं किया जा सका।

मामला सरकार को भेजे जाने (जून 2020) के उपरांत, सीई, आईएण्डएफसी विभाग, कश्मीर ने कहा (जुलाई 2020) कि डम्पिंग स्थलों के दोनों पूर्व-प्राकृतिक सतही स्तर तथा पश्च-प्राकृतिक सतही स्तर को अभिलेखबद्ध किया गया था तथा ये प्रभागीय कार्यालय में उपलब्ध थे परन्तु विशाल प्रकृति के होने के कारण इन्हें निर्माण कार्य रजिस्टर के साथ संलग्न नहीं किया गया था। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी को मेढ़ों के उत्थान हेतु तटबंध में आंशिक रूप से डाला गया था एवं अधिशेष मिट्टी को निर्दिष्ट स्थलों पर ले जाया गया था जिसके लिए पूर्व एवं पश्च डम्पिंग क्रॉस-सेक्शन अनुरक्षित/ अभिलेखबद्ध एवं निरंतर अद्यतित किये गये थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि डम्पिंग स्थलों के पूर्व एवं पश्च क्रॉस-सेक्शनों को इंगित करने वाले समर्थित दस्तावेज तथा स्रोत से संग्रहण स्थल तक मिट्टी की ढुलाई के विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

3.4.8.4 निधियों का दुर्विनियोजन

कार्यपालक अभियंता, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण प्रभाग, सुंबल द्वारा मार्च 2017 में ₹ छह लाख की राशि का आहरण बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य/ वाउचर को पास किये किया गया था। कार्यालय महालेखाकार (ले. व हक.), जेएण्डके, श्रीनगर से सत्यापन पर, यह देखा गया (जून 2019) कि मासिक लेखों के साथ ₹ छह लाख की आहरित राशि के स्थान पर फोटोकॉपियर के रखरखाव हेतु ₹8,600 के मूल्य का एक वाउचर प्रस्तुत किया गया था। निधियों के दुर्विनियोजन को उचित आंतरिक नियंत्रण एवं अनुवीक्षण क्रियाविधि तथा बिलों की परिशुद्धता की जांच करने में आहरण एवं संवितरण अधिकारी की स्पष्ट लापरवाही या स्थायी वित्तीय नियमावली के अनुसार इन्हें सत्यापित करने की कमी के कारण सुकर बनाया गया था।

---

[57] पूर्व-प्राकृतिक सतही स्तर उत्खनित सामग्री को डालने से पूर्व डम्पिंग स्थल का भूतल होता है। पश्च-प्राकृतिक सतही स्तर भूतल का ऐसा सतही स्तर होता है जहाँ स्थल पर उत्खनित सामग्री को डाला जाता है और नया सतही स्तर प्रकट हो जाता है।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने (जून 2019) के उपरांत, कार्यपालक अभियंता, आईएण्डएफसी प्रभाग, सुंबल ने अनियमितता को स्वीकार किया एवं संबंधित कार्मिक से ₹5.94 लाख (एक प्रतिशत श्रम उपकर को छोड़कर) की वसूली की गयी। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया (जून 2019) कि बाढ़ नियंत्रण प्रभाग, अनंतनाग में दो बार अतिक्रमण विवरण के प्रारूपण (जनवरी 2019 में और मार्च 2019 में) हेतु मैसर्स स्काई टेक, श्रीनगर के पक्ष में ₹0.59 लाख आहरित किये गये थे। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के उपरांत, कार्यपालक अभियंता ने अनियमितता (जुलाई 2019) को स्वीकार किया एवं फर्म से ₹0.59 लाख की अतिरिक्त राशि की वसूली (नवंबर 2019) की गयी।

मामला सरकार को भेजे जाने (जून 2020) के उपरांत, सीई, आईएण्डएफसी, कश्मीर ने कहा (जुलाई 2020) कि दुर्विनियोजित राशि की वसूली की गयी थी और आईएण्डएफसी प्रभाग, सुंबल के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ कर दी गयी थी। यह भी कहा गया था कि सार्वजनिक निधियों का व्यय करते समय अत्यंत सावधानी बरतने के लिए सभी प्रभागों/ स्थापना अनुभागों को निर्देश जारी किये गये थे।

3.4.9 गुणवत्ता आश्वासन क्रियाविधि का अभाव

गुणवत्ता आश्वासन विनिर्मित उत्पादों में दोषों और त्रुटियों को रोकने तथा उपभोक्ताओं को सेवाओं या उत्पादों की सुपुर्दगी करते समय समस्याओं से बचने का एक तरीका है। यह कच्चे माल, संयोजनों, उत्पादों की गुणवत्ता के प्रबंधन तथा उत्पादन एवं निरीक्षण प्रक्रिया से संबंधित सेवाओं और घटकों को संदर्भित करता है। गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने हेतु सिंचाई संरचनाओं के निर्माण के लिए प्रयुक्त सामग्री की जाँच करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा, सृजित मेढ़ों को प्रॉक्टर घनत्व परीक्षणों[58] के अध्यधीन किया जाना था। लेखापरीक्षा में देखा गया (मई 2019 और दिसंबर 2019 के मध्य) कि पाँच[59] कार्यान्वयन प्रभागों ने किये गये कार्य के दावों से संबंधित भुगतान निर्गत करने से पूर्व गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करने हेतु कोई क्रियाविधि का विकास नहीं किया था। सामग्रियों जैसे जियो-टेक्सटाइल

---

58 प्रोक्टर घनत्व परीक्षण मृदा का एक संहनन परीक्षण है जिसमें प्रयोगशाला में दिये गए मृदा के प्रकार में नमी की इष्टतम मात्रा सबसे अधिक घनीभूत एवं अधिकतम सूखा घनत्व की जाँच होती है।

59 (i) आईएण्डएफसी प्रभाग, श्रीनगर (ii) आईएण्डएफसी प्रभाग, सुंबल (iii) आईएण्डएफसी प्रभाग, बारामूला (iv) एफसी, अनंतनाग एवं (v) एफसी, काकापोरा।

बैगों, सीमेन्ट एवं लोहा के परीक्षणों के संचालन हेतु किसी भी क्रियाविधि के अभाव में, अव-मानक प्राथमिक निर्माण कार्यों के निष्पादन की गणना नहीं की जा सकी। इसके अलावा, परियोजना के प्राथमिक निर्माण कार्यों के अंतर्गत निर्मित संरचनाओं का किसी भी स्तर पर परीक्षण नहीं कराया गया था।

मामला सरकार को भेजे जाने (जून 2020) के उपरांत, सीई, आइएण्डएफसी विभाग, कश्मीर ने कहा (जुलाई 2020) कि विभाग बहुत पुराना है एवं एक लंबी समयावधि में गुणवत्ता मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु एक मजबूत क्रियाविधि विकसित हुयी थी। जबकि मूल निर्माण सामग्री को सामान्यतः भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड एवं जेएण्डके सीमेन्ट से अधिप्राप्त किया गया था जो कठोर गुणवत्ता नियंत्रण रखते थे, क्षेत्र परीक्षण जैसे घनत्व इत्यादि आवश्यकतानुसार संचालित किये जा रहे थे। उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि कार्यान्वयन प्रभागों के पास सामग्रियों के परीक्षण के संचालन हेतु कोई क्रियाविधि नहीं थी एवं यहाँ तक जियो-सिन्थेटिक बैगों, जिन्हें विभाग द्वारा पहली बार उपयोग किया गया था, का किसी भी स्तर पर परीक्षण नहीं किया गया था।

तलकर्षण के कार्य इस परियोजना के महत्त्वपूर्ण घटक का निर्माण करते हैं एवं पहचाने गये स्थलों पर निकर्षित किये जाने हेतु मात्राओं में विशिष्ट कमियाँ समय के साथ प्रगतिशील गाद जमाव की संभावना को बढ़ाती हैं तथा झेलम नदी की जलवहन क्षमता को कम करती हैं, बाढ़ों के दौरान आसपास के क्षेत्रों में परिणामी जलप्लावन, तलकर्षण द्वारा प्राप्त लाभों को निष्फल करता है।

विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि तलकर्षण कार्यों के संदर्भ में कमियों को कम से कम इस परियोजना के चरण II में अच्छा किया जाए।

योजना विकास एवं निगरानी विभाग

3.5 क्षतिग्रस्त अवसंरचना का स्थायी पुनः स्थापन

3.5.1 प्रस्तावना

प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) के अंतर्गत भारत सरकार (जीओआई) द्वारा 'क्षतिग्रस्त अवसंरचना का स्थायी पुनः स्थापन' परियोजना को सितंबर 2014 की बाढ़ों से क्षतिग्रस्त अवसंरचना के पुनः स्थापन हेतु ₹2,000 करोड़ की लागत पर

संस्वीकृत किया गया था। इस परियोजना[60] के अंतर्गत जीओजेएण्डके के 22 विभागों/ अभिकरणों को उनके नियंत्रणाधीन क्षतिग्रस्त अवसंरचना के पुनः स्थापन हेतु विभिन्न निर्माण कार्यों/ योजनाओं के निष्पादन के लिए निधियाँ उपलब्ध करायी गयी थी। परियोजना का अनुवीक्षण जीओजेएण्डके के योजना, विकास एवं निगरानी विभाग (पीडीएण्डएमडी) द्वारा किया गया था। वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान ₹1,263.34 करोड़ की कुल राशि हेतु संस्वीकृति आदेश प्राप्त हुआ था। जीओआई द्वारा उपर्युक्त अवधि के दौरान परियोजना के लिए ₹1,1,78.34 करोड़[61] निर्गत किये गये थे, जिसके प्रति 31 मार्च 2019 तक ₹915.17 करोड़ (78 प्रतिशत) का उपयोग किया गया था। परियोजना के लिए जीओजेएण्डके के 22 विभागों/ अभिकरणों द्वारा अनुमोदित/ संस्वीकृत और उपयोग की गयी निधियों का विवरण ***परिशिष्ट 3.5.1*** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा हेतु 22 विभागों/ अभिकरणों में से सात[62] को निष्पादन हेतु आरंभ किये गये निर्माण कार्यों की संख्या के साथ-साथ संस्वीकृत निधियों, किये गये व्यय के आधार पर चयनित किया गया था। नमूना विभागों ने 9,076 निर्माण कार्य निष्पादित किये थे, जिनमें से 6,710 निर्माण कार्यों (74 प्रतिशत) को लेखापरीक्षा में चुना गया था जैसा कि **तालिका 3.5.1** में इंगित किया है। चयनित विभागों को ₹1,044.19 करोड़ (89 प्रतिशत) की कुल राशि निर्गत की गयी थी जिसमें से 31 मार्च 2019 की समाप्ति तक ₹875.98 करोड़ (संस्वीकृत राशि का 84 प्रतिशत) का व्यय किया गया था।

---

60 पीएमडीपी की परियोजना संख्या 29

61 वर्ष 2016-17: ₹1,093.34 करोड़ और वर्ष 2018-19: ₹85 करोड़।

62 संपदा, उच्च शिक्षा, उद्योग एवं वाणिज्य, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, पीएचई, लोक निर्माण (आरएण्डबी) एवं विद्यालयी शिक्षा।

तालिका 3.5.1: मार्च 2019 तक चयनित निर्माण कार्यों की प्रास्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	संस्वीकृत निधियाँ	किया गया व्यय (प्रतिशत)	निष्पादित किये जाने वाले कार्यों/ योजनाओं की संख्या	लेखापपरीक्षा नमूना (कार्यों की संख्या) (प्रतिशत)	भौतिक उपलब्धि (पूरे किये गये निर्माण कार्य)	प्रतिशत (पूरे किये गये निर्माण कार्य)
1.	लोक निर्माण (आरएण्डबी)	415.00	377.41 *(91)*	1,002	709 (71)	701	99
2.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण[63]	252.16	219.46 (87)	4,822	3,709 (77)	3,709	100
3.	उद्योग एवं वाणिज्य	149.96	147.01(98)	36	36 (100)	36	100
4.	विद्यालयी शिक्षा	100.22	22.88 (23)	760	718 (93)	421	59
5.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई)	53.64	51.82 (97)	2,412	1,500 (62)	1,500	100
6.	उच्च शिक्षा	50.00	35.58 (71)	16	10 (63)	02	20
7.	संपदा	23.21	21.82 (94)	28	28 (100)	28	100
	कुल	**1,044.19**	**875.98**	**9,076**	**6,710**	**6,397**	

(स्रोत: 31 मार्च 2019 तक का पीएमडीपी 2015 की निगरानी प्रतिवेदन तथा विभागीय आँकड़े)

सितंबर 2020 तक, इन सात चयनित विभागों द्वारा ₹926.35 करोड़ का व्यय किया गया था एवं परियोजना के अंतर्गत 6,710 निर्माण कार्यों के प्रति 6,515 निर्माण कार्य पूर्ण किये गये थे।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

सभी सात चयनित विभागों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों की निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गयी है।

3.5.2 निधियों का अपयोजन

योजना एवं विकास विभाग, जीओजेएण्डके द्वारा पीएमडीपी हेतु जारी (दिसंबर 2016) किये गये सरकारी आदेश में कहा[64] कि परियोजना के अंतर्गत आबंटित निधियाँ विशिष्ट प्रयोजनों हेतु उपयोग की जानी थी और इन्हें पुनर्विनियोजित/ अपयोजित नहीं कर सकते। चार विभागों में, यह पाया गया कि ₹29.29 करोड़ की कुल राशि उन मदों/ गतिविधियों पर अपयोजित की गयी थी जो परियोजना का हिस्सा नहीं थी, जिसके लिए विशिष्ट राशि संस्वीकृत की गयी थी, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.5.2*** में दिया गया है।

सरकार को निधियों के अपयोजनों हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहिए और उत्तरदायी कार्मिकों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करनी चाहिए।

---

63 बाढ़ संरक्षण निर्माण कार्यों के लिए संस्वीकृत ₹2.50 करोड़ को सम्मिलित करते हुए।

64 जारी किये गये सरकारी आदेश की शर्त (iv) (दिसम्बर 2016)।

परियोजना कार्यान्वयन

3.5.3 प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी संस्वीकृति के बिना निर्माण-कार्यों का निष्पादन

सात चयनित विभागों ने सक्षम प्राधिकारी के प्रशासनिक अनुमोदन (एए) तथा तकनीकी संस्वीकृति (टीएस) के बिना कुल 9,076 निर्माण कार्यों में से 5,707 निर्माण कार्य (63 प्रतिशत) निष्पादित किये थे जिन पर वर्ष 2014 से 2019 की अवधि के दौरान ₹610.85 करोड़ का कुल व्यय किया गया था, जिसका विवरण ***परिशिष्ट 3.5.3*** में दिया गया है।

जवाब में विभागों ने इसके होने के कारणों में बताया (i) आकस्मिक प्रकृति के निर्माण कार्य, (ii) पूर्वधारणा कि प्रशासनिक अनुमोदन (एए)/ तकनीकी संस्वीकृति (टीएस) पहले से ही प्रदान की है (यद्यपि वास्तव में यह प्रदान नहीं की गयी थी), (iii) अनुमोदित कार्य योजनाओं में निर्माण कार्यों के समावेशन को विभाग द्वारा अपेक्षित अनुमोदन इत्यादि के रूप में माना गया।

जवाब तर्कसंगत नहीं हैं क्योंकि एए एवं टीएस को प्राप्त किए बिना निर्माण कार्यों का निष्पादन करना विभागों की ओर से लापरवाही थी।

सरकार एए एवं टीएस को प्राप्त किए बिना निर्माण कार्यों के निष्पादन से संबंधित उत्तरदायित्व निर्धारित कर सकती है।

3.5.4 निविदाओं को आमंत्रित किये बिना निर्माण कार्यों का निष्पादन

चार विभागों ने निविदा आमंत्रित किये बिना ₹328.88 करोड़ के व्यय को शामिल करते हुए संस्वीकृति आदेशों में निहित अनुदेशों के उल्लंघन में 5,285 निर्माण कार्य निष्पादित किये थे, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.5.4*** में विवरण दिया गया है।

उत्तर में, यह कहा गया था कि:

- निर्माण कार्य निविदाओं को आमंत्रित किये बिना तात्कालिक आधार पर उचित दरों पर निष्पादित किये गये थे (आईएण्डएफसी विभाग);
- निर्माण कार्य निविदाओं को आमंत्रित किये बिना उस समय प्रचलित उचित बाजार दरों पर उपयोज्यताओं के तत्काल पुनः स्थापन हेतु निष्पादित किये गये थे (पीएचई विभाग);

- अनुमोदन के आधार पर उच्च प्राधिकारियों एवं लोक प्रतिनिधियों के निर्देशों के अनुसार {पीडब्ल्यू (सड़क एवं भवन) विभाग}; और
- कुछ मामलों में निर्माण कार्य अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए अन्य परियोजनाओं के संविदाकारों को आबंटित किये गये थे (उद्योग एवं वाणिज्य विभाग)।

उत्तर तर्कसंगत नहीं हैं क्योंकि विभाग कोडल प्रावधानों का अनुसरण करने में विफल रहे एवं बदले में यह सुनिश्चित नहीं कर सके कि निर्माण कार्य अति प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर प्रदान किये गये थे।

सरकार निविदाओं के आमंत्रण के बिना निर्माण कार्यों के निष्पादन से संबंधित उत्तरदायित्व निर्धारित कर सकती है।

3.5.5 लंबित दावों की निर्बाधता

संस्वीकृति आदेश (फरवरी 2017) की शर्त (i) के अनुसार, कार्यान्वयन अभिकरण को उन राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) निर्माण कार्यों हेतु बुक किए जाने वाले भुगतान को सुनिश्चित करना अपेक्षित था, जो सितंबर 2014 की बाढ़ों के दौरान निष्पादित किये गये थे और सितंबर 2014 की बाढ़ों से पूर्व या पश्च की कोई अन्य देयता का निपटान निर्गत निधियों से नहीं किया जाना था। तथापि, यह अवलोकन (मई 2019 से नवंबर 2019) किया गया था कि:

- आईएण्डएफसी विभाग में, छह[65] कार्यान्वयन प्रभागों ने बाढ़ों से पूर्व पूर्ण किये गये निर्माण कार्यों/ सामग्रियों की अधिप्राप्ति के कारण सितंबर 2014 की बाढ़ों से पूर्व मई 2012 और अगस्त 2014 के दौरान सृजित देयताओं के भुगतान पर ₹52.21 लाख का उपयोग किया था।

संयुक्त निदेशक (योजना) पीडीएण्डएमडी ने कहा (अगस्त 2020) कि सितंबर 2014 से पूर्व की सामग्री की अधिप्राप्ति से संबंधित कुछ देयताओं को सितंबर 2014 की बाढ़ों के कारण क्षतिग्रस्त सार्वजनिक अवसंरचना के पुनः स्थापन हेतु उपयोग किया गया था और शेष देयताओं को क्षति प्रतिवेदनों में प्रतिबिम्बित किया गया था।

---

65 बाढ़ नियंत्रण प्रभाग: अखनूर (₹1.37 लाख), कठुआ (₹21.93 लाख), जम्मू ((₹6.18 लाख), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण प्रभाग: पुंछ (₹8.64 लाख), राजौरी (₹4.72 लाख) तथा सिंचाई प्रभाग II, जम्मू (₹9.37 लाख)।

यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ₹21.93 लाख के मूल्य की सामग्री का उपयोग पूर्व विद्यमान निर्माण कार्यों के लिए किया गया था और ₹28.75 लाख की लागत के निर्माण कार्यों का निष्पादन बाढ़ों से पहले किया गया था, जिसके लिए ही देयता लंबित थी।

- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, विभाग के छह कार्यान्वयन प्रभागों[66] ने सितंबर 2014 की बाढ़ों से पूर्व अक्टूबर 2012 से अगस्त 2014 के दौरान निष्पादित 10 निर्माण कार्यों की देयताओं के भुगतान पर ₹6.96 लाख का भुगतान किया था।

संयुक्त निदेशक (योजना), पीडीएण्डएमडी ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2020) कि व्यय जल आपूर्ति योजना, रकीबन पर संविदाकार के पिछले दावों के निपटान पर किया गया था जिसके लिए श्रम न्यायालय में मुकदमा फाइल किया गया था जबकि पाँच प्रभागों के कार्यपालक अभियंताओं (ईई) ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार करते हुए बताया (जुलाई 2019 से नवंबर 2019) कि भुगतान संविदाकारों के दबाव को ध्यान में रखते हुए किया गया था।

3.5.6 किये गये कार्य का त्रुटिपूर्ण अनुमान

- मुख्य अभियंता, पीडब्ल्यू (आरएण्डबी) विभाग, जम्मू ने आयुक्त सचिव, पीडब्ल्यू (आरएण्डबी) विभाग को, परियोजना के अंतर्गत निधियों को संस्वीकृत करने हेतु 276 सड़कों के संदर्भ में ₹155.47 करोड़ की राशि के किये गये कार्य के दावों का विवरण अग्रेषित (अप्रैल 2016) किया था। विवरण में चार प्रभागों[67] से संबंधित आठ निर्माण कार्यों[68] के संबंध में ₹4.57 करोड़ के किये गये कार्य के दावे शामिल

---

66 पीएचई प्रभाग: बारामूला (₹0.25 लाख), बीजबेहरा (₹1.19 लाख), कुलगाम (₹2.14 लाख), काजीगुंड (₹0.90 लाख), राजौरी (₹1.03 लाख), और पीएचई, हाइड्रोलिक प्रभाग, उरी (₹1.45 लाख)।

67 निर्माण प्रभाग (सीडी I), जम्मू (4), सीडी II, जम्मू (2), कठुआ (1) एवं सांबा (1)।

68 (1) एलाइड लिंकों सहित मुख्य सड़क, त्रिकुटा नगर (2) एलाइड लिंकों सहित मक्का मस्जिद व मुख्य सड़क गुलमर्ग कॉलोनी से सड़क (3) (i) सतवारी से टेक्निकल गेट (डबल लेन: 400 मी.) (ii) टेक्निकल गेट से एमएच गेट (डबल लेन: 600 मी.) (iii) सतवारी चौक से माणिक शाह चौक (तीन लेन: 650 मी.) (iv) माणिक शाह चौक से टेक्निकल गेट (तीन लेन: 550 मी.) (4) द्राप्था गाँव को संपर्क सड़क सहित कुलियां लसवारा सड़क (50 मीटर थिक बीएम+25 मिमी थिक एसडीबीसी) (5) जम्मू पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में सिटी रोड (रेहारी चुंगी से पटोली वाया सरवल (बी) रेहारी चुंगी से पटोली वाया सुबाष नगर एवं तोफ चौक (सी) सुबाष नगर से शिवनगर (डी) रेहारी कॉलोनी से शक्ति नगर वाया राजपुरा (ई) पटोली चौक से पलौरा चौक (एफ) मुख्य बक्शीनगर सड़क (जी) रेहारी कॉलोनी से महेशपुरा चौक वाया बेबी कैटरर्स (एच) केनाल हेड से तोफ ब्रिज वाया ए. जी. कार्यालय तोफ चौक रोड सहित वाया बेस्ट प्राइस (6) कामिनी मोहल्ला, नगरोटा (7) घगवाल टाउन रोड, घगवाल राजपुरा रोड (3.00 किमी डबल लेन और 4.50 किमी सिंगल लेन) एवं घगवाल-रघु चक मलनी रोड और (8) दयालाचक-हीरानगर-जंडी रोड (सिंगल लेन)।

थे। तथापि, इन आठ निर्माण कार्यों को वास्तव में अप्रैल 2016 में उच्च प्राधिकारियों को किये गये कार्य के दावों का विवरण प्रस्तुत करने के उपरांत मई 2016 से मार्च 2017 के मध्य निष्पादन हेतु प्रदान किया गया था।

मुख्य अभियंता, पीडब्ल्यू (आरएण्डबी) विभाग, जम्मू ने कहा (अगस्त 2020) कि सड़कों के मैकेडमाइजेशन[69] की कार्यवार कार्य योजना को ₹200 करोड़ के लिए अनुमोदन हेतु प्रस्तुत (फरवरी 2016) किया गया था और तदनुसार, प्रशासनिक विभाग ने कार्यवार निधियों को जारी किया।

उत्तर, तथापि पूर्ण किये गये कार्यों के रूप में, वास्तव में नहीं किये गये निर्माण कार्यों के अनुमान के मामले का समाधान नहीं करता है।

- बकाया देयताओं के निपटान हेतु सितंबर 2014 की बाढ़ों के उपरांत निष्पादित किये गये 159 निर्माण कार्यों के लिए आईएण्डएफसी प्रभाग, पुंछ को ₹11.26 करोड़ की राशि संस्वीकृत (अगस्त 2016 से मार्च 2017) की गयी थी। इसके, ₹2.23 करोड़ का भुगतान 61 निर्माण कार्यों, जिन्हें हालांकि, निधियों की प्राप्ति को त्रुटिपूर्ण प्रक्षेपित करने के पश्चात्, जैसा कि ये कार्य निष्पादित किये गये हैं, हेतु अगस्त 2016 तथा मार्च 2018 के मध्य किया गया था।

संयुक्त निदेशक (योजना), पीडीएण्डएमडी ने कहा (अगस्त 2020) कि 61 निर्माण कार्य जारी थे और 98 निर्माण कार्य पहले से पूर्ण हो गये थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निधियाँ किए गए कार्य के दावों की निर्बाधता हेतु संस्वीकृत की गयी थी तथा प्रभाग ने 61 निर्माण कार्यों का निष्पादन आरंभ किया था जिन्हें निधियों की प्राप्ति के पश्चात् विशेष रूप से निष्पादित किया गया था।

सरकार इस परियोजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों के अनियमित निष्पादन के संबंध में उत्तरदायित्व का निर्धारण कर सकती है।

3.5.7 निर्माण कार्यों को पूरा करने में विलंब

I. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान निदेशालय, जीओजेएण्डके द्वारा जारी निविदा आमंत्रित सूचना (एनआईटी) में यदि निर्माण कार्य समय पर पूर्ण नहीं हुए तो कुल आबंटन के 10 प्रतिशत तक शास्ति अधिरोपित करना उल्लिखित था। तीन[70] प्रभागों

69 पानी, डामर, या गर्म टार से टूटे हुए पत्थर को बिछाने एवं क्रमिक परतों को जमाने से मार्ग बनाना।

70 निर्माण प्रभाग IV जम्मू, निर्माण प्रभाग I तथा II, श्रीनगर।

ने 30 दिनों से 90 दिनों तक की समापन अवधि सहित अक्टूबर 2017 से मई 2018 के दौरान ₹7.92 करोड़ की अनुमोदित लागत पर 65 निर्माण कार्य[71] आरंभ किये थे। तथापि, संविदाकारों निर्माण कार्यों के समापन में समयसीमा का पालन नहीं किया एवं इन निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने के बजाय, 22 व 493 दिवसों के बीच (38 निर्माण कार्यों में 90 से अधिक दिनों का विलंब था) विलंब से पूर्ण किया। विभाग निर्माण कार्यों के समापन में विलंब हेतु शास्ति उपबंध को लागू करने में विफल रहा।

संयुक्त निदेशक (योजना), पीडीएण्डएमडी ने कहा (अगस्त 2020) कि कुछ मामलों में विलंब जलवायु संबंधी विचारों के साथ अशांति जो कुछ महीनों तक प्रचलित रही, के कारण हुआ था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि मरम्मत निर्माण कार्य थे तथा मूल निर्माण कार्य नहीं थे जिनके लिए कार्य मौसम की छोटी अवधि अपेक्षित थी।

II. उच्चतर शिक्षा विभाग में, 'एस.पी. महाविद्यालय, श्रीनगर में पीजी ब्लॉक सहित पुस्तकालय के निर्माण' का कार्य ₹3.29 करोड़ की लागत पर एक संविदाकार को आबंटित (फरवरी 2017) किया गया था। संविदाकार को एक महीने के अंदर कार्य आरंभ करना था। तथापि, संविदाकार ने संविदा को प्रदान करने की तिथि से 11 महीनों के पश्चात् जनवरी 2018 में कार्य आरंभ किया था। विलंब से कार्य को आरंभ करने हेतु संविदाकार के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी क्योंकि विभाग द्वारा संविदा में किसी भी शास्ति इत्यादि को निगमित करने का प्रावधान नहीं था।

विभाग के उत्तर में (अगस्त 2020) कार्य आरंभ करने में विलंब हेतु कोई विशेष कारणों का वर्णन नहीं था बल्कि कार्य को प्रदान करने में विलंब हेतु कारण दिया गया था।

लोक निर्माण (आरएण्डबी) विभाग

3.5.8 सड़क निर्माण कार्यों का निष्पादन

पीडबल्यू (आरएण्डबी) विभाग में चयनित 19 में से आठ[72] प्रभागों में 153 निर्माण कार्यों के संबंध में सड़क की लंबाई लक्षित सड़क लंबाई के अनुरूप नहीं थी जैसा कि **तालिका 3.5.2** में इंगित किया गया है।

---

[71] पूर्ण किये गये निर्माण कार्य: 30 तथा जारी निर्माण कार्य; 35

[72] (i) बसोहली, (ii) सीडी-I जम्मू, (iii) सीडी-II जम्मू, (iv) सीडी-III जम्मू, (v) कठुआ, (vi) कटरा, (vii) सांबा एवं (viii) ऊधमपुर।

तालिका 3.5.2: मार्च 2020 तक सड़क की लंबाई का लक्ष्य तथा उपलब्धि

क्र. सं.	निष्पादन में विचलन	प्रभागों की संख्या	निर्माण कार्यों की संख्या	कार्य योजना के अनुसार मरम्मत हेतु लक्षित लंबाई (किमी)	निष्पादित मरम्मत की वास्तविक लंबाई (किमी)	अधिक (+) / कम (-) (किमी)
1.	अधिक	7	59	331.68	476.49	(+) 144.81
2.	कम	7	89	813.07	390.85	(-) 422.22
3.	गैर-निष्पादन	3	5	14.75	शून्य	(-) 14.75

(स्रोत: कार्यान्वयन प्रभागों के प्रगति प्रतिवेदन)

तालिका 3.5.2 में इंगित किये गये अनुसार, मरम्मतों के निष्पादन हेतु 153 निर्माण कार्यों में निम्नलिखित विचलन पाये गये थे:

- सात प्रभागों में 59 सड़कों के मामले में, जहाँ मार्च 2020 तक कुल 144.81 किमी[73] की अधिक सड़क लंबाई निष्पादित की गयी थी, यह मुख्यतः निविदा प्रक्रिया में प्रवेश किये बिना, स्थानीय एमएलए/ उच्च प्राधिकारियों के निर्देशों के आधार पर अनुमोदन/ करार पर अतिरिक्त निर्माण कार्यों के आबंटन के कारण थी।
- सात प्रभागों में 89 सड़कों के मामले में, जहाँ मरम्मत की गयी 422.22 किमी[74] सड़क लंबाई की कमी थी, लोक निर्माण (आरएण्डबी) विभाग, जीओजेएण्डके द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) के अनुसार सड़कों को पूर्ण दर्शाया गया था परंतु उन्हें मासिक प्रगति प्रतिवेदन में अपूर्ण दर्शाया गया था। यूसी में दर्ज आँकड़े, तदनुसार बढ़े हुए अभिलेखबद्ध किये गये थे।

जैसा कि प्रगति एवं किये गये व्यय के मध्य समानता नहीं है, इसकी जाँच करने एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने की आवश्यकता है।

[73] (i) सीडी-I जम्मू: 15 निर्माण कार्य (27.40 किमी), (ii) सीडी-II जम्मू: 18 निर्माण कार्य (34.86 किमी), (iii) सीडी-III जम्मू: 03 निर्माण कार्य (5.63 किमी) (iv) कठुआ: 11 निर्माण कार्य (55.50 किमी) (v) कटरा: 01 निर्माण कार्य (02.30 किमी), (vi) सांबा: 02 निर्माण कार्य (09.00 किमी) एवं (vii) ऊधमपुर: 09 निर्माण कार्य (10.12 किमी)।

[74] (i) बसोहली: 02 निर्माण कार्य (5.50 किमी), (ii) सीडी-I जम्मू: 39 निर्माण कार्य (190.80 किमी), (iii) सीडी-II जम्मू: 17 निर्माण कार्य (114.70 किमी), (iv) सीडी-III जम्मू: 04 निर्माण कार्य (04.36 किमी) (v) कटरा: 13 निर्माण कार्य (21.26 किमी), (vi) सांबा: 09 निर्माण कार्य (57.20 किमी) एवं (vii) ऊधमपुर: 05 निर्माण कार्य (28.40 किमी)।

- तीन प्रभागों में पाँच सड़कों के मामले में, कुल 14.75 किमी[75] की सड़क लंबाई सहित, जिस पर ₹1.59 करोड़[76] (मार्च 2020) का व्यय किया गया था परंतु उन्हें बिल्कुल भी निष्पादित नहीं किये गये के रूप में दर्शाया (मार्च 2020) गया था। निधियाँ जो खर्च हुई बतायी गयी हैं, उन्हें परियोजना से असंबद्ध अन्य क्रियाकलापों/ मदों पर अपयोजित किया गया था।
- योजना विकास एवं निगरानी विभाग, जीओजेएण्डके ने कुल 33 मैकेडमाइजेशन निर्माण कार्यों[77] के लिए वर्ष 2016-17 के दौरान ₹7.21 करोड़ निर्गत किये थे। इन्हें मार्च 2020 तक निष्पादित नहीं किया गया था, जिसके लिए कोई कारण नहीं दिये गये थे।

संयुक्त निदेक (योजना), पीडीएण्डएमडी ने प्रेक्षण को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2020) कि संबंधित कार्यपालक अभियंताओं ने सूचित किया था कि परियोजनाओं के समापन हेतु प्रयास किये जा रहे थे एवं जन प्रतिनिधियों/ उच्च प्राधिकारियों के मौके पर दिए गये निर्देशों के आधार पर अतिरिक्त सड़क लंबाईयों को निष्पादित किया गया था।

जैसा कि सड़कों पर अतिरिक्त निर्माण कार्य निविदाओं के आमंत्रण के बिना निष्पादित किये गये थे, विभाग निर्माण कार्यों का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य सुनिश्चित नहीं कर सका। सही तथ्यों को अभिनिश्चित करने के लिए उक्त की जाँच और लापरवाही, यदि कोई है, के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने की आवश्यकता है।

3.5.9 पुल तथा बाढ़ संरक्षण निर्माण कार्य

लेह हेतु ₹15 करोड़ की लागत पर आठ[78] निर्माण कार्यों को संस्वीकृत किया गया था, जिनमें से 31 मार्च 2020 तक पाँच[79] निर्माण कार्य पूर्ण हुये थे।

---

75 (i) सीडी-I जम्मू: 03 निर्माण कार्य (11 किमी), (ii) सीडी-III जम्मू: 01 निर्माण कार्य (01.25 किमी), (iii) कठुआ: 01 निर्माण कार्य (02.50 किमी)

76 पुराने निर्माण कार्यों की देयताएं: ₹2.73 लाख, अन्य निर्माण कार्य: ₹153.59 लाख, सामग्री की अनियमित खरीद: ₹ 2.20 लाख, स्टेशनरी की अनियमित खरीद: ₹0.28 लाख।

77 जम्मू: 10 निर्माण कार्य, कश्मीर: 23 निर्माण कार्य।

78 पुल: 5; बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्य: 2 एवं भवन निर्माण कार्य: 1

79 पुल: 3; बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्य: 2

जीओआई द्वारा लेह में चोथांग पर जांस्कर नदी के ऊपर 'टाइप मोटरेबल स्टील ब्रिज के माध्यम से 72 मीटर पाट के पुनर्निर्माण' हेतु कार्य ₹5.44 करोड़ की लागत पर अनुमोदित किया गया (दिसंबर 2016) था। दिसंबर 2016 में इस प्रयोजन के लिये आयुक्त सचिव (पीडीएण्डएमडी), जीओजेएण्डके द्वारा आवश्यक निधियाँ संस्वीकृत की गयी थी। जिला अधीक्षक अभियंता, पीडब्ल्यूडी सर्किल, लेह द्वारा संविदाकार को ₹3.50 करोड़ की लागत पर टर्नकी आधार पर ब्रिज के अभिकल्प, संविरचन, प्रमोचन एवं कमीशनिंग हेतु कार्य आबंटित किया गया (जुलाई 2017) था। कार्य ₹3.58 करोड़ का व्यय करने के उपरांत सितंबर 2018 में पूर्ण किया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया (सितंबर 2019) कि ₹3.58 करोड़ के कुल व्यय में से, ₹4.29 लाख की राशि का अपयोजन कार्यालयीन खर्चों एवं नैमित्तिक मजदूरों की मजदूरियों पर व्यय के प्रति किया गया था। अव्ययित शेष ₹1.86 करोड़ था।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने (सितंबर 2019) पर, कार्यपालक अभियंता, निर्माण प्रभाग, लेह ने कहा (अगस्त 2020) कि दैनिक दर मजदूरों को भुगतान किया गया है क्योंकि ये परियोजना के प्रभारित कार्य एवं आकस्मिकताओं के अंतर्गत समाविष्ट किये गये थे तथा इन्हें जीओआई को लौटाने की आवश्यकता नहीं है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि पुल के अभिकल्प, संविरचन, प्रमोचन एवं कमीशनिंग हेतु निर्माण कार्य टर्नकी के आधार पर आबंटित किया गया था एवं प्रभाग में दैनिक दर पर कार्य कर रहे स्टाफ को भुगतान किये जाने वाली मजदूरियों को कार्य आकस्मिकताओं से डेबिट किये जाने के बजाय, 'मजदूरियाँ' शीर्ष से डेबिट किया जाना होता है।

कार्यालयीन खर्चों और नैमित्तिक मजदूरों की मजदूरियों के कारण देयता का समुचित शीर्ष से निपटान किया जाना था, खर्च की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति की जानी है तथा जीओआई को प्रतिदाय किया जाना है।

इसके अतिरिक्त, जैसा कि ₹1.86 करोड़ के अव्ययित शेष को पुनः विधिमान्यकरण नहीं किया गया है, इसे जीओआई को प्रतिदाय किये जाने की आवश्यकता है।

3.5.10 सड़क निर्माण कार्यों पर ढलानों को भरने/ काटने हेतु भुगतान

हॉट मिक्स संयंत्र धारकों/ फर्मों के प्रतिनिधियों के साथ मुख्य अभियंता, पीडब्ल्यूडी (आरएण्डबी), जम्मू द्वारा आयोजित (मई 2015) एक बैठक के दौरान, यह निर्णय

लिया गया (मई 2015) था कि जहाँ कहीं भी सड़कों के ढलानों को भरने/ काटने के द्वारा सुधार करने की आवश्यकता थी, संविदात्मक शर्तों के अनुसार उक्त का वहन बोलीकर्त्ता/ संविदाकार को करना था तथा इसके लिए कुछ भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाना था क्योंकि दरें सर्व समावेशी थी।

सात चयनित प्रभागों[80] में परियोजना के अंतर्गत निष्पादित सतही मार्गों की राइडिंग गुणवत्ता के सुधार से संबंधित अभिलेखों के लेखापरीक्षा परीक्षण (मई से नवंबर 2019) से प्रकट हुआ कि 43 निर्माण कार्यों के संबंध में, विभिन्न दरों पर ढलानों को भरने हेतु ₹3.60 करोड़ का भुगतान किया गया था, यद्यपि यह एनआईटी/ कार्य आदेश का भाग नहीं था।

संयुक्त निदेशक (योजना), पीडीएण्डएमडी ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार करते हुये कहा (अगस्त 2020) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये अतिरिक्त भुगतान की मिलान के पश्चात् वसूली की जायेगी।

तथापि, वसूली की प्रास्थिति प्रतीक्षित (दिसंबर 2020) है।

3.5.11 सड़क निर्माण कार्य के उन्नयन के अनियमित आबंटन/ निष्पादन

स्ट्रेचों में बिटुमिन की लागत सहित 30 मिमी मोटी सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट (एसडीबीसी) उपलब्ध कराने और बिछाने के माध्यम से तीन सिंगल लेन सड़कों[81] के उन्नयन के कार्य को अधीक्षक अभियंता, जम्मू-कठुआ सर्किल द्वारा ₹1.55 करोड़ हेतु एक फर्म[82] को आबंटित किया गया था। स्थानीय एमएलए (तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री) के मौके पर दिये गये निर्देशों के आधार पर तथा कार्यान्वयन प्रभाग के प्रस्ताव (सितंबर, अक्टूबर 2015 व दिसंबर 2015) के आधार पर, समर्थित कार्यकारी आदेशों के अभाव में, ₹3.85 करोड़ के अतिरिक्त निर्माण कार्य सड़कों की

---

80 (i) बसोहली: 02 निर्माण कार्य (₹0.30 करोड़), (ii) सीडी-I जम्मू: 11 निर्माण कार्य (₹1.56 करोड़), (iii) सीडी-II जम्मू: 05 निर्माण कार्य (₹0.12 करोड़), (iv) सीडी-III जम्मू: 06 निर्माण कार्य (₹0.47 करोड़) (v) कठुआ: 9 निर्माण कार्य (₹0.43 करोड़), (vi) सांबा: 04 निर्माण कार्य (₹0.45 करोड़) एवं (vii) ऊधमपुर: 06 निर्माण कार्य (₹0.27 करोड़)।

81 (i) बरी-ब्राहमणा-बढोरी सड़क 4वां किमी (500-600)-9वां किमी, (ii) चन्नी-करथोली सड़क-प्रथम किमी एवं (iii) कालूचक-पुरमण्डल सड़क प्रथम-16वां किमी।

82 मैसर्स जगदम्बे रोड बिल्डर्स हॉट मिक्स संयंत्र।

परिधि का संशोधन[83] करते हुए दो संबंधित फर्मों[84] को अत्यंत कम दरों[85] पर अनुमोदन के आधार पर आबंटित (अक्टूबर 2015, जनवरी 2016) किये गये थे। अभिलेखों के परीक्षण से प्रकट हुआ कि कुल आबंटित राशि ₹5.40 के प्रति कार्यान्वयन प्रभाग द्वारा ₹7.21 करोड़ का भुगतान किया गया था जिसका परिणाम आबंटन से परे ₹1.81 करोड़ तक अधिक व्यय के रूप में हुआ।

विस्तारित परिधि के समापन हेतु, निविदाओं के आमंत्रण (नवंबर 2016) के उपरांत एसई, जम्मू-कठुआ सर्किल द्वारा ₹1.04 करोड़ का एक और कार्य[86] एक फर्म[87] को आबंटित किया गया (जनवरी 2017) था जिसे अनुमोदन के आधार पर ₹3.86 करोड़ की अतिरिक्त राशि हेतु पुनः बढ़ा दिया (मार्च 2017) गया था।

संयुक्त निदेशक (योजना), पीडीएण्डएमडी ने कहा (अगस्त 2020) कि कालूचक-पुरमण्डल सड़क के संबंध में कार्य की मात्रायें अधिक हो गयी थी क्योंकि जनता की माँग पर बिटुमिनस मैकेडम को सड़क की पूरी चौड़ाई पर बिछाया गया था जिससे क्षेत्र में बढ़ोतरी हुयी और बरी-ब्राह्मणा-बढ़ोरी सड़क के संबंध में यद्यपि 5.50 किमी सड़क पर क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत के लिए निविदायें आमंत्रित की गयी थी, तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने पूरी चौड़ाई और 5.50 किमी की संपूर्ण लंबाई पर मैकेडम बिछाने का अनुरोध किया था।

तथ्य यह रहता है कि अनुमोदित/ निविदाकृत कार्य के प्रति, विशिष्टियाँ परिवर्तित हो गयी थी तथा ₹7.71 करोड़ के अतिरिक्त निर्माण कार्यों को अनुमोदन के आधार पर आबंटित किया गया (अक्टूबर 2015, जनवरी 2016, मार्च 2017) था। ₹1.81 करोड़ की कुल लागत पर आबंटनों से अधिक कार्य का अतिरिक्त निष्पादन भी हुआ था। प्रतिस्पर्धात्मक बोली लगाने/ पूरक करारों के बिना कार्य की वृद्धि/ आबंटन लागू नियमों/ विनियमों के अनुसार अनुचित था।

---

83 पूरी सड़क के स्ट्रेचों में बरी-ब्राहमणा-बढोरी सड़क 4वें किमी (500-600)-9वें किमी का उन्नयन, प्रथम किमी से तीसरे किमी और चौथे किमी से स्ट्रेचों में 16वें किमी तथा कालूचक-पुरमण्डल रोड के 5वें-7वें किमी से पूरे रोड के पहले से 16वें किमी में स्ट्रेचों में कालूचक-पुरमण्डल रोड।

84 मैसर्स जगदम्बे रोड बिल्डर्स हॉट मिक्स संयंत्र और मैसर्स ए.डी. बिल्डकॉन।

85 ₹9,450 प्रति क्यूबिक मीटर की दर पर 50 मिमी बीएम एवं ₹330 प्रति वर्ग मी. की दर पर 25 मिमी मोटी एसडीबीसी

86 कालूचक-पुरमण्डल सड़क 9वें और 10वें किमी डबल लेन पर 50 मिमी बीएम और 25 मिमी एसडीबीसी के पी/ एल।

87 मैसर्स ए.डी. बिल्डकॉन।

3.5.12 भुगतनों का अनियमित निर्मोचन

लोक निर्माण लेखा संहिता[88] के अनुसार, आवश्यक विवरणों सहित यथावत् भरे हुए विहित रनिंग लेखा बिल प्रपत्रों बिलों को पास करने के पश्चात् संविदाकारों को भुगतान किये जाने अपेक्षित होते हैं। ईई, पीडब्ल्यूडी (आरएण्डबी) प्रभाग II, जम्मू के अभिलेखों के लेखापरीक्षा परीक्षण (नवंबर 2019) से प्रकट हुआ कि ₹67.68 लाख मूल्य के 11 वाउचरों को प्रावधानों के उल्लंघन में फर्मों के पत्र शीर्षों पर भुगतान हेतु पास किया गया था।

संयुक्त निदेशक (योजना), पीडीएण्डएमडी ने कहा (अगस्त 2020) कि भविष्य में इस रीति से बचा जायेगा और संविदाकारों के बिलों को नियमों/ वित्तीय संहिता के अनुसार स्वीकार किया जायेगा।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग

3.5.13 परियोजना की वित्तीय स्थिति

पीएचई, आईएण्डएफसी विभाग (प्रशासनिक विभाग) के पक्ष में ₹252.16 करोड़[89] की निधियाँ संस्वीकृत की गयी थी। इसमें से, प्रशासनिक विभाग द्वारा अधिकार में रखे गये ₹4.88 करोड़ सहित, ₹247.28 करोड़ प्रशासनिक विभाग द्वारा 4,822 निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु कार्यान्वयन अभिकरणों के पक्ष में आगे संस्वीकृत किये गये थे। ₹247.28 करोड़ में से, सितंबर 2020 तक ₹25.32 करोड़[90] के अव्ययित शेष के साथ, कार्यान्वयन अभिकरणों ने ₹221.96 करोड़ का व्यय किया था तथा सभी कार्य पूर्ण हो गये थे।

संयुक्त निदेशक (योजना) पीडीएण्डएमडी ने निधियों की कम उपयोगिता हेतु अनुमानित लागत से कम दरों पर निर्माण कार्यों का आबंटन, संबंधित जिला विकास आयुक्तों (डीडीसी) से सत्यापन प्रतिवेदनों की गैर-प्राप्ति और कुछ मामलों में संविदाकारों द्वारा बिलों को प्राथमिकता न देने को जिम्मेदार (अगस्त 2020) ठहराया।

---

88 पैरा 284 से 291

89 पीडीएण्डएमडी द्वारा संस्वीकृत ₹249.66 करोड़ और वित्त विभाग द्वारा संस्वीकृत ₹2.50 करोड़।

90 पीडीएण्डएमडी द्वारा संस्वीकृत निधियों में से ₹25.32 करोड़।

3.5.14 अननुमोदित निर्माण कार्यों के निष्पादन पर अनियमित व्यय

आठ[91] प्रभागों ने 739 कार्यों का निष्पादन किया जो निधि संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किये गये थे एवं उन पर ₹24.27 करोड़ का व्यय किया गया (मार्च 2017) था जो अनियमित था और इसने खराब आंतरिक नियंत्रण को इंगित किया। इसमें से, ₹5.43 करोड़ का व्यय 251 निर्माण कार्यों के संबंध में ₹11.28 करोड़ की आबंटित लागत से अधिक किया गया (सितंबर 2016 से मार्च 2017) था। आगे, ₹78.43 लाख इन आठ प्रभागों द्वारा सामग्री जैसे क्रेट मेश, सीमेन्ट एवं अन्य मदों की खरीदी पर अपयोजित (दिसंबर 2016 से मार्च 2017) किये गये थे, इस तथ्य के बावजूद कि निधियों को कार्यवार संस्वीकृति (सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा) प्रदान की गयी थी और यह इंगित करती है कि किये गये कार्य दावों की कार्यान्वयन प्रभागों द्वारा त्रुटिपूर्ण देयता प्रस्तावित की गयी थी।

संयुक्त निदेशक (योजना), पीडीएण्डएमडी ने कहा (अगस्त 2020) कि देयता विवरणों को निर्माण कार्यों की अनुमानित लागत के अनुसार तैयार किया गया था तथा संबंधित डीडीसी एवं उस समय के स्थानीय प्रतिनिधियों के मौखिक निर्देशों पर बाढ़ों के पश्चात् कुछ अप्रत्याशित निर्माण कार्यों को पुनः स्थापित किया गया था। तथापि, तथ्य यह रहा कि इसके लिए कोई कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त नहीं किये गये थे।

उद्योग एवं वाणिज्य (आईएण्डसी) विभाग

3.5.15 पीएमडीपी परियोजनाओं की पहचान

संस्वीकृति आदेशों में निहित शर्तों के उल्लंघन में जिसमें उल्लिखित था कि व्यय अनुमोदित परियोजनाओं एवं निर्माण कार्यों पर किया जाना था, पाँच[92] परियोजनाएं, जो 'समन्वित बृहत आर्थिक एवं अवसंरचना पुनर्निर्माण योजना (टीएएमईआईआर)' के अंतर्गत जुलाई/ अक्टूबर 2016 के दौरान जीओआई द्वारा अनुमोदित 36 परियोजनाओं का भाग नहीं थी; को पीएमडीपी के अंतर्गत आरंभ किया गया था और उनके निष्पादन पर ₹12.53 करोड़ का व्यय किया गया (मार्च 2019) था। इसके अलावा, पीएमडीपी के अंतर्गत ₹0.18 करोड़ की लागत पर अनुमोदित दो

---

[91] (i) एफसीडी अनंतनाग, (ii) आईडी अनंतनाग, (iii) आईएण्डएफसी प्रभाग, बारामूला, (iv) आईडी कुलगाम, (v) आईएण्डएफसी प्रभाग, सोपोर, (vi) आईएण्डएफसी प्रभाग, श्रीनगर, (vii) एफबीआई प्रभाग, टंगमर्ग और (viii) हाइड्रोलिक प्रभाग, उरी।

[92] एसआईसीओपी-(4): औद्योगिक संपदा बाग-ए-अली मरदान खान, डिगियाना, सनत नगर एवं जैनाकोट, एचडीसी-(1): निर्यातोन्मुख हथकरघा विकास परियोजना, सांबा।

परियोजनाओं को निष्पादन के लिए आरंभ नहीं किया गया था। विवरण **तालिका 3.5.3** में दिया गया है।

तालिका 3.5.3: पीएमडीपी के अंतर्गत गैर-पीएमडीपी की परियोजनाओं को दी गयी निधि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	**पीएमडीपी के तहत समाविष्ट नहीं की गयी परियोजनाएं**		**क्र. सं.**	**असमाविष्ट छोड़ी गयी पीएमडीपी परियोजनाएं**	
	परियोजना का नाम	**राशि**		**परियोजना का नाम**	**राशि**
1.	आईईई, जैनाकोट (एसआईसीओपी) में अवसंरचना का उन्नयन	2.80	1.	प्रदर्शिनी मैदान में अनंतनाग, सीएफसी सेथर और लेथर केन्द्र में डीसी भवन की क्षतियों का पुनर्निर्माण/ मरम्मत	0.12
2.	आईईई, सनतनगर (एसआईसीओपी) में अवसंरचना का उन्नयन	3.00	2.	सोलिना, श्रीनगर में शिल्प सामुदायिक केन्द्र, गुणवत्ता नियंत्रण कार्यालय, चौकीदार हट की क्षतिग्रस्त अवसंरचना का पुनः स्थापन	0.06
3.	आईईई, बाग-ए-अली मरदान खान (बीएएमके) (एसआईसीओपी) में अवसंरचना का उन्नयन	1.50			
4.	आईईई, डिगियाना (एसआईसीओपी) में अवसंरचना का उन्नयन	0.73			
5.	निर्यातोन्मुख हथकरघा विकास परियोजना, सांबा (जेकेएचडीसी) में मशीनरी का उन्नयन	4.50			
	कुल	**12.53**		**कुल**	**0.18**

(स्रोत: संस्वीकृति आदेश तथा प्रगति प्रतिवेदन)

संयुक्त निदेशक (योजना), पीडीएण्डएमडी ने कहा (अगस्त 2020) कि ₹9.73 करोड़ मूल्य के चार निर्माण कार्य[93] सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पीडीएण्डएमडी द्वारा प्राधिकृत 10 प्रतिशत तक के शिथिलीकरण सहित आरंभ किये गये थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गैर-पीएमडीपी परियोजनाओं को पीएमडीपी से वित्तपोषित किया गया था।

3.5.16 निधियों की संस्वीकृति में विलंब

पीडीएण्डएमडी ने परियोजना संख्या 29 के अंतर्गत उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को ₹149.96 करोड़ संस्वीकृत (दिसंबर 2016) किये थे। लेखापरीक्षा में देखा गया कि इन निधियों को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने कार्यान्वयन अभिकरणों को 58 दिवसों एवं 406 दिवसों के बीच की देरी[94] के पश्चात् संस्वीकृत किया था। इसमें से, ₹91.55 करोड़ (61 प्रतिशत) 58 दिवसों के विलंब के पश्चात् संस्वीकृत किये गये थे

93 (i) आईईई, बाग-ए-अली मरदान खान में अवसंरचना का उन्नयन (ii) आईईई, डिगियाना में अवसंरचना का उन्नयन (iii) आईईई, सनतनगर में अवसंरचना का उन्नयन तथा (iv) निर्यातोन्मुख हथकरघा विकास परियोजना, सांबा में मशीनरी का उन्नयन।

94 निधियों के अंतरण हेतु 15 दिनों के मार्जिन को अनुमति देने के उपरांत गणना की गयी।

जबकि ₹58.41 करोड़ (39 प्रतिशत) 327 एवं 406 दिवसों के बीच के विलंब के पश्चात् संस्वीकृत किये गये थे।

तालिका 3.5.4: निधियों की संस्वीकृति में विलंब

पीडीएण्डएमडी द्वारा संस्वीकृत		उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा संस्वीकृत			विलंब दिवसों में
आदेश संख्या एवं तिथि	**राशि (₹ करोड़ में)**	**आदेश संख्या एवं तिथि**	**परियोजनाओं की संख्या**	**राशि (₹ करोड़ में)**	
2016 का पीडी 339 दिनांक 26.12.2016	149.96	वर्ष 2017 के 59 आईएनडी दिनांक 10.03.2017 (एसआईडीसीओ)	10	58.31	58
		वर्ष 2017 के 59 आईएनडी दिनांक 10.03.2017 (एसआईसीओपी)	20	33.24	58
		वर्ष 2017 के 271 आईएनडी दिनांक 04.12.2017 (एसआईडीसीओ) (निधियों की शेष संस्वीकृति)	-	48.53	327
		वर्ष 2018 के 63 आईएनडी दिनांक 21.02.2018 (निदेशक उद्योग)	01	0.05	406
		वर्ष 2018 के 64 आईएनडी दिनांक 21.02.2018 (एसआईसीओपी)	03	5.23	406
		वर्ष 2018 का 65 आईएनडी दिनांक 21.02.2018 (एसआईसीओपी)	01	0.10	406
		वर्ष 2018 के 67 आईएनडी दिनांक 22.02.2018 (एचडीसी)	01	4.50	406
	149.96		**36**	**149.96**	

(स्रोत: संस्वीकृति आदेश)

संयुक्त निदेशक (योजना), पीडीएण्डएमडी ने कहा (अगस्त 2020) कि प्रक्रियागत औपचारिकतायें, डीपीआर की तैयारी, प्रशासनिक अनुमोदनों एवं समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी से निधियों के अग्रिम आहरण में लगा समय निधियों के निर्मोचन में विलंब के कारण हैं।

3.5.17 लघु पैमाना उद्योग विकास निगम (एसआईसीओपी) द्वारा प्रभारों की कटौती

संस्वीकृति आदेशों में निहित शर्तों के अनुसार, निधियों का उपयोग आकस्मिकताओं एवं अननुमोदित मदों पर नहीं किया जाना था।

एक[95] कार्य के लिए ₹2.86 करोड़ की संस्वीकृत (मार्च 2017) निधियों के प्रति, एसआईसीओपी ने अभिकरण प्रभारों के रूप में ₹14.30 लाख की कटौती की थी और ₹2.72 करोड़ की शेष राशि को किसी कार्य निष्पादन के बिना जम्मू कश्मीर हथकरघा विकास निगम (जेकेएचडीसी) को हस्तांतरित किया गया।

[95] श्रीनगर में संयंत्र एवं मशीनरी का क्रय (₹2.86 करोड़)।

संयुक्त निदेशक (योजना), पीडीएण्डएमडी ने कहा (अगस्त 2020) कि एसआईसीओपी एक वाणिज्यिक संगठन था तथा एसआईसीओपी सेवा प्रभार तैयार किये गये डीपीआर का भाग थे और इस प्रकार कटौती की गयी राशि अनियमित नहीं थी। तथ्य यह रहा कि एसआईसीओपी ने डीपीआर में उल्लिखित किसी कार्य को निष्पादित किये बिना अभिकरण प्रभारों की कटौती के पश्चात् राशि प्रतिदाय कर दिया था।

3.5.18 विद्यालयी शिक्षा विभाग

विद्यालयी शिक्षा विभाग में क्षतिग्रस्त अवसंरचना के स्थायी पुनः स्थापन से संबंधित सभी 718 मरम्मत व नवीनीकरण कार्यों को ₹107.61 करोड़ की अनुमानित लागत पर निष्पादन हेतु दिसंबर 2016 में पहचाना गया था। इनमें से, विभाग द्वारा 536 निर्माण कार्य (75 प्रतिशत) पूर्ण किये गये (सितंबर 2020) थे, 99 निर्माण कार्य प्रगति (व्यय: ₹30.53 करोड़) के अधीन थे और 83 निर्माण कार्य सितंबर 2020 तक निष्पादन हेतु आरंभ नहीं किये गये थे। परियोजना के अंतर्गत ₹100.22 करोड़ की कुल संस्वीकृति के प्रति, वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि के दौरान विभाग द्वारा ₹66.14 करोड़ (66 प्रतिशत) का उपयोग किया गया (सितंबर 2020) था। विभाग ने जलवायु संबंधी विचारों एवं पूर्व में व्याप्त अशांति को निर्माण कार्यों के समापन में देरी हेतु जिम्मेदार ठहराया। तथ्य यह रहा कि में निर्माण कार्यों को दिसंबर 2016 पहचाना गया था तथा अभी तक ये पूर्ण नहीं हुए थे।

3.5.19 निर्माण कार्यों का निष्पादन

सितंबर 2020 तक, 83 निर्माण कार्य, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, ₹7.72 करोड़ की अनुमानित लागत पर भूमि विवाद (12 निर्माण कार्य), अपर्याप्त निधियों (22 निर्माण कार्य), विद्यालय भवनों की शिफ्टिंग और क्लबिंग (7 निर्माण कार्य), कार्यान्वयन अभिकरणों का बार-बार परिवर्तन करने (5 निर्माण कार्य) या पुनर्निर्माण योजना के अनुसार आरंभ नहीं किये गये निर्माण कार्यों (37 निर्माण कार्य) के कारण आरंभ नहीं किये जा सके।

संयुक्त निदेशक (योजना), पीडीएण्डएमडी ने कहा (अगस्त 2020) कि जून 2017 में सृजित अभियांत्रिकी विंग ने अपेक्षित जनशक्ति इत्यादि सहित स्थापित करने में कुछ समय लिया और इस प्रकार निर्माण कार्यों के निष्पादन को आरंभ करने में विलंब हुआ था। तथापि, लक्ष्य पूरा करने में पर्याप्त प्रगति प्राप्त की गयी थी तथा

जलवायविक अवस्थाओं एवं पूर्व में व्याप्त कुछ समय तक अशांति के कारण भी देरी हुयी थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 83 निर्माण कार्य, जिन्हें निष्पादन/ पुनः स्थापन हेतु मूलरूप से दिसंबर 2016 में पहचाना गया था, आरंभ नहीं किये जा सके।

3.5.20 बैंक प्रत्याभूतियाँ

अभिलेखों के लेखापरीक्षा परीक्षण से प्रकट हुआ कि ₹11.01 लाख के समतुल्य सात निर्माण कार्यों की बैंक प्रत्याभूतियों (बीजी), जिनकी समयावधि 25 फरवरी 2018 और 14 फरवरी 2019 के मध्य समाप्त हो चुकी थी, को उनकी समाप्ति तिथि के पूर्व पुनः विधिमान्यकृत नहीं किया गया था।

संयुक्त निदेशक (योजना), पीडीएण्डएमडी ने नव स्थापित निर्माण प्रभागों में जनशक्ति के अभाव को इसके लिए जिम्मेदार (अगस्त 2020) ठहराया और संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को बीजी, जहाँ कहीं भी लंबित थी, को शीघ्र पुनः विधिमान्यकृत करने का निर्देश दिया।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

3.5.21 वित्तीय स्थिति

₹53.64 करोड़ की संस्वीकृत निधियों में से, पीएचई, आईएण्डएफसी विभाग (प्रशासनिक विभाग) ने बदले में मार्च 2017 से ₹1.67 करोड़ को अधिकार में रखते हुए कार्यान्वयन अभिकरणों के पक्ष में मात्र ₹51.97 करोड़ संस्वीकृत किये जिसकी विभाग द्वारा सत्यापित किये गये कार्य दावों की प्राप्ति नहीं होने का उल्लेख करते हुए पुष्टि (अगस्त 2020) की गयी थी।

उच्चतर शिक्षा विभाग

सितंबर 2014 में गठित प्रधानाचार्यों की समिति के प्रतिवेदन के आधार पर, योजना विकास एवं निगरानी विभाग ने उच्चतर शिक्षा विभाग की क्षतिग्रस्त अवसंरचना के स्थायी पुनः स्थापन हेतु पीएमडीपी के अंतर्गत ₹50 करोड़ के आबंटन को अनुमोदित (सितंबर 2016) किया था। परियोजना के अंतर्गत, 16 निर्माण कार्यों को वर्ष

2016-17 के दौरान सात सरकारी महाविद्यालयों[96] में ₹50 करोड़ की लागत पर निष्पादन हेतु प्राथमिकता प्रदान की थी। निर्माण कार्यों को दो वर्षों के अंदर पूरा किया जाना था।

अभिलेखों के लेखापरीक्षा परीक्षण से प्रकट हुआ कि तीन चयनित महाविद्यालयों[97] (सात महाविद्यालयों तथा 16 निर्माण कार्यों में से) में 10 निर्माण कार्यों को ₹39.08 करोड़ की अनुमोदित लागत पर आरंभ किया गया था। इनमें से, मात्र पाँच निर्माण कार्य (50 प्रतिशत) पूर्ण किये गये थे तथा शेष पाँच निर्माण कार्य, जिन पर ₹23.68 करोड़ का व्यय किया गया था, अपूर्ण (सितंबर 2020) थे। समापन में हुई देरी को संविदाकारों द्वारा कार्य के खराब निष्पादन हेतु इस प्रभाव के साथ जिम्मेदार ठहराया गया कि नयी अवसंरचना के सृजन के लाभ छात्रों को उपलब्ध नहीं कराये जा सके।

3.5.22 निधियों का कम उपयोग

जबकि वर्ष 2016-19 की अवधि के दौरान ₹50 करोड़ की राशि प्राप्त हुयी थी, ₹42.67 करोड़ (85 प्रतिशत) का उपयोग (सितंबर 2020) किया गया था तथा ₹7.33 करोड़ पिछले चार वित्तीय वर्षों से (सितंबर 2020) अप्रयुक्त रहे।

3.5.23 नये कार्यों का निष्पादन

व्यय केवल चयनित महाविद्यालयों के विद्यमान क्षतिग्रस्त भवनों के अनुमोदित पुनः स्थापन निर्माण कार्यों पर किया जाना था। यह देखा गया कि दस निर्माण कार्यों की पहले ही मरम्मत कर ली गयी थी/ पुनः स्थापन निर्माण कार्यों को पहले ही संचालित कर लिया गया था, और फिर भी नयी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु निधियाँ प्राप्त की गयी थी। तीन चयनित महाविद्यालयों (सात में से) में ₹39.08 करोड़ की कुल परियोजना लागत के साथ दस नये निर्माण कार्य[98] निर्माण अभिकरणों[99] द्वारा

---

96 (i) सरकारी डिग्री महाविद्यालय, अनंतनाग, (ii) सरकारी डिग्री महिला महाविद्यालय, अनंतनाग, (iii) सरकारी डिग्री महाविद्यालय, बेमिना, (iv) सरकारी डिग्री महाविद्यालय, बिजबेहरा, (v) अमर सिंह महाविद्यालय, श्रीनगर (vi) शिक्षा महाविद्यालय, श्रीनगर और (vii) श्री प्रताप महाविद्यालय, श्रीनगर।

97 (i) सरकारी डिग्री महिला महाविद्यालय, अनंतनाग, (ii) सरकारी डिग्री महाविद्यालय, बेमिना एवं (iii) श्री प्रताप महाविद्यालय, श्रीनगर।

98 पुस्तकालय सह पीजी तथा छात्रावास ब्लॉक, अकादमिक ब्लॉक, प्रशासनिक ब्लॉक जैसे भवनों का निर्माण।

99 लोक निर्माण विभाग, जम्मू एवं कश्मीर आवास बोर्ड एवं एसआईसीओपी।

निष्पादन हेतु आरंभ (वर्ष 2016-17) किये गये थे और सितंबर 2020 तक ₹32.78 करोड़ का व्यय किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया (मई, जून 2019) कि पुरानी विद्‌यमान क्षतिग्रस्त अवसंरचना[100] को स्थानीय महाविद्‌यालय निधियों से पहले ही मरम्मत/ पुनः स्थापन कर लिया गया था और वर्ष 2015-16 के दौरान भवन पूर्णरूपेण प्रकार्यात्मक थे। निधियों का उपयोग नयी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु किया गया था जिनका उपयोग अन्य पुनः स्थापन गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

संयुक्त निदेशक (योजना), पीडीएण्डएमडी ने कहा (अगस्त 2020) कि कुछ पुराने विद्‌यमान भवनों में लघु मरम्मत कार्यों का संचालन पहले ही महाविद्‌यालय की स्थानीय निधियों से कर लिया गया था। सितंबर 2014 की विनाशकारी बाढ़ों के कारण, कुछ भवन मरम्मत/ नवीनीकरण की परिधि से परे क्षतिग्रस्त हो गये थे और ऐसी इमारतों को ध्वस्त करने एवं इन शैक्षणिक संस्थानों की उचित कार्यशीलता हेतु उनके नये सिरे से निर्माण करने का साभिप्राय निर्णय लिया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि, विभागीय प्रतिनिधियों के साथ लेखापरीक्षा द्वारा संचालित संयुक्त निरीक्षण में यह पाया गया कि पुरानी विद्‌यमान अवसंरचना पूर्णरूपेण प्रकार्यात्मक थी। इसके अतिरिक्त, निधियाँ अनुमोदित पुनः स्थापन निर्माण कार्यों के लिए संस्वीकृत की गयी थी तथा नये निर्माण कार्यों हेतु नहीं।

पुरानी विद्‌यमान अवसंरचना के पुनः स्थापन तथा नये निर्माणों के आरंभ को दर्शाते छायाचित्र		
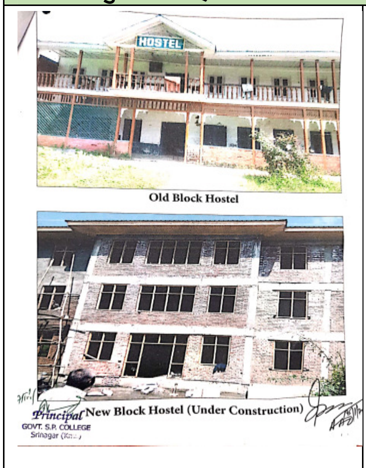	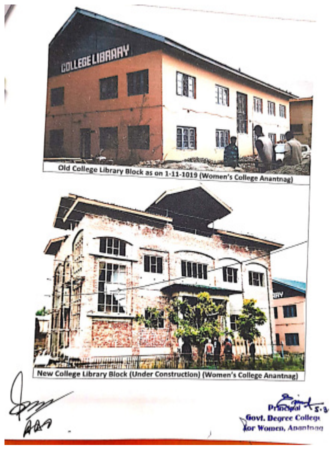	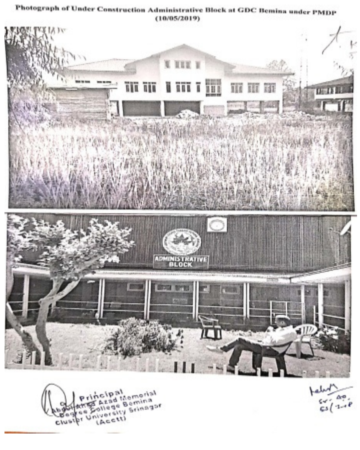
01 जनवरी 2020 को एस.पी. महाविद्‌यालय, श्रीनगर के पुराने एवं नये छात्रावास ब्लॉक	**05 मार्च 2020 को सरकारी महिला महाविद्‌यालय, अनंतनाग के पुराने एवं नये पुस्तकालय ब्लॉक**	**10 मार्च 2019 को सरकारी डिग्री महाविद्‌यालय, बेमिना, श्रीनगर के पुराने एवं नये प्रशासनिक ब्लॉक**

100 सरकारी डिग्री महिला महाविद्‌यालय, अनंतनाग, सरकारी डिग्री महाविद्‌यालय, बेमिना एवं श्री प्रताप महाविद्‌यालय, श्रीनगर के अकादमिक ब्लॉक, पुस्तकालय ब्लॉक तथा प्रशासनिक ब्लॉक को सम्मिलित करते हुए।

3.5.24 कार्य को प्रदान करने में विलंब

'एस.पी. महाविद्यालय, श्रीनगर में तीन मंजिला छात्रावास ब्लॉक' के निर्माण कार्य का आबंटन अधीक्षक अभियंता (आरएण्डबी) सर्किल, श्रीनगर/ बड़गाम द्वारा एक संविदाकार को 500 दिवसों की निर्धारित समापन अवधि सहित ₹2.53 करोड़ की लागत पर किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया (जुलाई 2019) कि निविदा को निविदा आमंत्रण सूचना (जनवरी 2017) की तिथि से 355 दिवसों के विलंब के पश्चात् प्रदान किया गया था। तत्पश्चात् निविदा प्रदान करने में विलंब का परिणाम परियोजना के समापन में देरी के रूप में (सितंबर 2020) हुआ।

संयुक्त निदेशक (योजना), पीडीएण्डएमडी ने बताया (अगस्त 2020) कि निविदा प्रदान करने में विलंब, विभिन्न शर्तों के पूरा न होने जैसे निष्पादन प्रतिभूतियों की प्रस्तुति, बोलीकर्त्ताओं द्वारा अनुभव प्रमाण-पत्र जिसमें कुछ समय लगा एवं वर्ष 2016 के दौरान राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण प्रक्रिया में कुछ और अधिक समय लगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एस.पी. महाविद्यालय, श्रीनगर में 'पुस्तकालय सह पीजी ब्लॉक के निर्माण' संबंधी इसी तरह का कार्य संविदाकार को मुख्य अभियंता, पीडब्ल्यू, (आरएण्डबी) विभाग, श्रीनगर द्वारा दिसंबर 2016 के एनआईटी के विरुद्ध आबंटित किया गया था।

संपदा विभाग

सितंबर 2014 की बाढ़ से क्षतिग्रस्त अवसंरचना के पुनः स्थापन हेतु निदेशक, संपदा विभाग द्वारा योजना, विकास एवं निगरानी विभाग (पीडीएण्डएमडी) को 34 पुनः स्थापन निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे। एसपीए तथा पीएमडीपी के अंतर्गत संस्वीकृत (नवंबर 2014 और दिसंबर 2016) ₹48.21 करोड़ में से, फरवरी 2015 तक विभाग द्वारा विशेष योजना सहायता (एसपीए) के रूप में ₹25 करोड़ की राशि प्राप्त हुयी थी जिसका पूर्ण उपयोग किया गया (मार्च 2016) था। 34 पुनः स्थापन निर्माण कार्यों में से, ₹4.04 करोड़ का व्यय करने के उपरांत एसपीए वित्तपोषण के अंतर्गत छह कार्य[101] पूर्ण किये गये थे तथा मार्च 2016 तक 28 निर्माण कार्य प्रगति के अधीन थे। प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) के अंतर्गत विभाग द्वारा शेष ₹23.21 करोड़ प्राप्त किये गये थे जिसमें से

[101] एक निर्माण कार्य को शामिल न करते हुए जो पीएमडीपी के अंतर्गत किसी भी निर्मोचन के बिना पीएमडीपी के कार्यान्वयन के दौरान भौतिक रूप से पूर्ण किया गया था।

₹22.26 करोड़ का उपयोग शेष 28 निर्माण कार्यों के निष्पादन पर किया गया था। शेष ₹0.95 करोड़ अभी भी अव्ययित (सितंबर 2020) थे।

3.5.25 अन्य प्रमुख मुद्दे

- वित्त मंत्रालय, जीओआई द्वारा संस्वीकृत (सितंबर 2018) *'राज्य की वार्षिक योजना 2018-19 हेतु प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण योजना (पीएमआरपी) राज्य सरकार को पूँजी-एक विशेष सहायता'* के रूप में ₹85 करोड़[102] में से, वित्त विभाग ने 21 बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु पीएमडीपी के अंतर्गत पीएचई, आईएण्डएफसी विभाग के पक्ष में ₹5 करोड़ की परियोजना लागत के प्रति ₹2.50 करोड़ आबंटित किये थे। अप्रैल 2019 में सीई, सिंचाई एवं एफसी विभाग, जम्मू द्वारा प्रशासनिक विभाग को ₹2.50 करोड़ हेतु उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया था। पीएमडीपी के अंतर्गत वित्त विभाग द्वारा निधियों के अंतरण के कारण जो कि जीओआई से पीएमआरपी के अंतर्गत प्राप्त हुये थे, प्रतीक्षित (दिसंबर 2020) थे। जबकि यह मामला सरकार को भेजा गया (जून 2020) था, उनका जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, जीओजेएण्डके के अधीन लघु पैमाना उद्योग विकास निगम लिमिटेड (एसआईसीओपी) एवं राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (एसआईडीसीओ) के अभिलेखों के लेखापरीक्षा परीक्षण से प्रकट हुआ कि 13 परियोजनाओं[103] के निर्माण एवं उन्नयन पर निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु ₹107.14 करोड़[104] संस्वीकृत किये गये थे और वर्ष 2017-19 की अवधि के दौरान उपयोग किये हुए बताये गये थे। तथापि, ये निर्माण कार्य ऐसे स्थानों[105] पर अवस्थित थे जहाँ किसी बाढ़ की सूचना नहीं दी गयी थी।

संयुक्त निदेशक (योजना), पीडीएण्डएमडी ने कहा (अगस्त 2020) कि विभिन्न औद्योगिक संपदाओं को हुयी क्षतियों को एसआईसीओपी/ एसआईडीसीओ द्वारा तैयार किये गये डीपीआर में दर्शाया गया था तथा औद्योगिक संपदा, घट्टी कठुआ तलहटी में

102 आवास एवं शहरी विकास विभाग: ₹75 करोड़; जिला विकास आयुक्त, कारगिल: (₹7.50 करोड़) और पीएचई/ आईएण्डएफसी विभाग: ₹2.50 करोड़।

103 जम्मू: 8; कश्मीर: 5

104 एसआईडीसीओ (के): ₹40.63 करोड़; एसआईडीसीओ (जे): ₹61.48 करोड़; एसआईसीओपी (जे): ₹5.03 करोड़।

105 औद्योगिक संपदा: जम्मू, कठुआ, पुलवामा, सांबा, सोपोर, श्रीनगर एवं ऊधमपुर।

स्थापित किया गया था एवं जल के अति प्रवाह ने अवसंरचना को क्षतियाँ पहुँचायी थी। यह भी कहा गया था कि औद्योगिक संपदा बरी-ब्राह्मणा तथा सांबा भी निरंतर भारी वर्षा के कारण जलमग्न हो गये थे और इस प्रकार पुनः स्थापनों के ये निर्माण कार्य आगे अधःपतन/ क्षतियों से अवसंरचनाओं को बचाने के लिए आवश्यक माने गये थे। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि उन क्षेत्रों में बाढ़ की कोई सूचना (घट्टी कठुआ, बरी ब्राह्मणा, सांबा इत्यादि) नहीं प्रदान की गयी थी जहाँ ये निर्माण कार्य निष्पादित किये गये थे। इसके अलावा, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के संबंध में जिला विकास आयुक्त की अधिसूचना लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गयी थी।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि ₹1.98 करोड़ का उपयोग जम्मू में अवस्थित सरकारी बंगलों[106] की मरम्मत एवं नवीनीकरण निर्माण कार्यों पर वर्ष 2017-18 के दौरान सम्पदा विभाग द्वारा किया गया था जहाँ कोई बाढ़ नहीं आयी थी जिसका परिणाम अनियमित व्यय के रूप में हुआ।

संयुक्त निदेशक (योजना), पीडीएण्डएमडी ने कहा (अगस्त 2020) कि योजना विकास एवं निगरानी विभाग ने वर्ष 2014 की विनाशकारी बाढ़ों के कारण क्षतिग्रस्त निर्माण कार्यों की संवीक्षा करने के उपरांत ही निधियाँ निर्मोचित की थी और वीआईपी एवं वीवीआईपी द्वारा अधिकृत कुछ भवनों पर भारी बारिश तथा तूफान से क्षतिग्रस्त होने के कारण व्यय किया गया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि बाढ़ों के कारण क्षतिग्रस्त होने वाले वीवीआईपी भवनों के कोई दस्तावेजी उदाहरण/ रिर्पोटिंग नहीं थी।

3.5.26 अनुवीक्षण

जीओजेएण्डके ने मासिक आधार पर प्रगति की समीक्षा करने तथा कार्य योजनाओं के निर्माण हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सदस्य सचिव और 15 अन्य सदस्यों वाली एक अनुवीक्षण समिति का गठन (अप्रैल 2016) किया था। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया (जुलाई 2019) कि समिति ने 36 बार बैठकों की आवश्यकता के प्रति वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान केवल दो बार (दिसंबर 2016 व सितंबर 2017) बैठक की थी।

---

106 गांधी नगर, मुठी, रेहारी, सरवल, वेद मंदिर एवं वज़ारत रोड।

नीति आयोग (जीओआई) द्वारा प्रतिनियुक्त (सितंबर 2017) एक टीम ने भी, पीएमडीपी के अंतर्गत निष्पादित विभिन्न परियोजना निर्माण कार्यों के स्थलों/ अवस्थितियों का निरीक्षण किया था। तथापि, मांगे गये प्रतिवेदन को न तो उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा और न ही संपदा विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया था।

संयुक्त निदेशक (योजना), पीडीएण्डएमडी ने कहा (अगस्त 2020) कि आईएण्डसी विभाग के संबंध में प्रशासनिक विभाग/ एचओडी ने संबंधित कार्यान्वयन/ कार्यकारी अभिकरणों के साथ परियोजनाओं की प्रगति की आवधिक रूप से समीक्षा की थी जबकि संपदा विभाग के संबंध में यह कहा गया था कि पीएमडीपी के अंतर्गत निष्पादित विभिन्न निर्माण कार्यों के स्थलों/ अवस्थितियों के निरीक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा प्रतिनियुक्त टीम से कोई प्रतिकूल रिपोर्ट या अन्यथा प्राप्त नहीं हुयी थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा नीति आयोग प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने के पश्चात्, उक्त प्रतिवेदन को लेखापरीक्षा द्वारा नीति आयोग से ही प्राप्त कर लिया गया था तथा नीति आयोग टीम (सितंबर 2017)[107] के प्रतिवेदनानुसार, टीम पनामा चौक व बिक्रम चौक, जम्मू में वीआईपी बंगलों हेतु किये गये निर्माण कार्यों के लिए प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं थी।

---

107 दिसंबर 2020 में लेखापरीक्षा को नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत।

अध्याय-IV

सामाजिक अवसंरचना

अध्याय - IV

सामाजिक अवसंरचना

4.1 प्रस्तावना

पीएमडीपी के अंतर्गत सामाजिक अवसंरचना में अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य में स्वास्थ्य की देखरेख के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एआईआईएमएस) की तरह दो संस्थानों का निर्माण; भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), जम्मू और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), जम्मू की स्थापना का निष्पादन किया जाना; हिमायत योजना के अंतर्गत एक लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण से जुड़े हुए स्व-रोजगार और वेतन रोजगार स्थानन हेतु प्रशिक्षित किया जाना; खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने के लिए तत्कालीन राज्य में इनडोर और आउटडोर स्टेडियम का निर्माण, शामिल था। अन्य योजनाएं जैसे कि दो वर्ष के लिए विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के पारिश्रमिक की ₹3,000 प्रति माह से ₹6,000 प्रति माह तक बढ़ी हुयी दर; **पश्मीना संवर्धन कार्यक्रम** का आरंभ इत्यादि भी इसी भाग का हिस्सा हैं।

पीएमडीपी के सामाजिक अवसंरचना खण्ड में, विकास के लिए कुल ₹8,057 करोड़ के परिव्यय सहित दस परियोजनाएं **आरंभ की गयी थी**, जिनमें से दो परियोजनाओं को विस्तृत नमूना जाँच हेतु चुना गया था। ये थी:

- पीएमडीपी के अंर्तगत आबंटित निधियों से अनन्य रूप से ₹250 करोड़ के निवेशन के साथ ₹1,601.51 करोड़ के कुल परिव्यय सहित 'हिमायत' योजना।
- पीएएमडीपी के अंर्तगत आबंटित निधियों से दो वर्ष की अवधि हेतु ₹450 करोड़ की अनुमानित लागत सहित एसपीओ को पारिश्रमिक की बढ़ी हुयी दर।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग

4.2 हिमायत योजना के अंतर्गत उठाये गये कदम

4.2.1 प्रस्तावना

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी), जीओआई ने 'हिमायत' (अक्टूबर 2011) का प्रमोचन किया, जो बाद में तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना (डीडीयू-जीकेवाई) की योजना के अधीन एक पृथक

ऊर्ध्वाधर के रूप में प्रकार्यात्मक थी, जिसमें दोनों श्रेणियों के अंतर्गत शहरी के साथ-साथ ग्रामीण युवा समाविष्ट थे:

- गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल); तथा
- गरीबी रेखा के ऊपर (एपीएल)

स्व-रोजगार के साथ-साथ औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को सुकर बनाने के लिए कौशल प्रदान करने हेतु एमओआरडी, जीओआई द्वारा पीएमडीपी के अंतर्गत वित्तपोषण के रूप में ₹250 करोड़ सहित पाँच वर्षों की अवधि में ₹1,601.51 करोड़ की अनुमानित लागत पर एक लाख युवाओं के प्रशिक्षण का लक्ष्य निर्धारित (नवंबर 2015) किया गया था। तत्पश्चात, एमओआरडी, जीओआई ने नवंबर 2020 तक प्राप्त किये जाने हेतु लक्ष्य वर्ग के कम से कम 70 प्रतिशत के स्थानन आश्वासन के साथ यह लक्ष्य 1.24 लाख युवाओं तक परिशोधित (जुलाई 2016) किया था। कंप्यूटर अभिविन्यस्त कौशल, सॉफ्ट स्किल्स, तकनीकी कौशल के साथ-साथ अंग्रेजी में संप्रेषण कौशल इत्यादि पर पाठ्यक्रमों हेतु दोनों आवासीय और गैर-आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किये जाने थे। पाठ्यक्रमों की अवधि तीन से बारह महीनों के बीच थी।

4.2.2 संरचनात्मक क्रियाविधि

यद्यपि राज्य सरकार ने जम्मू और कश्मीर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (जेकेएसआरएलएम) की स्थापना की थी, तथापि, हिमायत प्रबंधन मिशन, जीओजेएण्डके का एक समर्पित मिशन, विशेष रूप से तत्कालीन जेएण्डके राज्य में कार्यक्रम[1] के कार्यान्वयन हेतु गठित किया गया था। इस मिशन को ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत (जीपी) में इकाइयों और राज्य स्तर पर मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) की अध्यक्षता में हिमायत मिशन प्रबंधन इकाई (एचएमएमयू) सहित, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, जीओजेएण्डके के पर्यवेक्षण में कार्य करना था। एचएमएमयू की क्षेत्र इकाइयाँ, कार्यक्रम कार्यान्वयन अभिकरण (पीआईए), जो राज्य स्तरीय परियोजना समीक्षा समिति (एसएलपीआरसी) के अनुमोदन और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी), हैदराबाद की अनुशंसा पर एचएमएमयू द्वारा चयनित किए जाने वाले बाहय अभिकरण थे, के सहयोग सहित, स्थानन को सुकर

[1] मिशन दस्तावेज।

बनाने और कार्यक्रम के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए युवाओं की पहचान एवं परामर्श हेतु उत्तरदायी थी।

जून 2019 तक, 28 पीआईए 54 प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से विभिन्न ट्रेडों/कौशलों में युवाओं को प्रशिक्षित करने के कार्य में लगे हुए थे।

4.2.3 लेखापरीक्षा नमूना

एचएमएमयू तथा प्रशिक्षण प्रदान करने वाले 54 प्रशिक्षण केन्द्रों में से 14[2] को प्रतिस्थापन के बिना सरल यादृच्छिक प्रतिचयन (एसआरएसडब्ल्यूओआर) विधि द्वारा चुना गया था और 14 नमूना प्रशिक्षण केन्द्रों में हितभागियों को विस्तृत संवीक्षा हेतु यादृच्छिक रूप से चुना गया था।

4.2.4 कार्यान्वयन

कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित अभिलेखों के परीक्षण (जून 2019) से पता चला कि यद्यपि एचएमएमयू राज्य स्तर पर स्थापित (जुलाई 2016) किया गया था, तथापि कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन में एचएमएमयू की सहायता के लिए जिला और खण्ड स्तरों पर कोई सहायक स्टाफ नियुक्त नहीं किया गया था। अतः जीपी जमीनी स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु युवाओं के जुटाव (जनवरी 2019 तक) को आसान बनाने में और जागरूकता पैदा करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में सबसे गरीब परिवारों तक पहुँचने में शामिल नहीं थे। जीपी द्वारा गतिविधियों में सहभागिता विभाग द्वारा जनवरी 2019 से ही शुरू की गई थी। परिणामस्वरूप, मार्च 2019 तक प्राप्त की जाने वाली अपेक्षित प्रगति हासिल नहीं की गयी थी।

निदेशक वित्त, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने कहा (अगस्त 2020) कि योजना को आरंभ में जेकेएसआरएलएम के यूएमईईडी[3] कार्यक्रम के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से प्रोत्साहित किया गया था, क्योंकि पंचायतों का गठन वर्ष 2018 के अंत में ही किया गया था और कार्यान्वयन योजना के आरंभिक भाग के दौरान पीआईए की संख्या बहुत कम थी।

---

2 1. बाबा साहेब अम्बेडकर, दिल्ली; 2. ब्राइट नियॉन, जम्मू; 3. डेटा प्रो जम्मू; 4. अर्थकॉन कंस्ट्रक्शन, श्रीनगर; 5. फिदेलिस कॉरपोरेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड; 6. आईसीए, सांबा; 7. आईएलएण्डएफएस-1, बडगाम; 8. आईएलएण्डएफएस-1, कुपवाड़ा; 9. आईएलएण्डएफएस 1 ऊधमपुर; 10. इंटेलिजेन्स मैनपॉवर, कठुआ; 11. जेकेडीएजी, बडगाम; 12. मास इन्फोटेक, कठुआ; 13. रूमन टेक्नोलोजी; और 14. सायदवाड, दिल्ली।

3 जेकेएसआरएलएम द्वारा संचालित की जा रही योजना।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एचएमएमयू की ओर से समन्वय हेतु जिला और खण्ड स्तरों पर सहायक स्टाफ की अनुपस्थिति ने योजना के प्रभाव को सीमित किया।

4.2.5 नियोजन

परियोजना दिशानिर्देश[4] अनुमानित आउटपुट को प्राप्त करने के लिए कार्यनीतियाँ बनाने हेतु एक राज्य परिप्रेक्ष्य कार्यान्वयन योजना (एसपीआईपी) की तैयारी का उपबंध करते हैं। तदुपरांत वार्षिक कार्य योजना की तैयारी की जानी थी, जिसे प्रत्येक वर्ष के 01 दिसंबर तक भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाना था। एसपीआईपी को योजना के अंतर्गत युवाओं की संख्या, उनकी कौशल आवश्यकताओं, सात वर्षों को समाविष्ट करते हुए मध्यम अवधि हेतु, समाविष्ट ट्रेडों और प्रक्षेत्रों जिनके लिए प्रशिक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता थी और विशेष परियोजनाओं के साथ-साथ प्रशिक्षित हितभागियों के स्थानन एवं नवाचार हेतु क्षेत्रों के पहचान की आवश्यकता को प्रस्तावित करना अपेक्षित था। कौशल अंतराल मूल्यांकन (एसजीए), बाजार निरीक्षणों और सर्वेक्षणों और साहित्य समीक्षाओं इत्यादि से आधारभूत जानकारी गरीब और अरक्षित समुदायों की विभिन्न श्रेणियों से युवाओं का विवरण प्राप्त करने हेतु राज्य में परिदृश्यों का स्थिति विश्लेषण करने के लिए एकत्रित की जानी थी ताकि प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें कौशल प्रदान किया जा सके।

लेखापरीक्षा (मई 2019) में पाया गया कि सात वर्षों की अवधि को समाविष्ट करने वाला एसपीआईपी तैयार नहीं किया गया था और इसके बजाय मिशन ने वर्ष 2016 से 2019 की अवधि हेतु पहले चरण के लिए तीन वर्षीय योजना, उसके बाद वर्ष 2019 से 2022 की अवधि के लिए फरवरी 2019 में एक और तीन वर्षीय योजना प्रस्तुत (जुलाई 2016) की। योजनाएं कार्यक्रम के अंतर्गत समाविष्ट किए जाने वाले ट्रेडों की पहचान के बिना भी प्रस्तुत की गयी थी।

आधारभूत सर्वेक्षण के अभाव में, विभाग गरीबों को कौशल प्रदान करने के लिए राज्य में परिदृश्य का स्थिति विश्लेषण तैयार नहीं कर सका जिसे गरीबों और अरक्षित क्षेत्रों से युवाओं की विभिन्न श्रेणियों के विवरणों को प्राप्त करने हेतु उन्हें कौशल कार्यक्रमों

---

4 जुलाई 2016 को जारी दिशानिर्देशों का पैरा 4.6

में लाया जाना अपेक्षित था जिसके परिणामस्वरूप अगस्त 2020 तक राज्य के कौशल अंतराल को पाटने के प्रयोजन को आंशिक रूप से ही प्राप्त किया जा सका।

निदेशक वित्त, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, जीओजेएण्डके ने कहा (अगस्त 2020) कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की इच्छा थी कि राज्य को विभिन्न कौशलों में युवाओं के कौशल/ प्रशिक्षण हेतु तथा तत्पश्चात निजी क्षेत्र में उनके स्थानन के लिए तीन-वर्षीय कार्य योजना प्रस्तुत करनी चाहिए तथा एचएमएमयू कौशल अंतराल विश्लेषण के संचालन हेतु संस्थानों/ अभिकरणों की पहचान करने की प्रक्रिया में था, जिसके लिए प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के पास प्रस्तुताधीन था।

हालांकि जवाब मौन है कि कौशल अंतराल आंकलन, एक आवश्यक पूर्वापेक्षा, जो अभी तक संचालित (अगस्त 2020) की जानी थी, से आधारभूत जानकारी के रूप में कार्य योजना हेतु इनपुटों का प्रवाह कैसे हो रहा था।

इस प्रकार, योजना अकुशल नियोजन और बिना किसी महत्त्वपूर्ण इनपुटों के अपने अभिप्रेत लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधित हुयी जैसा कि पैराग्राफ 4.1.1 में विवरण दिया गया है।

4.2.6 वित्तीय प्रबंधन

हिमायत परियोजना डीडीयू-जीकेवाई का एक पृथक ऊर्ध्वाधर है जो कौशल प्रशिक्षण मॉड्यूलों हेतु पूर्णरूपेण भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है। इन प्रशिक्षण मॉड्यूलों का एक समर्पित हिमायत मिशन प्रबंधन इकाई (एचएमएमयू) द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से कार्यान्वयन किया जाना था। योजना हेतु वार्षिक आबंटन[5] राज्यों की आमेलन क्षमता तथा गरीबी अनुपातों के आधार पर जीओआई द्वारा निर्गत किया जाना था।

आरंभ में, राज्य सरकार द्वारा तीन दिनों की अवधि के अंदर भारत सरकार से प्राप्त निधियाँ मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) को हस्तांतरित करना आवश्यक था, जिसे बाद में (सितंबर 2018) 15 दिनों तक बढ़ा दिया गया। निर्धारित अवधि में मिशन निदेशक को निधियों के निर्मोचन में देरी के

5 दिशानिर्देशों के पैरा 5.1 के अनुसार।

मामले में, राज्य सरकार को निर्दिष्ट अवधि से परे विलंब की अवधि हेतु 12 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना था।

वर्ष 2016 से 2019 की अवधि के दौरान निर्गत निधियों और किये गये व्यय की प्रास्थिति का विवरण **तालिका 4.2.1** में दिया गया है।

तालिका 4.2.1: वित्तीय प्रास्थिति

(31 मार्च 2019 तक)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथ शेष	जीओआई द्वारा संस्वीकृत निधि	जीओजेएण्डके द्वारा निर्मोचन में विलंब	कुल उपलब्धता	व्यय (प्रतिशत)	अप्रयुक्त निधियाँ
2016-17	-	45.22	--	46.72	30.40 (65)	16.32
		1.50	222 दिन			
2017-18	16.32	2.36	--	76.42	28.02 (37)	48.40
		57.74	107 दिन			
2018-19	48.40	64.67	13 व 16 दिनों के मध्य	179.32	76.42 (43)	102.90
		66.25	--			
कुल		**237.74**		**302.46**	**134.84 (57)**	

(स्रोतः हिमायत मिशन का प्राप्ति व्यय विवरण)

वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान 13 दिनों से 222 दिनों के बीच की देरी से निधियाँ निर्गत की गयी थी। तदनुसार, विलंबित निर्मोचनों (मई 2019) के कारण राज्य सरकार मिशन को ₹2.81 करोड़ के ब्याज के भुगतान हेतु उत्तरदायी थी।

संयुक्त निदेशक (योजना) ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, जीओजेएण्डके, ने टिप्पणी को स्वीकार करते हुए कहा (जून 2020) कि निधियों के निर्मोचन में विलंब प्रशासनिक विभाग और वित्त विभाग, जीओजेएण्डके के मध्य प्रक्रमण प्रक्रियाओं के अनुसरण में लिये गये समय के कारण था।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019-20 के दौरान, जीओआई द्वारा ₹234.94 करोड़ की राशि संस्वीकृत की गयी थी, जिसके प्रति जीओजेएण्डके ने मिशन के पक्ष में ₹52.68 करोड़ निर्गत किये और ₹182.26 करोड़ को रोके रखा। 31 मार्च 2020 की समाप्ति पर ₹314.01 करोड़ के अप्रयुक्त शेष को छोड़ते हुए, वर्ष के दौरान ₹23.83 करोड़ का व्यय किया गया था।

4.2.6.1 निधियों का आहरण

एचएमएमयू ने कार्यक्रम कार्यान्वयन अभिकरणों (पीआईए) को सभी प्राप्तियों और जीओआई के **केन्द्रीय आयोजना योजना निगरानी प्रणाली** (सीपीएसएमएस) में दर्शाये जाने वाले लिंक्ड संवितरणों को **मानक प्रचालन प्रक्रिया** (एसओपी) के अनुसार एक **एकल समर्पित बैंक खाते** का उपयोग करने हेतु निर्देश (मार्च 2017) दिया गया था। पीआईए को इस समर्पित बैंक खाते से राशियाँ केवल तभी हस्तांतरित करने की आवश्यकता थी जब निधियों को संवितिरत किया जाना अपेक्षित था।

संबंधित अभिलेखों के अनुसार, प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एचएमएमयू द्वारा विनियोजित तीन[6] पीआईए ने वर्ष 2017 से 2019 की अवधि के दौरान समर्पित डीडीयू-जीकेवाई बैंक खाते से ₹23.01 करोड़ का आहरण किया था, जैसा कि **तालिका 4.2.2** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया (मई 2019) कि समर्पित खाते से भुगतान करने के बजाय, इन तीनों पीआईए ने एसओपी के उल्लंघन में अन्य बैंक खातों में **तालिका 4.2.2** में दिये गये विवरणानुसार राशियाँ हस्तांतरित की थी। **केवल एक[7] ने ₹9.13 करोड़ का प्रतिदाय किया।** दो वर्षों के बीत जाने के बाद भी, शेष ₹13.88 करोड़ (60 प्रतिशत) पीआईए के पास थे।

तालिका 4.2.2: निधियों का आहरण

(जून 2019 तक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कार्यक्रम कार्यान्वयन अभिकरण का नाम	प्रदान की गयी अग्रिम राशि	आहरित राशि	प्रतिपूर्ति की गयी राशि	बकाया राशि	शास्ति	कुल लंबित वसूली
1.	मैसर्स सूर्या वायर्स प्राइवेट लिमिटेड	12.36	9.37	9.13	0.24	0.29	0.53
2.	मैसर्स अपोलो मेडस्किल्स लिमिटेड	8.18	7.39	0.00	7.39	0.16	7.55
3.	मैसर्स ओरियन एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड	7.39	6.25	0.00	6.25	0.16	6.41
	कुल	**27.93**	**23.01**	**9.13**	**13.88**	**0.61**	**14.49**

(स्रोत: मिशन अभिलेख)

---

6 1. मैसर्स अपोलो मेडस्किल्स लिमिटेड; 2. मैसर्स ओरियन एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड; और 3. मैसर्स सूर्या वायर्स लिमिटेड।

7 मैसर्स सूर्या वायर्स प्राइवेट लिमिटेड।

यह इंगित (मई 2019) किए जाने पर, निदेशक वित्त, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने कहा (अगस्त 2020) कि मार्च 2019 के अंत तक मैसर्स सूर्या वायर्स प्राइवेट लिमिटेड ने ₹9.37 करोड़ में से, केवल ₹9.13 करोड़ लौटाये/ जमा किये थे। शेष ₹13.88 करोड़ की प्रतिपूर्ति का आगे कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था।

जब मामले का विभाग के साथ आगे अनुकरण (जनवरी 2021) किया गया था तो प्रतिपूर्ति की अद्यतित स्थिति के विवरण स्वरूप, सीओओ, हिमायत ने निम्नलिखित अद्यतित सूचना प्रस्तुत की:

- मैसर्स सूर्या वायर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, ₹10.09 करोड़ की प्रतिपूर्ति कर ली गयी है तथा एचएमएमयू द्वारा ₹0.29 करोड़ की शास्ति अधिरोपित की गयी है।
- मैसर्स अपोलो मेडस्किल्स लिमिटेड के मामले में, ₹7.39 करोड़ की संपूर्ण राशि की प्रतिपूर्ति कर ली गयी है तथा एचएमएमयू ने ₹0.16 करोड़ की शास्ति अधिरोपित की गयी है।
- मैसर्स ओरियन एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, ₹3.14 करोड़ की प्रतिपूर्ति कर ली गयी है तथा एचएमएमयू द्वारा ₹0.16 लाख की शास्ति अधिरोपित की गयी है।

जैसा कि घटनाओं के कालक्रम से देखा जा सकता है, एसओपी के समग्र उल्लंघन में पीआईए को उनकी आवश्यकता की निगरानी के बिना निधियाँ उपलब्ध करायी गयी थी। इसके अतिरिक्त, यद्यपि यह पीआईए के प्रथम लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किया गया था, अपयोजित राशियों की यथाशीघ्र वसूली सुनिश्चित करने के लिए एचएमएमयू द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गयी थी।

इस प्रकार, एसओपी का समग्र उल्लंघन करते हुए तीन पीआईए द्वारा कुल राशि ₹23.01 करोड़ के अस्थायी गबन पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी।

₹23.01 करोड़ की पर्याप्त राशि को शामिल करने वाले इस प्रकार के व्यपगमन और निजी सत्वों को अनुचित लाभ दिए जाने की जांच किए जाने की आवश्यकता है तथा उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने चाहिए कि भविष्य में ऐसे व्यपगमन न हों।

4.2.6.2 प्रशासनिक लागत के लिए पृथक बैंक खाता

एमओआरडी, जीओआई द्वारा जारी (सितंबर 2018) अनुदेशों के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत प्रशासनिक लागत से संबंधित संव्यवहारों के लिए एक पृथक समर्पित बैंक खाता खोला जाना अपेक्षित था। हालांकि, योजना के कार्यान्वयन के उपरांत लगभग तीन वर्षों में, विशेष रूप से भारत सरकार द्वारा अनुदेश (सितंबर 2018) दिए जाने के बाद भी, एचएमएमयू द्वारा केवल 29 जनवरी 2020 को जेएण्डके बैंक में एक पृथक बैंक खाता खोला गया था। 18 सितंबर 2018 से 28 जनवरी 2020 तक एक पृथक बैंक खाते के अभाव में, प्रशासनिक खर्चों से संबंधित व्यय को पारदर्शी तरीके से अनुरक्षित नहीं किया गया था और इसलिए उस यथार्थ उद्देश्य को विफल करते हुए जिसके लिए अनुदेश जारी किये गये थे, लेखापरीक्षा द्वारा उक्त का परीक्षण नहीं किया जा सका।

यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाने चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार के व्यपगमन न हों।

4.2.6.3 स्रोत पर आयकर की कटौती

आयकर अधिनियम की धारा 194 के अनुसार, आयकर कटौती तब की जानी है जब निधियाँ स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के रूप में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पीआईए को उपलब्ध करायी गयी थी। तथापि, यह देखा गया (मई 2019) कि सात पीआईए[8] के मामले में, जो बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे थे, इन पीआईए को किये गये भुगतानों से स्रोत पर इन पीआईए से ₹55 लाख का टीडीएस नहीं काटा गया था, जिसके द्वारा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के साथ-साथ इन पीआईए को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था।

इसे इंगित (मई 2019) किए जाने पर, निदेशक वित्त, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, जीओजेएण्डके ने टीडीएस (आयकर) की गैर-कटौती पर टिप्पणी को स्वीकार करते हुए कहा (अगस्त 2020) कि यह टीएएन संख्याओं के गैर-आबंटन के कारण हुआ था। आगे यह कहा गया था कि दूसरी किस्त जारी करते समय संबंधित पीआईए से उक्त की वसूली कर ली जाएगी।

---

[8] अपोलो मेडस्किल्स; 2 कैप फाउंडेशन; 3. आईएलएण्डएफएस; 4. मैन पॉवर ग्रुप; 5. ओरियन एजुकेशन; 6 सूर्या वायर्स; और 7. टीम लीज सर्विसेज।

शास्तियों को अधिरोपित करने से बचने के लिए, विभाग द्वारा पीआईए को भुगतानों से आयकर की कटौती से संबंधित प्रावधानों को कड़ाई से लागू किया जाए।

4.2.7 परियोजनाओं का आरंभ

एचएमएमयू परियोजनाओं की संस्वीकृत के उपरांत इन परियोजनाओं के आरंभ की मानित तिथि से संबंधित आदेशों को जारी करता है। कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु परियोजनाओं के आरंभ के लिए पीआईए को समय अनुसूची का पालन करना अनिवार्य था। हालांकि, जैसा कि सीओओ, एचएमएमयू के अभिलेखों से देखा गया, 20 पीआईए के मामले में परियोजनाओं के आरंभ में बहुत देरी हुयी थी, जहाँ एक तकनीकी सहायता अभिकरण (टीएसए) के विनियोजन तथा निधियों की उपलब्धता के बावजूद, परियोजनाओं के आरंभ की मानित तिथि और आरंभ की वास्तविक तिथि के मध्य अंतर नौ दिनों से 169 दिनों के बीच था।

4.2.7.1 युवाओं के प्रशिक्षण और स्थानन में प्रगति

हिमायत कार्यक्रम के अंतर्गत पीआईए द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण[9] के समापन के पश्चात् एक सुनिश्चित रोजगार सहित प्रभाव क्षेत्रों/ कौशलों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। पीआईए राज्य में या राज्य से बाहर प्रवेश स्तर सेवा/ विनिर्माण क्षेत्र नौकरियों में नियुक्त किये जाने हेतु प्रशिक्षणार्थियों के 70 प्रतिशत के अपेक्षित परिणाम के साथ युवाओं का प्रशिक्षण संचालित करने के लिए उत्तरदायी हैं। जीओजेएण्डके से प्रशिक्षण हेतु उम्मीदवारों को जुटाने और इस उद्देश्य के लिए विद्यमान स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को सक्रिय करने के लिए अनुरोध[10] किया गया था। वर्ष 2016 से 2019 तक के वर्षों के दौरान बेरोजगार युवाओं के प्रशिक्षण हेतु निर्धारित लक्ष्यों, उपलब्धियों और नौकरियों में लगाये गये प्रशिक्षित युवाओं की वर्ष वार प्रास्थिति **तालिका 4.2.3** में दी गई है।

---

9 प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि तीन से 12 महीनों के बीच थी।

10 प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव द्वारा दिनांक 13 अगस्त 2016 को आयोजित समीक्षा बैठक में।

तालिका 4.2.3: प्रशिक्षणों तथा स्थाननों की प्रास्थिति

क्र. सं.	वर्ष	लक्ष्य (प्रशिक्षणार्थियों की संख्या)	उपलब्धियाँ (प्रतिशत)	किये गये स्थानन (प्रशिक्षितों की कुल संख्या की तुलना में प्रतिशत)
1.	2016-17	9,200	0 (0)	0 (0)
2.	2017-18	18,352	123 (1)	0 (0)
3.	2018-19	25,995	4,371 (17)	732 (17)
	कुल	**53,547**	**4,494** **(8 *प्रतिशत*)**	**732 (16 *प्रतिशत*)**

(स्रोत: हिमायत मिशन के अभिलेख)

जैसा कि **तालिका 4.2.3** में देखा जा सकता है, यद्यपि वर्ष 2016 से 2019 की अवधि के दौरान 53,547 युवाओं की लक्ष्य संख्या को प्रशिक्षित किया जाना था, उपलब्धि केवल 4,494 (8 प्रतिशत)[11] थी। 27 सक्रिय पीआईए थे जिन्होंने 31 मार्च 2019 तक 4,494 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया था और 6,871 उम्मीदवार प्रशिक्षणाधीन थे। हालांकि वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान केवल 123 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया था और इन वर्षों के दौरान उनके कोई स्थानन नहीं किये गये थे। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2016 से 2019 की अवधि के दौरान कुल 4,494 प्रशिक्षित युवाओं में से, केवल 732 युवाओं (16 प्रतिशत) को नौकरियों में लगाया गया था। वर्ष 2019-20 के लिए, कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था, तथापि 10,045 बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित किया गया था, जिनके प्रति 2,582 (26 प्रतिशत) युवाओं को नौकरियों में लगाया गया था।

निदेशक वित्त, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, जीओजेएण्डके ने कहा (अगस्त 2020) कि उम्मीदवारों को स्थानन उपलब्ध कराने में चुनौतियाँ थी क्योंकि सीमित संगठित निजी क्षेत्र अवसरों और उम्मीदवारों की राज्य से बाहर नौकरियाँ आरंभ करने हेतु राज्य से बाहर जाने की अनिच्छा के कारण राज्य में रोजगार की कम संभाव्यता थी। स्थाननों की संख्या बढ़ाने के लिए, एचएमएमयू ने जून 2019 में रोजगार मेले का आयोजन किया था, जिसमें 10 कंपनियों ने 194 उम्मीदवारों को

[11] ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया अर्थात् टेस्ट इंजीनियर सॉफ्टवेयर, बैंकिंग एसोसिएट, रिटेल सेल्स एसोसिएट, हेल्थ केयर मल्टीपर्पज वर्कर, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, सेल्स डायरेक्टर, इंश्योरेन्स सेल्स एसोसिएट, मेडिकल सेल्स रिप्रिजेन्टेटिव, हल्का मोटर वाहन (एलएमवी) चालक स्तर-III, आतिथ्य सत्कार सहायक, सुरक्षा गार्ड, सहायक इलेक्ट्रीशियन, फैशन डिजायनर, सिलाई मशीन प्रचालक आदि।

नौकरियों की पेशकश की थी। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आठ और रोजगार मेलों का आयोजन किया गया था।

यह उत्तर आंशिक रूप से सही है क्योंकि इस अवधि के दौरान राज्य में कुछ नये विशेषीकृत संस्थान जैसे आईआईटी, आईआईएम स्थापित किये गये हैं।

इस प्रकार, वर्ष 2019-20 में वर्धित उपलब्धि के बावजूद, योजना को सफल बनाने के लिए और अधिक ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

4.2.8 मानव संसाधन प्रबंधन

कार्यक्रम के कार्यान्वयन की अनुवीक्षा हेतु, जीओजेएण्डके को पर्याप्त कर्मचारियों को नियुक्त करने की आवश्यकता थी ताकि मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) के नेतृत्व में एक पूर्णकालिक समर्पित टीम की स्थापना हो सके। खण्ड कार्यक्रम प्रबंधकों (बीपीएम) के साथ-साथ सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों (सीआरपी) को भी नियुक्त किये जाने की आवश्यकता थी और खण्ड स्तर एवं नीचे के स्तर पर विनियोजित व्यावसायिकों की लागत कार्यक्रम लागतों में उपलब्ध करायी गयी थी।

मार्च 2019 तक, 16 संस्वीकृत पदों[12] के प्रति केवल छह पदों[13] को भरा गया/ कार्य में लगाया गया था, शीर्ष स्तर पर 63 प्रतिशत की कमी थी। वर्ष 2019-20 के दौरान स्थिति में सुधार नहीं हुआ क्योंकि मार्च 2020 तक उपलब्ध पदों की रिक्ति 54 प्रतिशत थी। जिला और खण्ड स्तर पर कमी 100 प्रतिशत थी, यद्यपि 340 पद[14] संस्वीकृत थे।

निदेशक वित्त, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, जीओजेएण्डके ने (अगस्त 2020) कहा कि एमओआरडी, जीओआई के सुझाव पर बाह्य स्रोत के आधार पर राज्य/ जिला स्तर पर स्टाफ के विनियोजन हेतु प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग में प्रक्रियाधीन था।

बाह्य स्रोत के आधार पर स्टाफ के विनियोजन हेतु एचएमएमयू के प्रस्ताव का प्रशासनिक विभाग में प्रक्रियाधीन रहना जारी है।

---

12 सीओओ (1), एसपीएम (7), एसओ (1), पीए (1), लेखा सहायक (2), डीईओ (4)।

13 सीओओ (1), एसपीएम (3), डीईओ (2)।

14 जिला कार्यकर्ता (22), खण्ड कार्यकर्ता (318)।

जीओजेएण्डके प्राथमिकता के आधार पर प्रस्ताव पर निर्णय लेने हेतु विचार कर सकती है।

4.2.9 अनुवीक्षण क्रियाविधि

इस योजना के सम्मत लक्ष्यों की प्राप्ति में पीआईए और राज्यों की सहायता हेतु एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। सम्मत निष्पादन संकेतकों के प्रति पीआईए के निष्पादन के अनुवीक्षण हेतु, उद्यम संसाधन नियोजन (ईआरपी) प्रणाली और स्वतंत्र अनुवीक्षकों के परिनियोजन के साथ वेब आधारित इंटरनेट अनुप्रयोग के माध्यम से समवर्ती अनुवीक्षण अपेक्षित था। गुणवत्तापूर्ण अनुवीक्षण सुनिश्चित करने के लिए पीआईए और एचएमएमयू में उच्च स्तरीय गुणवत्तापूर्ण टीमों की स्थापना किये जाने की आवश्यकता थी।

अभिलेखों के लेखापरीक्षा परीक्षण (मई 2019) से प्रकट हुआ कि मिशन ने तकनीकी सहायता अभिकरण (टीएसए) के रूप में एनएबीएआरडी कंसल्टेन्सी सर्विसेज (एनएबीसीओएनएस) को विनियोजित (जनवरी 2019) किया था। हालांकि, इस कार्यक्रम में उल्लिखित गतिविधियों को आरंभ करने हेतु टीएसए द्वारा पर्याप्त स्टाफ के गैर-परिनियोजन के कारण चुनौतियों का सामना किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय, जीओआई और जीओजेएण्डके को कार्यान्वयन की गति के साथ-साथ सहक्रियाओं में तेजी लाने का निर्देश[15] (नवंबर 2017) दिया गया था और जीओजेएण्डके को योजना के संबंधित घटकों के उद्योग संपर्क को बढ़ाने के लिए सात से आठ विषयगत विशेषज्ञों को नियुक्ति करना था, जो अभी तक (अगस्त 2020) किया जाना था। इस प्रकार, योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराये जाने के बावजूद, गुणवत्तापूर्ण अनुवीक्षण टीमें स्थापित नहीं की गयी थी।

निदेशक वित्त, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, जीओजेएण्डके ने कहा (अगस्त 2020) कि एचएमएमयू ने मई 2018 में परियोजनाओं के समवर्ती अनुवीक्षण हेतु टीएसए के रूप में एनएबीसीओएनएस का विनियोजन किया था और एनएबीसीओएनएस द्वारा स्टाफ के परिनियोजन के संबंध में एचएमएमयू और एनएबीसीओएनएस के मध्य एमओयू के अनुसार उनके द्वारा अपेक्षित संख्या में समस्त स्टाफ परिनियोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त, जम्मू में फरवरी 2020

---

15 20-30 नवंबर 2017 को केन्द्रीय गृह सचिव द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में लिये गये निर्णयानुसार।

के दौरान एचएमएमयू द्वारा दो दिवसीय मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की बैठक आयोजित की गयी थी और उद्योग के गणमान्य व्यक्तियों ने परियोजना की अन्य गतिविधियों के समर्थन में पीआईए को लिंकेज प्रदान करने के अलावा हिमायत प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की थी।

हालांकि, जैसा कि सीओओ, एचएमएमयू द्वारा उपाध्यक्ष, एनएबीसीओएनएस, नई दिल्ली के साथ किये गये पत्र व्यवहार (जनवरी 2019) में देखा गया था कि एनएबीसीओएनएस द्वारा परिनियोजित मानव संसाधन की क्षमता और संख्या दोनों के संदर्भ में एचएमएमयू द्वारा इन कठिनाईयों का सामना किया जा रहा था।

योजना के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुवीक्षण क्रियाविधि को सशक्त करने की आवश्यकता है।

4.2.10 प्रभाव आंकलन

योजना के दिशानिर्देशों[16] के अनुसार एचएमएमयू द्वारा प्रभाव आंकलन को संचालित किया जाना आवश्यक था।

हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि जून 2020 तक एचएमएमयू द्वारा स्वतंत्र अध्ययनों के माध्यम से योजना का कोई प्रभाव आंकलन और मूल्यांकन नहीं किया गया था।

राज्य के ग्रामीण/ शहरी युवाओं पर योजना के प्रभाव का आंकलन करने के लिए, लेखापरीक्षा द्वारा चयनित 13 प्रशिक्षण केन्द्रों (54 प्रशिक्षण केन्द्रों में से) में 211 हितभागियों से बातचीत की गयी। आयोजित किये गये साक्षात्कारों से उद्धृत कार्यक्रम प्रबंधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलू, बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान, युवाओं को उपलब्ध करायी गयी सुविधाएं, आम लोगों की जागरूकता, हितभागियों का संतुष्टि स्तर इत्यादि **तालिका 4.2.4** में वर्णित हैं।

---

[16] योजना दिशानिर्देशों का पैरा 3.2.1.7 (V)

तालिका 4.2.4: हितभागी साक्षात्कार

क्र. सं.	प्रश्नावली	अनुपात	प्रतिक्रिया (संख्या में)	प्रतिशत
1.	क्या प्रशिक्षणाधीन युवा आवासीय/ गैर-आवासीय है	आवासीय/ गैर-आवासीय	74/137	35/65
2.	प्रशिक्षणाधीन युवाओं की योग्यता	दसवीं तथा इससे अधिक परंतु अधिस्नातक/ स्नातक	193/18	91/9
3.	युवाओं का लिंग	पुरूष/ महिला	114/97	54/46
4.	श्रेणी: क्या सामान्य/ अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व. है	सामान्य/ अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व.	128/83	61/39
5.	क्या युवा प्रशिक्षणाधीन है या प्रशिक्षणावधि पूर्ण कर चुका है	प्रशिक्षणाधीन/ प्रशिक्षित	211	100
6.	कार्यक्रम/ योजना के बारे में युवाओं की जागरूकता	परामर्श/ रिश्तेदारों, मित्रों के माध्यम से	76/135	36/64
7.	प्रशिक्षण हेतु युवाओं का चयन कैसे किया गया था	अभिक्षमता परीक्षा/ अन्यथा	197/14	93/7
8.	क्या युवाओं द्वारा ज्ञान की शाखा का चयन किया गया था या इसे प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा आबंटित किया गया था	युवा द्वारा/ केन्द्र द्वारा	129/82	61/39
9.	प्रशिक्षण केन्द्र में उपलब्ध भोजन और आवास की गुणवत्ता	अच्छा/ सामान्य	74/0 (केवल आवासीय)	100
10.	क्या मानदेय (गैर-आवासीय) का स्वीकार्य भुगतान प्राप्त हुआ है या नहीं	प्राप्त हुआ/ प्राप्त नहीं हुआ	88/49 (केवल 137 से बातचीत की गयी)	64/36
11.	नौकरी के अवसरों से संबंधित युवाओं की संतुष्टि का स्तर	हाँ/ नहीं	211/0	100

(स्रोत: हितभागी सर्वेक्षण प्रतिवेदन)

निदेशक, वित्त, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, जीओजेएण्डके ने कहा (अगस्त 2020) कि कार्यक्रम के लिए व्यापक प्रभाव आंकलन संचालित नहीं किया गया था किन्तु कौशल प्रशिक्षणाधीन विभिन्न उम्मीदवारों की व्यक्तिगत सफलता की कहानियाँ, जिनका विभिन्न कंपनियों में स्थानन किया गया था, को अभिलेखबद्ध किया गया था तथा मिशन सुनिश्चित स्थानन सहित एक बार प्रशिक्षणार्थियों की पर्याप्त संख्या प्राप्त होने पर प्रभाव आंकलन और मूल्यांकन को आरंभ करेगा।

गृह विभाग

4.3 विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) को ₹3,000 प्रति माह से ₹6,000 प्रति माह तक पारिश्रमिक की बढ़ी हुयी दर

4.3.1 प्रस्तावना

तत्कालीन राज्य पुलिस के परिचालनात्मक सामर्थ्य के संवर्धन हेतु सन् 1995 में विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के विनियोजन हेतु एक योजना शुरू की गयी थी। यद्यपि, यह योजना सन् 1995 से अस्तित्व में थी, तथापि जीओआई के पीएमडीपी के अंतर्गत जनवरी 2016 से ₹450 करोड़ की एक विशिष्ट परियोजना ₹3,000 से अधिकतम ₹6,000 तक उनके मासिक पारिश्रमिक को क्रमबद्ध तरीके[17] से बढ़ाते हुए विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) की रहने की स्थितियों को सुधारने के प्रयोजन सहित अनुमोदित (मार्च 2016) की गयी थी। परियोजना, दो वित्तीय वर्षों 2015 से 2017 तक या सुरक्षा संबंधित व्यय (एसआरई) योजना के प्रचलन तक, जो भी पहले हो, कार्यान्वित की जानी थी।

79 लेखापरीक्षिती इकाइयों में से, 20 इकाइयाँ नमूना चयन हेतु परिनियोजित एसपीओ की अधिकतम संख्या के मापदण्ड को अपनाते हुए निर्णयात्मक प्रतिचयन विधि द्वारा विस्तृत जाँच के लिए चुनी गयी थी।

इस परियोजना में, गृह मंत्रालय (एमएचए), जीओआई को सुरक्षा संबंधित व्यय (एसआरई) के माध्यम से व्यय की प्रतिपूर्ति द्वारा राज्य सरकार को संसाधन सहायता उपलब्ध करानी थी। राज्य स्तर पर, परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों के रूप में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों (एसएसपी) के साथ प्रधान सचिव, गृह विभाग, जीओजेएण्डके के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) द्वारा कार्यान्वित की गयी थी।

जीओआई के आदेश पर विभाग (मार्च 2019) द्वारा एसपीओ के कार्य निष्पादन की संवीक्षा का परिणाम वर्ष 2013 से 2019 की अवधि के दौरान विनियोजित 14,539 एसपीओ में से 2,650 एसपीओ (18 प्रतिशत) के गैर-विनियोजन के रूप में हुआ।

---

17 दिनांक 5 जनवरी 2016 के आदेश की शर्त 1

विभाग द्वारा ₹450 करोड़ की परियोजना की संपूर्ण लागत का व्यय कर दिया गया था, जबकि एसपीओ के नियमित मानदेय प्रभारों को एसआरई के अंतर्गत बुक किया गया था जिनकी प्रतिपूर्ति जीओआई द्वारा की जा रही थी।

4.3.2 अनुदेशों का अनुपालन

I. रिक्त पद

वर्ष 1995 के दौरान जीओआई द्वारा एसपीओ के 25,474 पदों की कुल संख्या को संस्वीकृति प्रदान की गयी थी और तदुपरांत सितंबर 2016 में एसपीओ की संस्वीकृत पदों की कुल संख्या को 35,474 तक बढ़ाते हुए, एसपीओ के 10,000 अतिरिक्त पदों को संस्वीकृति प्रदान की गयी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सितंबर 2019 को 35,474 संस्वीकृत पदों के प्रति 30,231 एसपीओ ही कार्यरत थे और अगस्त 2020 तक बढ़े हुए मानदेय के बावजूद 3,305 (लगभग 9 प्रतिशत) की रिक्ति छोड़ते हुए, कार्यरत कुल एसपीओ की संख्या में 32,169 तक ही वृद्धि हुयी।

इस प्रकार, योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये प्रोत्साहन के बावजूद नौ प्रतिशत के अनुक्रम की रिक्तियाँ का विद्यमान रहना जारी रहा।

II. एसपीओ का प्रतिधारण

एमएचए, जीओआई ने निर्देश (अगस्त 2017) दिया कि एसपीओ के 4,251[18] पद, जो कि खाली पड़े थे, को जब तक आस्थगित रखे जाना अपेक्षित था तब तक कि उनकी भर्ती हेतु जीओजेएण्डके द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता। पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू), जीओजेएण्डके द्वारा निर्देश (अगस्त 2017) जारी किये गये थे कि एमएचए, जीओआई के अगले आदेशों तक एसपीओ का विनियोजन नहीं होगा। तथापि, विभाग के 12 नमूना कार्यालयों में 1,066 एसपीओ संस्वीकृत सीमा से अधिक प्रतिधारित थे और उक्त अनुदेशों के विपरीत दिसंबर 2017 तक पारिश्रमिकों का आहरण किया गया था।

विभाग ने कहा (अगस्त 2020) कि एमएचए के पत्र व्यवहार की देरी से प्राप्ति के कारण विनियोजन की प्रक्रिया जारी रही और एमएचए द्वारा मार्च 2018 में उक्त अवधि के दौरान विनियोजित 940 एसपीओ हेतु सहमति प्रदान की गयी थी।

---

[18] 25,474 संस्वीकृत पदों में से 1,089 (सितंबर 2016 तक) तथा 10,000 संस्वीकृत पदों में से 3,162 (सितंबर 2016 से)।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 1,066 एसपीओ को प्रतिधारित रखा गया था, यद्यपि प्रतिधारण के लिए सहमति केवल 940 एसपीओ हेतु थी।

इस प्रकार, प्राधिकृत संख्या से अधिक जनशक्ति का प्रतिधारण जारी है और उनकी सेवाओं के नियमितीकरण के बिना भुगतान किया जा रहा है।

यह अनुशंसा की जाती है कि विद्यमान रिक्तियों को नियत प्रक्रिया के पालन सहित शीघ्रता से भरा जाए ताकि योजना में प्रस्तावित लाभों को प्राप्त किया जा सके।

अध्याय-V

विकास परियोजनाएं

अध्याय - V

विकास परियोजनाएं

5.1 प्रस्तावना

विकास परियोजनाओं में बाहय रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाओं हेतु वित्तपोषण को सम्मिलित करते हुए पर्यटन, कृषि, बागवानी, शहरी विकास इत्यादि से संबंधित क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र में ₹5,521 करोड़ के कुल परियोजना परिव्यय वाली 13 परियोजनाएं[1] शामिल हैं। इन 13 परियोजनाओं में से, ₹2,285 करोड़ के परिव्यय वाली पाँच परियोजनाओं को लेखापरीक्षा में नमूना जाँच के लिए चुना गया था, जैसा कि **तालिका 5.2.1** में विवरण दिया गया है। इनके निष्कर्षों की चर्चा उत्तरवर्ती पैराग्राफों में की गयी है।

तालिका: 5.2.1. मार्च 2019 तक परियोजना लागत और व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजनाएं	परियोजना लागत	संस्वीकृत निधियाँ	व्यय (मार्च 2019)	अप्रयुक्त निधियाँ *(प्रतिशत)*
1.	पुनर्नवीकरण और शहरी रूपान्तरण हेतु अटल मिशन (एएमआरयूटी)	744	328.88	250.00	78.88 *(24)*
2.	जम्मू एवं कश्मीर राज्य हेतु चालू जेएनएनयूआरएम परियोजनाओं में शेष केन्द्रीय अंश की देयता	163	130.24	78.18	52.06 *(40)*
3.	जेएण्डके शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम की ईएपी परियोजना	712	622.28	622.28	शून्य
4.	पीएमआरपी 2004 के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं का समापन: प्रतिस्थानी वित्त पोषण एडीबी-II	566	313.96	313.96	शून्य
5.	क्षतिग्रस्त/ नष्ट परिसंपत्तियों के बदले में सरकारी पर्यटक परिसंपत्तियों का निर्माण	100	74.70	45.09	29.61 *(40)*
	कुल	**2,285**	**1,470.06**	**1,309.51**	**160.55** ***(11)***

(स्रोत: पीएमडीपी- 2015 पर विभागीय निगरानी प्रतिवेदन- 31 मार्च 2019 को स्थिति)

---

[1] (i) राज्य में पर्यटन का विकास (5 वर्षों के लिए ₹400 करोड़) नयी परियोजनाएं; (ii) क्षतिग्रस्त/ नष्ट परिसपत्तियों के बदले में सरकारी पर्यटन परिसंपत्तियों का निर्माण; (iii) 12 विकास प्राधिकरण, 3 पर्यटन सर्किट, पीएमआरपी 2004 के अंतर्गत प्रस्तावित 50 पर्यटक गाँवों की स्थापना और वुलर झील का संरक्षण; (iv) एएमआरयूटी; (v) स्मार्ट सिटीज मिशन; (vi) स्वच्छ भारत मिशन; (vii) जम्मू एवं कश्मीर राज्य हेतु चालू जेएनएनयूआरएम परियोजनाओं में शेष केन्द्रीय अंश की देयता; (viii) लेह और कारगिल में शीत भण्डारण सुविधाओं का निर्माण (ix) सोलर ड्रायर्स की स्थापना हेतु 50 प्रतिशत सहायिकी सहायता; (x) एनआईटी श्रीनगर का आधुनिकीकरण (xi) जेएण्डके शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम की ईएपी परियोजना (xii) पीएमआरपी 2004 के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं का समापन: प्रतिस्थानी वित्तपोषण एडीबी-II; और (xiii) पीएमआरपी 2004 के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं का समापन: डल-नागिन झील का पुनर्वास।

उपर्युक्त वर्णित पाँच चयनित परियोजनाओं हेतु ₹2,285 करोड़ की कुल परियोजना लागत के प्रति, ₹1,470.06 करोड़ की राशि निर्गत की गयी थी और 31 मार्च 2019 तक ₹160.55 करोड़ (11 प्रतिशत) के अप्रयुक्त शेष सहित ₹1,309.51 करोड़ का व्यय किया गया था।

आवास तथा शहरी विकास विभाग

5.2 पुनर्नवीकरण और शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन

5.2.1 प्रस्तावना

भारत सरकार (जीओआई) द्वारा तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य में जून 2015 में पुनर्नवीकरण तथा शहरी रूपांतरण (एएमआरयूटी) योजना हेतु अटल मिशन को प्रमोचित किया था। एएमआरयूटी के अंतर्गत, एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी शहर मिशन सिटीज के रूप में अभिहित किये गये थे। एएमआरयूटी योजना को नवंबर 2015 से प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) में शामिल कर लिया गया था।

एएमआरयूटी योजना का उद्देश्य था:

- प्रत्येक परिवार के लिए सीवरेज कनेक्शन और आश्वस्त आपूर्ति सहित नल के पानी तक पहुँच सुनिश्चित करना।
- हरियाली तथा अच्छी तरह अनुरक्षित खुले स्थानों को विकसित करते हुए शहरों के सौन्दर्य मूल्य में वृद्धि करना; और
- सार्वजनिक परिवहन में बदलते हुए या गैर-मोटर युक्त परिवहन हेतु सुविधाओं का निर्माण करते हुए प्रदूषण को कम करना।

तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य में, जीओआई द्वारा (जून 2015/ जून 2016) एएमआरयूटी योजना के अंतर्गत पाँच मिशन शहर[2] चयनित किये गये थे, जहाँ आवास तथा शहरी विकास विभाग, जीओजेएण्डके द्वारा निष्पादन हेतु पांच प्रक्षेत्रों[3] के अंतर्गत 92 उप-परियोजनाएं[4] पहचानी गयी थी। जीओआई द्वारा सचिव, शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी), जीओआई तथा जीओआई के संबंधित मंत्रालयों के

---

2 (i) अनंतनाग, (ii) जम्मू, (iii) कारगिल, (iv) लेह और (v) श्रीनगर।

3 (i) जलापूर्ति, (ii) सीवरेज और सेप्टेज, (iii) अपवाह, (iv) शहरी परिवहन और (v) हरित स्थान/ पार्क।

4 आरंभ में 92 उप-परियोजनाएं थी जिनमें एक और उप-परियोजना को जोड़ा गया था, हालांकि, तत्पश्चात् सितंबर 2020 तक 91 उप-परियोजनाओं को निष्पादन किये जाने हेतु पीछे छोड़ते हुए दो उप-परियोजनाओं को छोड़ दिया गया था।

प्रतिनिधियों तथा सदस्यों के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर मिशन का पर्यवेक्षण करने वाले संस्थानों सहित एक शीर्ष समिति (एसी) गठित (अगस्त 2015) की गयी थी। एसी मुख्य सचिव, जीओजेएण्डके की अध्यक्षता में अक्टूबर 2015 में गठित राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) द्वारा प्रस्तुत एक राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) को अनुमोदन प्रदान करने हेतु अधिदेशित थी। एसएचपीएससी सेवा स्तरीय मानकों (एसएलबी)[5] के आधार पर अवसंरचना में अंतरालों का पता लगाने तथा अक्टूबर 2015 में गठित राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) द्वारा संस्वीकृत और तकनीकी रूप से मूल्यांकित होने के उपरांत परियोजनाओं को अनुमोदित करने के लिए भी उत्तरदायी थी।

तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य के पाँच मिशन शहरों में से, चार नमूना मिशन शहरों (अनंतनाग, जम्मू, लेह और श्रीनगर) को व्यय और सामाजिक कारकों के मापदण्ड को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा में निर्णयात्मक प्रतिचयन विधि के आधार पर चुना गया था।

5.2.2 वित्तीय प्रबंधन

एएमआरयूटी योजना हेतु निधियों को जीओआई तथा जीओजेएण्डके द्वारा 90:10 के अनुपात में साझा किया जाना था। योजना के अंतर्गत जीओआई और जीओजेएण्डके द्वारा राज्य मिशन निदेशक (एएमआरयूटी), जीओजेएण्डके को संस्वीकृत की गयी निधियाँ और इन्हें आगे मिशन निदेशक द्वारा वर्ष 2015 से 2019 की अवधि के दौरान मिशन शहरों के अभिहित अधिकारियों को निर्गत किये जाने की स्थिति **तालिका 5.2.2** में दी गयी है।

तालिका 5.2.2: 31 मार्च 2019 तक वित्तीय प्रास्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आदि शेष	वर्ष के दौरान निर्गत निधियाँ		प्रोद्भूत ब्याज	उपलब्ध निधियाँ	मिशन सिटी के अभिहित अधिकारियों को मिशन निदेशक द्वारा निर्गत निधियाँ	मिशन निदेशक के पास अप्रयुक्त शेष
		जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश				
2015-16	-	31.77	13.75	0.08	45.60	0.003	45.60
2016-17	45.60	37.89	-	1.73	85.22	64.01	21.21
2017-18	21.21	202.65	24.00	1.09	248.95	54.32	194.63
2018-19	194.63	11.32	7.50	1.18	214.63	200.87	13.76
कुल		**283.63**	**45.25**	**4.08**		**319.20**	

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

5 शहरी विकास मंत्रालय, (जीओआई) के अनुसार जल और स्वच्छता प्रक्षेत्रों हेतु मानक निष्पादन मापदण्डों का समुच्चय।

वर्ष 2015-16 से 2018-19 की अवधि के दौरान ₹13.76 करोड़ तथा ₹194.63 करोड़ के बीच की निधियाँ मिशन निदेशक के पास अप्रयुक्त रखी हुयी थी।

इसके अतिरिक्त, ₹25.48 करोड़ से ₹54.73 करोड़ के बीच की निधियाँ वर्ष 2015-2016 से 2018-2019 की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर मिशन शहरों/ कार्यान्वयन अभिकरणों के छह[6] अभिहित कार्यालयों के पास अप्रयुक्त पड़ी हुयी थी जिसका परिणाम निधियों के अवरोधन के रूप में हुआ। वर्ष 2019-20 के दौरान ₹181.86 करोड़[7] की उपलब्धता के प्रति 31 मार्च 2020 तक ₹40.13 करोड़ का अप्रयुक्त शेष छोड़ते हुए, मिशन निदेशक द्वारा ₹141.73 करोड़ की राशि निर्गत की गयी थी।

दिशानिर्देशों[8] के अनुसार, मिशन निदेशक को निधियाँ या तो शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/ पैरास्टेटल्स को सीधे ही उनके नोडल खातों में या किसी अनुसूचित बैंक के एक एकल खाते में निर्गत की जानी अपेक्षित थी। निधियों को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से निर्गत किया जाना अपेक्षित था। हालांकि, राज्य मिशन निदेशक (एएमआरयूटी) ने वर्ष 2015-2016 से 2018-19 की अवधि के दौरान योजना निधियों को न तो एकल बैंक खाते में रखा और न ही यूएलबी/ पैरास्टेटल को पीएफएमएस के माध्यम से निर्गत किया गया था। इसके अतिरिक्त, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, जम्मू नगर निगम (जेएमसी), श्रीनगर नगर निगम (एसएमसी), निदेशक यूएलबी कश्मीर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), लेह के मिशन शहरों के अभिहित कार्यालयों ने योजना निधियों के पृथक खातों का अनुरक्षण नहीं किया था। परिणामस्वरूप, वर्ष 2015 से 2019 की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत मिशन शहरों और कार्यान्वयन अभिकरणों के अभिहित अधिकारियों द्वारा किया गया व्यय या तो मिशन निदेशक या प्रशासनिक विभाग स्तर पर उपलब्ध नहीं था।

विभाग/ कार्यान्वयन अभिकरण पीएफएमएस पर देरी से[9] पंजीकृत हुए थे। परिणामस्वरूप, योजना के दिशानिर्देशों[10] में उपबंधित होने के बावजूद, निधियों की

---

6 (i) जम्मू नगर निगम (जेएमसी): ₹4.27 करोड़, (ii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), लेह: ₹11.85 करोड़, (iii) मुख्य अभियंता, यूईईडी, श्रीनगर: ₹14.85 करोड़, (iv) कार्यापालक अभियंता, यूईईडी जम्मू: ₹11.53 करोड़, (v) श्रीनगर नगर निगम (एसएमसी): ₹0.49 करोड़ और (vi) निदेशक शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी), कश्मीर: ₹11.74 करोड़।

7 ₹13.76 करोड़ का आदि शेष और ₹0.80 करोड़ का ब्याज शामिल है।

8 एएमआरयूटी योजना के दिशानिर्देशों का पैरा 9.5

9 मार्च 2018 से अगस्त 2020

10 योजना दिशानिर्देशों का पैराग्राफ 9.5

उपयोगिता के वास्तविक समय अनुवीक्षण हेतु एक महत्त्वपूर्ण उपकरण का उपयोग नहीं किया जा सका।

5.2.3 योजना कार्यान्वयन

संविदा को प्रदान किया जाना

पाँच प्रक्षेत्रों के संबंध में निर्माण कार्यों का निष्पादन, जो कि पाँच मिशन शहरों में योजना के अंतर्गत आरंभ किया गया था, निम्नलिखित है:

- जल आपूर्ति;
- सीवरेज तथा सेप्टेज;
- अपवाह;
- शहरी परिवहन; और
- हरित स्थान/ पार्क

मार्च 2019 तक मिशन शहरों में अनुमोदित और पूर्ण की गयी उप-परियोजनाओं की क्षेत्रवार प्रास्थिति **तालिका 5.2.3** में दी गयी है।

तालिका 5.2.3: मार्च 2019 तक क्षेत्रवार उप-परियोजनाओं की प्रास्थिति

क्षेत्र	जल आपूर्ति	सीवरेज और सेप्टेज	शहरी परिवहन	अपवाह	हरित स्थान/ पार्क	कुल
अनुमोदित उप-परियोजनाएं	11	14	19	31	17	92
किया गया व्यय (₹ करोड़ में)	15.00	72.00	50.00	103.00	10.00	250.00
प्रदान की गयी उप-परियोजनाएं	11	12	17	31	16	87
पूर्ण की गयी उप-परियोजनाएं	0	1	3	11	10	25
उप-परियोजनाओं के समापन का प्रतिशत	0	7	16	35	59	27
लेखापरीक्षा में नमूना उप-परियोजनाएं	3	11	12	13	6	45

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

जैसा कि **तालिका 5.2.3** में देखा जा सकता है, जून 2015 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान, योजना के अंतर्गत 92 उप-परियोजनाओं में से, 87 उप-परियोजनाओं के निष्पादन हेतु निर्माण कार्य प्रदान किये गये थे और मार्च

2019 तक 25 उप-परियोजनाओं (27 प्रतिशत) का निष्पादन पूर्ण हो गया था। विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, अप्रैल 2019 से सितंबर 2020 की अवधि के दौरान, 31 उप-परियोजनाओं का निष्पादन पूर्ण हो गया था। 45 उप-परियोजनाओं के लेखापरीक्षा नमूने (जैसा कि ***परिशिष्ट 5.2.1*** में वर्णित है) का चयन व्यय और सामाजिक कारकों के मापदण्डों को ध्यान में रखते हुए अपनाया गया था, जैसा की ***परिशिष्ट 1.2*** में विवरण दिया गया है।

चार[11] प्रक्षेत्रों (पाँच में से) के संबंध में महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का वर्णन उत्तरवर्ती पैराग्राफों में किया गया है।

5.2.4 परियोजनाओं के निष्पादन की प्रगति

(ए) जलापूर्ति प्रक्षेत्र

एएमआरयूटी योजना के दिशानिर्देश[12] में उल्लिखित है कि मिशन शहर के शहरी स्थानीय निकाय को जलापूर्ति क्षेत्रों और सीवरेज/ सेप्टेज में सेवा स्तरीय अंतरालों की पहचान हेतु सेवा स्तरीय सुधार योजनाओं (एसएलआईपी) को तैयार करना अपेक्षित था जिससे मिशन शहर के प्रत्येक घर को जलापूर्ति और सीवरेज/ सेप्टेज कनेक्शन हेतु शामिल किया जा सके। हालांकि, जलापूर्ति प्रक्षेत्र के अंतर्गत 11 उप-परियोजनाओं में से, केवल एक उप-परियोजना पूर्ण (सितंबर 2020) की गयी थी।

चयनित चार मिशन शहरों में तीन[13] नमूना उप-परियोजनाओं की लेखापरीक्षा संवीक्षा से दो उप-परियोजनाओं में निम्नलिखित कमियाँ प्रकट हुईं।

5.2.4.1 जलापूर्ति योजनाएं

I. लेह

पेयजल आपूर्ति हेतु 'लेह कस्बे के छूटे हुए क्षेत्रों के पुनर्गठन और संवर्धन' के अंतर्गत उप-योजना, बामघर जोन को राज्य वार्षिक कार्य योजना (एसएएपी) 2015-16 के अंतर्गत राज्य स्तरीय उच्च शक्ति प्राप्त संचालन समिति (एसएलएचपीएससी) द्वारा

---

11 (i) जलापूर्ति; (ii) सीवरेज और सेप्टेज; (iii) अपवाह; और (iv) शहरी परिवहन।

12 एएमआरयूटी दिशानिर्देशों का पैरा 6

13 (i) विश्वविद्यालय क्षेत्र अनंतनाग में जलापूर्ति उपलब्ध कराना, (ii) पुराने गांदरबल विद्युत गृह जल उपचार सयंत्र की कमिशिंग और अनुरक्षण करना और बिछाना/ उपलब्ध कराना (iii) लेह में वितरण नेटवर्क इत्यादि को बिछाना/ उपलब्ध कराना।

अनुमोदन प्रदान किया गया था। जलापूर्ति योजना के डीपीआर (मई 2016) में ₹4.88 करोड़ की अनुमानित लागत पर नेटवर्क वितरण को बिछाना, राइजिंग मेन, सेवा जलाशय (एसआर) का निर्माण, पम्पिंग मशीन का संस्थापन/ सब-स्टेशन का सृजन और चौकीदार हेतु क्वार्टर का निर्माण करना उपबंधित था।

कार्यपालक अभियंता (ईई), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) प्रभाग, लेह के अभिलेखों के लेखापरीक्षा परीक्षण (सितंबर 2019) से पता चला कि क्षेत्र/ जोन के स्थल की पहचान और चयन, जिसके लिए जलापूर्ति योजना बनायी और अनुमोदित (मई 2016) की गयी थी, किसी निर्मित क्षेत्र या एक आवासीय कॉलोनी के बिना, एक डम्पिंग स्थल था। विभाग ने, क्षेत्र/ जोन की स्थल अवस्थाओं की समीक्षा किये बिना, संविदाकारों को मुख्य वितरण लाइन बिछाने, सेवा जलाशय का निर्माण करने और राइजिंग मेन बिछाने के योजना के निर्माण कार्य आबंटित (नंवबर/ दिसंबर 2016 और अप्रैल 2017) किये। निर्माण कार्य के छह[14] में से केवल तीन[15] घटक ही पूर्ण (सितंबर 2020) किये गये थे और अन्य तीन[16] घटकों पर निर्माण कार्य प्रगति के अधीन था। परिणामस्वरूप, विभाग द्वारा ₹3.06 करोड़ का व्यय करने के बावजूद, योजना की उप-परियोजना का कार्य पूर्ण नहीं किया गया था।

योजना निदेशक, एचएण्डयूडीडी, जीओजेएण्डके ने कहा (अगस्त 2020) कि योजना को वर्तमान कार्य मौसम में पूरी तरह से पूर्ण किये जाने का लक्ष्य रखा गया था और इसके समापन में विलंब हेतु लद्दाख प्रदेश में सीमित कार्य मौसम को जिम्मेदार ठहराया गया।

स्थल चयन और निर्मित क्षेत्र के अस्तित्व विहीन होने के लेखापरीक्षा प्रेक्षण के संबंध में उत्तर मौन है।

विभाग को सृजित परिसंपत्तियों की लाभकारी उपयोगिता हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए जिससे सुरक्षित जलापूर्ति के साथ परियोजना के उद्देश्य की उपलब्धि को सुनिश्चित किया जा सके।

---

14 सेवा जलाशय का निर्माण, राइजिंग मेन, नेटवर्क संवितरण, चौकीदार क्वार्टर, चेन लिंक फेन्सिंग और पम्पिंग मशीनरी।

15 सेवा जलाश्य का निर्माण, चौकीदार क्वार्टर और चेन लिंक फेन्सिंग।

16 राइजिंग मेन, वितरण नेटवर्क और पम्पिंग मशीनरी।

II. अनंतनाग

पेय जलापूर्ति उपलबध कराने हेतु अनंतनाग में विश्वविद्यालय परिसर, दक्षिण कश्मीर में एसएचपीएससी द्वारा ₹6.20 करोड़ (सिविल लागत: ₹3.08 करोड़ और यांत्रिक लागत: ₹3.12 करोड़) की अनुमानित लागत पर एक जलापूर्ति योजना को अनुमोदित (दिसंबर 2016) किया गया था। ईई, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी प्रभाग, बिजबेहरा ने संविदाकार को ₹1.62 करोड़ की लागत पर 180 दिनों के अंदर पूर्ण करने हेतु योजना के सिविल घटकों का निष्पादन आबंटित (मार्च 2017) किया था।

पीएचई प्रभाग, बिजबेहरा के उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, विभाग द्वारा भूमि के गैर-अधिग्रहण के कारण संविदाकार सरनाल, अनंतनाग में पहचाने गये स्थल पर 2.60 लाख गैलन वाले सेवा जलाशय का निर्माण आरंभ नहीं कर सका। यद्यपि, जिला प्रशासन द्वारा 18 महीनों (सितंबर 2018) के अंतराल के पश्चात् एक वैकल्पिक स्थल उपलब्ध कराया गया था, परंतु सेवा जलाशय के निर्माण हेतु स्थल पर महत्त्वपूर्ण मिट्टी कार्य किया जाना अपेक्षित था। इसने योजना की लागत में ₹0.74 करोड़ की वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया।

योजना के सिविल घटकों पर ₹1.65 करोड़ का व्यय (सितंबर 2020) किया गया था, जोकि अभी तक अपूर्ण थे। इसके अतिरिक्त, फरवरी से मार्च 2019 की अवधि के दौरान ईई, यांत्रिक प्रभाग, अवंतीपोरा द्वारा अधिप्राप्त ₹2.49 करोड़ लागत की विद्युत-यांत्रिक मशीनरी और उपकरण अधिप्राप्ति की तिथि से एक वर्ष से भी अधिक के अंतराल के उपरांत संस्थापित (जून 2020) किये गये थे तथा ये चालू (सितंबर 2020) हो गये हैं।

लेखापरीक्षा में (जनवरी 2020) इंगित किए जाने के उपरांत, ईई, यांत्रिक डिवीजन, अवंतीपोरा ने (फरवरी 2020) कहा कि सिविल संरचनाओं के गैर-समापन, जिला प्रशासन द्वारा भूमि के हस्तांतरण में हुआ विलंब और घाटी में अशांति के कारण किया गया व्यय निष्फल हो गया। आगे यह भी कहा गया (जनवरी 2021) कि सिविल निर्माण कार्यों के गैर-समापन के कारण योजना को पूर्ण नहीं किया जा सका। कार्यपालक अभियंता, पीएचई प्रभाग, बिजबेहरा ने (जनवरी 2020) कार्य के निष्पादन में विलंब और लागत वृद्धि के लिए स्थल अवस्थाओं में परिवर्तन और भूमि की अनुपलब्धता को जिम्मेदार ठहराया। इस प्रकार, कार्य को आरंभ करने से पूर्व, भूमि की अनुपलब्धता का परिणाम योजना के निष्पादन में देरी के रूप में हुआ, जिसके

द्वारा ₹4.14 करोड़[17] का किया गया व्यय व्यापक रूप से निष्फल (सितंबर 2020) हो गया था।

(बी) सीवरेज और सेप्टेज प्रक्षेत्र

सीवरेज और सेप्टेज प्रक्षेत्र योजना के अंतर्गत 14 उप-परियोजनाओं में से, एक उप-परियोजना मार्च 2019 तक पूर्ण की गयी थी और इसके अतिरिक्त आठ उप-परियोजनाएं सितंबर 2020 तक पूर्ण की गयी थी। चार नमूना मिशन शहरों में, 11 उप-परियोजनाएं लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जाँच के लिए चुनी गयी थी। छह उप-परियोजनाओं के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गयी है।

5.2.4.2 सीवरेज उपचार सयंत्र और सीवरेज नेटवर्क प्रणाली

I. जम्मू शहर

विभाग ने, उपचार के बाद जम्मू शहर के सीवेज का तवी नदी में निपटान करने हेतु सीवर नेटवर्क सहित 4 मिलीयन लीटर प्रति दिन (एमएलडी), सीवरेज उपचार सयंत्र (एसटीपी) के निर्माण का निर्णय (मई 2016) लिया। प्रस्ताव को एसएलटीसी/ एसएचपीसी द्वारा अनुमोदित (मई 2016) किया गया था और एसटीपी के निर्माण हेतु गांव रख रायपुर सतवारी, जम्मू में भूमि की पहचान (जून 2016) की गयी थी। एसएचपीसी द्वारा डीपीआर को ₹28.77 करोड़ की लागत पर अनुमोदित (3 अगस्त 2016) किया गया था, हालांकि, पहचाने गये स्थल पर भूमि के गैर-अधिग्रहण के कारण, तदुपरांत भगवती नगर, जम्मू में एसटीपी की अवस्थिति को स्थानांतरित करने का निर्णय (30 अगस्त 2016) लिया गया। तदनुसार, परियोजना की नयी अवस्थिति हेतु डीपीआर को ₹27.51 करोड़ की लागत (जनवरी 2017) तक परिशोधित किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्नलिखित प्रकट हुआ:

- मुख्य अभियंता, यूईईडी, जम्मू ने ईई, सीवरेज और अपवाह प्रभाग, जम्मू को एसटीपी और सीवरेज नेटवर्क हेतु पृथक रूप से निविदा आमंत्रित करने का निर्देश (अप्रैल 2017) दिया। हालांकि, 4 एमएलडी, एसटीपी और पाँच नालों का सीवरेज नेटवर्क दोनों के लिए एक ही निविदा आमंत्रित (मई 2017) की गयी थी। यह निविदा प्रतिक्रिया के अभाव के कारण रद्द कर दी गयी थी। तत्पश्चात्,

[17] सिविल घटकः ₹1.65 करोड़, यांत्रिक घटकः ₹2.49 करोड़।

जुलाई तथा अगस्त 2017 के दौरान 4 एमएलडी, एसटीपी[18] के निर्माण हेतु निविदाओं को पुन: आमंत्रित किया गया था, जिसको या तो प्रतिक्रिया के अभाव या एकल बोली की प्राप्ति के कारण अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। अंतत: (सितंबर 2017), मैसर्स एम.एम. एनवायरो प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड (तीन बोलीकर्त्ताओं के मध्य एल-1 होना) को दो वर्षों में पूर्ण किये जाने के लिए ₹6.95 करोड़ की लागत पर एसटीपी निर्माण का कार्य प्रदान (नंवबर 2017) किया गया था। परियोजना हेतु निविदाओं में भी विलंब हुआ था क्योंकि डीपीआर में एसबीआर प्रौद्योगिकी[19] को अपनाना संदर्भित था। एसटीपी के निर्माण हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पर्यावरणीय निर्बाधता प्राप्त (अगस्त 2020) नहीं की गयी थी। सिविल निर्माण कार्य 80 प्रतिशत की सीमा तक पूर्ण हो गया है, ₹6.36 करोड़ (नवंबर 2020) के व्यय पर विद्युत यांत्रिक उपकरण की अधिप्राप्ति/ संस्थापन क्रमशः 80 तथा 70 प्रतिशत की सीमा तक पूर्ण हो चुका है। इस प्रकार, निविदा प्रक्रिया में विलंब, समय पर संविदा को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण ₹6.36 करोड़ का व्यय करने के बावजूद, एसटीपी का निर्माण नवंबर 2020 तक पूरा नहीं हो सका जिसके परिणामस्वरूप अनुपचारित सीवेज जल का अभी भी तवी नदी में निपटान किया जा रहा था, जो प्रदूषण का कारण बना हुआ है।

- सीवर लाइनों को बिछाने की प्रक्रिया द्वारा सीवरेज नेटवर्क के निर्माण, जम्मू शहर के पाँच नालों से संबंधित हाउस कनेक्शनों को सम्मिलित करते हुए मेनहोलों के निर्माण हेतु मई 2017 से अक्टूबर 2017 के मध्य पाँच बार निविदाओं को आमंत्रित किया गया था। निविदाओं के प्रति प्रतिक्रिया के अभाव के कारण बोली को अंतिम रूप (अक्टूबर 2017) नहीं दिया जा सका। केवल एक फर्म ने छठी निविदा कॉल (नवंबर 2017) का जवाब दिया था और ₹20.60 करोड़ के विज्ञापित मूल्य के प्रति ₹29.60 करोड़ का मूल्य उद्धृत किया था। अधीक्षक अभियंता (एसएण्डडी सर्किल), जम्मू की अध्यक्षता में नवंबर 2017 में गठित समिति ने (दिसंबर 2017) सूचित किया कि विभाग द्वारा बीओक्यू में उद्धृत दरें एनपी-3 आरसीसी पाइपों के बजाय एनपी (गैर-दबाव)-2 आरआरसी पाइपों (प्रबलित सीमेन्ट

---

18 एसबीआर प्रौद्योगिकी पर पाँच वर्षों के लिए संचालन और अनुरक्षण सहित कार्यालयी भवन, चार दीवारी, पहुँच मार्ग और सभी विद्युत यांत्रिक घटकों का निर्माण।

19 एसबीआर (सिक्वेन्शियल बैच रिएक्टर) अपशिष्ट जल के उपचार हेतु सक्रिय स्लज प्रक्रिया का एक प्रकार होते हैं।

कंक्रीट) हेतु अनजाने में वर्णित की गयी थी, जिसका परिणाम परियोजना की लागत में ₹27.54 करोड़ तक की वृद्धि के रूप में हुआ। ईई (एसएण्डडी), प्रभाग, जम्मू द्वारा बोलीकर्त्ता से ₹27.54 करोड़ की तय दरों पर निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहमति (दिसंबर 2017) मांगी गयी थी। तथापि, एसएलसीसी ने निर्णय (फरवरी 2018) लिया कि बोलीकर्त्ता को ₹22.60 करोड़ (विज्ञापन में दी गई ₹20.60 करोड़ की लागत से 10 प्रतिशत अधिक होना) की लागत प्रस्तावित की जाए। तत्पश्चात्, संविदाकार को 18 महीनों के अंदर (अर्थात् सितंबर 2019 तक) पूर्ण किये जाने हेतु ₹22.60 करोड़ की लागत पर निर्माण कार्य आबंटित (अप्रैल 2018) किया गया था। सर्वेक्षण के संचालन के उपरांत, संविदाकार ने सूचित (अगस्त 2018) किया कि प्रस्तावित ट्रंक सीवर लाइन संरेखण पर नयी क्रीक विकसित हो गयी थी। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित संरेखण में नदी की संकरी चौड़ाई के कारण, वर्षा ऋतु के दौरान जल की गति बहुत अधिक थी जो संरचना की विफलता का कारण बन सकता था, इसलिए भू-तलों में पायी गयी विसंगतियों के कारण गुरुत्व के आधार पर नदी के बायीं ओर सीवर लाइन को बिछाना संभव नहीं था। तदुपरांत, संविदाकार ने भिन्न-भिन्न अवस्थितियों पर पम्पिंग स्टेशन के निर्माण द्वारा ट्रंक सीवर का पुनः अभिकल्पन/ पुनः संरेखण प्रस्तावित (अगस्त 2018) किया था और तदनुसार, विभाग को परिशोधित अभिकल्प प्रस्तुत (मार्च 2019) किया। संविदाकार ने पुन: सूचित किया (अप्रैल 2019) कि पुलों के आसपास विद्यमान संरचनाओं को बाधित किये बिना प्रस्तावित ट्रंक सीवर लाइन नहीं बिछायी जा सकती थी। विभाग ने जिला विकास आयुक्त, जम्मू से परियोजना हेतु चार मध्यवर्ती पम्पिंग स्टेशनों के निर्माण के लिए भिन्न-भिन्न अवस्थितियों में 33 *मरला* भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध (अप्रैल 2019) किया था। इसके उपरांत कार्यपालक अभियंता, (एसएण्डडी) प्रभाग, जम्मू ने ₹24.16 करोड़ की समग्र अधिवहित लागत सहित, ₹27.51 करोड़ के वास्तविक प्राक्कलन के प्रति ₹51.67 करोड़ (जुलाई 2020) तक परियोजना की लागत को परिशोधित किया था। हालांकि, परिशोधित लागत को अभी तक अनुमोदित (नवंबर 2020) किया जाना है। संविदाकार ने ₹9.82 करोड़ के व्यय पर (नवंबर 2020) 17 किमी (36.45 किमी में से)/ 2,200 मीटर की ट्रंक लाइन (5.48 किमी में से) का निर्माण पूर्ण कर लिया था। पाँच नालों की सीवरेज नेटवर्क प्रणाली का निर्माण भारग्रस्तता मुक्त भूमि की अनुपलब्धता, पर्याप्त सर्वेक्षण के

बिना प्राक्कलनों की तैयारी के कारण आरंभ नहीं किया जा सका था, जोकि इसके त्रुटिपूर्ण नियोजन का सूचक था, जिसका परिणाम लोगों को योजना के अभिप्रेत लाभों के वंचन के रूप में हुआ।

सरकार को (जून 2020) मामला भेजे जाने के उपरांत, योजना निदेशक, एचएण्डयूयूडी ने कहा (अगस्त 2020) कि उप-परियोजना का निष्पादन/ समापन प्रारंभिक चरण में भूमि विवाद के कारण विलंब से हुआ था, जिसका समाधान हो गया था और परियोजना को चालू वर्ष में पूर्ण किया जाना लक्षित था, जबकि पाँच नालों पर सीवरेज नेटवर्क का निर्माण निष्पादनाधीन था और 40 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण (अगस्त 2020) कर लिया गया था। तथ्य यह रहता है कि परियोजना का निर्माण कार्य नवंबर 2020 तक भी अपूर्ण था।

5.2.4.3 सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं

I. जम्मू शहर हेतु सेप्टेज प्रबंधन परियोजना

जम्मू शहर में, जोन III के असमाविष्ट क्षेत्रों में घरों के सेप्टिक टैंक से निकलने वाला अपशिष्ट पास के नालों/ धाराओं में या खुले स्थानों में सीधे ही बह रहा था और अंततः नदियों की धाराओं में प्रवाहित हो रहा था। इन क्षेत्रों[20] में सीवेज सुविधा उपलब्ध कराने हेतु योजना के अंतर्गत एसएलटीसी द्वारा 'सेप्टेज प्रबंधन परियोजना (एसएमपी)' अनुमोदित (मई 2016) की गयी थी। एसएमपी के निर्माण हेतु चट्ठा, जम्मू में भूमि की पहचान की गयी थी और परामर्शदाता[21] द्वारा परियोजना हेतु ₹8.65 करोड़ की अनुमानित लागत पर एएसपी प्रौद्योगिकी पर आधारित डीपीआर तैयार किया गया था। परियोजना के छह[22] घटक थे जिसमें जोन III के विशिष्ट क्षेत्रों के बजाय, जम्मू शहर के 'बी' और 'सी' प्रभागों के अंतर्गत क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु भगवती नगर, जम्मू में सेप्टेज उपचार सयंत्र (एसटीपी) का निर्माण भी शामिल था, क्योंकि पुष्पकृषि विभाग ने यूईईडी को चट्ठा में भूमि की सुपुर्दगी नहीं की थी।

---

20 (i) बहू पूर्व, (ii) बहू पश्चिम, (iii) गांधी नगर, (iv) त्रिकुटा नगर और (v) नानक नगर।

21 मैसर्स एएलपीएस इंजीनियर्स पीएमआर एसोशिएट्स।

22 सक्रिय स्लज प्रक्रियाएं (एएसपी) प्रकार का पूर्ण सेप्टेज उपचार सयंत्र (₹3.52 करोड़), वाहन और उपकरण (₹3.11 करोड़), भवन और अन्य संबद्ध निर्माण कार्य (₹89.92 लाख), विद्युतीकरण (₹11.72 लाख), ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसमिशन लाइन (₹58.41 लाख) और परियोजना आकस्मिकताएं (₹41.15 लाख)।

अभिलेखों के लेखापरीक्षा परीक्षण (जून 2019) से निम्नलिखित प्रकट हुआ:

(i) डीपीआर के अनुसार, ₹5.53 करोड़ की अनुमानित लागत पर 164 केएलडी क्षमता वाला सेप्टेज उपचार सयंत्र, सक्रिय स्लज प्रक्रिया (एएसपी) प्रौद्योगिकी[23] पर आधारित था। परीक्षण और कमिशनिंग के पश्चात् सभी आवश्यक इकाइयों का पूर्व परीक्षण छह महीनों के लिए संचालित किया जाना था। ईई, (एसएण्डडी) प्रभाग, जम्मू के अभिलेखों के अनुसार भगवती नगर, जम्मू में विभाग द्वारा एएसपी प्रौद्योगिकी पर आधारित एक सेप्टेज उपचार सयंत्र के निर्माण हेतु जुलाई 2016 और सितंबर 2016 के मध्य बोलियाँ आमंत्रित की गयी थी। बोलियों में आवश्यक शर्तों के पूरा नहीं होने के कारण निविदा को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। विभाग की संविदा समिति ने निर्णय लिया (मार्च 2017) था कि नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु एसटीपी के लिए संभावनाओं की तलाश केवल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) से निर्बाधता और आईआईटी/ राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान से विशेषज्ञता प्राप्त करने के उपरांत की जाए। ईई, एसपीसीबी ने विभिन्न मानदण्डों[24] हेतु भिन्न-भिन्न अवस्थितियों पर वास्तविक सेप्टेज के नमूनों के विश्लेषण का सुझाव दिया और इसके उपरांत सेप्टेज का एनारोबिक रूप से उपचार करने के लिए एनारोबिक डाइजेस्टर सहित सेप्टिक टैंकों के आशोधित संस्करण का सुझाव दिया, क्योंकि एएसपी प्रौद्योगिकी लागत प्रभावी और व्यावहारिक नहीं थी। विभाग ने, एक संविदाकार[25] को एसपीसीबी से निर्बाधता प्राप्त किए बिना, ₹4.37 करोड़ की अनुमानित लागत पर टर्नकी आधार पर एएसपी प्रौद्योगिकी पर आधारित एसटीपी (क्षमता: 164 किलो लीटर प्रति दिन (केएलडी)) के निर्माण का कार्य आबंटित (अगस्त 2017) किया। फर्म को एकल निविदा के आधार पर चयनित किया गया था और एसटीपी के निर्माण का कार्य 12 महीनों के अंदर पूर्ण किया जाना था और कार्य समापन में विलंब के मामले में, पहले छह महीनों के लिए संविदा मूल्य के 10 प्रतिशत तक शास्ति अधिरोपित की जानी थी।

23 पर्यावरण अभियंता (एसपीसीबी) जम्मू के अनुसार, सीवेज अपशिष्ट (कम बीओडी और टीएसएस मूल्य) जैसे मानदण्डों वाले प्रवाह के सृजन हेतु बीओडी के उच्च मूल्यों को रखने वाले ड्राय मास को पहले पानी के साथ पतला किया जाना होता है और बाद में एएसपी के माध्यम से इसे उपचारित किया जाता है।

24 जैव-रासायनिक ऑक्सीजन मांग, रासायनिक ऑक्सीजन मांग और कुल ठोस इत्यादि के समान ।

25 मैसर्स सोफिस्टिकेटिड इण्डस्ट्रीयल मैटेरियल, नई दिल्ली।

हालांकि, नवंबर 2020 तक ₹4.16 करोड़ का व्यय करने के उपरांत, एसटीपी का निर्माण कार्य (संबद्ध कार्यों को छोड़कर) छब्बीस महीनों के विलंब के पश्चात् पूर्ण (सितंबर 2020) किया गया था और संयंत्र को पूर्व परीक्षण पर रखा गया था। तथापि, उप-परियोजनाओं के संबद्ध निर्माण कार्य अभी भी प्रगति (नवंबर 2020) पर थे जिसका परिणाम यह हुआ कि ₹4.16 करोड़ का व्यय निष्फल करते हुए एसटीपी का उपयोग आरंभ नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त, विलंब हेतु फर्म/ संविदाकार पर कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की गयी थी।

II. श्रीनगर शहर के लिए सेप्टेज प्रबंधन योजना

एएमआरयूटी के दिशानिर्देशों (पैरा 6.10) में उपबंधित था कि जब तक भूमि उपलब्ध नहीं होती है तब तक किसी भी परियोजना को निष्पादन हेतु आरंभ नहीं किया जाना चाहिए और जब तक सभी संबंधित विभागों से निर्बाधताएं प्राप्त न हो जाए तब तक कोई परियोजना निर्माण कार्य आदेश जारी नहीं किया जाना चाहिए। सीवरेज एवं ड्रेनेज प्रभाग-I, श्रीनगर द्वारा संचालित सर्वेक्षण के अनुसार, श्रीनगर शहर के जोन-I[26] और जोन-II[27] में सेप्टिक टैंकों से निकलने वाला अपशिष्ट पास के नालों या खुले क्षेत्र में सीधे ही छोड़ दिया गया था और अव्यवस्थित सीवेज[28] धाराओं में सीधे ही प्रवाहित हो रहा था जो कि जलाशयों को प्रदूषित और अस्वास्थ्यकर वातावरण का सृजन कर रहा था। एएमआरयूटी के अंतर्गत एसएचपीएससी द्वारा इन जोनों के लिए प्रभावी सीवेज उपचार हेतु सेप्टेज प्रबंधन योजना को ₹18.75 करोड़ की अनुमानित लागत पर अनुमोदित (मई 2016) किया गया था। परियोजना के घटकों में ₹11.26 करोड़ की लागत पर दो सेप्टेज उपचार सयंत्रों (एसटीपी) का निर्माण और ₹7.49 करोड़ की लागत पर 54 सकर जेटिंग मशीनों[29] की अधिप्राप्ति शामिल थी। अलूची बाग (जोन I हेतु) और अचन (जोन II हेतु) में दो सेप्टेज उपचार सयंत्रों का निर्माण ₹7.67 करोड़ (₹8.59 करोड़ की आबंटित लागत) की लागत पर पूर्ण और चालू (सितंबर 2020) कर दिया गया था। ईई, (एसएण्डडी), प्रभाग-I, श्रीनगर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित मामले प्रकट हुएः

26 डल गेट, लाल चौक, राजबाग, सराय बाला।

27 मेहजूर नगर, नातीपोरा, चनापोरा, बघत बारजुला।

28 अनुपचारित अपशिष्ट जल और सीवर्स में गया हुआ मल-मूत्र।

29 घरों के सेप्टिक अपशिष्ट को एसटीपी तक परिवहन और संग्रहण हेतु अपेक्षित।

- एसटीपी के निर्माण हेतु सांविधिक निर्बाधताओं[30] को प्राप्त (सितंबर 2020) नहीं किया गया था और अलूची बाग में एसटीपी का आउटलेट बाढ़ चैनल में प्रवाहित हो रहा था क्योंकि संबंधित विभागों से निर्बाधताएं लंबित (सितंबर 2020) थी। लेखापरीक्षा में इंगित (फरवरी 2020) किए जाने के उपरांत, ईई (एसएण्डडी), प्रभाग-I, श्रीनगर ने कहा (फरवरी 2020) कि परियोजना पूर्ण (अगस्त 2018) कर ली गयी थी और 'अनापत्ति प्रमाण-पत्रों (एनओसी)' से संबंधित मामला संबंधित अभिकरणों/ विभागों के साथ नहीं उठाया गया था। ईई, ने आगे कहा (जनवरी 2021) कि एक परियोजना (अचन) का एनओसी प्राप्त कर लिया गया था और एक अन्य परियोजना (अलूची बाग) का एनओसी प्रक्रियाधीन था।
- आयुक्त, एसएमसी और निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, श्रीनगर ने दिसंबर 2016 में 54 सक्शन-सह-जेटिंग मशीनों की अधिप्राप्ति हेतु प्रक्रिया (अनुमानित लागतः ₹7.49 करोड़) आरंभ की थी परन्तु मार्च 2019 तक उक्त के लिए निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था। तत्पश्चात् जीईएम पोर्टल के माध्यम से 15 मशीनों की अधिप्राप्ति हेतु गठित समिति (अप्रैल 2019) की अनुशंसाओं (अप्रैल 2019) पर आपूर्ति आदेश (मई 2019 और जुलाई 2019 के मध्य) दिये गये थे, जिसमें से 12 मशीनें प्राप्त (सितंबर 2020) कर ली गयी थी। कार्यकारी अधिकारी, श्रीनगर नगर निगम ने मशीनों की अधिप्राप्ति में विलंब हेतु संविदा को अंतिम रूप नहीं दिए जाने को जिम्मेदार ठहराया (दिसंबर 2019) और कहा कि आवश्यक निर्बाधताओं के अभाव में, अभिकल्पित मानकों के प्रति वास्तविक निष्पादन संकेतकों का आंकलन नहीं किया जा सका।

मामला (जून 2020) सरकार को भेजे जाने के उपरांत, निदेशक योजना एचएण्डयूडीडी, ने लेखापरीक्षा प्रतिविरोध को स्वीकार करते हुए (अगस्त 2020) कहा कि मशीन की अधिप्राप्ति प्रस्तावित सेप्टेज प्रबंधन सयंत्रों (एसटीपी) के समापन तक विलंबित रही और 12 मशीनें (15 में से) प्राप्त कर ली गयी थी।

(सी) अपवाह प्रक्षेत्र

अपवाह प्रक्षेत्र के अंतर्गत 31 उप-परियोजनाओं में से, मार्च 2019 तक 11 उप-परियोजनाओं को पूर्ण कर लिया गया था और अतिरिक्त रूप से 12 उप-परियोजनाओं को सितंबर 2020 तक पूर्ण कर लिया गया था। इनमें से, चार नमूना मिशन शहरों

30 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा सड़क एवं पुल विभाग।

की 13 उप-परियोजनाओं को लेखापरीक्षा हेतु चुना गया था और एक उप-परियोजना के संबंध में महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैं।

5.2.4.4 श्रीनगर शहर में तूफान के जल अपवाह की योजना

ईई, शहर जल निकासी सिविल, श्रीनगर शहर के गंगबग क्षेत्र के तूफान के जल अपवाह हेतु एक परियोजना प्रस्तावित (वर्ष 2016-17) की, क्योंकि इस क्षेत्र में एक उचित अपवाह तंत्र नहीं था और गंगबग क्षेत्र में सतही जल का अति प्रवाह बाढ़ और जल गतिरोध का कारण बन रहा था। परियोजना का डीपीआर एएमआरयूटी के अंतर्गत ₹1.95 करोड़ की अनुमानित लागत पर अनुमोदित (दिसंबर 2016) किया गया था, जिसमें आवश्यक मेनहोलों सहित, अपवाहिका की 5,680 मीटर लंबाई हेतु डक्टाइल आयरन (के7) के पाइपों को बिछाना शामिल था।

लेखापरीक्षा में देखा गया (फरवरी 2020) कि ईई, सिविल जल निकासी प्रभाग, श्रीनगर ने डक्टाइल आयरन (के7) के पाइपों, जिन्हें डीपीआर के अनुसार, अगस्त 2017 से अगस्त 2018 की अवधि के दौरान ₹1.32 करोड़ की लागत पर मूल रूप से अनुमोदित किया गया था, के बजाय आरसीसी एनपी3 पाइपों से 5,436 मीटर अपवाहिका को बिछाया। ईई, शहर जल निकासी सिविल, श्रीनगर ने अनुमोदित डक्टाइल आयरन (के7) के पाइपों के प्रति उच्चतर दरों पर अधिप्राप्त आरसीसी पाइपों को बिछाने पर ₹74.85 लाख का अतिरिक्त व्यय (अगस्त 2018) किया।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने (फरवरी 2020) के उपरांत, ईई, सिविल जल निकासी प्रभाग, श्रीनगर ने कहा (जनवरी 2021) कि सर्वेक्षण/ आवश्यकताओं के परीक्षण के बिना डीपीआर एक फर्म[31] द्वारा तैयार किया गया था और अन्य परामर्शी फर्म[32] द्वारा उसका पुनरीक्षण किया गया था और मामला परामर्शदाता के साथ उठाया गया था तथा कृत कार्रवाई लेखापरीक्षा को सूचित की जायेगी। हालांकि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित बीओक्यू के अनुसार संविदा को विज्ञापित किया गया था।

उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए, यद्यपि, डीपीआर में डक्टाइल आयरन (के7) के पाइपों को उपलब्ध कराने हेतु विनिर्दिष्ट किया गया था, फिर भी संविदाकार ने उच्चतर दरों पर आरसीसी एनपी3 पाइपों को बिछाया था।

31 मैसर्स डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड।

32 मैसर्स आईपीई ग्लोबल।

(डी) शहरी परिवहन प्रक्षेत्र

शहरी परिवहन प्रक्षेत्र का लक्ष्य जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु परिवारों को आधारभूत सुविधायें प्रदान करना और शहरों में सुविधाओं का निर्माण करना है।

शहरी परिवहन प्रक्षेत्र के अंतर्गत 19 उप-परियोजनाओं में से, जिसमें यातायात प्रबंधन प्रणाली शामिल थी, 17 उप-परियोजनाओं के लिए संविदा प्रदान की गयी थी, जबकि केवल तीन उप-परियोजनाओं का निर्माण पूर्ण (मार्च 2019) किया गया था और अतिरिक्त रूप से सितंबर 2020 तक चार उप-परियोजनाएं पूर्ण की गयी थी।

इनमें से, चार नमूना मिशन शहरों में 12 उप-परियोजनाओं (19 में से) को लेखापरीक्षा हेतु किये गये व्यय के आधार पर चयनित किया गया था और सात उप-परियोजनाओं से संबंधित महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष मामलों को उत्तरवर्ती पैराग्राफों में दिया गया है।

5.2.4.5 जम्मू शहर

I. यातायात प्रबंधन प्रणाली

जम्मू शहर के लिए एसएएपी 2015-16 के अंतर्गत ₹27.50 करोड़[33] की अनुमानित लागत पर जेएमसी द्वारा प्रस्तावित 'इंटेलिजेन्ट ट्रैफिक लाइट सिस्टम (आईटीएलएस) का संस्थापन' के डीपीआर को चार मुख्य घटकों[34] सहित एसएचपीएससी द्वारा अनुमोदित (जनवरी 2016) किया गया था। परियोजना का उद्देश्य था कि इंटेलिजेन्ट ट्रैफिक लाइट्स सिस्टम को शहर निगरानी प्रणाली के साथ एकीकरण, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) की वाहन-सारथी परियोजना की विद्यमान प्रणाली के साथ आँकड़ों का आदान-प्रदान, अन्वेषण/ विश्लेषण हेतु न्यायालय में प्रस्तुतीकरण के लिए छवियों को सम्मिलित करते हुए वास्तविक समय प्रतिवेदनों और चालानों का सृजन करने में सक्षम होना चाहिए था।

---

33 इसके समापन के तीसरे वर्ष से दसवें वर्ष तक व्यापक एएमसी हेतु ₹8.40 करोड़ सम्मिलित करते हुए।

34 (1) 'जम्मू शहर में दूरस्थ 34 अवस्थितियों पर एक केन्द्रीकृत नियंत्रण कक्ष से यातायात बत्तियों के संचालन एवं निगरानी सहित इंटेलीजेन्ट यातायात संकेत प्रणाली का सर्वेक्षण, अभिकल्प, आपूर्ति, संस्थापन, कमिशनिंग और अनुरक्षण'; (2) एक दूरस्थ केन्द्रीकृत नियंत्रण कक्ष से यातायात बत्तियों की निगरानी और संचालन सहित सभी विद्यमान 30 निर्धारित समय स्टैण्डअलोन यातायात संकेत प्रणाली का इंटेलीजेन्ट यातायात प्रणाली में अद्यतन; (3) जम्मू शहर में विद्यमान 30 अवस्थितियों पर पैदल यात्री संकेत बत्तियों का सर्वेक्षण, अभिकल्प, आपूर्ति, संस्थापन, कमिशनिंग और अनुरक्षण; और (4) जम्मू शहर में एक चौराहे को समाविष्ट करने हेतु वाहन पंजीकरण नंबर प्लेट पहचान प्रणाली सहित लाल बत्ती उल्लंघन संसूचन का सर्वेक्षण, अभिकल्प, आपूर्ति, संस्थापन, कमिशनिंग और अनुरक्षण।

निर्माण कार्य के चार घटकों के प्रति, जेएमसी ने एक घटक[35] हेतु निविदा को हटाकर तीन घटकों के लिए निविदाओं[36] को आमंत्रित किया था। जेएमसी द्वारा तीन से कम बोलीकर्त्ताओं की सहभागिता होने के कारण, अप्रैल 2016 और जून 2016 के मध्य निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। तीसरे अवसर पर (सितंबर 2016) एसएलसीसी द्वारा तकनीकी मूल्यांकन (नवंबर 2016) के दौरान तीन बोलीकर्त्ताओं[37] में से दो बोलीकर्त्ताओं की महत्त्वपूर्ण पूर्व-योग्यता आवश्यकता[38] में से कम से कम एक में कमी होना पाया गया था। एसएलसीसी ने ₹14.25 करोड़ की लागत पर एकल योग्य बोलीकर्त्ता मैसर्स डीआईएमटीएस, जिसे तकनीकी/ वित्तीय मूल्यांकन में संविदा समिति द्वारा योग्य (नवंबर 2016) घोषित किया गया था, को कार्य के आबंटन आदेश (जनवरी 2017) की तिथि से छह महीनों के अंदर पूर्ण किये जाने के साथ संविदा आबंटित करने का निर्णय (नवंबर 2016) लिया था। फर्म को एक सामान्य कमान नियंत्रण केन्द्र से सभी 64 चौराहों के नियंत्रण और अनुवीक्षण हेतु एक एकीकृत प्रणाली उपलब्ध कराना आवश्यक था। एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना सहित 64 जंक्शनों पर यातायात बत्तियों का कार्य ₹14.51 करोड़ की लागत पर (जून/ अक्टूबर 2018) पूर्ण कर लिया गया था। 64 चौराहों पर यातायात लाइटिंग प्रणाली के संस्थापन के उपरांत, यातायात विभाग ने इन यातायात संकेतकों की सीमित प्रकार्यात्मकता को इंगित करते हुए 12 और 16 महीनों के बीच की औसत अवधियों हेतु 31 चौराहों पर एकल मोड और 33 चौराहों पर ब्लिंकिंग मोड स्थापित (मार्च 2018 और जुलाई 2019) किये। इसने इंगित किया कि यातायात बत्ती प्रणाली के संस्थापन से पूर्व स्थल, यातायात और जंक्शनों की आवश्यकता का उचित आकंलन नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने के उपरांत, ईई (विद्युत), जम्मू नगर निगम (जेएमसी) ने, लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार करते हुए, कहा (अगस्त 2019) कि

---

35 जम्मू शहर में चौराहों को समाविष्ट करने हेतु वाहन पंजीकरण नंबर प्लेट पहचान प्रणाली सहित लाल बत्ती उल्लंघन संसूचन (आरएलवीडी) का सर्वेक्षण, अभिकल्प, आपूर्ति, संस्थापन, कमिशनिंग और अनुरक्षण।

36 अप्रैल 2016, जून 2016 और सितंबर 2017

37 मैसर्स डीआईएमटीएस (टी-1); मैसर्स ओएनएनवाईएक्स (टी-2) और मैसर्स जेएण्डके एसआईसीओपी (टी-3)।

38 सी-डीएसी प्रौद्योगिकी के साथ 40 बत्तियों के अनुरक्षण का अनुभव।

भविष्य में सभी जंक्शनों को इंटेलिजेन्ट यातायात प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा और 16 जंक्शनों हेतु आरएलवीडी के लिए निविदा प्रक्रियाधीन थी।

इस प्रकार, लाल बत्ती संकेत उल्लंघन संसूचन (आरएलवीडी) पर कार्य के गैर-निष्पादन और 33 संकेतों को ब्लिंकिंग मोड पर रखने के बाद भी 64 चौराहों पर यातायात संकेतों के उल्लंघनों के अनुवीक्षण हेतु क्रियाविधि के अस्तित्वविहीन होने से इन्टेलिजेन्ट यातायात बत्ती प्रणाली के संस्थापन का अभीष्ट उद्देश्य विफल हो गया और दिसंबर 2020 तक परियोजना पर किये गये ₹14.51 करोड़ के व्यय को व्यापक रूप से निष्फल कर दिया।

II. श्रीनगर शहर

भारी संख्या में पैदल यात्री और वाहन यातायात को ध्यान में रखते हुए, यातायात पुलिस प्राधिकारियो से परामर्श सहित श्रीनगर नगर निगम (एसएमसी) ने श्रीनगर शहर में इंटेलिजेन्ट यातायात बत्ती प्रणाली[39] का संस्थापन और अद्यतन प्रस्तावित (वर्ष 2015-16) किया। एसएसपीएससी द्वारा ₹15.92 करोड़ की अनुमानित लागत पर अनुमोदित (दिसंबर 2016) परियोजना का दो चरणों में द्विविभाजन किया गया था। छह महीनों में समापन के लिए परियोजना[40] के चरण-I पर निर्माण कार्य एक संविदाकार को ₹4.15 करोड़ की लागत पर आबंटित (फरवरी 2017) किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया (दिसंबर 2019) कि संविदाकार मार्च 2017 से सितंबर 2017 के दौरान सड़क एवं भवन (आरएण्डबी) विभाग से सड़क काटने हेतु अनुमति लंबित होने के कारण कार्य का निष्पादन आरंभ नहीं कर सका। अंतत: संविदाकार ने सितंबर 2017 में निर्माण कार्य आरंभ किया और सितंबर 2020 तक निर्माण कार्य का 65 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया था।

संयुक्त आयुक्त (निर्माण), एमएमसी, श्रीनगर, ने कहा (फरवरी 2020) कि नयी अवस्थितियों पर निर्माण कार्य आरंभ करने संबंधी मामला मुख्य अभियंता, पीडब्ल्यूडी (आरएण्डबी) विभाग, कश्मीर के साथ उठाया गया था और निर्माण कार्य के निष्पादन

---

[39] भाग-ए: 21 नये जंक्शनों का संस्थापन: ₹6.95 करोड़, भाग-बी: विद्यमान 20 निर्धारित समय स्टैण्डअलोन का उन्नयनः ₹4.23 करोड़, भाग-सीः विद्यमान 28 जंक्शनों पर पैदल यात्री संकेत बत्तियों का संस्थापन: ₹0.64 करोड़, भाग-डीः 21 जंक्शनों पर स्टैण्डअलोन मोड यातायात संकेत और भाग-ई: एक चौराहे पर लाल बत्ती संकेत उल्लंघन संसूचक का संस्थापनः ₹0.45 करोड़।

[40] चरण-I 5 जंक्शनों का संस्थापन, 5 जंक्शनों का उन्नयन, स्टैण्डअलोन 10 जंक्शन, आरएलवीडी-I जंक्शन और ₹5.46 करोड़ की अनुमानित लागत पर एक केन्द्रीकृत नियंत्रण कक्ष का संस्थापन।

में विलंब हेतु संविदाकार को नोटिस जारी (अक्टूबर 2019) किया गया था। ₹10.46 करोड़ (जनवरी 2020) की अनुमानित लागत पर निष्पादित किये जाने वाले परियोजना के द्वितीय चरण के आबंटन में कोई प्रगति नहीं हुयी थी। जनवरी 2021 तक, परियोजना का निर्माण कार्य अपूर्ण था।

विभाग ने, लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार करते हुए, (जून 2020) विलंब हेतु कानून और व्यवस्था के मुद्दों और आरएण्डबी विभाग से सड़क में परिवर्तनों के लिए लंबित अनुमति को जिम्मेदार ठहाराया।

इस प्रकार, निधियों की उपलब्धता के बावजूद, सितंबर 2020 तक प्रणाली के संस्थापन का अभीष्ट प्रयोजन प्राप्त नहीं किया जा सका था।

5.2.4.6 पार्किंग सुविधाएं

वर्ष 2015 से 2017 के दौरान एएमआरयूटी के अंतर्गत चार[41] चयनित मिशन शहरों में पार्किंग सुविधाओं के निर्माण हेतु परियोजनाओं को आरंभ किया गया था। उत्तरवर्ती पैराग्राफ तीन चयनित मिशन शहरों में पार्किंग सुविधाओं से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को उजागर करते हैं।

I. अनंतनाग शहर

कार्यपालक अभियंता[42] द्वारा जंगलात मण्डी, अनंतनाग में बहु-स्तरीय कार पार्किंग उप-परियोजना का निर्माण ₹17 करोड़ की अनुमानित लागत पर आरंभ (मई 2017) किया गया था। 24 महीनों में पूर्ण करने हेतु कार पार्किंग के निर्माण का कार्य ₹14.45 करोड़ में एक संविदाकार को आबंटित (अक्टूबर 2017) किया गया था। उप-परियोजना की लागत ₹1.55 करोड़ बढ़कर ₹16 करोड़ तक हो गयी थी क्योंकि ईई, शहरी स्थानीय निकाय, कश्मीर द्वारा संचालित मृदा परीक्षण के आधार पर नींव को पाइल से राफ्ट में परिवर्तित कर दिया गया था। इसने इंगित किया कि डीपीआर तैयार करते समय उचित सर्वेक्षण का संचालन नहीं किया गया था। सितंबर 2020 तक, उप-परियोजना के निर्माण कार्य का लगभग 85 प्रतिशत पूर्ण हो गया था।

---

41 अनंतनाग (मई 2017), जम्मू (अप्रैल 2015 और मार्च 2017); श्रीनगर (2016-17); और लेह (2015-16)

42 कार्यपालक अभियंता, शहरी स्थानीय निकाय, कश्मीर।

लेखापरीक्षा में इंगित (दिसंबर 2019) किए जाने पर, कार्यपालक अभियंता, शहरी स्थानीय निकाय, कश्मीर ने कहा (जनवरी 2020) कि उप-परियोजना के डीपीआर को पाइल से राफ्ट नींव में परिवर्तन करते हुए, मृदा की परिकल्पित सुरक्षित वहन क्षमता के आधार पर तैयार किया गया था, जिससे आबंटित लागत ₹14.45 करोड़ से ₹16 करोड़ तक बढ़ गयी।

II. जम्मू शहर

ए. पंजतीर्थी

जेएमसी ने आरंभ में, इस उप-परियोजना के निर्माण हेतु स्थल के भू-तकनीकी अन्वेषण के संचालन के लिए एक फर्म[43] को विनियोजित (वर्ष 2015-16) किया था। फर्म ने सूचित किया (जून 2015) कि प्रस्तावित स्थल 25 वर्षों से अधिक समय से एक डम्पिंग क्षेत्र के रूप में विकसित हो गया था। तथापि, यह ज्ञात था कि स्थल एक डम्पिंग भूतल था, फिर भी जेएमसी द्वारा (अप्रैल 2015) वही स्थल एएमआरयूटी के अंतर्गत एसएलसीसी को (जुलाई 2016) पार्किंग परियोजना के रूप में प्रस्तावित किया गया था। एसएलसीसी ने परियोजना को अनुमोदित (अप्रैल 2017) किया और जेएमसी द्वारा निर्माण कार्य दो वर्षों में पूर्ण करने हेतु ₹26.20 करोड़ की लागत पर संविदाकार को आबंटित (जून 2017) किया गया था। अभिकल्पों और आरेखणों को उपलब्ध करवाने हेतु नामांकन आधार पर दूसरा परामर्शदाता विनियोजित (अगस्त 2016) किया गया था और उसे ₹12.07 लाख[44] का भुगतान किया गया था।

परामर्शदाता द्वारा कार्यकारी आरेखणों के गैर-प्रस्तुतीकरण के कारण संविदाकार आबंटित निर्माण कार्य को आरंभ करने में समर्थ नहीं था। इसके अतिरिक्त, मुख्य अभियंता, अभिकल्प, निरीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण विभाग, जम्मू ने भी स्थल का भूवैज्ञानिक अन्वेषण करवाने हेतु सलाह (अप्रैल 2018) दी, जिसे ₹13.69 लाख की लागत पर एक पृथक परामर्शदाता[45] द्वारा संचालित (मई/ जून 2018) किया गया था। भूवैज्ञानिक परामर्शदाता ने सूचित किया (जून 2018) कि स्थल 16 मीटर तक मिश्रित अपशिष्ट पदार्थों से भरा हुआ था और भराव क्षेत्र के नीचे न्यूनतम पाँच मीटर

---

43 मैसर्स भारत एनॅलेटिक हाउस प्राइवेट लिमिटेड, जम्मू।

44 सितंबर 2017 और फरवरी 2018

45 मैसर्स ईशान कैलीब्रेशन, जम्मू।

के गड्ढे पर नींव रखने का सुझाव दिया। अंततः संयुक्त आयुक्त, जेएमसी ने चयनित स्थल में कमियों[46] द्वारा आवश्यक, कार्य की नयी मदों पर लागत की संभावित वृद्धि के कारण, संविदा का रद्दकरण प्रस्तावित (अगस्त 2018) किया। जेएमसी ने आरंभ में स्थल से उपयोज्यताओं को स्थानांतरित करने के लिए ₹9.40 लाख का व्यय (अगस्त 2017) किया था।

इस प्रकार, अनुपयुक्त स्थल के चयन के कारण, जनवरी 2019 तक प्रारंभिक व्ययों और उपयोज्यताओं के स्थानांतरण पर ₹35.16 लाख[47] का व्यय किया गया, जो व्यर्थ हो गया।

बी. पीरखो

मार्च 2017 और अगस्त 2017 में एएमआरयूटी के अंतर्गत बहु-स्तरीय कार पार्किंग के निर्माण हेतु परियोजना एसएलटीसी और एसएचपीएससी द्वारा अनुमोदित की गयी थी और इसे ₹19.90 करोड़ की अनुमानित लागत पर पीरखो मंदिर, जम्मू के पास नाले के दांये किनारे पर अक्टूबर 2017 में पूर्ण किया जाना था। परियोजना का डीपीआर तैयार करने पर ₹25.60 लाख का व्यय किया गया (मई/ जून 2017) था। संविदा को प्रस्तावित स्थल पर अति पर्वतीय ढलान को सम्मिलित करते हुए कठिन स्थल अवस्थाओं के कारण सितंबर 2018 तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था। तवी नदी के किनारे पर प्रस्तावित वैकल्पिक स्थल पर भी कार पार्किंग के निर्माण हेतु प्रस्ताव भारग्रस्तता मुक्त भूमि की अनुपलब्धता के कारण छोड़ दिया गया था।

स्थल पर बहु-स्तरीय कार पार्किंग के निर्माण हेतु अनुपयुक्त भूमि के चयन का परिणाम डीपीआर की तैयारी पर ₹25.60 लाख के अपव्यय के रूप में हुआ। संयुक्त आयुक्त (निर्माण) जेएमसी ने पुष्टि की (अक्टूबर 2019) कि भूमि की अनुपलब्धता के कारण प्रस्ताव छोड़ दिया गया था।

---

46 स्थल में ढलान वाले सतही क्षेत्र सहित (कुल क्षेत्र का 40 प्रतिशत) दो छतें शामिल थी और परियोजना का आरंभिक प्राक्कलन एक समतल क्षेत्र में मृदा वहन क्षमता (एसबीसी) की परिकल्पना करते हुए तैयार किया गया था और सामग्री में अपशिष्ट भराव वाली भूमि के ढलान वाले भाग में कोई भू-तकनीकी अन्वेषण का संचालन नहीं किया गया था।

47 (i) उपयोज्यताओं का स्थानांतरण: ₹9.40 लाख; (ii) परामर्शी सेवाओं का कुल: ₹25.76 लाख।

III. श्रीनगर शहर

शेख बाग, श्रीनगर में ₹22.61 करोड़ का कार पार्किंग निर्माण-कार्य 36 महीनों के अंदर पूर्ण किये जाने हेतु एक संविदाकार को आबंटित (अप्रैल 2017) किया गया था। विभाग ने कार पार्किंग के संरेखण में आ रहे तीन चिनार वृक्षों के कारण इस उप-परियोजना का डीपीआर परिशोधित (जून 2018) किया था। इसने प्लिंथ क्षेत्र में वृद्धि के कारण ₹43 लाख तक परियोजना की लागत में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया, जिसने इंगित किया कि डीपीआर तैयार करने से पूर्व उचित सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

सितंबर 2020 तक, ₹15.43 करोड़ का व्यय करने के उपरांत परियोजना के निर्माण कार्यों को 59 प्रतिशत की सीमा तक पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार (जनवरी 2020) करते हुए, श्रीनगर विकास प्राधिकरण के वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी ने परियोजना अभिकल्प/ विनिर्देशन में परिवर्तन करते हुए, निर्माण कार्य आरंभ होने के उपरांत कार्यान्वयन अभिकरण के ध्यान में आये गत्यवरोधों को लागत में वृद्धि और विलंब हेतु जिम्मेदार ठहराया।

5.3 जम्मू एवं कश्मीर राज्य हेतु चालू जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन परियोजनाओं की शेष केन्द्रीय अंश देयता

5.3.1 प्रस्तावना

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी), भारत सरकार (जीओआई) द्वारा दिसंबर 2005 में प्रमोचित किया गया था और जम्मू एवं कश्मीर राज्य में वर्ष 2007 में कार्यान्वित किया गया था। मिशन, पहचाने गये शहरों के नियोजित विकास को सुनिश्चित करने; शहरी अवसंरचना/ सेवा सुपुर्दगी क्रियाविधि में दक्षता पर केन्द्रित होने, सामुदायिक सहभागिता और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की जवाबदेही को बढ़ाने हेतु एक सुधार संचालित फास्ट ट्रैक कार्यक्रम था। इस मिशन में चार उप-मिशन थे, जिनमें शहरी अवसंरचना और शासन (यूआईजी), शहरी गरीबों हेतु आधारभूत सेवाएं (बीएसयूपी), लघु और मध्यम कस्बों के लिए शहरी अवसंरचनात्मक विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) और एकीकृत आवास एवं झुग्गी विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी) सम्मिलित थे। एमओयूडी ने निर्देश (अगस्त 2015) दिया कि वर्ष 2005-12 की अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत सभी अपूर्ण परियोजनाओं को

संस्वीकृत किया गया था जिनमें 50 प्रतिशत या उससे अधिक अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता निर्गत की गयी थी और 31 मार्च 2014 तक भौतिक प्रगति 50 प्रतिशत या अधिक थी, इसके साथ-साथ वर्ष 2012-14 की अवधि के दौरान इस प्रकार की संस्वीकृत परियोजनाओं को एएमआरयूटी के अंतर्गत वित्त पोषित किया जायेगा। जेएनएनयूआरएम, जेएण्डके की सभी परियोजनाओं में से, सात परियोजनाएं[48], जो लागत परिशोधन, द्वितीय/ अंतिम किस्त की अनुपलब्धता और कुछ अतिरिक्त घटकों के समावेशन के कारण पूर्ण नहीं हो सकी थी, को प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) के अंतर्गत वित्त पोषण हेतु लक्षित किया गया था।

एमओयूडी, जीओआई, यूआईजी/ यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। आयुक्त/ सचिव आवास और शहरी विकास विभाग, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), जम्मू एवं कश्मीर राज्य शहरी अवसंरचनात्मक विकास अभिकरण (एसयूआईडीए) की सहायता से राज्य में मिशन के कार्यान्वयन की अनुवीक्षा करता है। सात परियोजनाओं में से चार का कार्यान्वयन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (एलएएचडीसी), लेह द्वारा किया गया था, डोडा और गांदरबल प्रत्येक में एक-एक सड़क परियोजना का कार्यान्वयन निदेशकों, शहरी स्थानीय निकायों, कश्मीर एवं जम्मू द्वारा किया गया था जबकि श्रीनगर नगर निगम से संबंधित एक सीवरेज परियोजना, श्रीनगर का निष्पादन राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा किया गया था।

5.3.2 वित्तीय स्थिति

₹378.75 करोड़ की अनुमानित लागत सहित, सात रोकी गयी परियोजनाएं, तत्कालीन जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत वर्ष 2005 से 2014 के दौरान संस्वीकृत की गयी थी। इन परियोजनाओं पर जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत निर्मोचित ₹188.39 करोड़ के अलावा, जीओआई ने फरवरी-मार्च 2017 के दौरान पीएमडीपी के अंतर्गत अतिरिक्त ₹127.24 करोड़ निर्गत किये थे। वर्ष 2013 से 2020 की अवधि के दौरान किये गये व्यय सहित संस्वीकृत और निर्मोचित निधियों की परियोजना-वार स्थिति **तालिका 5.3.1** में दी गयी है।

---

[48] संस्वीकृत दो परियोजनाएं (1) सीवरेज परियोजना, श्रीनगर (2) वर्ष 2005-12 की अवधि के दौरान सड़क परियोजना, डोडा और पाँच परियोजनाएं (1) सड़क परियोजना, गांदरबल, (2) जलापूर्ति योजना, लेह (3) सड़क नेटवर्क सुधार, लेह (4) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, लेह और (5) वर्ष 2012-14 के दौरान संस्वीकृत सीवरेज परियोजना, लेह।

तालिका 5.3.1: निधियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	जीओआई द्वारा निर्गत अतिरिक्त सहायता			निर्मोचित राज्य अंश	निर्मोचित कुल सहायता	किया गया व्यय	अप्रयुक्त निधियाँ (प्रतिशत)
		पिछली योजना[49]	पीएमडीपी	कुल				
1.	सीवरेज योजना, श्रीनगर	77.76	21.30	99.06	13.29	112.35	112.35	- *(0)*
2.	सड़क परियोजना, डोडा	1.94	1.94	3.88	0.43	4.31	2.28	2.03 *(47)*
3.	सड़क परियोजना, गांदरबल	10.88	6.19	17.07	1.21	18.28	16.05	2.23 *(12)*
4.	जलापूर्ति योजना, लेह	31.72	31.72	63.44	3.52	66.96	50.74	16.22 *(24)*
5.	सड़क नेटवर्क सुधार, लेह	34.44	34.44	68.88	3.83	72.71	63.85	8.86 *(12)*
6.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, लेह	4.92	4.92	9.84	0.55	10.39	8.64	1.75 *(17)*
7.	सीवरेज परियोजना, लेह	26.73	26.73	53.46	2.97	56.43	40.77	15.66 *(28)*
	कुल	**188.39**	**127.24**	**315.63**	**25.80**	**341.43**	**294.68**	**46.75*(14)***

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

सात परियोजनाओं के संबंध में ₹378.75 करोड़ की संस्वीकृत लागत के प्रति, कुल ₹327.58 करोड़ केन्द्रीय अंश संकल्पित था और ₹51.17 करोड़ की शेष राशि राज्य द्वारा उपलब्ध करायी जानी थी। मार्च 2020 तक, कुल ₹341.43 करोड़[50] निर्गत किये गये थे, जिसमें से ₹46.75 करोड़ (14 प्रतिशत) अप्रयुक्त छोड़ते हुए, ₹294.68 करोड़ का व्यय किया गया था।

मामला सरकार को (जून 2020) भेजे जाने के उपरांत, योजना निदेशक, आवास एवं शहरी विकास विभाग (एचएण्डयूडीडी) ने कहा (अगस्त 2020) कि सीवरेज परियोजना, श्रीनगर हेतु निर्गत ₹21.30 करोड़ की केन्द्रीय सहायता का पूर्ण उपयोग किया गया था जबकि पीएमडीपी के अंतर्गत सड़क परियोजनाएं डोडा और गांदरबल हेतु निर्गत ₹8.13 करोड़ के प्रति, गांदरबल सड़क परियोजना के लिए ₹3.96 करोड़ का उपयोग किया गया था और शेष का प्रतिदाय जीओआई को किया जा रहा था।

5.3.3 परियोजना निष्पादन

राज्य/ यूटी सरकार द्वारा निष्पादित मिशन की नमूना जाँच (अनुमानित लागतः ₹221.65 करोड़) हेतु चयनित पाँच परियोजनाओं[51] के अंतर्गत निर्माण कार्य भूमि के गैर-अधिग्रहण, संविदा को अंतिम रूप नहीं दिये जाने, मुद्दों के समाधान की प्रक्रिया में किये गये विलंब और इन परियोजनाओं के निर्माण कार्यों के अतिरिक्त घटकों के

49 प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण योजना।

50 केन्द्र: ₹315.63 करोड़ और राज्य: ₹25.80 करोड़।

51 1. सड़क परियोजना डोडा; 2. जलापूर्ति योजना, लेह; 3. सड़क नेटवर्क सुधार, लेह; 4. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, लेह और 5. सीवरेज परियोजना, लेह।

समावेशन के कारण मार्च 2020 तक पूर्ण नहीं किये गये थे। चयनित परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित अभिलेखों के लेखापरीक्षा परीक्षण में निम्नलिखित प्रकट हुआ।

5.3.3.1 डोडा में सड़क सुधार परियोजना

डोडा कस्बे की आंतरिक सड़कों के सुधार हेतु 25 इकाइयाँ प्रतिदिन की विद्यमान क्षमता के प्रति 500 यात्री कार इकाइयाँ प्रतिदिन (पीसीयू) के समायोजन तथा वस्तुओं और यात्रियों की गतिशीलता एवं प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और पुनर्वास सेवाओं हेतु डोडा कस्बे के आंतरिक क्षेत्रों को संयोजकता उपलब्ध कराने की दृष्टि से लोक निर्माण विभाग (आरएण्डबी) द्वारा ₹4.56 करोड़ की लागत पर एक डीपीआर तैयार किया गया था। परियोजना को राज्य स्तरीय संचालन समिति (एसएलएससी)[52] द्वारा ₹4.31 करोड़ की अनुमानित लागत पर एक लेन की तीन[53] आंतरिक सड़कों को चौड़ा करने और एक दोहरी लेन वाली सड़क के निर्माण हेतु अनुमोदित (दिसंबर 2006) किया गया था। विभाग द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जाना था जिसके लिए डीपीआर में प्रतिकर हेतु ₹96 लाख का प्रावधान रखा गया था। यूआईडीएसएसएमटी के दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यान्वयन अभिकरणों को सभी प्राप्तियों और व्यय हेतु एक वाणिज्यिक बैंक में प्रत्येक परियोजना के लिए पृथक बैंक खाते खोलना और अनुरक्षित करना अपेक्षित था। कार्यपालक अभियंता (ईई), आरएण्डबी प्रभाग, डोडा के अभिलेखों के लेखापरीक्षा परीक्षण (जून 2019) में प्रकट हुआ कि निदेशक, यूएलबी, जम्मू द्वारा प्रभाग को सड़कों के निर्माण हेतु वर्ष 2007-08 से 2018-19 के दौरान यूआईडीएसएसएमटी (₹2.37 करोड़)/ पीएमडीपी (₹1.94 करोड़) के अंतर्गत ₹4.31 करोड़ निर्गत किये गये थे। ₹4.31 करोड़ में से, इन तीन सड़कों के निर्माण पर ₹2.28 करोड़ की राशि का व्यय (सितंबर 2020) किया गया था, जबकि ₹1.94 करोड़ चालू बैंक खाते में अप्रयुक्त पड़े रहे और तत्पश्चात् सरकारी खाते में प्रेषित (नवंबर 2019) किये गये थे। लेखापरीक्षा (जून 2019) में

---

52 अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री/ शहरी विकास मंत्री/ आवास मंत्री, उपाध्यक्ष के रूप में शहरी विकास मंत्री और सदस्यों के रूप में आवास मंत्री, संबंधित मेयर/ शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्ष; एमपी/ एमएलए, सचिव (पीएचई), सचिव (एमए), सचिव (वित्त), सचिव (आवास) और सदस्य सचिव के रूप में सचिव (शहरी विकास) को शामिल करते हुए।

53 (1) कृषि परिसर से भारथ तक संपर्क सड़क (2) नये बस अड्डे से नागरी वाया तोन्डवाह संपर्क सड़क (3) पुरानी ईदगाह सड़क और इसका अक्रमाबाद तक विस्तार।

देखा गया कि मार्च 2008 और जनवरी 2009 के मध्य आबंटित दो सड़कों[54] के निर्माण कार्यों पर ₹1.04 करोड़ का व्यय करने के बावजूद, संविदाओं को प्रदान करने से पूर्व भूमि के गैर-अधिग्रहण और जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय द्वारा रोक आदेशों को जारी (अक्टूबर 2013) करने के कारण परियोजना पूर्ण नहीं की जा सकी। लेखापरीक्षा में आगे यह भी देखा गया कि ईई, आरएण्डबी प्रभाग, डोडा ने तीसरी सड़क[55] पर ₹1.20 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् जिला अधीक्षक अभियंता, पीडब्ल्यूडी (सड़क एवं भवन), डोडा को प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने हेतु ₹4.02 करोड़ का परिशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत (दिसंबर 2018) किया क्योंकि निर्माण कार्य भूमि प्रतिकर मामलों के निपटान में हुए विलंब के कारण समय पर पूर्ण नहीं हो सका। मार्च 2020 तक प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया था। निर्माण कार्य के आबंटन से पूर्व भारग्रस्तता मुक्त भूमि के गैर-अधिग्रहण के कारण, ₹2.28 करोड़ का व्यय करने के उपरांत भी सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं (सितंबर 2020) हो सका, इसके अलावा यात्रियों और वस्तुओं की गतिशीलता हेतु डोडा कस्बे के आंतरिक क्षेत्रों को समुन्नत संयोजकता उपलब्ध कराने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

मामला सरकार को (जून 2020) भेजे जाने के उपरांत, योजना निदेशक, एचएण्डयूडीडी ने कहा (अगस्त 2020) कि दो सड़क परियोजनाओं के निर्माण कार्य का निष्पादन भूमि अधिग्रहण, जिस पर भूमि मालिकों द्वारा आपत्ति की गयी थी और उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगायी गयी थी, नहीं होने के कारण पूर्णरूपेण संचालित नहीं किया जा सका और संपर्क सड़क को चौडा करने का कार्य 50 प्रतिशत तक पूर्ण हो गया था। आगे यह भी कहा गया था कि निकट भविष्य में निर्माण कार्य को निष्पादित किये जाने की संभावना नहीं थी और ₹2.01 करोड़ के अव्ययित शेष का प्रतिदाय वापस जीओआई को किया जा रहा था।

5.3.3.2 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना, लेह

वर्ष 2007-08 के दौरान लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद द्वारा लेह कस्बे के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली (एसडब्ल्यूएमएस) हेतु डीपीआर तैयार करने का कार्य मैसर्स टेट्रा टेक, नई दिल्ली को सौंपा गया था। डीपीआर के अनुसार, लेह शहर में प्रतिदिन 13.53 टन अपशिष्ट का उत्सर्जन होता था, जिसमें से 6.27 टन

[54] (1) कृषि परिसर से भारथ तक संपर्क सड़क (2) नये बस अड्डे से नागरी वाया तोन्डवाह संपर्क सड़क।

[55] पुरानी ईदगाह सड़क और इसका अक्रमाबाद तक विस्तार।

जैव-निम्नीकरणीय, 3.27 टन पुनर्चक्रणीय और 1.84 टन निर्माण अपशिष्ट था। एसडब्ल्यूएमएस के घटकों में प्राथमिक और द्वितीयक अपशिष्ट संग्रहण, अपशिष्ट का भण्डारण और परिवहन, बाद में प्रसंस्करण और निपटान शामिल था। एसएलएससी ने यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत, ₹10.94 करोड़ की अनुमानित लागत पर एसडब्ल्यूएमएस को अनुमोदित (मार्च 2013) किया। नगर परिषद, लेह द्वारा गांव चुचोट/ स्टोके में अवस्थित एक स्थल पर एसडब्ल्यूएम की सुविधा प्रस्तावित की थी।

कार्यपालक अभियंता (ईई), निर्माण प्रभाग, लेह के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (सितंबर 2019) से प्रकट हुआ कि प्रभाग ने एसडब्ल्यूएमएस परियोजना की स्थापना हेतु चुचोट में भूमि के अधिग्रहण के पूर्वानुमान में, अक्टूबर 2013 से नवंबर 2015 की अवधि के दौरान ₹40.02 लाख की लागत पर एक पहुँच मार्ग का निर्माण किया। एसडब्ल्यूएमएस के निर्माण पर स्थानीय लोगों द्वारा उठाई गयी आपत्ति के कारण, स्थल को साक्षालियू में परिवर्तित (अगस्त 2015) किया गया, जिसके कारण सड़क के निर्मित भाग का उपयोग (सितंबर 2019) नहीं किया जा सका, परिणामस्वरूप ₹40.02 लाख का निष्फल व्यय हुआ। अक्टूबर 2013 से मार्च 2014 के दौरान प्रभाग द्वारा ₹2.50 करोड़ लागत पर क्रय की गयी मूल निर्माण सामग्री का परियोजना हेतु उपयोग नहीं किया गया था और उसे अपयोजित (सितंबर 2013 से अप्रैल 2016) किया गया था और इसका उपयोग परियोजना से असंबद्ध सड़कों एवं भवनों के निर्माण के लिए किया गया था।

लेखापरीक्षा में आगे पाया (सितंबर 2019) गया कि ईई, निर्माण प्रभाग, लेह ने साक्षालियू में 'इन-वेसल खाद संयंत्र के निर्माण और संचालन एवं अनुरक्षण में सहायता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के विकास' का कार्य टर्नकी आधार पर मैसर्स डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड को (नंवबर 2016 और अगस्त 2017) प्रदान किया था। विभाग ने परियोजना के डीपीआर को परिशोधित (जुलाई 2017) किया और परिशोधित लागत को ₹10.94 करोड़ पर स्थिर रखा था, परंतु पिछली डीपीआर के कुछ घटकों[56] को अन्य घटकों की लागत वृद्धि हेतु हटा दिया गया था, जिसका परिणाम इन घटकों के संबंध में ₹1.76 करोड़ की लागत वृद्धि के रूप में हुआ। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि मैसर्स डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड ने बदले में 12

[56] अपशिष्ट का प्राथमिक संग्रहण: ₹70.38 लाख; अपशिष्ट का द्वितीयक संग्रहण: ₹8.17 लाख, सैनेटरी लैण्डफिल: ₹66.74 लाख; इन-वेसल खाद संयंत्र: ₹4.59 लाख; और नये स्थल पर संरक्षण कार्य: ₹26.09 लाख।

कार्य महीनों में समापन हेतु ₹5.89 करोड़ की लागत पर कार्य का निष्पादन मैसर्स 3आर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान (दिसंबर 2017) किया। हालांकि, मार्च 2020 तक परियोजना का निष्पादन संविदाकार द्वारा पूर्ण नहीं किया गया था। विभाग द्वारा गैर-समापन हेतु कारणों को उपलब्ध नहीं कराया गया था।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि वर्ष 2015 से 2016 के दौरान नगरपालिका समिति, लेह द्वारा अपशिष्ट के प्राथमिक संग्रहण हेतु ₹80 लाख के आबंटन के प्रति ₹75.28 लाख की लागत पर 10,000 कचरा पात्रों का क्रय किया गया और उन्हें गृह धारकों को जारी कर दिया था। विभाग ने बाद में चार महीनों में कार्य के समापन हेतु ₹1.05 करोड़ की लागत पर मैसर्स 3आर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को स्थल पर सैनेटरी लैण्डफिल के निर्माण का कार्य आबंटित (सितंबर 2019) किया। सैनेटरी लैण्डफिल का निर्माण कार्य मार्च 2020 में पूर्ण हो गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया (सितंबर 2019) कि एसडब्लयूएमएस की स्थापना नहीं होने के कारण नगरपालिका समिति, लेह द्वारा शहर के ठोस अपशिष्ट का निपटान खुले में बॉमगार्ड क्षेत्र में किया जा रहा था इस प्रकार, यह क्षेत्र में अस्वास्थ्यकर वातावरण का सृजन कर रहा था। विभागीय अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा द्वारा स्थल के (सितंबर 2019) मौके पर किये गये निरीक्षण से प्रकट हुआ कि एसडब्ल्यूएम स्थल पर परीक्षण के आधार पर परिवहन किये जाने से पूर्व जैव निम्नीकरण और गैर-जैव निम्नीकरण अपशिष्ट का पृथक्करण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, गैर-जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के पृथक्करण हेतु स्थल पर कोई यांत्रिक प्रणाली स्थापित नहीं थी और रैम्प पर अपशिष्ट के पृथक्करण हेतु स्टाफ को भी परिनियोजित नहीं किया गया था। विभाग द्वारा सितंबर 2020 तक एसडब्ल्यूएमएस की स्थापना पर ₹8.64 करोड़ (₹10.39 करोड़ के निर्मोचन के प्रति) का व्यय किया गया था।

साक्षालियू में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा के रैम्प पर आईवीसी प्रणाली में बिना पृथक्करण के ले जाया गया ठोस अपशिष्ट (11 सितंबर 2019)

इस प्रकार, समय पर भूमि के गैर-अधिग्रहण और निर्माण कार्य के निष्पादन में अनुचित योजना के कारण, निधियाँ उपलब्ध होने के बावजूद परियोजना पूर्ण नहीं की जा सकी जिससे ₹9.18 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया। कार्यपालक अभियंता निर्माण प्रभाग, लेह ने कहा (सितंबर 2019 और जून 2020) कि स्थल को अंतिम रूप न दिये जाने और संविदा के आबंटन में विलंब के कारण, निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूर्ण नहीं किया जा सका और परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर था और यथासंभव कम से कम समय में पूर्ण किया जाएगा।

मामला सरकार को भेजे जाने (जून 2020) के उपरांत, योजना निदेशक, एचएण्डयूडीडी ने कहा (अगस्त 2020) कि लैण्डफिल स्थल, सड़क निर्माण और चारदीवारी का कार्य लगभग पूर्ण हो गया था और परियोजना शीघ्र ही कमिशन होने वाली थी। इसके अतिरिक्त, अद्तयन (अगस्त 2020) प्रतीक्षित है।

5.3.3.3 लेह में सड़क नेटवर्क में सुधार

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत राज्य स्तरीय जाँच समिति (एसएलएससी) द्वारा 'लेह के सड़क नेटवर्क का सुधार' परियोजना ₹76.53 करोड़ की लागत पर अनुमोदित (मार्च 2013) की गयी थी। परियोजना के अंतर्गत, विभाग द्वारा 80 सड़कों को सुधार/ उन्नयन हेतु पहचाना (मार्च 2011) गया था।

कार्यपालक अभियंता, आरएण्डबी प्रभाग, लेह के अभिलेखों के लेखापरीक्षा परीक्षण (सितंबर 2019) से प्रकट हुआ कि ₹72.71 करोड़ की राशि मार्च 2019 के अंत में परियोजना हेतु निर्गत की गयी थी। ₹23.84 करोड़ (मार्च 2017 तक) का व्यय करने के उपरांत, डीपीआर को परिशोधित (जुलाई 2017) किया गया और परिशोधित डीपीआर में ₹15.30 करोड़ की अनुमानित लागत सहित निर्माण कार्य की पाँच[57] नयी मदों को, यह इंगित करते हुए कि विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण कार्य की परिधि को काफी परिवर्तित कर दिया गया था, शामिल किया गया था। परिशोधित डीपीआर और निर्माण कार्य की नयी मदों को एसएलसीसी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। जुलाई 2017 से अगस्त 2019 के दौरान सक्षम प्राधिकारी द्वारा

---

57 लेह बाजार का अग्रलिखित के माध्यम से सौन्दर्यीकरण (1) ग्रेनाइट पत्थर को उपलब्ध कराना और बिछाना: (₹22.05 लाख), (2) चिलिंग फ्लैग पत्थर को उपलब्ध कराना और बिछाना (₹3.64 करोड़), (3) साइड ड्रेन, यूटीलिटी डक्ट और सड़क फुटपाथ (₹6.48 करोड़), (4) पुराने एसएसपी निवास से नए बस अड्डे तक सड़क का निर्माण (₹67 लाख) और (5) पीडीडी द्वारा बाजार का विद्युतीकरण उपलब्ध कराना (₹3.50 करोड़) तथा उस पर आकस्मिकताएं (₹79.76 लाख)।

अनुमोदन के पूर्वानुमान में निर्माण कार्य की इन नयी मदों पर ₹8.26 करोड़ का व्यय किया गया था और ₹2.23 करोड़ का व्यय परियोजना से असंबंधित मशीनरी/ उपकरण की अधिप्राप्ति, वाहनों की मरम्म्त, नैमित्तिक श्रमिकों के वेतन पर किया गया था। विभाग ने ₹63.84 करोड़ का व्यय करने के उपरांत निर्माण कार्य[58] की संबद्ध मदों सहित केवल 24 सड़कों के निर्माण को पूर्ण (मार्च 2020) किया था। इसके अलावा, प्रभाग ने अननुमोदित निर्माण कार्यों/ मदों इत्यादि पर परियोजना की निधियों से ₹10.48 करोड़ की राशि को अपयोजित किया था।

मामला सरकार को भेजे जाने (जून 2020) के उपरांत, योजना निदेशक, एचएण्डयूडीडी ने कहा (अगस्त 2020) कि निर्माण कार्य 80 प्रतिशत तक पूर्ण हो गये थे और शेष निर्माण कार्य संविदाकार को आबंटित किये गये थे और वर्ष 2020-21 के दौरान पूर्ण किये जाने अपेक्षित थे।

5.3.3.4 जलापूर्ति योजना, लेह

लेह कस्बे में, विद्‌यमान जलापूर्ति प्रणाली की न्यूनता को पूर्ण करने हेतु, लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (एलएएचडीसी) द्‌वारा 'लेह के लिए जलापूर्ति योजना के संवर्धन एवं पुनर्गठन' हेतु डीपीआर को तैयार करने का कार्य एक परामर्शदाता[59] को सौंपा (सितंबर 2008) गया था। फर्म द्‌वारा प्रस्तुत (अक्टूबर 2011) डीपीआर के अनुसार, विद्‌यमान स्रोतों से कस्बे के लिए जल की उपलब्धता वर्तमान जनसंख्या हेतु अपर्याप्त थी और भविष्य में जनसंख्या की आवश्यकता के लिए तो बहुत ही अपर्याप्त थी। डीपीआर में एक अंतः स्पंदन कुआं, राइजिंग मेन, पाँच लिफ्ट स्टेशनों, पाँच सेवा जलाशयों और एक वितरण नेटवर्क का निर्माण उल्लिखित था। एसएलएससी द्‌वारा यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत संस्वीकृति हेतु जीओआई को प्रस्तुत करने के लिए ₹70.49 करोड़ की अनुमानित लागत पर परियोजना को अनुमोदित (मार्च 2013) किया गया था। कार्यपालक अभियंता, पीएचई प्रभाग, लेह के अभिलेखों के लेखापरीक्षा परीक्षण (सितंबर 2019) से प्रकट हुआ कि केन्द्रीय भौमजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) को चोगलामसर और आसपास के क्षेत्र में नलकूपों के निर्माण हेतु साध्यता आंकलन के लिए हाइड्रोजियोलोजीकल सर्वेक्षण संचालित करने का अनुरोध

---

58 केन्द्रीय विभाजक 0.30 किमी, साइड ड्रेन, फुटपाथ, केन्द्रीय वर्ज, यूटीलिटी डक्ट, संस्थापित स्ट्रीट लाइट्स, आरसीसी फुटपाथ, एमएस पाइप क्रॉसिंग्स।

59 मैसर्स टेट्रा टेक इण्डिया लिमिटेड, नयी दिल्ली।

(फरवरी 2014) किया गया था। सीजीडब्ल्यूबी ने अनुशंसा (सितंबर 2014) की कि क्षेत्र नलकूपों के निर्माण हेतु साध्य था। सितंबर 2019 तक, विभाग नलकूपों के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण करने में समर्थ नहीं हुआ था जिसका परिणाम जलापूर्ति हेतु स्रोत के विकास नहीं होने के रूप में हुआ। यद्यपि, मार्च 2015 तक योजना के सेवा जलाशयों का निर्माण पूर्ण हो गया था, परंतु निविदाओं को प्रतिक्रिया के अभाव के कारण सितंबर 2013 से जून 2016 की अवधि के दौरान अंतः स्पंदन कुएं के निर्माण हेतु कार्य प्रदान नहीं किया जा सका। जलापूर्ति हेतु प्रकार्यात्मक स्रोत को सुनिश्चित किए बिना, विभाग ने योजना के शेष घटकों[60] के निर्माण पर ₹51.10 करोड़ का व्यय किया (सितंबर 2020 तक) था और ₹1.23 करोड़ उन निर्माण कार्यों के अनुरक्षण और मरम्मतों के प्रति अपयोजित किये, जो परियोजना से संबंधित नहीं थे।

इस प्रकार, नलकूपों के निर्माण हेतु भूमि के अधिग्रहण और अंतः स्पंदन कुएं के निर्माण हेतु भी निर्माण कार्य को प्रदान करने में विभाग की विफलता का परिणाम जलापूर्ति हेतु स्रोत की गैर-स्थापना के रूप में हुआ जिसके परिणामस्पवरूप परियोजना पर ₹51.10 करोड़ का निवेश अप्रयुक्त हो गया। कस्बे के निवासियों और भविष्य में जनसंख्या वृद्धि हेतु भी जल की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

मामला सरकार को भेजे जाने (जून 2020) के उपरांत, योजना निदेशक, एचएण्डयूडीडी ने कहा (अगस्त 2020) कि भूमि का कब्जा ले लिया गया था और पाँच नलकूपों के निर्माण हेतु निविदाओं को जारी कर दिया गया था और वर्ष के अंत तक पूर्ण किया जाना अपेक्षित था। यह भी कहा गया था कि नलकूपों से जल की उपलब्धता के उपरांत बिछाये गये वितरण नेटवर्क का पूरी क्षमता से उपयोग किया जाएगा।

5.3.3.5 लेह शहर के लिए सीवरेज प्रणाली

समुदायों से निपटाये गये कूड़ा-करकट और सीवेज के संग्रहण, परिवहन, उपचार और निपटान हेतु एलएएचडीसी ने लेह कस्बे हेतु सीवरेज स्थापित करने का निर्णय (अगस्त 2011) लिया। मैसर्स टेट्रा टेक लिमिटेड (फर्म) द्वारा प्रस्तुत किये गये

[60] पाँच जलाशय: ₹2.15 करोड़; राइजिंग मेन को बिछाना: ₹3.85 करोड़; वितरण मेन: ₹40.32 करोड़ और आकस्मिकताएं: ₹2.02 करोड़।

(नवंबर 2011) परियोजना के डीपीआर में एमबीबीआर[61] प्रौद्योगिकी सहित 6.5 एमएलडी[62] सीवरेज उपचार सयंत्र (एसटीपी) का निर्माण, तीन पम्पिंग स्टेशनों, तीन लिफ्ट स्टेशनों और तीन नेटवर्क जोनों में सीवर लाइनों को बिछाना उल्लिखित था। एसएलएससी ने यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत संस्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रस्तुत करने के लिए ₹59.39 करोड़ की अनुमानित लागत पर परियोजना को अनुमोदित (मार्च 2013) किया और मार्च 2019 की समाप्ति पर परियोजना हेतु ₹56.43 करोड़ की राशि निर्गत की गयी थी।

ईई, पीएचई प्रभाग, लेह के अभिलेखों के लेखापरीक्षा परीक्षण (सितंबर 2019) से पता चला कि विभाग ने अगलिंग लेह में 6.5 एमएलडी एसटीपी का निर्माण[63] कार्य दो वर्षों में समापन हेतु ₹20.40 करोड़ की लागत पर मैसर्स डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड (जीओआई उपक्रम) को टर्कनी आधार पर सौंपा (दिसंबर 2016) था और फर्म को अग्रिम जुटाव के रूप में ₹ एक करोड़ का अग्रिम (मार्च 2017) प्रदान किया था। विभाग द्वारा मैसर्स डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड के साथ निष्पादित अनुबंध ज्ञापन में उपबंधित निर्माण कार्य की परिधि के अनुसार, परियोजना के निष्पादन हेतु निर्माण अभिकरण की नियुक्ति के लिए बाद वाले को ई-निविदा आमंत्रित करनी थी। मैसर्स डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड द्वारा मार्च 2017 से जुलाई 2017 के दौरान एमबीबीआर प्रौद्योगिकी के स्थान पर सिक्वेंसिन्ग बैच रिएक्टर्स (एसबीआर) प्रौद्योगिकी के आधार पर एसटीपी की स्थापना हेतु निविदाएं दो बार आमंत्रित की गयी थी और उन्हें बोलीकर्त्ताओं द्वारा उद्धृत उच्चतर दरों के कारण अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। एसटीपी की क्षमता को 6.3 से 3 एमएलडी तक घटाने के बाद भी एसटीपी का निर्माण कार्य प्रदान नहीं किया जा सका। ₹21.03 करोड़ (तृतीय निविदा में) के प्रस्ताव के साथ मैसर्स निताशा कंस्ट्रक्शन्स को योग्य घोषित (फरवरी 2018) किया गया था लेकिन बजटीय अड़चनों के कारण निर्माण कार्य प्रदान नहीं किया जा सका। विभाग ने संविदा को अंतिम रूप नहीं दिये जाने के कारण मैसर्स डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड के साथ निष्पादित करार को रद्द (अप्रैल 2018) कर दिया था।

---

61 मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर।

62 मिलीयन लीटर प्रतिदिन।

63 अभिकल्प, परामर्श, इरेक्शन, कमिशनिंग, संचालन और अनुरक्षण को सम्मिलित करते हुए।

स्वयं विभाग द्वारा निविदाएं आमंत्रित (जून 2018) करने के पश्चात्, ₹14.38 करोड़ की लागत पर निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु मैसर्स निताशा कंस्ट्रक्शन्स योग्य सिद्ध हुयी थी और आशय-पत्र सितंबर 2018 में जारी किया गया था। चूँकि फर्म ने एसटीपी का निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया था, विभाग ने ₹30 लाख की बोली प्रतिभूति का अपवर्तन कर (जून 2019) दिया था। हालांकि, विभाग ने प्रस्तावित एसटीपी स्थल पर अहाता दीवार के निर्माण पर ₹1.93 करोड़ का व्यय किया था।

परियोजना की सीवर लाइनों को बिछाने पर ₹29.48 करोड़ (मार्च 2017) का व्यय करने के उपरांत, विभाग ने केवल उन सीवर लाइनों को आरंभ करने का निर्णय (जुलाई 2017) लिया जो गुरुत्वाकर्षण के कारण बहती हैं। परिशोधित डीपीआर (जुलाई 2017) में पम्पिंग स्टेशनों का निर्माण वापिस ले लिया गया था जबकि सीवर लाइनों की लागत में वृद्धि हो गयी थी। विभाग ने, एसटीपी की स्थापना के पूर्वानुमान में, एसटीपी स्थल पर (मार्च 2020) सीवर लाइनों के निर्माण (₹38.35 करोड़), अहाता दीवार (₹1.93 करोड़) और हाउस सीवर कनेक्शनों (₹0.49 करोड़) पर ₹40.77 करोड़ का व्यय किया था। इस प्रकार, परियोजना के एसटीपी की संविदा को अंतिम रूप देने में विभाग की विफलता का परिणाम अवसंरचना के सृजन में ₹40.77 करोड़ के अप्रयुक्त निवेश के रूप में हुआ।

मामला सरकार को भेजे जाने (जून 2020) के उपरांत, योजना निदेशक, एचएण्डयूडीडी ने कहा (अगस्त 2020) कि एसटीपी का निर्माण कार्य जुलाई 2021 तक पूर्ण किये जाने हेतु फरवरी 2020 में प्रदान किया गया था और सीवेज और कूड़ा-करकट के उचित निपटान हेतु सृजित अवसंरचना का पूर्णरूपेण उपयोग किया जाएगा। तथ्य यह रहता है कि मार्च 2013 में परियोजना के अनुमोदन और छह वर्षों से अधिक बीत जाने के बावजूद लेह में सीवरेज प्रणाली स्थापित नहीं की जा सकी।

योजना विकास एवं निगरानी विभाग

5.4 जम्मू एवं कश्मीर शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम की बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजना और पीएमआरपी 2004 के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं का समापन: प्रतिस्थानी वित्त पोषण-एडीबी II

5.4.1 प्रस्तावना

दो राजधानी शहरों जम्मू एवं श्रीनगर और राज्य के अन्य कस्बों के लोगों को रहने की बेहतर स्थितियाँ उपलब्ध कराने और आधारभूत शहरी अवसंरचना के विस्तार के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर में आर्थिक वृद्धि के प्रोत्साहन हेतु एशियन विकास बैंक (एडीबी) द्वारा जम्मू एवं कश्मीर शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम (जेकेयूएसडीआईपी) को निष्पादन हेतु अनुमोदित (31 मई 2007) किया गया था। कार्यक्रम के कार्यान्वयन की वास्तविक अवधि कार्यक्रम के अनुमोदन की तिथि से आठ वर्षों तक थी, जिसे एडीबी द्वारा समय-समय पर विस्तारित किया गया था और अंततः 30 मई 2017 को बंद कर दिया गया था।

50 उप-परियोजनाओं[64] को सम्मिलित करते हुए तीन अंशों को ₹1,021 करोड़ के ऋण और ₹673 करोड़ के प्रतिस्थानी अंश सहित निष्पादन हेतु लिया गया था। ₹359.04 करोड़ का प्रतिस्थानी अंश प्रधानमंत्री पुनर्निमाण पैकेज (पीएमआरपी) की प्रवर्तनावधि के दौरान प्राप्त हुआ था। प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) की घोषणा के उपरांत, 42 उप-परियोजनाओं, जो या तो अपूर्ण रही थी या पीएमआरपी के अंतर्गत निष्पादन हेतु आरंभ नहीं की गयी थी, के निर्माण कार्यों को पूर्ण करने हेतु ₹1,278 करोड़[65] की राशि का प्रावधान रखा गया था। पीएमआरपी के अंतर्गत आरंभ की गयी उप-परियोजनाओं और पीएमडीपी वित्त पोषण के विवरण ***परिशिष्ट 5.4.1*** में दिये गये हैं।

लेखापरीक्षा को उपलब्ध करायी गयी (अक्टूबर 2020) सूचना के अनुसार, कुल 44 उप-परियोजनाओं में से (एक समाप्त उप-परियोजना के प्रति पुनः आबंटित 2 उप-परियोजनाओं को सम्मिलित करते हुए), 41 उप-परियोजनाओं को (फरवरी 2015 से सितंबर 2020) पूर्ण किया गया था और सितंबर 2020 तक दो उप-परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर था। इन 44 उप-परियोजनाओं में से, ₹663.45 करोड़ (47 प्रतिशत) के कुल व्यय को शामिल करने वाली, 15 उप-परियोजनाओं (34 प्रतिशत) को

---

[64] अंश 1: 10 उप-परियोजनाएं; अंश 2: 33 उप-परियोजनाएं और अंश 3: 7 उप-परियोजनाएं।

[65] एडीबी ऋण; ₹712 करोड़: प्रतिस्थानी अंश; ₹566 करोड़।

लेखापरीक्षा संवीक्षा हेतु चयनित किया गया था। उप-परियोजनाओं को उनके निष्पादन पर किये गये व्यय के आधार पर निर्णयात्मक प्रतिचयन का उपयोग करते हुए, पूर्ण, जारी और अधिप्राप्तियों (प्रत्येक हेतु 5 उप-परियोजनाएं) की प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत चयनित किया गया था।

5.4.2 संगठनात्मक ढाँचा

जम्मू एवं कश्मीर आर्थिक पुनर्निर्माण अभिकरण (जेकेईआरए) को इसके अध्यक्ष के रूप में योजना मंत्री, इसके सदस्य सचिव के रूप में जेकेईआरए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और मुख्य सचिव, प्रधान सचिव योजना विकास एवं निगरानी विभाग (पीडीएण्डएमडी) और तीन विधानसभा सदस्यों (एमएलए) जम्मू, कश्मीर और लद्दाख प्रत्येक से एक-एक को शामिल करते हुए अन्य सदस्यों के एक निकाय द्वारा शासित किया जाता था। कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु नीति मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व शासी निकाय का होता है और कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु सीईओ कार्यकारी प्राधिकारी होता है।

5.4.3 चयन और निष्पादन

जीओआई और एडीबी के मध्य निष्पादित ऋण अनुबंध की अनुसूची V के अनुसार, परियोजना गतिविधियों से संबंधित मामलों पर जेकेईआरए को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु जीओजेएण्डके द्वारा एक कार्यकारी समिति की स्थापना किया जाना अपेक्षित था। उप-परियोजनाओं के चयन, उनकी परिधि और अभिकल्प की समीक्षा और अनुमोदनों और निर्बाधताओं हेतु विभिन्न अभिकरणों के मध्य समन्वय करने के लिए जेकेईआरए और सहभागिता करने वाले अभिकरणों के मध्य अन्योन्यक्रिया को सुकर बनाने हेतु एक स्थानीय स्तर संचालन समिति (एलएलएससी) भी स्थापित की जानी आवश्यक थी। इन समितियों का न तो गठन किया गया था और न ही एलएलएससी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु लाइन विभाग के साथ समन्वय में परियोजनाओं के ढाँचे को मूर्त रूप दिया गया था। परिणामस्वरूप, उप-परियोजनाओं को राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार इन्हें प्राथमिकता दिये बिना, निष्पादन हेतु यादृच्छिक रूप से आरंभ किया गया था।

मामला सरकार को भेजे जाने के उपरांत (जून 2020), संयुक्त निदेशक (पीएण्डएस) पीडीएण्डएमडी ने कहा (अगस्त 2020) कि उप-परियोजनाओं का चयन लाइन विभागों के साथ विचार-विमर्श और परिचर्चा करने के पश्चात् बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) के

अनुमोदन से किया गया था। तथ्य यह रहता है कि एलएलएससी को जेकेईआरए और सहभागिता करने वाले अभिकरणों के मध्य अन्योन्यक्रिया को सुकर बनाना था, और बीओजी उप-परियोजनाओं के चयन हेतु सक्षम नहीं था, इसके अलावा इसे उप-परियोजनाओं के कार्यान्वयन और निष्पादन से संबंधित सभी मामलों में जेकेईआरए को मार्गदर्शन प्रदान करना था।

5.4.4 वित्तीय प्रबंधन

परियोजना हेतु ₹1,500 करोड़ के ऋण और ₹925 करोड़ के प्रतिस्थानी अंश को सम्मिलित करते हुए ₹2,425 करोड़ का एडीबी ऋण मल्टी-ट्रैन्च फाइनेन्सिंग फैसिलिटी (एमएफएफ) के माध्यम से अनुमोदित (मई 2007) किया गया था। एडीबी ऋण आर्थिक मामले विभाग (डीईए), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) द्वारा प्राप्त किया गया था जीओजेएण्डके को और अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के रूप में प्रदान किया गया था। कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु प्रतिस्थानी अंश का वहन भी जीओआई द्वारा किया गया था। पीएमडीपी के अंतर्गत, जीओजेएण्डके ने एडीबी ऋण के ₹622.28 करोड़ और प्रतिस्थानी अंश ₹313.96 करोड़ को सम्मिलित करते हुए ₹936.24 करोड़ प्राप्त (अक्टूबर 2015 से नंवबर 2017) किये थे। मार्च 2019 तक, जेकेईआरए ने पीएमडीपी के अंतर्गत 44 उप-परियोजनाओं के समापन हेतु एडीबी ऋण के ₹1,006.17 करोड़ (उन संविदाकारों, जिन्होंने अपने दावों के भुगतान हेतु विदेशी मुद्रा को चुना था, को एडीबी द्वारा सीधे[66] निर्मोचित ₹3.41 करोड़ शामिल हैं) और ₹673 करोड़ के प्रतिस्थानी अंश को सम्मिलित करते हुए ₹1,679.17 करोड़ प्राप्त किये थे। इसके अतिरिक्त, जेकेईआरए ने जेकेयूएसडीआईपी की उन उप-परियोजनाओं के लिए भी राज्य योजना निधियों से बाहर ₹24 करोड़ की राशि प्राप्त की थी जो या तो राज्य द्वारा पोषित थी या वित्त पोषण हेतु एडीबी द्वारा अनुमोदित नहीं की गयी थी। वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान, जेकेईआरए द्वारा प्राप्तियों और किये गये व्यय की वर्ष-वार स्थिति **तालिका 5.4.1** में दी गयी है।

[66] एडीबी की ऋण संवितरण हस्तपुस्तिका के अध्याय-7 में निहित प्रावधानों के अनुसार।

तालिका 5.4.1: निधियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आदि शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त निधियाँ				निधियों की कुल उपलब्धता	किया गया व्यय	शेष
		एडीबी ऋण	जीओआई अंश	राज्य अंश	विविध प्राप्तियाँ#			
2014-15	15.51[67]	78.36	47.00	0	0.56	141.43	157.27	(-) 15.84
2015-16	(-) 15.84	201.91	104.04	0	0.54	290.65	305.50	(-) 14.85
2016-17	(-) 14.85	196.97	200.00	21.00	1.29	404.41	324.28	80.13
2017-18	80.13	214.14	113.96	3.00	1.92	413.15	395.42	17.73
2018-19	17.73	152.65	0	0	1.71	172.09	158.68	13.41
कुल		**844.03**	**465.00**	**24.00**	**6.02**	**-**	**1,341.15**	**-**

बचत बैंक का ब्याज और बोली दस्तावेजों की बिक्री शामिल है।

(स्रोत: जेकेईआरए के अभिलेख)

वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान ₹1,354.56 करोड़ की कुल उपलब्धता के प्रति, 31 मार्च 2019 तक ₹13.41 करोड़ का अप्रयुक्त शेष छोड़ते हुए, जेकेईआरए द्वारा ₹1,341.15 करोड़ का व्यय किया गया था।

जेकेईआरए (अक्टूबर 2020) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, जेकेईआरए द्वारा चालू उप-परियोजनाओं के समापन हेतु अप्रैल 2019 से सितंबर 2020 के दौरान राज्य योजना से बाहर ₹80 करोड़ की राशि प्राप्त की गयी थी जिसके प्रति 30 सितंबर 2020 तक ₹26.93 का अव्ययित शेष छोड़ते हुए, उक्त अवधि के दौरान ₹68.24 करोड़ का व्यय किया गया था।

लेखापरीक्षा में आगे निम्नलिखित पाया गया:

5.4.4.1 निधियों की संस्वीकृति में विलंब

संस्वीकृति आदेशों की शर्त के अनुसार, निधियों को जीओआई से प्राप्त करने के पश्चात् तत्काल कार्यान्वयन अभिकरणों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा में देखा गया (सितंबर 2019) कि मार्च 2014 से नंवबर 2017 की अवधि के दौरान जीओआई से प्राप्त ₹1,307.69 करोड़[68] की राशि को जेएण्डके वित्त विभाग द्वारा जेकेईआरए के पक्ष में 5 दिवसों और 790 दिवसों के बीच के विलंब से निर्गत किया गया था। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान वित्त विभाग द्वारा प्रतिधारित निधियाँ ₹3.19 करोड़ और ₹167.23 करोड़ के बीच थी जिसके द्वारा विभिन्न उप-परियोजनाओं की प्रगति का निष्पादन बाधित हो रहा था, जैसा कि उत्तरवर्ती

[67] वर्ष 2013-14 हेतु पीएमआरपी का ₹15.51 करोड़ अंतिम शेष।

[68] ₹842.69 करोड़ का एडीबी ऋण और ₹465 करोड़ की प्रतिस्थानी निधियाँ।

पैराग्राफों में चर्चा की गयी है। ऋण समाप्तावधि (30 मई 2017) के अंदर उप-परियोजनाओं के समापन में विलंब के कारण, जीओजेएण्डके ने ₹1,021 करोड़ की अनुमोदित राशि के प्रति एडीबी से केवल ₹1,006.17 करोड़ (अगस्त 2009 से नंवबर 2017) प्राप्त किये, जिसका परिणाम ₹14.83 करोड़ की एडीबी ऋण सहायता की हानि के रूप में हुआ।

मामला सरकार को भेजे जाने (जून 2020) के उपरांत, संयुक्त निदेशक (पीएण्डएस), पीडीएण्डएमडी ने कहा (अगस्त 2020) कि निधियों के निर्मोचन में विलंब तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर द्वारा सामना की गयी अनिश्चित तरलता स्थिति के कारण था।

5.4.4.2 उपयोगिता प्रमाण-पत्र

जीओआई के निधि निर्मोचन आदेश में निहित शर्त के अनुसार, जीओजेएण्डके द्वारा नीति आयोग, जीओआई को उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) प्रस्तुत किये जाने थे। यूसी कार्यान्वयन अभिकरण (जेकेईआरए) द्वारा प्रयुक्त निधियों के आधार पर प्रस्तुत किये जाने थे। लेखापरीक्षा में देखा गया (मई 2019) कि जेकेईआरए द्वारा प्राप्त (दिसंबर 2008 से जुलाई 2017) ₹673 करोड़ की प्रतिस्थानी निधियों के प्रति, पीडीएण्डएमडी को केवल ₹337.30 करोड़ के यूसी प्रस्तुत (दिसंबर 2016) किये गये थे और मार्च 2020 तक ₹335.70 करोड़ की शेष राशि हेतु यूसी प्रस्तुत नहीं किये गये थे, यद्यपि मार्च 2019 तक निधियों को पूर्णरूपेण प्रयुक्त किया गया था।

मामला सरकार को भेजे जाने (जून 2020) के उपरांत, संयुक्त निदेशक (पीएण्डएस), पीडीएण्डएमडी ने कहा (अगस्त 2020) कि शेष राशि हेतु यूसी शीघ्र ही प्रस्तुत किये जायेंगे। हालांकि, प्रस्तुत की गयी (16 अक्टूबर 2020) सूचनानुसार जेकेईआरए द्वारा शेष राशि हेतु उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

5.4.4.3 निधियों का अपयोजन

जीओआई द्वारा निधियों के निर्मोचन आदेशों में निहित शर्त के अनुसार, परियोजना हेतु निर्गत निधियाँ उस प्रयोजन के लिए प्रयुक्त की जानी थी जिनके लिए इन्हें निर्गत किया गया था। लेखापरीक्षा में देखा गया (जुलाई 2019/ सितंबर 2019) कि एडीबी अनुमोदित उप-परियोजनाओं के निष्पादन हेतु प्राप्त (दिसंबर 2008 से जुलाई 2017) ₹53.02 करोड़ की प्रतिस्थानी निधियों को जीओजेएण्डके द्वारा

वित्तपोषित किये जाने वाली जेकेयूएसडीआईपी की पाँच उप-परियोजनाओं[69] के निष्पादन के लिए अपयोजित (अक्टूबर 2009 से मार्च 2019) किया गया था, जिसके द्वारा एडीबी द्वारा अनुमोदित उप-परियोजनाओं का समापन और प्रगति बाधित हुयी।

मामला सरकार को भेजे जाने (जून 2020) के उपरांत, संयुक्त निदेशक (पीएण्डएस), पीडीएण्डएमडी ने कहा (अगस्त 2020) कि जीओजेएण्डके द्वारा वित्त पोषित पाँच पैकेजों को आरंभ करने का प्रस्ताव बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) द्वारा अनुमोदित[70] किया गया था और उक्त पैकेजों हेतु प्रयुक्त निधियों की बाद में जीओजेएण्डके द्वारा प्रतिपूर्ति कर ली गयी थी। आगे यह भी कहा गया था कि मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ₹2.83 करोड़ का व्यय किया गया था और वार्षिक व्यय के अंतर्गत वित्तपोषण अभिकरण द्वारा उक्त की प्रतिपूर्ति की गयी थी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि जीओजेएण्डके द्वारा वित्तपोषित चार उप-परियोजनाओं पर प्रयुक्त निधियों की प्रतिपूर्ति (सितंबर 2020) नहीं की गयी थी और इस प्रकार के व्यय को करने से पूर्व जीओआई से अपेक्षित आवश्यक अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।

5.4.4.4 असमायोजित अग्रिम

सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, विभिन्न निर्माण कार्यों/ सेवाओं के निष्पादन हेतु दी गयी अग्रिम धनराशि को लेखा के अंतिम शीर्ष से डेबिट किया जाना चाहिए और ब्योरेवार लेखाओं/ उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्राप्त करने के पश्चात् ही व्यय को बुक किया जाना चाहिए। एक विशिष्ट कार्य हेतु उस कार्य के पूर्ण होने के उपरांत भी स्वीकृत अग्रिमों के लिए ब्योरेवार लेखाओं/ उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत नहीं किया जाना निधियों के दुर्विनियोजन के जोखिम को बढ़ाता है। लेखापरीक्षा में देखा गया (जुलाई 2019) कि विभिन्न अभिकरणों/ विभागों को उपयोज्यताओं के स्थानांतरण, सर्वेक्षणों के संचालन, भूमि प्रतिकर इत्यादि के लिए ₹153.30 करोड़ का अग्रिम प्रदान किया गया था जिसके प्रति केवल ₹114.85 करोड़ की राशि के ब्योरेवार लेखाओं/ यूसी को प्राप्त किया गया था और 15 महीनों से 128 महीनों के मध्य की अवधि बीत जाने के बावजूद, मार्च 2020 तक

---

69 कार्यालय परिसरों का संविरचन: ₹2.83 करोड़, श्रीनगर में कार्यालय परिसरों का निर्माण: ₹17.50 करोड़, एसएनपी 3: ₹17.31 करोड़, एसएनपी 3ए: ₹8.72 करोड़ और एसएनपी 3बी: ₹6.66 करोड़।

70 10 जनवरी 2011 को आयोजित इसकी 16वीं बैठक में।

₹38.45 करोड़ की शेष राशि समायोजन हेतु प्रतीक्षित थी। जुलाई 2009 और दिसंबर 2018 के बीच की अवधि हेतु विभिन्न विभागों/ अभिकरणों के प्रति बकाया राशि ₹0.21 लाख और ₹10.81 करोड़ के बीच रही। यह भी देखा गया था कि विभिन्न अभिकरणों को प्रदान की गयी अग्रिम धनराशि को अंतिम शीर्ष से सीधे ही डेबिट किया गया था और संबंधित विभिन्न अभिकरणों/ विभागों से समायोजन लेखाओं को प्राप्त किये बिना व्यय बुक किया गया था, इस प्रकार मार्च 2020 को समाप्त अंतिम शेष के विवरण में ऐसे ब्योरे प्रतिबिम्बित नहीं हुए थे। यह अग्रिमों के समायोजन पर अनुवीक्षण की कमी और जेकेयूएसडीआईपी निधियों के दुर्विनियोजन के संभावित जोखिम को इंगित करता है।

मामला सरकार को भेजे जाने (जून 2020) के उपरांत, संयुक्त निदेशक (पीएण्डएस) पीडीएण्डएमडी ने कहा (अगस्त 2020) कि संबंधित लाइन विभागों ने यूसी प्रस्तुत नहीं किये थे और उनके साथ बार-बार पत्राचार करने के बावजूद धनराशि असमायोजित रही थी।

निदेशक वित्त, जेकेईआरए द्वारा उपलब्ध करायी गयी (अक्टूबर 2020) सूचना के अनुसार, सितंबर 2020 तक जेकेईआरए द्वारा संबंधित अभिकरणों से आगे कोई समायोजन लेखाओं को प्राप्त नहीं किया गया था। हालांकि, अप्रैल 2019 से जून 2020 की अवधि के दौरान जेकेईआरए द्वारा आगे ₹24.91 लाख का अग्रिम दिया गया था, जिसके द्वारा समस्त असमायोजित अग्रिम ₹38.70 करोड़ (सितंबर 2020) हो गये थे।

5.4.4.5 ऋण सहायता

(i) एडीबी की ऋण संवितरण हस्तपुस्तिका के पैराग्राफ 3.5 के अनुसार, जेकेईआरए के लिए निर्धारित समयावधि के अंदर सभी उप-परियोजनाओं को पूरा करना और 31 मई 2017 की परियोजना की समाप्ति अवधि से ठीक पहले, अनुमोदित अनुपात के अनुसार, एडीबी ऋण के घटक की प्रतिपूर्ति का दावा करना अनिवार्य था। लेखापरीक्षा में देखा गया (जून 2019) कि दो परियाजनाएं[71] समापन की निर्धारित तिथि से क्रमश: चार महीनों और छह महीनों के विलंब के उपरांत पूर्ण (सितंबर 2017) की गयी थी। इन उप-परियोजनाओं के समापन में विलंब के

[71] यंत्रीकृत कार पार्किंग, जम्मू और गैर-राजस्व जल (एनआरडब्ल्यू) कमी प्रबंधन संविदा।

परिणामस्वरूप ऋण अवधि की समाप्ति के कारण ₹60.44 करोड़[72] की सहमति प्राप्त ऋण राशि के प्रति एडीबी द्वारा केवल ₹52.83 करोड़[73] की राशि की प्रतिपूर्ति की गयी थी, परिणामस्वरूप ₹7.61 करोड़[74] की संभावित ऋण सहायता की हानि हुयी। जेकेईआरए द्वारा उप-परियोजनाओं के समापन में विलंब हेतु उपयोज्यताओं के स्थानांतरण में विलंब और लाइन विभागों द्वारा समय पर अनुमतियों को जारी नहीं करने को जिम्मेदार ठहराया (नवंबर 2019) गया, जिसे सरकार को मामला भेजे (जून 2020) जाने के उपरांत संयुक्त निदेशक (पीएण्डएस) पीडीएण्डएमडी द्वारा दोहराया (अगस्त 2020) गया था।

(ii) एडीबी का अधिप्राप्ति दिशानिर्देशों का पैराग्राफ 1.12 उल्लिखित करता है कि एडीबी उन वस्तुओं एवं निर्माण कार्यों हेतु वित्त पोषण करता है जो संविदा अनुबंधों के प्रावधानों के अनुसार अधिप्राप्त और निष्पादित किये जाते हैं। यदि संविदा निबंधन एवं शर्तों से संबंधित कोई सूचना अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण, और भ्रमित करने वाली होती है तो एडीबी के पास संविदा को दुर्प्रापण के रूप में घोषित करने का अधिकार सुरक्षित रहता है। बोली मूल्यांकन समिति (बीईसी) की अनुशंसाओं पर, सीवरेज नेटवर्क पैकेज 3 हेतु संविदा ₹39.96 करोड़ के आबंटन के लिए अनुमोदित की गयी थी जिसमें से ऋण अनुबंध के अंतर्गत निर्धारित अनुपात के अनुसार एडीबी द्वारा ₹32.77 करोड़ निर्गत किये जाने थे।

लेखापरीक्षा में देखा गया (सितंबर 2019) कि एडीबी और जेकेईआरए के मध्य संविदा से संबंधित आंतरिक पत्राचार की एक प्रति संविदा प्रदान करने के अंतिम चरण के दौरान संविदाकार को पृष्ठांकित (सितंबर 2008) की गयी थी। अधिप्राप्ति की गोपनीयता शर्तों के गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप, एडीबी द्वारा संविदा हेतु ऋण पैकेज रद्द कर दिया गया था, जिसका परिणाम ₹32.77 करोड़ की एडीबी सहायता की हानि के रूप में हुआ। वित्त निदेशक, जेकेईआरए को मामले की जाँच करने और एक माह के अंदर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश (अक्टूबर 2015) दिया गया था।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (सितंबर 2019) से पता चला कि न तो कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था न ही अधिप्राप्ति की गोपनीयता शर्तों का उल्लंघन करने हेतु त्रुटिकर्त्ता कार्मिक के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गयी थी।

---

72 यंत्रीकृत कार पार्किंग, जम्मू: ₹40.25 करोड़; एनआरडब्ल्यू कमी प्रबंधन: ₹20.19 करोड़।

73 यंत्रीकृत कार पार्किंग, जम्मू: ₹34.38 करोड़; एनआरडब्ल्यू कमी प्रबंधन: ₹18.45 करोड़।

74 यंत्रीकृत कार पार्किंग, जम्मू: ₹5.87 करोड़; एनआरडब्ल्यू कमी प्रबंधन: ₹1.74 करोड़।

मामला सरकार को भेजे जाने (जून 2020) के उपरांत, संयुक्त निदेशक (पीएण्डएस), पीडीएण्डएमडी ने कहा (अगस्त 2020) कि मामले की जाँच की जायेगी।

जैसा कि जेकेआरईए द्वारा (सितंबर 2020) कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी, जो कि एक निवारक के रूप में की जा सकती थी, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु कोई अधिमान/ क्रियाविधि स्थापित नहीं की गयी थी।

5.4.5 कार्यक्रम का कार्यान्वयन

पीएमडीपी के अंतर्गत 44 उप-परियोजनाओं के निष्पादन और 15 नमूना उप-परियोजनाओं की स्थिति नीचे दी गयी तालिका में दर्शायी गयी है:

तालिका 5.4.2: पीएमडीपी के अंतर्गत परियोजनाओं की स्थिति (31 मार्च 2019 तक)

विवरण	कुल उप-परियोजनाएं	फरवरी 2015 से जून 2019 के दैरान पूर्ण की गयी परियोजनाएं	परियोजनाओं के समापन में विलंब (दिवसों में)	समाप्त परियोजना	चालू उप-परियोजनाओं के समापन में विलंब (दिवसों में)	उप-परियोजनाओं में लागत वृद्धि (₹ करोड़ में)	उप-परियोजनाओं में अधिवहित लागत (₹ करोड़ में)
पींएमडीपी के अंतर्गत उप-परियोजनाएं	44	37	30 से 1710	1	781 से 1379	302.62 (18 उप-परियोजनाएं)	318.50 (13 उप - परियोजनाएं)
चयनित उप-परियोजनाएं	15	11	30 से 1710	-	781 से 1379	180.17 (9 उप-परियोजनाएं)	197.33 (7 उप - परियोजनाएं)

(स्रोत: एमपीआर और जेकेईआरए के अभिलेख)

जेकेईआरए द्वारा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत (अक्टूबर 2020) सूचना के अनुसार, सितंबर 2020 तक 14 उप-परियोजनाओं के संबंध में ₹349.57 करोड़ की अधिवहित लागत थी। इसके अलावा, सितंबर 2020 तक दो चालू उप-परियोजनाओं के समापन में भी 1,451 दिवसों और 1,538 दिवसों की सीमा तक का विलंब था।

निर्णयात्मक प्रतिचयन का उपयोग करते हुए उनके निष्पादन पर किये गये व्यय के आधार पर चयनित 15 नमूना उप-परियोजनाओं के विवरण ***परिशिष्ट 5.4.2*** में दिये गये हैं। 12 उप-परियोजनाओं के संबंध में महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों की चर्चा निम्नलिखित पैराग्राफों में की गयी है।

5.4.5.1 दोषपूर्ण अनुमान

एक विशिष्ट निर्माण कार्य का निष्पादन आरंभ करने से पूर्व, स्थल के उचित निरीक्षण का संचालन किया जाना अपेक्षित होता है, जिससे स्थल अवस्थाओं के

अनुसार आरेखणों और अभिकल्पों को तैयार किया जा सके और ब्योरेवार आरेखणों और अभिकल्पों में वर्णित विशिष्टियों के आधार पर अनुमान लगाया जा सके। यह अत्यंत महत्त्व का होता है क्योंकि यह प्राक्कलित मात्रा के अंदर नियोजित तरीके से निर्माण कार्यों का निष्पादन और आबंटित लागतों के अंदर समयबद्ध तरीके से इनके समापन का मार्ग प्रशस्त करता है।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (अक्टूबर 2019/ नवंबर 2019) ने पाँच नमूना उप-परियोजनाओं[75] के संबंध में वास्तविक रूप से निष्पादित मात्राओं और मात्राओं के बिल (बीओक्यू) के अनुसार अनुमोदित निर्माण कार्यों की मात्राओं के मध्य भिन्नताएं प्रकट की। इन निर्माण कार्यों को सितंबर 2012 से फरवरी 2017 के दौरान कुल ₹144.91 करोड़ की अनुमानित लागत पर आरंभ किया गया था और 31 मार्च 2019 तक इनके निष्पादन पर ₹160.61 करोड़ का व्यय किया गया था। पाँच उप-परियोजनाओं में कुल 394 निर्माण कार्यों की मदों में से, केवल 29 मदों (7 प्रतिशत) को मूल अनुमानों के अनुसार निष्पादित किया गया था। 113 मदों (29 प्रतिशत) के संबंध में मूल अनुमानों से अधिक निर्माण कार्यों के निष्पादन के कारण ₹48.74 करोड़ की अनुमानित लागत के प्रति ₹75.04 करोड़ का व्यय किया गया था, अतः परिणामस्वरूप ₹26.30 करोड़ का अधिक व्यय हुआ, जिसमें मूल लागत से अधिक 54 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है। निर्माण कार्यों की शेष 252 मदों (64 प्रतिशत) का या तो अनुमोदित मात्राओं से कम निष्पादन किया गया था या बिल्कुल निष्पादन नहीं किया गया था। यह भी देखा (अक्टूबर 2019/ नवंबर 2019) गया था कि मूल प्राक्कलनों के एक भाग का निर्माण नहीं करने वाले ₹27.79 करोड़ की लागत के अतिरिक्त निर्माण कार्यों को स्थल आवश्यकताओं और मूल आरेखणों और अभिकल्पों में परिवर्तनों के अनुसार निष्पादित किया गया था। यह इंगित करता है कि निर्माण कार्यों के निष्पादन से पूर्व उचित सर्वेक्षणों का संचालन नहीं किया गया था, जिसका परिणाम दोषपूर्ण और अवास्तविक अनुमानों के रूप में हुआ।

जेकेईआरए के शासी निकाय की 21वीं बैठक में लिये गये निर्णयों (जुलाई 2018) के अनुसार, भिन्नताओं वाले सभी मामलों को प्रधान सचिव वित्त, आयुक्त/ सचिव, पीडीएण्डएमडी और आयुक्त/ सचिव, एचयूडीडी को शामिल करने वाली एक उप-

---

[75] (i) सीवेज पैकेज 3ए, (ii) सीवरेज पैकेज 3बी, (iii) बिक्रम चौक फ्लाईओवर, (iv) लैण्डफिल सेल 2 और (v) रॉ वाटर पाइप लाइन दूधगंगा।

समिति के समक्ष परीक्षणार्थ और बाद में उनके अनुमोदनार्थ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (बीओजी) को अनुशंसाओं हेतु रखा जाना आवश्यक था। इसके विपरीत, जेकेईआरए की निविदा अनुमोदन समिति[76] (टीएसी) द्वारा आबंटित लागतों से कम/ अधिक लागत भिन्नताओं को अनुमोदित किया गया था अन्यथा जिसे उप-समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना था। लेखापरीक्षा में इंगित (अक्टूबर 2019/ नवंबर 2019) किए जाने के पश्चात् जेकेईआरए ने कहा (नवंबर 2019) कि स्थल आवश्यकताओं और भू-तकनीकी अन्वेषणों पर आधारित विशिष्टियों में परिवर्तनों के अनुसार निर्माण कार्यों की अतिरिक्त/ अधिक मदों को निष्पादित किया गया था।

मामला सरकार को भेजे जाने (जून 2020) के उपरांत, संयुक्त निदेशक (पीएण्डएस), पीडीएण्डएमडी ने कहा (अगस्त 2020) कि निर्माण कार्य की अतिरिक्त अधिक मदों को स्थल आवश्यकताओं और भू-तकनीकी अन्वेषणों पर आधारित परिवर्तनों के अनुसार निष्पादित किया गया था और विभिन्न बीओक्यू मदों में भिन्नताएं अभिकल्प विशिष्टियों, स्थल आवश्यकताओं और निष्पादन चरण में परियोजना की अतिरिक्त आवश्यकता के अनुसार प्रतिबिम्बित हुयी थी। यह भी कहा गया था कि भिन्नता को जेकेईआरए के साथ-साथ एडीबी के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जम्मू फ्वाईओवर की डीपीआर को पहले ही भू-प्रौद्योगिकीय सर्वेक्षण के आधार पर तैयार किया गया था और संविदा प्रदान करने से पूर्व इसके संरचनात्मक अभिकल्प को आईआईटी, रूड़की द्वारा पुनरीक्षित किया गया था। शेष चार उप-परियोजनाओं के संबंध में, भू-तकनीकी सर्वेक्षण का बिल्कुल भी संचालन नहीं किया गया था और स्थल आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन किये गये थे, जिसके द्वारा इंगित हुआ कि अनुमानों को वास्तविक आधार पर नहीं लगाया गया था।

[76] अभिकरण के सीईओ की अध्यक्षता में जेकेईआरए की आंतरिक समिति।

5.4.5.2 बोली मूल्यांकन

समान प्रकार की स्थलाकृति के अंदर निर्माण कार्यों की समान मदों को शामिल करने वाली दो उप-परियोजनाओं[77] को दोनों उप-परियोजनाओं में कार्य की समान मदों हेतु एक समान दरों के साथ बोली लगाने के लिए रखा गया था। उसी दिन निविदा मूल्यांकन समिति (बीईसी) द्वारा दो बोलियों को खोला गया था। एक संविदाकार ने दोनों बोलियों हेतु समान मदों के लिए एक समान दरों को प्रस्तुत किया था। हालांकि, मोलभाव करते समय, बीईसी ने भिन्न-भिन्न दरों पर संविदाकार को निर्माण कार्यों की समान मदें आबंटित की, परिणामस्वरूप ₹58 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ। इन दो संविदाओं की दरों को अनुमोदित करते हुए, मोलभाव के समय बट्टे की भिन्न-भिन्न दरों के अनुप्रयोग के कारण भिन्नताएं उत्पन्न हुयी थी।

जून 2020 में मामला सरकार को भेजे जाने के उपरांत, संयुक्त निदेशक (पीएण्डएस), पीडीएण्डएमडी ने (अगस्त 2020) इसके लिए भिन्न-भिन्न स्थल अवस्थाओं और अलग-अलग विशिष्टियों को जिम्मेदार ठहराया।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि दोनों संविदाओं के संबंध में कार्य की इन मदों के लिए संविदाकार द्वारा उद्धृत दरें एवं अनुमान समान थे और आरंभिक रूप से निर्माण कार्य मूल संविदा में समान दरों पर आबंटित किये गये थे, जिसने इन दो संविदाओं के अंतर्गत निष्पादन के क्षेत्रों में समान स्थल अवस्थाओं को स्पष्ट रूप से इंगित किया।

5.4.5.3 उप-परियोजनाओं की लागत का परिशोधन

एडीबी अधिप्राप्ति दिशानिर्देशों का उप-नियम 3 परिशिष्ट 1 उपबंधित करता है कि यदि संविदा की लागत में वास्तविक मूल्य के 15 प्रतिशत से अधिक तक कुल वृद्धि होती है, तो प्रस्तावित विस्तार, आशोधन या परिवर्तन आदेश हेतु एडीबी से आवश्यक 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' प्राप्त किया जाना होता है। हालांकि, यह देखा गया (नवंबर 2019) कि एडीबी का अनुमोदन प्राप्त किये बिना ₹267.63 करोड़ के लागत

[77] सीवरेज पैकेज-3ए (इन्द्रा विहार के क्षेत्र, पटोली मंगोत्रियन, तोप शेरखानियां, भवानी नगर, पार्ट जनीपुर कॉलोनी और मंडलिक नगर सीवरेज), पैकेज-3बी (रमजानपुरा के क्षेत्र, पार्ट जनीपुर कॉलोनी, पंपोश कॉलोनी और पार्ट पलौरा)।

परिशोधन को सम्मिलित करते हुए आठ उप-परियोजनाओं[78] की लागत को ₹505.73 करोड़ से ₹773.36 करोड़ तक परिशोधित किया गया था। मूल संविदा राशि से अधिक कुल वृद्धि 24 प्रतिशत और 80 प्रतिशत के बीच रही। लेखा अधिकारी, जेकेईआरए ने कहा (दिसंबर 2019) कि अधिवहित लागत निर्माण कार्यों की अतिरिक्त मदों के समावेशन के कारण थी।

मामला सरकार को भेजे जाने (जून 2020) के उपरांत, संयुक्त निदेशक (पीएण्डएस), पीडीएण्डएमडी ने कहा (अगस्त 2020) कि निविदा अनुमोदन समिति (टीएसी) द्वारा विधिवत् अनुमोदित निर्माण कार्यों की अतिरिक्त मदों के समावेशन के कारण भिन्नताएं और लागत में अधिक वृद्धि थी और एडीबी का आवश्यक अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा में नमूना जाँच की गयी उप-परियोजनाओं के संबंध में एडीबी का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।

5.4.6 यंत्रीकृत बहु-स्तरीय पार्किंग, जम्मू का निर्माण

पुराने जम्मू शहर के क्षेत्रों में यातायात भीड़ की समस्या का समाधान करने और सड़क किनारों पर पार्किंग के संकट को कम करने हेतु, अभिकरण ने लगभग 300 कारों को समायोजित करने वाले पहले से विद्यमान खुले पार्किंग स्थल में एक पूर्णत: स्वचालित बहु-स्तरीय कार पार्किंग सुविधा का निर्माण प्रस्तावित (अगस्त 2013) किया था। 1776[79] कारों की पार्किंग आवश्यकता के प्रति, 720 कारों को समायोजित करने हेतु 10 मंजिला यंत्रीकृत स्वचालित बहु-स्तरीय कार पार्किंग सुविधा के निर्माण के लिए अभिकल्प एवं पर्यवेक्षण परामर्शदाता[80] (डीएससी) द्वारा इसे न्यूनतम अनुरक्षण लागतों सहित एक नवीनतम प्रौद्योगिकी पार्किंग प्रणाली के रूप में प्रस्तावित करते हुए, एक संक्षिप्त आंकलन प्रतिवेदन (एसएआर) प्रारूप प्रस्तुत (अक्टूबर 2013) किया गया, जिसके बाद ₹70.03 करोड़ की अनुमानित लागत के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का प्रस्तुतीकरण (जून 2014) किया गया था।

---

78 30 एमएलडी-एसटीपी, लैण्डफिल सेल 2, जम्मू फ्लाईओवर, श्रीनगर फ्लाईओवर, एसएमसी लॉट-2 के लिए एसडब्ल्यूएम उपकरण का एसएण्डडी, एसएमसी-डम्पर्स लॉट-3 के लिए एसडब्ल्यूएम उपकरण का एसएण्डडी, डिगीयाना में तूफान के जल की नालियाँ और रावलपोरा में तूफान के जल की नालियाँ ।

79 मैसर्स आरआईटीईएस लिमिटेड (जीओआई उद्यम) द्वारा संचालित सर्वेक्षण के आधार पर 2016 हेतु आवश्यकता।

80 मैसर्स शाह तकनीकी परामर्शदाता (एसटीसी)।

हालांकि, एडीबी मिशन के साथ आयोजित (नवंबर 2014) विचार-विमर्शों के दौरान, प्रस्ताव को, इस तर्क पर कि दस मंजिला पार्किंग प्रणाली हेतु परिष्कृत प्रौद्योगिकी अपेक्षित थी और यह बहुत शीघ्र ही चलन से बाहर हो जायेगी के आधार पर, पूर्णत: स्वचालित से अर्ध-स्वचालित में परिवर्तित कर दिया गया था, और जिसके द्वारा एसएआर/ डीपीआर में अभिलेखबद्ध इनके स्वयं के कथनों का खण्डन हुआ जिसमें इसे न्यूनतम अनुरक्षण लागतों सहित एक नवीनतम प्रौद्योगिकी पार्किंग प्रणाली के रूप में प्रस्तावित करते हुए, 10 मंजिला यंत्रीकृत स्वचालित बहु-स्तरीय कार पार्किंग सुविधा का निर्माण प्रस्तावित किया गया था। प्रस्ताव परिवर्तित करने का दूसरा कारण जम्मू नगर निगम (जेएमसी) से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) की अनुपलब्धता को बताया गया था, जो तथ्यों पर आधारित नहीं था क्योंकि जम्मू नगर निगम (जेएमसी), भवन अनुमतियों को प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकरण द्वारा उक्त के निर्माण हेतु एनओसी पहले ही प्रदान (जुलाई 2014) कर दिया गया था। इस प्रकार, गलत सूचना युक्त पत्र-व्यवहार के कारण, 720 कारों को समायोजित करने हेतु एक पूर्णत: स्वचालित यंत्रीकृत कार पार्किंग सुविधा के निर्माण के प्रस्ताव को 352 कारों की अर्ध-स्वचालित यंत्रीकृत कार पार्किंग सुविधा में परिवर्तित कर दिया गया था।

संविदाकार द्वारा उप-परियोजना को ₹47.08 करोड़ की कुल लागत पर 120 दिनों के विलंब के उपरांत पूर्ण (सितंबर 2017) किया गया था। इसके अतिरिक्त, उप-परियोजना पर कुल व्यय को ₹47.10 करोड़ करते हुए, अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 की अवधि के दौरान उप-परियोजना हेतु ₹0.02 करोड़ का व्यय बुक किया गया था।

मामला सरकार को भेजे जाने (जून 2020) के उपरांत, संयुक्त निदेशक (पीएण्डएस), पीडीएण्डएमडी ने कहा (अगस्त 2020) कि प्रस्ताव को भवनों के आसपास कार पार्किंग संरचना की ऊंचाई पर प्रतिबंध से संबंधित एडीबी के दिशानिर्देशों का पालन करने हेतु परिवर्तित किया गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि एडीबी द्वारा ऐसे कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए गये थे और जेकेईआरए द्वारा तथ्यों की अन्यथा प्रस्तुति के कारण प्रस्ताव को एडीबी मिशन द्वारा परिवर्तित किया गया था, जिसमें 10 मंजिला पार्किंग प्रणाली के बजाय 14 मंजिला स्वचालित कार पार्किंग प्रणाली प्रस्तावित की गयी थी और उक्त हेतु

एनओसी की स्वीकृति से संबंधित आशंकाएं बनी हुई थी, हालांकि, जिसे जेएमसी द्वारा पहले ही अग्रिम तौर पर जारी किया जा चुका था।

5.4.7 जम्मू में गैर-राजस्व जल (एनआरडब्ल्यू) का प्रबंधन

जम्मू में गैर-राजस्व जल (एनआरडब्ल्यू)[81] के कमी प्रबंधन, निर्धारण और विश्लेषण हेतु दो उप-परियोजनाओं[82] को (जनवरी 2015/ मार्च 2016) कुल ₹30.84 करोड़[83] की मूल लागत सहित संस्वीकृत किया गया था। कार्य भौतिक रूप से दिसंबर 2016 और सितंबर 2017 के बीच पूर्ण हुआ था। जेकेईआरए द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, सितंबर 2020 की समाप्ति पर इन दो उप-परियोजनाओं पर कुल ₹26.27 करोड़[84] का व्यय किया गया था। उप-परियोजनाओं की लेखापरीक्षा से निम्नलिखित प्रकट हुआ।

ए. गैर-राजस्व जल का निर्धारण

20 पहचाने गये जिला मीटर्ड क्षेत्रों (डीएमए) के एक प्रायोगिक जोन[85] हेतु एनआरडब्ल्यू की प्रमात्रा का निर्धारण करने और एक व्यापक एनआरडब्ल्यू कमी योजना के लिए, कार्यान्वयन अभिकरण (जेकेईआरए) ने, किसी डीपीआर के बिना, वार्ता द्वारा निर्धारित ₹4.60 करोड़ की राशि पर घरेलू जल मीटरों और अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटरों के संस्थापन और अपसारण का कार्य एक संविदाकार को प्रदान (जनवरी 2015) किया था। जल हानियों का निर्धारण और विश्लेषण पहचानी गयी अवस्थितियों पर संस्थापित घरेलू जल मीटरों और अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटरों से रीडिंग प्राप्त करने के द्वारा एकत्रित आँकड़ों के आधार पर किया जाना था और 12 महीनों (अप्रैल 2016) के अंदर कार्य को पूर्ण किया जाना था। संविदा अनुबंधानुसार, संविदाकार को ₹64.50 लाख[86] की कुल लागत पर आठ पोर्टेबल अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटरों और 1800 ड्राई डायल इन्फेरेन्शियल प्रकार के मल्टी जेट घरेलू जल मीटरों को अधिप्राप्त करना था और लक्षित 15,000 घरों में घरेलू जल के मीटरों और लक्षित

---

81 वितरण प्रणाली में जल हानियाँ।

82 (i) घरेलू जल मीटरों की आपूर्ति, संस्थापन और अपसारण के माध्यम से एनआरडब्ल्यू का निर्धारण और विश्लेषण और (ii) स्वचालित मीटर रीडर्स सहित जल मीटरों के संस्थापन द्वारा एनआरडब्ल्यू की कमी हेतु प्रबंधन।

83 एनआरडब्ल्यू का निर्धारण और विश्लेषणः ₹4.60 करोड़; एनआरडब्ल्यू की कमी हेतु प्रबंधनः ₹26.24 करोड़।

84 एनआरडब्ल्यू का निर्धारण और विश्लेषणः ₹1.98 करोड़; एनआरडब्ल्यू की कमी हेतु प्रबंधनः ₹24.29 करोड़।

85 30,000 घरों सहित।

86 ₹4,80,000 की दर पर अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर और ₹1,450 की दर पर घरेलू जल मीटर।

1,500 अवस्थितियों पर अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटरों के संस्थापन और अपसारण के माध्यम से जल हानियों की सीमा का निर्धारण किया जाना था। लेखापरीक्षा में देखा (जून 2019) गया कि संविदा की अवधि विस्तारित (दिसंबर 2016) करने के उपरांत भी संविदाकार द्वारा कार्य को पूर्णरूपेण पूरा नहीं किया गया था। संविदा को अंततः रोक दिया गया (जुलाई 2016) था और ₹1.98 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् पूर्ण (दिसंबर 2016) दर्शाया गया था। परियोजना प्रबंधक हाइड्रोलिक, जेकेईआरए द्वारा प्रस्तुत किये गये (जनवरी 2018) टिप्पण के अनुसार, कि संविदा को इस आधार पर रोक दिया गया था कि आगे कार्य की कोई संभावना नहीं थी। 15,000 घरों और 1,500 अवस्थितियों के लक्ष्य के प्रति, घरेलू जल के मीटरों और अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटरों के संस्थापन और अपसारण का कार्य केवल 7,107 घरों (47 प्रतिशत) में और 817 अवस्थितियों (54 प्रतिशत) पर ही किया गया था, जिसका परिणाम एक व्यापक एनडब्ल्यूआर कमी योजना को तैयार करने के प्रयोजन की अप्राप्ति के अलावा अपूर्ण अध्ययन के रूप में हुआ परिणामस्वरूप ₹1.98 करोड़ का किया गया व्यय निष्फल हो गया।

मामला सरकार को भेजे जाने के (जून 2020) उपरांत, संयुक्त निदेशक (पीएण्डएस), पीडीएण्डएमडी ने कहा (अगस्त 2020) कि जम्मू शहर के 20 डीएमए में एनआरडब्ल्यू कमी के अध्ययन का संचालन नहीं किया गया था और कार्यक्रम का कार्यान्वयन एडीबी वित्त पोषण की उपलब्धता और समय की बाध्यताओं के कारण विषयांतर्गत पैकेज के अंतर्गत पहचाने गये 4 डीएमए में किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पहचाने गये डीएमए में न तो गैर-राजस्व जल (एनआरडब्ल्यू) की प्रमात्रा का निर्धारण किया गया था और न ही एक व्यापक एनआरडब्ल्यू कमी योजना को विकसित करने हेतु कोई कदम उठाए गये थे।

बी. अनुवीक्षण क्रियाविधि

एनआरडब्ल्यू कमी प्रबंधन संविदा की उपधारा 3.4.1 के अनुसार, अभिहित अवस्थितियों पर अध्ययनों के समापन के उपरांत, संविदा के अंतर्गत खरीदे गये उपकरणों को संविदाकार द्वारा लाइन विभाग को अच्छी कार्यावस्था में सुपुर्द किया जाना अपेक्षित था जिससे उत्तरवर्ती अध्ययनों में उनका उपयोग किया जा सके।

लेखापरीक्षा में देखा गया (जून 2019) कि पीएचई सिटी प्रभाग-I, जम्मू को सुपुर्द किये गये (दिसंबर 2018) आठ अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटरों और 1,800 घरेलू जल मीटरों में से केवल 448 घरेलू जल मीटर अच्छी कार्यावस्था में पाये गये थे। लाइन विभाग को इन्हें सुपुर्द किये जाने से पूर्व पुनः प्राप्त सामग्री की अवस्था का सत्यापन करने हेतु कोई क्रियाविधि स्थापित नहीं की गयी थी। संविदा के निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन में, ₹58 लाख के मूल्य वाले शेष 1,352 जल मीटरों और 8 फ्लो मीटरों को अनुपयोज्य अवस्था में सुपुर्द किया गया (दिसंबर 2018) था। इस प्रकार, 1,352 जल मीटरों और 8 फ्लो मीटरों की प्रयोज्यावधि कम हो गयी थी।

मामला सरकार को भेजे (जून 2020) जाने के उपरांत, संयुक्त निदेशक (पीएण्डएस), पीडीएण्डएमडी ने कहा (अगस्त 2020) कि पीएचईडी द्वारा इसके वस्तु प्राप्ति (जीआर) विवरण में 1,352 जल मीटरों को गलती से अनुपयोज्य बता दिया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यपालक अभियंता, पीएचईडी ने कहा (जून 2019) था कि सामग्री उनके किसी उपयोग की नहीं थी, क्योंकि यह अनुपयोज्य थी। यह सुनिश्चित करने हेतु क्रियाविधि के अभाव में कि सामग्री संविदाकार द्वारा कार्यावस्था में सुपुर्द की गयी थी, का परिणाम उपकरण की प्रयोज्यावधि में कमी के रूप में हुआ, जिसके द्वारा व्यय राशि का पूर्ण लाभ नहीं लिया जा सका।

सी. उपकरण का संस्थापन

जल हानियों को कम करने की दृष्टि से, चार चयनित नमूना आधारित जोनों[87] (निर्धारण और विश्लेषण हेतु चयनित 20 पहचाने गये डीएमए में से) में स्वचालित मीटर रीडिंग (एएमआर) सुविधा सहित घरेलू जल मीटरों के संस्थापन हेतु एक संविदा 12 महीनों की समापन अवधि के साथ ₹26.24 करोड़ की लागत पर संविदाकार को प्रदान (मार्च 2016) की गयी थी। संविदा में 4,300 घरों में घरेलू जल मीटरों के साथ सेवा कनेक्शनों को उपलब्ध कराना; पहचानी गयी अवस्थितियों पर इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक फ्लो मीटरों का संस्थापन; जलापूर्ति प्रणाली के अनुरक्षण और संचालन के अलावा, नेटवर्क में प्रवाह; और दबाव का निर्धारण करना उल्लिखित था। संविदा के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु, जेकेआरईए और लाइन विभाग के मध्य एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) का निष्पादन किया जाना था, जिसके अंतर्गत लाइन विभाग द्वारा संविदाकार को उपभोक्ताओं के आधारभूत आँकड़े और पाइप वितरण नेटवर्क उपलब्ध

[87] त्रिकुटा नगर-ए, त्रिकुटा नगर-बी, शास्त्री नगर और करण नगर।

कराया जाना था। संविदा के अनुसार, सामग्री की प्राप्ति पर संविदाकार को 75 प्रतिशत, घरेलू जल मीटरों को बिछाने और संस्थापन पर 15 प्रतिशत और परीक्षण और कमिशनिंग के पश्चात् शेष 10 प्रतिशत का भुगतान निर्मोचित किया जाना था।

लेखापरीक्षा में देखा गया (जून 2019) कि लाइन विभाग (पीएचईडी) के साथ एमओयू निष्पादित करने में जेकेईआरए की विफलता के कारण, जलापूर्ति वितरण नेटवर्क के आधारभूत आँकड़े, अद्यतित पाइप लाइन नेटवर्क और उपभोक्ता डेटाबेस संविदाकर को उपलब्ध नहीं कराये गये थे। परिणामस्वरूप, अधिप्राप्त उपकरण[88] पूर्णरूपेण संस्थापित नहीं किये गये थे। 4,300 घरेलू जल मीटरों (₹5.61 करोड़ मूल्य वाले) और 15 इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक फ्लो मीटरों (₹35.26 लाख मूल्य वाले) के प्रति, केवल 3,485 घरेलू जल मीटरों (₹4.22 करोड़ मूल्य वाले) और 7 इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक फ्लो मीटरों (₹15.05 लाख मूल्य वाले) को संस्थापित किया गया था और संविदा को अंततः सितंबर 2017 में बंद कर दिया गया था। 815 जल मीटरों, 8 फ्लो मीटरों और ₹2.74 करोड़ के संबद्ध उपकरणों को शामिल करने वाली शेष असंस्थापित सामग्री पीएचईडी को सुपुर्द की गयी थी और पीएचई सिटी प्रभाग-I, जम्मू के प्रभागीय भण्डार (जून 2019) में अप्रयुक्त पड़ी हुई थी। संविदाकार को इन आपूर्तियों के लिए ₹2.06 करोड़[89] का भुगतान किया गया (अगस्त 2016 से सितंबर 2017) था। संविदाकर को जलापूर्ति संवितरण नेटवर्क के आधारभूत आँकड़े और उपभोक्ता डेटाबेस उपलब्ध करवाने में लाइन विभाग के साथ एमओयू का निष्पादन और समन्वय करने में जेकेईआरए की विफलता का परिणाम ₹2.06 करोड़ के अप्रयुक्त निवेश के रूप में हुआ।

इसी तरह, घरेलू जल मीटरों पर स्वचालित मीटर रीडिंग (एएमआर) हेतु, ₹21.30 लाख की लागत वाली तीन हैण्ड हेल्ड इकाइयों (एचएचयू) को भी उपयोग (जून 2020) में नहीं लिया गया था, क्योंकि 3,485 सेवा कनेक्शनों, जहाँ जल मीटर संस्थापित किये गये थे, पर कभी भी जल मीटर की रीडिंगों को अभिलेखबद्ध नहीं किया गया था, जिसने उनके क्रय और संस्थापन पर किये गये व्यय को निष्फल कर दिया।

---

[88] स्लूइस वाल्व, फुट वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, स्वचालित मीटर रीडर, वॉल्टमेन मीटर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर।

[89] अधिप्राप्ति की कुल लागत का 75 प्रतिशत लेकिन संस्थापित सामग्री नहीं।

मामला सरकार को भेजे (जून 2020) जाने के उपरांत, लेखपरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार करते हुए, संयुक्त निदेशक (पीएण्डएस), पीडीएण्डएमडी ने कहा (अगस्त 2020) कि सेवा कनेक्शनों को उपलब्ध कराने हेतु विवरणों को साझा करने का अनुरोध करते हुए, जेकेईआरए द्वारा पीएचईडी के साथ महत्त्वपूर्ण पत्राचार करने के बावजूद, इन विवरणों को साझा करने में विलंब था और कार्य परिधि को घटा दिया गया था और संस्थापन हेतु शेष अप्रयुक्त सामग्री पीएचईडी को हस्तांतरित कर दी गयी थी।

5.4.8 जम्मू एवं श्रीनगर में फ्लाईओवरों का निर्माण

सड़क चौराहों पर यातायात की भीड़ को कम करने और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की संयोजकता में सुधार करने हेतु, दो फोर लेन फ्लाईओवरों, एक जम्मू में बिक्रम चौक से महिला महाविद्यालय तक और दूसरा श्रीनगर में जहाँगीर चौक से रामबाग नातीपोरा तक, का निर्माण क्रमशः ₹67.31 करोड़ और ₹219.26 करोड़ की अनुमानित लागत पर प्रस्तावित (जनवरी 2010 और मई 2010) किया गया था। निर्माण कार्यों को 36 महीनों की समापन अवधि सहित संविदाकारों[90] को क्रमशः ₹64.30 करोड़ और ₹200.74 करोड़ की लागत पर आबंटित (अप्रैल 2013) किया गया था। ₹84.84 करोड़ की लागत पर बिक्रम चौक फ्लाईओवर उप-परियोजना मई 2017 में पूर्ण हो गयी थी। जेकेईआरए द्वारा प्रस्तुत की गयी (अक्टूबर 2020) सूचना के अनुसार जहाँगीर चौक फ्लाईओवर को भी ₹379.67 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् पूर्ण (सितंबर 2020) कर लिया गया था।

श्रीनगर में जहाँगीर चौक फ्लाईओवर के निर्माण हेतु संविदा को कुल ₹200.74 करोड़ की लागत पर आबंटित (अप्रैल 2013) किया गया था और अप्रैल 2016 तक इसे पूर्ण किया जाना निर्धारित था। संविदा के अंतर्गत आबंटित मदवार दरें इकाई दरों के परिशोधन हेतु किसी भी प्रावधान के बिना परियोजना के निष्पादन की संपूर्ण अवधि में अनुप्रयोज्य थी। संविदा के निबंधन एवं शर्तों की उपधारा 13.8 के अनुसार, संविदाकार श्रम और वस्तुओं की लागत में वृद्धि के कारण समायोजन मूल्य के भुगतान हेतु हकदार था और जुलाई 2016 से मई 2019 की अवधि के लिए इसी कारण संविदाकार को ₹5.47 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था।

हालांकि, लेखापरीक्षा में देखा (नवंबर 2019) गया कि संविदा के अंतर्गत आबंटित, निर्माण कार्यों की विभिन्न मदों की दरें, जेकेईआरए द्वारा सामग्री की प्रचलित बाजार

---

90 मैसर्स वलेचा इंजीनियरिंग लिमिटेड, मुंबई और मैसर्स सिम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई।

दरों और श्रम के आधार पर परिशोधित (जुलाई 2016) की गयी थी और जुलाई 2016 के परे निष्पादित निर्माण कार्यों हेतु संविदाकार को परिशोधित दरों पर भुगतान किया गया था। मूल्य समायोजनों के भुगतान के अतिरिक्त, दरों के परिशोधन का परिणाम संविदाकार को ₹29.63 करोड़ के अस्वीकार्य और अतिरिक्त भुगतान के रूप में हुआ।

मामला सरकार को भेजे जाने के (जून 2020) उपरांत, संयुक्त निदेशक (पीएण्डएस), पीडीएण्डएमडी ने कहा (अगस्त 2020) कि दरों के परिशोधन को एक समिति की अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा अनुमोदित (अप्रैल 2017) किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संविदाकार को पहले ही श्रम और वस्तुओं की लागत में वृद्धि के लिए ₹5.47 करोड़ की राशि के मूल्य समायोजन का भुगतान कर दिया गया था और तत्काल मामले में दरों के परिशोधन का परिणाम संविदाकार को ₹5.47 करोड़ की राशि का अनुचित लाभ प्रदान करने के रूप में हुआ।

5.4.9 विलंबित आपूर्तियाँ

संविदा की सामान्य शर्तों की उपधारा 27.1 के अनुसार, संविदा मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत के अध्यधीन विलंब हेतु आधा प्रतिशत प्रति सप्ताह की दर पर शास्ति विलंबित आपूर्तियों के लिए संविदाकार पर अधिरोपित की जानी थी। लेखापरीक्षा में देखा (जून 2019) गया कि कुल ₹5.69 करोड़ के परिव्यय सहित चार उप-परियोजनाओं[91] के अंतर्गत आपूर्तियाँ 7 सप्ताहों और 21 सप्ताहों के बीच के विलंब सहित प्राप्त हुयी थी। हालांकि, संविदा में किये गये उल्लेख के अनुसार, चूककर्त्ता संविदाकारों को उनके भुगतान निर्मोचित करते समय ₹36.62 लाख[92] की राशि की शास्ति की उगाही हेतु कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की गयी थी। शास्ति के गैर-अधिरोपण का परिणाम उनको अनुचित वित्तीय सहायता देने के रूप में हुआ।

संयुक्त निदेशक (पीएण्डएस), पीडीएण्डएमडी ने कहा (अगस्त 2020) कि संविदा अनुबंध में विलंब हेतु संविदाकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था और उपलब्ध कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार उक्त हेतु कारण स्पष्ट नहीं थे और अभिलेखों की जाँच की जायेगी और प्रतिवेदन लेखापरीक्षा के साथ साझा किया जायेगा।

---

91 एसएमसी हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपकरण, एसएमसी हेतु ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपकरण का एसएण्डडी, पीएचईडी श्रीनगर हेतु एसएण्डडी उपकरण और एसएमसी में उपयोग हेतु उपकरण की आपूर्ति सुपुर्दगी।

92 0.50 प्रतिशत की न्यूनतम दर पर की गयी गणना।

उत्तर परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करने हेतु गंभीर प्रयास के अभाव को इंगित करता है।

पर्यटन विभाग

5.5 क्षतिग्रस्त/ नष्ट परिसंपत्तियों के बदले में सरकारी पर्यटक परिसंपत्तियों का निर्माण

5.5.1 प्रस्तावना

'सितंबर 2014 की बाढ़ों में नष्ट परिसंपत्तियों के बदले में सरकारी पर्यटक परिसंपत्तियों का निर्माण' परियोजना को प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) के अंतर्गत संस्वीकृत (सितंबर 2016) किया गया था। यह परियोजना पर्यटन मंत्रालय, (एमओटी), जीओआई की स्वदेश दर्शन योजना का एक भाग है। 109 निर्माण कार्यों/ योजनाओं को शामिल करते हुए 23 उप-परियोजनाओं (घटकों) सहित परियोजना का कुल परिव्यय ₹98.70 करोड़ था। 23 उप-परियोजनाओं में से, 11 उप-परियोजनाओं को परियोजना लागत/ व्यय और भौगोलिक अवस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा हेतु चयनित किया गया था जैसा कि ***परिशिष्ट 1.2*** में वर्णित है।

मार्च 2019 तक, केवल तीन उप-परियोजनाओं को पूर्ण किया गया था, 19 उप-परियोजनएं निष्पादनाधीन थी और एक उप-परियोजना को छोड़ दिया गया था। विभाग द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचना के अनुसार, सितंबर 2020 तक 15 उप-परियोजनाओं को पूर्ण किया गया था, एक उप-परियोजना को छोड़ दिया गया था और सात उप-परियोजनाएं निष्पादनाधीन थी। इसके अतिरिक्त, चयनित 11 उप-परियोजनाओं में से, केवल पाँच उप-परियोजनाओं[93] को पूर्ण किया गया था और छह उप-परियोजनाएं निष्पादनाधीन (सिंतंबर 2020) थी।

70 निर्माण कार्यों को शामिल करने वाली 11 उप-परियोजनाओं के संबंध में ₹66.97 करोड़ की परियोजना लागत के प्रति, इन उप-परियोजनाओं (सितंबर 2020) के निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु 10 अभिकरणों/ विभागों के पक्ष में ₹33.69 करोड़ संस्वीकृत किये गये थे। यह देखा गया कि छह उप-परियोजनाओं के संबंध में क्षति प्रतिवेदनों को तैयार/ उपलब्ध नहीं कराया गया था और क्षतियों की सीमा का

[93] एसकेआईसीसी में पर्यटक सुविधाओं का विकास, खादीनार पार्क बारामूला का विकास, नागिन में पर्यटक सुविधाओं का विकास, मुगल उद्यानों में पर्यटक सुविधाओं का विकास और मानसर झील पर पर्यटक सुविधाओं का विकास।

आंकलन किये बिना संस्वीकृतियाँ प्रदान की गयी थी। सितंबर 2020 की समाप्ति पर 11 नमूना उप-परियोजनाओं की स्थिति ***परिशिष्ट 5.5.1*** में दी गयी है:

वर्ष 2015 के दौरान, करीब 1.33 करोड़ पर्यटकों ने जेएण्डके का भ्रमण[94] किया था, जबकि वर्ष 2018 के दौरान यह संख्या 1.69 करोड़ तक बढ़ गयी थी और वर्ष 2019 के दौरान यह 1.32 करोड़ तक घट गयी थी। पर्यटक परिसंपत्तियों से किराये और खान-पान सेवा के कारण जीओजेएण्डके द्वारा वसूला गया राजस्व वर्ष 2014-15 के दौरान ₹1.37 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2018-19 के दौरान ₹2.94 करोड़ तक हो गया।

5.5.2 वित्तीय प्रबंधन

वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान, जीओआई द्वारा परियोजना के अंतर्गत निधियाँ सीधे ही जम्मू एवं कश्मीर (जेएण्डके) राज्य केबल कार निगम[95] को निर्गत की गयी थी जिसने विभाग द्वारा प्राधिकरण के उपरांत, निधियों को परियोजना के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु कार्यान्वयन अभिकरणों को निर्गत किया था। वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान, परियोजना के अंतर्गत कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा निर्गत निधियों की तुलना में किये गये व्यय की वर्ष-वार स्थिति **तालिका 5.5.1** में दी गयी है:

तालिका 5.5.1: मार्च 2019 तक निधियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	जीओआई द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियाँ	जेकेसीसीसी के पास उपलब्ध कुल निधियाँ	प्रयुक्त निधियाँ	वर्ष के अंत में अव्ययित शेष	निधियों की उपयोगिता का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4-5)	(7)
1.	2016-17	19.47	19.47	-	19.47	0
2.	2017-18	27.51	46.98	34.99	11.99	74
3.	2018-19	27.72	39.71	10.10	29.61	25
	कुल	**74.70**		**45.09**		

(स्रोतः जीओजेएण्डके द्वारा जारी पीएमडीपी पर अनुवीक्षण प्रतिवेदन)

उपर्युक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान निधियों का उपयोग क्रमशः शून्य प्रतिशत और 74 प्रतिशत के बीच था। लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि:

94 विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना।

95 जम्मू एवं कश्मीर राज्य सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम (पीएसयू)।

- संस्वीकृत परियोजना लागत ₹98.70 करोड़ थी, जिसमें से ₹74.70 करोड़ (76 प्रतिशत) की राशि जीओआई द्वारा जीओजेएण्डके को सूचना के अधीन जेएण्डके राज्य केबल कार निगम के बैंक खाते में सीधे ही निर्गत (सितंबर 2020) की गयी थी। जीओजेएण्डके द्वारा शेष निधियाँ उपलब्ध कराते हुए परियोजना को पूर्ण किया जाना अपेक्षित था। ₹98.70 करोड़ की संपूर्ण परियोजना लागत हेतु उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्राप्ति पर जीओआई द्वारा ₹24 करोड़ की अंतिम किस्त की प्रतिपूर्ति की जानी थी। जैसा कि जीओजेएण्डके ने परियोजना के निर्माण कार्यों के समापन हेतु कार्यान्वयन अभिकरणों को ₹24 करोड़ निर्गत नहीं किये थे, यह परियोजना की संपूर्ण संस्वीकृत राशि हेतु उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकी। जिससे जीओआई से शेष राशि की प्रतिपूर्ति के लिए दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

  इस प्रकार, परिसंपत्तियाँ अपूर्ण रहीं और जीओजेएण्डके ₹24 करोड़ की सीमा तक वित्तपोषण का लाभ नहीं ले सकी।
- जेएण्डके केबल कार निगम लिमिटेड ने जेएण्डके आवास बोर्ड को 'खुसाल्सर झील के आसपास पर्यटन सुविधाओं का विकास' उप-परियोजना के निष्पादन हेतु ₹78 लाख निर्गत (जुलाई 2017) किये। हालांकि, बोर्ड द्वारा कोई निर्माण कार्य निष्पादित नहीं किये गये थे क्योंकि परियोजना प्राधिकारी द्वारा क्षेत्र की पहचान/ चिह्नित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप जीओआई द्वारा उप-परियोजना को छोड़ दिया (फरवरी 2019) गया था। जीओआई को प्रस्तुत किये गये (नवंबर 2018) यूसी के अनुसार, ₹82 लाख का किया गया व्यय दर्शाया गया था, जिसके द्वारा भारत सरकार को व्यय की गलत रिपोर्ट दी गयी। इसलिए, न केवल निधियाँ बैंक खाते में कार्यान्वयन अभिकरणों के पास पड़ी हुयी थी बल्कि रिपोर्ट किये गये आँकड़ों (अगस्त 2020) और किये गये व्यय को भी नहीं घटाया गया था। इस प्रकार की स्थिति में सरकारी धन के दुर्विनियोजन का जोखिम विद्यमान रहता है।
- सहायक लेखाओं और लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरणों को तैयार किया जाना और उच्च प्राधिकारियों को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित[96] था।

[96] संस्वीकृति आदेश की शर्त15

दस[97] कार्यान्वयन अभिकरणों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि यह सब नहीं किया जा रहा था।

उत्तर में, प्रेक्षण को स्वीकार करते हुए उप निदेशक, पर्यटन (एमएण्डडब्ल्यू), जम्मू, सीईओ, राजौरी और सीईओ, सुरिनसर-मानसर विकास प्राधिकरण ने कहा (जून/ जुलाई 2019) कि सहायक अभिलेखों/ लेखाओं को अनुरक्षित किया जायेगा।

सहायक लेखाओं और लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरणों को अनिवार्य रूप से तैयार किया जाना था जिससे अनुप्रयोज्य वित्तीय नियंत्रणों का अभ्यास किया जा सके।

5.5.3 परियोजना निष्पादन

जेएण्डके वित्तीय संहिता[98] के अनुसार, जब तक प्रशासनिक और तकनीकी संस्वीकृति प्रदान न की जाये तब तक कोई कार्य आरंभ या इसके संबंध में देयता निर्धारित नहीं की जानी चाहिए।

हालांकि, यह देखा गया था कि ₹15.47 करोड़ की लागत पर आबंटित आठ उप-परियोजनाओं के 84 उप-कार्य तकनीकी संस्वीकृतियों को प्रदान किये बिना छह[99] कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा निष्पादित किये गये थे और उन पर ₹10.98 करोड़ का व्यय किया गया (वर्ष 2016-17 से 2018-19) था।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित (जून 2019) किये जाने के उपरांत, सीईओ, राजौरी विकास प्राधिकरण ने कहा (जून 2019) कि परियोजना के अंतर्गत संस्वीकृत निर्माण कार्यों हेतु डीपीआर प्रशासनिक अनुमोदन और तकनीकी संस्वीकृति के लिए प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत (जुलाई 2018) किया गया था। हालांकि, विकास आयुक्त, निर्माण ने कुछ टिप्पणियाँ उठायी जिन्हें स्पष्ट (जनवरी 2019) कर दिया गया था लेकिन लेखापरीक्षा की तिथि (जून 2019) तक तकनीकी संस्वीकृति लंबित थी, जो कुछ मामलों में कार्य के आरंभ से दो वर्षों से भी अधिक थी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सुरिनसर-मानसर विकास प्राधिकरण ने कहा (जुलाई 2019) कि डीपीआर प्रशासनिक

---

97 उप निदेशक (एमएण्डडब्ल्यू) जम्मू एवं श्रीनगर, सुरिनसर-मानसर विकास प्राधिकरण, राजौरी विकास प्राधिकरण, पुंछ विकास प्राधिकरण, पुष्पकृषि विभाग, एसकेआईसीसी, गुलमर्ग विकास प्राधिकरण, जेएण्डके आवास बोर्ड (इकाई-II); और एलएडब्ल्यूडीए।

98 जेएण्डके वित्तीय संहिता का नियम 9.3

99 (i) उप निदेशक पर्यटन, श्रीनगर, (ii) एसकेआईसीसी, (iii) ईई, पुष्पकृषि विभाग श्रीनगर, (iv) गुलमर्ग विकास प्राधिकरण, (v) सुरिनसर-मानसर विकास प्राधिकरण और (vi) रोजौरी विकास प्राधिकरण।

विभाग को प्रस्तुत (जून 2019) किये गये थे परंतु तकनीकी संस्वीकृति प्रतीक्षित (जुलाई 2019) थी।

- संस्वीकृति आदेश[100] के अनुसार, कार्यान्वयन अभिकरण/ जीओजेएण्डके को निष्पादन हेतु निर्माण कार्यों को प्रदान करने के लिए निविदाएं आमंत्रित करने की कोडल कार्यविधियों का अनुकरण करना चाहिए। संस्वीकृति आदेश और वित्तीय नियमावली की शर्तों के उल्लंघन में, निविदाओं के आमंत्रण के बिना तीन[101] कार्यान्वयन अभिकरणों में, तीन उप-परियोजनाओं के 23 उप-कार्यों को निष्पादित किया गया था। वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान, इन निर्माण कार्यों पर ₹4.12 करोड़ का व्यय किया गया था, जो इस प्रकार से अनियमित था।

सीईओ, पुंछ विकास प्राधिकरण ने प्रेक्षणों को स्वीकार करते हुए, कहा (अगस्त 2019) कि भविष्य में अनुपालना हेतु अनुदेशों को नोट कर लिया गया था। अन्य दो कार्यान्वयन अभिकरणों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था।

- संस्वीकृति आदेश[102] के अनुसार, जीओआई से वित्तीय सहायता को उस प्रयोजन हेतु प्रयुक्त किया जाना था जिसके लिए इसे निर्गत किया गया था। तीन[103] कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा 11 उप-कार्यों पर ₹83.45 लाख का व्यय किया गया था जो परियोजना के अंतर्गत अनुमोदित नहीं किये गये थे।

मामला सरकार को भेजे जाने (जून 2020) के उपरांत, निदेशक योजना, पर्यटन विभाग, जीओजेएण्डके ने कहा (अगस्त 2020) कि परियोजना/ उप-घटकों को पर्यटन मंत्रालय (एमओटी), जीओआई की संस्वीकृति के अनुसार पूरी कड़ाई से निष्पादित किया गया था और जब कभी कोई नया घटक इसमें जोड़ा या छोड़ा गया, तो उक्त एमओटी, जीओआई के अनुमोदन से किया गया था।

उत्तर ने लेखापरीक्षा में इंगित किये गये विशिष्ट 11 उप-कार्यों का समाधान नहीं किया और एमओटी, जीओआई का अनुमोदन, यद्यपि मांगा गया था, उसे लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

---

[100] जीओआई द्वारा जारी सितंबर 2016 के संस्वीकृति आदेश की शर्त 13

[101] (i) एसकेआईसीसी, (ii) जेएण्डके आवास बोर्ड और (iii) पुंछ विकास प्राधिकरण।

[102] जीओआई द्वारा जारी सितंबर 2016 के संस्वीकृति आदेश की शर्त 7

[103] (i) उप निदेशक (एमएण्डडब्ल्यू) श्रीनगर; (ii) एकेआईसीसी और (iii) गुलमर्ग विकास प्राधिकरण।

- मूल अनुमानों से अधिक अतिरिक्त संस्वीकृत करने की शक्तियों[104] का प्रयोग वित्तीय शक्तियाँ, जीओजेएण्डके की पुस्तिका में प्रत्यायोजनानुसार किया जाना होता है। तीन[105] कार्यान्वयन अभिकरणों में, ₹1.92 करोड़ की लागत के 19 उप-कार्यों के मामले में तीन उप-परियोजनाओं के अंतर्गत पूरक अनुबंधों के निष्पादन के माध्यम से, मूल अनुमानों/ आबंटनों से अधिक 29 प्रतिशत से 15,959 प्रतिशत के बीच अतिरिक्त मूल अनुमानों/ आबंटनों को अनुमति दी गयी थी। इन 19 निर्माण कार्यों की लागत को मूल अनुमानों/ आबंटनों से ₹6.02 करोड़ तक परिशोधित किया गया था। इन निर्माण कार्यों पर ₹2.64 करोड़ का व्यय किया गया (मार्च 2019) था।
- वर्ष 2008-09 से 2010-11 की अवधि के दौरान ₹1.04 करोड़ की लागत पर, राजौरी विकास प्राधिकरण ने चिंगुस में पर्यटकों के लिए कैफेटेरिया, वीआईपी हट इत्यादि सहित पर्यटन परिसंपत्तियों का सृजन किया था। चिंगुस की निकटता में निजी क्षेत्र में बहुसंख्यक पर्यटन परिसंपत्तियाँ थी। प्राधिकरण ने कैफेटेरिया और अन्य सुविधाओं के निर्माण हेतु दूसरी नयी उप-परियोजना के लिए संस्वीकृति (सितंबर 2016) प्राप्त की थी। जैसा कि अभिलेखों से देखा गया, कि उप-परियोजना को प्रशासनिक विभाग द्वारा क्षेत्र में पर्यटकों के वास्तविक फुटफॉल को अभिनिश्चित किये बिना और विद्यमान पर्यटक सुविधाओं पर विचार किये बिना संस्वीकृत और प्राधिकृत किया गया था। जून 2019 तक परियोजना निविदा के प्रक्रियाधीन थी। सीईओ, राजौरी विकास प्राधिकरण ने कहा (जून 2019) कि उप-परियोजना को प्रशासनिक विभाग द्वारा संस्वीकृत और प्राधिकृत किया गया था।

सरकार को परियोजना के अंतर्गत अनियमित रूप से निष्पादित निर्माण कार्यों के संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहिए।

---

[104] मूल अनुमानों की संस्वीकृत राशि के 5 प्रतिशत की सीमा तक मुख्य अभियंता, और अधीक्षक अभियंताओं/ कार्यकारी अभियंताओं हेतु संस्वीकृत अनुमानों के 5 प्रतिशत तक सीमित है, बशर्ते राशि तकनीकी रूप से संस्वीकृत अनुमानों की उनकी शक्तियों की सीमा से अधिक न हो। वित्तीय शक्तियाँ, जीओजेएण्डके की पुस्तक का पैरा 5.1.1

[105] (i) उप निदेशक पर्यटन (एमएण्डडब्ल्यू) श्रीनगर, (ii) एसकेआईसीसी और (iii) गुलमर्ग विकास प्राधिकरण

5.5.4 परिसंपत्तियों के प्रबंधन और अनुरक्षण हेतु प्रावधान

जीओआई द्वारा जारी सितंबर 2016 के संस्वीकृत आदेश की शर्त (8) के अनुसार, राज्य जीओजेएण्डके को परियोजना के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों के अनुरक्षण और प्रबंधन हेतु उत्तरदायित्व लेना चाहिए। पर्यटक स्वागत केन्द्र, पुंछ और नेचर पार्क, राजौरी में दो कैफेटेरियाओं को ₹1.25 करोड़ की लागत पर पूर्ण (वर्ष 2018-19) किया गया था। परियोजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में परिसंपत्तियाँ जैसे पर्यटक सूचना केन्द्र, पर्यटक कैफेटेरिया, जेन्डर आधारित शौचालयों इत्यादि का सृजन किया जाना था जिसके लिए स्टाफ जैसे रसोइयाओं, बैराओं और स्वागतकर्त्ताओं इत्यादि की आवश्यकता थी। तीन कार्यान्वयन अभिकरणों[106] के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि विभाग ने परिसंपत्तियों के संचालन और प्रबंधन हेतु कोई योजना का निरूपण नहीं किया था। उप निदेशक, अनुरक्षण और निर्माण (एमएण्डडब्ल्यू), जम्मू के अभिलेखों के लेखापरीक्षा परीक्षण से प्रकट हुआ कि विभाग ने परियोजना के अंतर्गत कौशल विकास/ प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु कोई कार्य योजना तैयार नहीं की थी।

मामला सरकार को भेजे जाने (जून 2020) के उपरांत, निदेशक योजना, पर्यटन विभाग ने कहा (अगस्त 2020) कि पूर्ण की गयी परिसंपत्तियों में से कुछ को पहले से ही आउटसोर्स कर दिया गया था और विभाग सभी परिसंपत्तियों, उनको भी शामिल करते हुए जिन्हें पीएमडीपी (स्वदेश दर्शन) के अंतर्गत सृजित किया था, के संचालन और प्रबंधन हेतु नीति बना रहा था।

लेखापरीक्षा में देखा गया (जून/ जुलाई 2019) कि दो विकास प्राधिकरणों (राजौरी और पुंछ) ने संस्वीकृति आदेश की शर्तों के उल्लंघन में संचालन और प्रबंधन हेतु पर्यटन कैफेटेरियाओं को निजी संविदाकारों को आउटसोर्स किया था।

उत्तर में, सीईओ पुंछ विकास प्राधिकरण ने कहा (अगस्त 2019) कि सरकारी पर्यटन विभाग, जीओजेएण्डके के सचिव के अनुदेशों के अनुसार, पूर्ण की गयी परिसंपत्तियों को अनुरक्षण और संचालन हेतु आउटसोर्सिंग के लिए रखना पड़ा था क्योंकि चल परिसंपत्तियों के लिए प्रशिक्षित स्टाफ की कमी थी।

तथ्य यह रहता है कि परिसंपत्तियों की आउटसोर्सिंग भी सफल नहीं रही थी क्योंकि पुंछ पर्यटक स्वागत केन्द्र के मामले में, वर्ष 2014 से 2019 हेतु ₹28 लाख का

---

106 उप निदेशक (एमएण्डडब्ल्यू) जम्मू, राजौरी विकास प्राधिकरण और पुंछ विकास प्राधिकरण।

किराया संविदाकारों के विरुद्ध बकाया था। सीईओ, राजौरी विकास प्राधिकरण ने कहा (जून 2019) कि परिसंपत्तियों को प्रशासनिक विभाग के दिनांक फरवरी 2019 के अनुदेशों के अनुसार आउटसोर्स किया गया था। तथापि, ऐसे दृष्टांत पाये गये थे जहाँ संविदाकारों ने उनको आउटसोर्स की गयी परिसंपत्तियो के किराये का भुगतान नहीं किया था और विभाग ने परियोजना के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों के संचालन/ प्रबंधन और अनुरक्षण हेतु योजनाओं का निरूपण नहीं किया था, जैसा कि परियोजना के संस्वीकृति आदेश में विनिर्दिष्ट था।

अध्याय-VI

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

अध्याय - VI

निष्कर्ष और अनुशंसाएं

6.1 निष्कर्ष

तत्कालीन राज्य जम्मू एवं कश्मीर (जेएण्डके) में सितंबर 2014 की बाढ़ों के परिणामस्वरूप पीएमडीपी, एक व्यापक पुनर्निर्माण योजना बनायी गयी थी। पाँच प्रक्षेत्रों (स्तंभों) मानवीय राहत, संकट प्रबंधन, सामाजिक अवसंरचना, विकास परियोजनाएं और आर्थिक अवसंरचना ने जेएण्डके राज्य में राहत, पुनर्वास और विकास उपलब्ध कराने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया।

पीएमडीपी के अंतर्गत, अनेक कार्यान्वयन अभिकरणों सहित तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर राज्य के 14 सरकारी विभागों को कुल ₹35,985 करोड़ के परिव्यय के साथ 39 परियोजनाओं का निष्पादन करना था। जिसमें से, 31 मार्च 2019 को समाप्त हुई अवधि तक ₹23,569.96 करोड़ संस्वीकृत किये गये थे। हालांकि, कुल निर्गत निधियाँ ₹11,100.28 करोड़ थी, जिनमें से ₹9,282.84 करोड़ की राशि का उपयोग किया गया था।

अतः पीएमडीपी की सफलता अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न कारकों जैसे परियोजनाओं का समय पर समापन, हितभागियों को पैकेज राहत का क्रमबद्ध निष्पादन इत्यादि पर निर्भर थी।

31 मार्च 2019 तक 39 परियोजनाओं के लिए केवल ₹11,100.28 करोड़ निर्गत किये थे। इसमें से, ₹7,515.28 करोड़ लेखापरीक्षा में 16 चयनित परियोजनाओं हेतु निर्गत किये गये थे और 31 मार्च 2019 तक ₹6,493.35 करोड़ का व्यय किया गया था।

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये महत्त्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गये हैं। इस लेखापरीक्षा अंतःक्षेप का कुल वित्तीय निहितार्थ ₹2,125.21 करोड़ है।

ए. मानवीय राहत

ए.1 पूर्णतः क्षतिग्रस्त, अति क्षतिग्रस्त और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घर के लिए सहायता

मानवीय राहत के अंतर्गत मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से सितंबर 2014 की बाढ़ों के दौरान क्षतिग्रस्त घरों हेतु परिवारों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना था। तथापि, भारत सरकार द्वारा निर्मोचित ₹1,194.85 करोड़ में से जीओजेएण्डके ने ₹102.80 करोड़ रोके रखे, इस प्रकार, हितभागी समय पर वित्तीय सहायता से वंचित रह गये। जम्मू जिले में 564 प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता से वंचित रखते हुए ₹1.82 करोड़ की राशि बैंक खातों में रखी रही। इसके अतिरिक्त, कुछ हितभागियों को सहायता का भुगतान किया गया था हालांकि, क्षति प्रतिवेदनों के अनुसार बाढ़ों के दौरान ये घर क्षतिग्रस्त नहीं हुए थे। इसके अतिरिक्त, ₹73.85 लाख की अतिरिक्त नकद सहायता 85 हितभागियों के बैंक खातों में जमा की गयी थी। इसके अलावा, 184 मामलों में ₹63.45 लाख की वित्तीय सहायता उन परिवारों के लिए उपलब्ध करायी गयी थी जो सितंबर 2014 की बाढ़ हेतु तैयार की गयी सूची में नहीं थे।

ए.2 जम्मू प्रवासियों के लिए पुनर्वास पैकेज

विभाग अद्यतन हेतु जम्मू प्रवासियों के जन्म/ मृत्यु/ विभाजन के कारण अद्यतित डाटाबेस और नीति का सृजन करने में विफल रहा। लेखापरीक्षा में प्रवासी परिवार, जो या तो सीआईडी सूची या न्यायालय सूची में विद्यमान नहीं थे, को बकायों के भुगतान; राशन की लागत पर ब्याज के कारण बकायों का अधिक भुगतान; और पंजीकरण से पूर्व की अवधि के लिए प्रवासी परिवारों को बकायों का अस्वीकार्य भुगतान के मामले पाये गये।

ए.3 व्यापारियों/ स्व-नियोजित/ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की आजीविका के पुनः स्थापन हेतु सहायता पर ब्याज संसहायिकी

बैंकों द्वारा ब्याज संसहायिकी को अनियमित रूप से उपलब्ध कराया गया था जो सितंबर 2014 की बाढ़ों से पूर्व अव-मानक पाये गये थे, इस प्रकार ये मामले पात्र नहीं थे। सभी मामलों में, योजना निधियों से ₹456.26 करोड़ की राशि हाउसबोट मालिकों और सितंबर 2014 बाढ़ों द्वारा अप्रभावित लघु व्यावसायिक इकाइयों/ व्यापारियों, शिल्पकार क्रेडिट कार्डो; किसान क्रेडिट कार्ड योजना; मुख्यमंत्री व्यवसाय

ब्याज राहत योजना के बकाया ऋणों के निपटान के प्रति अपयोजित की गयी; निर्धारित सीमाओं से परे अधिक भुगतान के मामले भी देखे गये।

ए. 4 जम्मू एवं कश्मीर में पाँच भारतीय रिज़र्व बटालियनों का सृजन

निधियों की उपलब्धता के बावजूद, हेड कांस्टेबलों, एएसआई, एसआई, निरीक्षकों, डीएसपी के पदों का बहुत अधिक अभाव देखा गया था।

बी. संकट प्रबंधन

बी.1 उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अतिरिक्त बालिका छात्रावासों का निर्माण

पाँच बालिका छात्रावासों में से चार का निर्माण नामांकन आधार पर जेएण्डके हाउसिंग बोर्ड को सौंपा गया था। तथापि, शीघ्र निष्पादन के लिए प्रौद्योगिकी हेतु प्रावधान के बावजूद, कोई भी बालिका छात्रावास पूर्ण नहीं हुआ था, जिससे बालिका छात्राओं को आवासीय शैक्षिक आवास से वंचित रहना पड़ा।

बी.2 जम्मू एवं कश्मीर में हाई एन्ड सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था प्रणाली

बुलेट प्रूफ वाहनों, बंकरों की अधिप्राप्ति हेतु विभाग द्वारा अंगीकृत क्रियाविधि सुव्यवस्थित नहीं थी तथा परिणामस्वरूप, वाहनों की उच्च दरों पर अधिप्राप्ति की गयी थी।

बी.3 झेलम नदी एवं इसकी सहायक नदियों के बाढ़ प्रबंधन हेतु व्यापक योजना चरण I

तलकर्षण के संदर्भ में लक्ष्यों की प्राप्ति में बहुत कमी थी जो बाढ़ स्पिल चैनल (एफएससी) के माध्यम से झेलम नदी के बाढ़ जल की वहन क्षमता को बढ़ाने के लिए परियोजना के अंतर्गत अपेक्षित थी। बाढ़ जल की अपवाह क्षमता को बढ़ाने हेतु एफएससी के महत्त्वपूर्ण क्षेत्र अभी तक उत्खननाधीन थे।

विभाग ने संविदा के निबंधन और शर्तों का पालन करने में विफलता हेतु तलकर्षण के लिए विनियोजित संविदाकार की निष्पादन बैंक प्रत्याभूति से कोई राशि जब्त नहीं की थी।

बी.4 क्षतिग्रस्त अवसंरचना का स्थायी पुनः स्थापन

निर्माण कार्यों को प्रशासनिक अनुमोदनों और तकनीकी संस्वीकृतियों के बिना ही आरंभ किया गया था तथा अननुमोदित निर्माण कार्यों को आरंभ करने पर निधियों का अपयोजन किया गया था।

सी. सामाजिक अवसंरचना

सी.1 हिमायत योजना के अंतर्गत वर्धक प्रयास

सात वर्षों के लिए राज्य परिप्रेक्ष्य कार्यान्वयन योजना तैयार नहीं की गयी थी और मिशन बिना किसी आधारभूत सर्वेक्षण और कौशल अंतराल विश्लेषण के केवल तीन साल की योजना प्रस्तुत कर सका। विभिन्न अभिकरणों के मध्य निधि हस्तांतरण में विलंब पाये गये थे। जुटाव, प्रशिक्षण, युवा-स्थानन एवं प्रभाव आंकलन की परिभाषित प्रक्रिया के अनुवीक्षण हेतु टीमें कार्यरत नहीं थी।

डी. विकास परियोजनाएं

डी.1 जम्मू एवं कश्मीर में पुनर्नवीकरण और शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन

विभाग भारग्रस्तता मुक्त भूमि की उपलब्धता, निर्माण कार्यों के निष्पादन के लिए उनके आबंटन से पूर्व उप-परियोजनाओं हेतु उपयोज्यता विभागों से निर्बाधता को सुनिश्चित नहीं कर सका। विभाग ने जम्मू शहर में सेप्टेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) के निर्माण का आरंभ क्षेत्र में सेप्टेज के यथार्थवादी मूल्यों को अभिनिश्चित किये बिना, तकनीकी मुद्दों के समाधान के बिना और पर्यावरणीय निर्बाधता के अभाव में किया था। श्रीनगर शहर में लगभग तीन वर्षों तक सेप्टेज प्रबंधन योजना सक्शन-सह-जेटिंग मशीनों की अधिप्राप्ति के लिए संविदा को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण पूरी नहीं की गयी थी। जम्मू शहर में इंटेलीजेन्ट लाइटिंग सिस्टम के संस्थापन के उद्देश्य को परियोजना के कुछ आवश्यक घटकों जैसे लाल बत्ती संकेत उल्लंघन संसूचन (आरएलवीडी) प्रणाली और सामान्य कमान नियंत्रण केन्द्र से 64 चौराहों की निगरानी और नियंत्रण के लिए आईटी अनुप्रयोगों के साथ एकीकरण के गैर-निष्पादन के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका।

डी.2 जम्मू एवं कश्मीर राज्य हेतु चालू जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन परियोजनाओं की शेष केन्द्रीय अंश देयता

मामलों के निपटान में विलम्ब, विभाग द्वारा कार्य के निष्पादन की अनुचित योजना ने निधियों की उपलब्धता के बावजूद, लेह में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के पूरा नहीं होने का मार्ग प्रशस्त किया और प्राधिकरण अस्वास्थ्यकर तरीके से खुले स्थानों में कस्बे के अपशिष्ट का निपटान कर रहे हैं। "लेह में सड़क नेटवर्क के सुधार" के मामले में निधियाँ अपयोजित की गयी थी। ट्यूबवैलों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहित करने और "जल आपूर्ति योजना लेह" के अंतर्गत अंतः स्पंदन कुआं के कार्य को सौंपने में विभाग सफल नहीं हो पाया था।

डी.3 जम्मू एवं कश्मीर शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम की बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजना और पीएमआरपी 2004 के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं का समापन: प्रतिस्थानी वित्त पोषण-एडीबी II

एडीबी के अनुमोदन के बिना उप-परियोजनाओं की लागतों में परिशोधन देखा गया। उप-परियोजनाओं का पहचानी गयी अवस्थितियों में जल की क्षति को कम करने और व्यापक गैर-राजस्व जल कमी योजना को तैयार करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया था, क्योंकि परियोजना के निष्पादन में अंतराल के कारण, जल क्षतियों की सीमा का आंकलन नहीं किया जा सका।

डी.4 क्षतिग्रस्त/ नष्ट परिसंपत्तियों के बदले में सरकारी पर्यटक परिसंपत्तियों का निर्माण

विभाग ने इसकी पर्यटक परिसंपत्तियों के परिचालन और अनुरक्षण हेतु योजना नहीं बनायी थी। सितंबर 2020 तक, 23 उप-परियोजनाओं में से, 15 उप-परियोजनाएं पूरी की गयी थी और एक उप-परियोजना छोड़ दी गयी थी जबकि सात उप-परियोजनाएं निष्पादनाधीन थी।

निष्कर्ष में, यह देखा गया है कि अधिकांश परियोजनाओं में कम खर्च हुआ है। योजना के कार्यशील होने के लिए आधारभूत सर्वेक्षण और विवेचनात्मक डेटाबेस स्थापित नहीं किये गये थे और परियोजनाओं को निष्पादित करते हुए कोडल प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था।

6.2 अनुशंसाएं

सरकार को चाहिए:

- *अपात्र हितभागियों, जिन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी है, को संवितरित अस्वीकार्य और अतिरिक्त भुगतानों की वसूली के लिए कदम उठाना;*
- *प्रवासियों के विवरण को प्राप्त और अद्यतित करने के लिए प्रवासियों के सतत् डेटाबेस को तैयार करना जिससे वास्तविक प्रवासी परिवारों को समय पर सहायता उपलब्ध करायी जा सके;*
- *जीओजेएण्डके की अन्य योजनाओं/ कार्यक्रमों और प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत हितभागियों को भुगतान के लिए ब्याज संसहायिकी योजना से अपयोजित निधियों की प्रतिपूर्ति करना;*
- *इन परियोजनाओं में शामिल भूमि अधिग्रहण, विलम्बों, भूमि प्रतिकर के मामलों के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाना;*
- *हाई एन्ड सुरक्षा परियोजना के अंतर्गत वाहनों/ उपकरण हेतु अधिप्राप्ति की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना ताकि खरीदें समय पर और अपेक्षित संख्या में की जा सके;*
- *बटालियनों को उनके पूर्णरूपेण परिचालन हेतु पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध करवाना;*
- *अस्थायी गबन को सम्मिलित करते हुए निधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्रियाविधि स्थापित करना और हिमायत योजना के तकनीकी सहायता अभिकरण के संपर्क एवं निगरानी को शामिल करते हुए जिला तथा खण्ड स्तरों पर स्टाफ की भर्ती द्वारा उचित संरचनात्मक सहायता उपलब्ध कराना;*
- *भारत सरकार को प्रस्तुत किये जाने वाले उपयोगिता प्रमाण-पत्रों, वित्तीय समाप्ति और परियोजना समापन प्रतिवेदनों की तैयारी हेतु समय सीमा का पालन करना;*
- *परियोजनाओं के समय पर समापन हेतु, विशेष रूप से वे जिनमें बाह्य सहायता शामिल है, सभी शामिल अभिकरणों/ विभागों के संयुक्त प्रयास और समन्वय करना;*

- *तकनीकी एवं भारी अभियांत्रिकी शामिल परियोजनाओं के संदर्भ में सहायता के लिए प्रभाव क्षेत्र विशेषज्ञों को विनियोजित करना; और*
- *निधियों का अपयोजन, निविदा के बिना कार्य का निष्पादन इत्यादि जैसे व्यपगमनों हेतु जिम्मेदार कार्मिकों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करना और उत्तरदायित्व निर्धारित करना।*

श्रीनगर/ जम्मू | **(डॉ. अभिषेक गुप्ता)**
दिनांक: | **प्रधान महालेखाकार**
(लेखापरीक्षा)
जम्मू एवं कश्मीर

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली | **(गिरीश चंद्र मुर्मू)**
दिनांक: | **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भित पैराग्राफ: 1.1)

मार्च 2019 की समाप्ति पर निर्गत निधियाँ और किये गये व्यय सहित जीओआई तथा जीओजेएण्डके के विभागों/ अभिकरणों द्वारा निष्पादित पीएमडीपी परियोजनाओं के ब्योरों को दर्शाने वाला विवरण

(ए) मंत्रालय/ विभाग वार पीएमडीपी परियोजनाओं की वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	जीओआई मंत्रालय/ जीओजेएण्डके विभाग	परियोजनाओं की संख्या	पीएमडीपी लागत	संस्वीकृत लागत	निर्गत निधियाँ			प्रयुक्त निधियाँ			के प्रति व्यय प्रतिशत	
					जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	संस्वीकृत लागत	निर्मोचन
	ए. भारत सरकार के विभागों/ अभिकरणों द्वारा निष्पादित परियोजनाएं											
1.	रक्षा मंत्रालय	4	2,147.00	2,203.99	1,845.82	0.00	1,845.82	1,745.82	0.00	1,745.82	79.21	94.58
2.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	14	34,671.00	24,090.49	15,471.07	200.00	15,671.07	15,411.91	200.00	15,611.91	84.81	99.62
3.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	1	4,000.00	3,489.00	90.84	0.00	90.84	14.76	0.00	14.76	0.42	16.25
4.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	3	2,100.00	1,945.41	302.84	0.00	302.84	182.08	0.00	182.08	9.36	60.12
5.	विद्युत मंत्रालय	1	1,115.00	1,788.41	1,699.00	89.42	1,788.42	1,473.42	89.42	1,562.84	87.39	87.39
6.	वस्त्र मंत्रालय	1	50.00	21.81	9.03	0.00	9.03	5.15	0.00	5.15	23.61	57.03
	उप-जोड़ (ए)	**24**	**44,083.00**	**33,539.11**	**19,418.60**	**289.42**	**19,708.02**	**18,833.14**	**289.42**	**19,122.56**	**57.02**	**97.03**
	बी. जीओजेएण्डके के विभागों/ अभिकरणों द्वारा निष्पादित परियोजनाएं											
1.	बागवानी विभाग	3	529.00	500.00	197.89	23.24	221.23	138.82	15.59	154.41	30.88	69.80
2.	वित्त/ योजना विभाग	5	5,428.00	4,841.34	2,936.88	56.28	2,993.15	3,207.28	48.77	3,256.04	67.25	108.78
3.	लोक निर्माण (सड़क और भवन) विभाग	2	6,000.00	356.36	70.58	0.00	70.58	70.58	0.00	70.58	19.81	100.00

क्रं. सं.	जीओआई मंत्रालय/ जीओजेएण्डके विभाग	परियोजनाओं की संख्या	पीएमडीपी लागत	संस्वीकृत लागत	निर्गत निधियाँ			प्रयुक्त निधियाँ			के प्रति व्यय प्रतिशत	
					जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	संस्वीकृत लागत	निर्मोचन
4.	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग	1	900.00	900.00	723.02	0.00	723.02	645.24	0.00	645.24	71.69	89.24
5.	उच्चतर शिक्षा विभाग	1	50.00	50.00	23.75	0.00	23.75	9.06	0.00	9.06	18.12	38.15
6.	आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण विभाग	5	5,213.00	5,207.38	2,482.01	0.00	2,482.01	2,265.71	0.00	2,265.71	43.51	91.29
7.	गृह विभाग	3	1,250.00	1,250.00	1,122.46	28.49	1,150.95	799.60	28.48	828.08	66.25	71.95
8.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	3	2,350.00	343.11	27.80	2.56	30.36	26.16	2.56	28.72	8.37	94.59
9.	विद्युत विकास विभाग	4	8,243.00	5,146.29	1,503.97	131.66	1,635.63	739.32	97.85	837.17	16.27	51.18
10.	ग्रमीण विकास विभाग	1	250.00	1,581.10	232.39	0.00	232.39	134.84	0.00	134.84	8.53	58.02
11.	पर्यटन विभाग	3	2,241.00	650.18	358.27	0.00	358.27	223.10	0.00	223.10	34.31	62.27
12.	आवास और शहरी विकास विभाग	5	1,873.00	2,144.91	604.23	163.21	767.44	357.72	86.55	444.27	20.71	57.89
13.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग	2	1,458.00	399.29	193.86	117.59	311.45	187.39	116.28	303.67	76.05	97.50
14.	युवा सेवाएं और खेल विभाग	1	200.00	200.00	100.05	0.00	100.05	81.95	0.00	81.95	40.98	81.91
	उप-जोड़ (बी)	**39**	**35,985.00**	**23,569.96**	**10,577.16**	**523.03**	**11,100.28**	**8,886.77**	**396.08**	**9,282.84**	**39.38**	**83.63**
	कुल योग	**63**	**80,068.00**	**57,109.07**	**29,995.76**	**812.55**	**30,808.31**	**27,719.91**	**685.50**	**28,405.40**	**49.74**	**92.20**

(स्रोतः जीओजेएण्डके द्वारा जारी पीएमडीपी परियोजनाओं पर अनुवीक्षण प्रतिवेदन)

(बी) विभिन्न अभिकरणों/ विभागों द्वारा निष्पादित पीएमडीपी परियोजनाओं के परियोजना-वार वित्तीय विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना सं.	पीएमडीपी लागत	संस्वीकृत लागत	निर्गत निधियाँ			प्रयुक्त निधियाँ			के प्रति व्यय प्रतिशत	
					जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	संस्वीकृत लागत	निर्मोचन
भारत सरकार के अभिकरणों/ विभागों द्वारा निष्पादित परियोजनाएं												
ए-रक्षा मंत्रालय												
1.	216 पारगमन शिविर का पुनः स्थापन	01	150.00	107.55	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	बीबी कैंट, कलाई ब्रिज, सुखालो ब्रिज, एनएच - 144ए पर पुल के भीतर सड़क और भवनों की विशेष मरम्मत	02	57.00	57.55	51.93	0.00	51.93	51.93	0.00	51.93	90.23	100.00
3.	श्रीनगर-उरी-एलओसी सड़क, कारगिल होते हुए श्रीनगर-लेह सड़क, और उरी-कमान पोस्ट (एलओसी)	03	233.00	1,417.21	1,233.10	0.00	1,233.10	1,233.10	0.00	1,233.10	87.01	100.00
4.	निमू पदम दरचा सड़क	04	1,707.00	621.68	460.79	0.00	460.79	460.79	0.00	460.79	74.12	100.00
	उप-जोड़		**2,147.00**	**2,203.99**	**1,845.82**	**0.00**	**1,845.82**	**1,745.82**	**0.00**	**1,745.82**	**79.21**	**94.58**
बी-सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय												
5.	भारत माला के अंतर्गत शुरू की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाएं	05	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना सं.	पीएमडीपी लागत	संस्वीकृत लागत	निर्गत निधियाँ			प्रयुक्त निधियाँ			के प्रति व्यय प्रतिशत	
					जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	संस्वीकृत लागत	निर्मोचन
6.	जोजिला सुरंग	06	9,090.00	6,808.69	23.75	0.00	23.75	20.86	0.00	20.86	0.31	87.83
7.	लेचुलंग और तांगलांग दर्रों में सुरंग	07	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
8.	जम्मू-अखनूर-पुंछ सड़क	08	5,100.00	918.90	74.75	0.00	74.75	26.98	0.00	26.98	2.94	36.09
9.	चेनानी-शुद्ध महादेव-गोहा सड़क	09	2,100.00	255.90	12.01	0.00	12.01	3.51	0.00	3.51	1.37	29.23
10.	बटोट-किश्तवाड़-सिम्थन दर्रा-अनंतनाग सड़क	10	130.00	130.00	130.00	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	100.00	100.00
11.	सेमी रिंग सड़क जम्मू	11	1,400.00	1,891.00	420.27	70.00	490.27	420.27	70.00	490.27	25.93	100.00
12.	सेमी रिंग सड़क श्रीनगर	12	1,860.00	1,860.00	462.92	130.00	592.92	462.92	130.00	592.92	31.88	100.00
13.	जम्मू-ऊधमपुर सेक्शन (15 से 67 किमी)	13	83.00	1,814.00	2,638.00	0.00	2,638.00	2,638.00	0.00	2,638.00	145.42	100.00
14.	ऊधमपुर-रामबन रोड (67 से 89, 130 से 151 किमी)	14	2,137.00	2,137.00	1,123.60	0.00	1,123.60	1,123.60	0.00	1,123.60	52.58	100.00
15.	सुरंग परियोजना: चेनानी नाशरी सेक्शन (89 से 130 किमी)	15	781.00	2,519.00	4,703.90	0.00	4,703.90	4,703.90	0.00	4,703.90	186.74	100.00

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना सं.	पीएमडीपी लागत	संस्वीकृत लागत	निर्गत निधियाँ			प्रयुक्त निधियाँ			के प्रति व्यय प्रतिशत	
					जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	संस्वीकृत लागत	निर्मोचन
16.	रामबन बनिहाल सड़क (151 से 187 किमी)	16	2,169.00	2,169.00	462.31	0.00	462.31	462.31	0.00	462.31	21.31	100.00
17.	श्रीनगर बनिहाल सेक्शन (187 से 189.35 किमी और 220.70 से 286.11 किमी)	17	735.00	1,600.00	2,834.37	0.00	2,834.37	2,834.37	0.00	2,834.37	177.15	100.00
18.	सुरंग परियोजना: काजीगुंड-बनिहाल सेक्शन (189.35 से 204.70 किमी)	18	1,386.00	1,987.00	2,585.19	0.00	2,585.19	2,585.19	0.00	2,585.19	130.11	100.00
	उप-जोड़		**34,671.00**	**24,090.49**	**15,471.07**	**200.00**	**15,671.07**	**15,411.91**	**200.00**	**15,611.91**	**64.81**	**99.52**
सी-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय												
19.	एआईआईएमएस जैसे दो संस्थानों का सृजन (ए) एआईआईएमएस जम्मू	19	2,000.00	1,661.00	48.34	0.00	48.34	12.47	0.00	12.47	0.75	25.80
	(बी) एआईआईएमएस कश्मीर		2,000.00	1,828.00	42.50	0.00	42.50	2.29	0.00	2.29	0.13	5.39
	उप-जोड़		**4,000.00**	**3,489.00**	**90.84**	**0.00**	**90.84**	**14.76**	**0.00**	**14.76**	**0.88**	**31.19**

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना सं.	पीएमडीपी लागत	संस्वीकृत लागत	निर्गत निधियाँ			प्रयुक्त निधियाँ			के प्रति व्यय प्रतिशत	
					जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	संस्वीकृत लागत	निर्मोचन
डी- मानव संसाधन विकास मंत्रालय												
20.	आईआईएम जम्मू (घाटी में बाहरी कैम्पस की संभावना के साथ)	20	1,000.00	561.47	61.90	0.00	61.90	61.90	0.00	61.90	11.02	100.00
21.	जम्मू में आईआईटी	21	1,000.00	1,283.94	240.94	0.00	240.94	85.00	0.00	85.00	6.62	35.28
22.	एनआईटी श्रीनगर का आधुनिकीकरण	22	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	35.18	0.00	35.18	35.18	
	उप-जोड़		**2,100.00**	**1,945.41**	**302.84**	**0.00**	**302.84**	**182.08**	**0.00**	**182.08**	**9.36**	**60.12**
ई-विद्युत मंत्रालय												
23.	श्रीनगर लेह 220 केवी ट्रांसमिशन लाइन	23	1,115.00	1,788.41	1,699.00	89.42	1,788.42	1,473.42	89.42	1,562.84	87.39	87.39
	उप-जोड़		**1,115.00**	**1,788.41**	**1,699.00**	**89.42**	**1,788.42**	**1,473.42**	**89.42**	**1,562.84**	**87.39**	**87.39**
एफ-वस्त्र मंत्रालय												
24.	पश्मीना संवर्धन कार्यक्रम	24	50.00	21.81	9.03	0.00	9.03	5.15	0.00	5.15	2.61	57.03
	उप-जोड़		**50.00**	**21.81**	**9.03**	**0.00**	**9.03**	**5.15**	**0.00**	**5.15**	**2.61**	**57.03**
	कुल जीओआई		**44,083.00**	**33,539.11**	**19,418.60**	**289.42**	**19,708.02**	**18,833.14**	**289.42**	**19,122.56**	**57.02**	**97.03**

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना सं.	पीएमडीपी लागत	संस्वीकृत लागत	निर्गत निधियाँ			प्रयुक्त निधियाँ			के प्रति व्यय प्रतिशत	
					जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	संस्वीकृत लागत	निर्मोचन
राज्य सरकार/ अभिकरणों द्वारा निष्पादित परियोजनाएं												
ए- बागवानी विभाग												
25.	क्षतिग्रस्त बागवानी क्षेत्रों का पुनः स्थापन और जेएण्डके में बागवानी का विकास	25	500.00	500.00	197.89	22.34	220.23	138.82	15.23	154.05	30.81	69.95
26.	सोलर ड्राइअर्स की स्थापना हेतु 50 प्रतिशत सब्सिडी सहायता	26	20.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.36	0.36		72.00
27.	लेह और कारगिल में शीत भण्डारण की सुविधा	27	9.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00		0.00
	उप-जोड़		**529.00**	**500.00**	**197.89**	**23.34**	**221.23**	**138.82**	**15.59**	**154.41**	**30.88**	**69.80**
बी-वित्त/ योजना विभाग												
28.	व्यापारियों/ स्व-नियोजित/ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों इत्यादि के लिए आजीविका के पुनः स्थापन हेतु सहायता पर ब्याज संसहायिकी	28	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	100.00	100.00

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना सं.	पीएमडीपी लागत	संस्वीकृत लागत	निर्गत निधियाँ			प्रयुक्त निधियाँ			के प्रति व्यय प्रतिशत	
					जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	संस्वीकृत लागत	निर्मोचन
29.	क्षतिग्रस्त अवसंरचना का स्थायी पुनः स्थापन	29	2,000.00	1,263.34	1,176.34	0.00	1,178.34	1,448.75	0.00	1,448.74	114.68	122.95
30.	जेएण्डके शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम की ईएपी परियोजना	30	712.00	712.00	622.28	0.00	622.28	622.28	0.00	622.28	87.40	100.00
31.	प्रतिस्थानी वित्तपोषण एडीबी-II	31	566.00	566.00	313.96	0.00	313.96	313.96	0.00	313.96	55.47	100.00
32.	जेटीएफआरपी हेतु विश्व बैंक सहायता का 90 प्रतिशत अनुदान भाग	32	1,350.00	1,500.00	22.30	56.28	78.57	22.30	48.77	71.06	4.74	90.44
	उप-जोड़		**5,428.00**	**4,841.34**	**2,934.88**	**56.28**	**2,993.15**	**3,207.29**	**48.77**	**3,256.04**	**67.25**	**108.78**
सी- लोक निर्माण (सड़क और भवन) विभाग												
33.	श्रीनगर-शोपियां-काजीकुंड	33	1,800.00	161.91	3.58	0.00	3.58	3.58	0.00	3.58	2.21	100.00
34.	कारगिल जांस्कर सड़क	34	4,200.00	194.45	67.00	0.00	67.00	67.00	0.00	67.00	34.46	100.00
	उप-जोड़		**6,000.00**	**356.36**	**70.58**	**0.00**	**70.58**	**70.58**	**0.00**	**70.58**	**19.81**	**100.00**

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना सं.	पीएमडीपी लागत	संस्वीकृत लागत	निर्गत निधियाँ			प्रयुक्त निधियाँ			के प्रति व्यय प्रतिशत	
					जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	संस्वीकृत लागत	निर्मोचन
डी- स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग												
35.	पाँच सालों से जिला अस्पतालों, उप डीएच और पीएचसी में अवसंरचना का सृजन	35	900.00	900.00	723.02	0.00	723.02	645.24	0.00	645.24	71.69	89.24
	उप-जोड़		**900.00**	**900.00**	**723.02**	**0.00**	**723.02**	**645.24**	**0.00**	**645.24**	**71.69**	**89.24**
ई- उच्चतर शिक्षा विभाग												
36.	उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में अतिरिक्त बालिका छात्रावास	36	50.00	50.00	23.75	0.00	23.75	9.06	0.00	9.06	18.12	38.15
	उप-जोड़		**50.00**	**50.00**	**23.75**	**0.00**	**23.75**	**9.06**	**0.00**	**9.06**	**18.12**	**38.15**
एफ-आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण विभाग												
37.	पूर्णतः क्षतिग्रस्त/ अति क्षतिग्रस्त/ आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए सहायता	37	1,200.00	1,194.38	1,194.85	0.00	1,194.85	1,043.55	0.00	1,043.55	87.37	87.34
38.	अतिरिक्त 3,000 कश्मीरी प्रवासियों को राज्य सरकारी नौकरियाँ	38	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39.	कश्मीर घाटी में 6,000 पारगमन आवासों का निर्माण	39	920.00	920.00	115.00	0.00	115.00	50.00	0.00	50.00	5.43	43.48

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना सं.	पीएमडीपी लागत	संस्वीकृत लागत	निर्गत निधियाँ			प्रयुक्त निधियाँ			के प्रति व्यय प्रतिशत	
					जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	संस्वीकृत लागत	निर्मोचन
40.	जम्मू प्रवासियों के लिए पुनर्वास पैकेज	40	13.00	13.00	13.00	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	100.00	100.00
41.	पीओजेके और छम्ब से विस्थापित व्यक्तियों के 36,384 परिवारों को एकबार बसने हेतु पुनर्वास पैकेज	41	2,000.00	2,000.00	1,159.16	0.00	1,159.16	1,159.16	0.00	1,159.16	57.96	100.00
	उप-जोड़		**5,213.00**	**5,207.38**	**2,482.01**	**0.00**	**2,482.01**	**2,265.71**	**0.00**	**2,265.71**	**43.51**	**91.29**
जी-गृह विभाग												
42.	जम्मू एवं कश्मीर में हाई एण्ड सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था प्रणाली	42	500.00	500.00	501.85	0.00	501.86	261.95	0.00	261.95	52.39	52.20
43.	आईआर बटालियन (जेएण्डके में 5)	43	300.00	300.00	170.60	28.49	199.09	87.65	28.48	116.13	38.71	58.33
44.	एसपीओ को ₹3,000 प्रति माह से ₹6,000 प्रति माह तक पारिश्रमिक की बढ़ी दर	44	450.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	100.00	100.00
	उप-जोड़		**1,250.00**	**1,250.00**	**1,122.45**	**28.49**	**1,150.95**	**799.60**	**28.48**	**828.08**	**66.25**	**71.95**

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना सं.	पीएमडीपी लागत	संस्वीकृत लागत	निर्गत निधियाँ			प्रयुक्त निधियाँ			के प्रति व्यय प्रतिशत	
					जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	संस्वीकृत लागत	निर्मोचन
एच-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग												
45.	लेह और कारगिल प्रत्येक में 20 एमडब्ल्यू की दो सौर पायलट परियोजनाएं	45	250.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
46.	सौर ऑफ-ग्रिड होम सिस्टम/ स्ट्रीट लाइट	46	100.00	95.66	24.22	2.56	26.78	24.22	2.56	26.78	27.99	99.99
47ए.	लघु जल विद्युत परियोजनाएं (ए) 10 एमडब्ल्यू तक की परियोजनाएं	47ए	1,000.00	7.45	3.58	0.00	3.58	1.94	0.00	1.94	26.04	54.19
47बी.	(बी) 10 एमडब्ल्यू से अधिक 25 एमडब्ल्यू तक की परियोजनाएं	47बी	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	उप-जोड़		**2,350.00**	**343.11**	**27.80**	**2.56**	**30.36**	**26.16**	**2.56**	**28.72**	**8.37**	**94.59**
आई-विद्युत विकास विभाग												
48.	पकल डल परियोजना (4 x 250 = 100 एमडब्ल्यू) - जेएण्डके का अंश	48	4,153.00	1,192.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	41.95	100.00

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना सं.	पीएमडीपी लागत	संस्वीकृत लागत	निर्गत निधियाँ			प्रयुक्त निधियाँ			के प्रति व्यय प्रतिशत	
					जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	संस्वीकृत लागत	निर्मोचन
49.	ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क पर पीएमआरपी-2004 परियोजना के तहत मूल्य वृद्धि	49	195.00	194.56	130.00	0.00	130.00	65.85	0.00	65.85	31.85	50.65
50.	वितरण: वितरण प्रणाली के लिए अवसंरचना के संवर्धन हेतु विशेष सहायता	50	3,790.00	3,491.93	873.97	131.66	1,005.63	173.47	97.85	271.32	7.77	26.98
51.	वितरण: अग्रिम प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप: स्मार्ट ग्रिड और स्मार्ट मीटर	51	105.00	267.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	उप-जोड़		**8,243.00**	**5,146.29**	**1,503.97**	**131.66**	**1,635.63**	**739.32**	**97.85**	**837.17**	**16.27**	**51.18**

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना सं.	पीएमडीपी लागत	संस्वीकृत लागत	निर्गत निधियाँ			प्रयुक्त निधियाँ			के प्रति व्यय प्रतिशत	
					जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	संस्वीकृत लागत	निर्मोचन
जे-ग्रामीण विकास विभाग												
52.	हिमायत योजना के अंतर्गत वर्धक प्रयास, 1,00,000 युवा प्रशिक्षित किए जाने थे	52	250.00	1,581.00	232.39	0.00	232.39	134.84	0.00	134.84	8.53	58.02
	उप-जोड़		**250.00**	**1,581.00**	**232.39**	**0.00**	**232.39**	**134.84**	**0.00**	**134.84**	**8.53**	**58.02**
के-पर्यटन विभाग												
53.	राज्य में पर्यटन का विकास- नयी परियोजनाएं	53	2,000.00	470.48	227.88	0.00	227.88	134.51	0.00	134.51	28.59	59.03
54.	क्षतिग्रस्त/ नष्ट परिसंपत्तियों के बदले में सरकारी पर्यटक परिसंपत्तियों का निर्माण	54	100.00	98.70	74.70	0.00	74.70	45.09	0.00	45.09	45.68	60.36

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना सं.	पीएमडीपी लागत	संस्वीकृत लागत	निर्गत निधियाँ			प्रयुक्त निधियाँ			के प्रति व्यय प्रतिशत	
					जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	संस्वीकृत लागत	निर्मोचन
55ए.	(ए) 12 विकास प्राधिकरण, 3 पर्यटक सर्किट्स, पीएमआरपी 2004 के अंतर्गत प्रस्तावित 50 पर्यटक गांवों की स्थापना और	55ए	81.00	81.00	55.69	0.00	55.69	43.50	0.00	43.50	53.70	78.11
55बी.	(बी) वूलर झील का संरक्षण	55बी	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	उप-जोड़		**2,241.00**	**650.18**	**358.27**	**0.00**	**358.27**	**223.10**	**0.00**	**223.10**	**34.31**	**62.27**
एल-आवास एवं शहरी विकास विभाग												
56.	एएमआरयूटी	56	744.00	593.05	265.15	45.25	310.40	221.00	29.00	250.00	42.15	80.54
57.	स्मार्ट सिटीज मिशन	57	500.00	1,000.00	106.00	40.00	146.00	23.19	0.00	23.19	2.32	15.88
58.	स्वच्छ भारत अभियान	58	193.00	151.63	105.85	74.96	180.81	38.35	54.55	92.90	61.27	51.38
59.	चालू जेएनएनयूआरएम परियोजनाओं की शेष केन्द्रीय अंश देयता	59	163.00	127.23	127.23	3.00	130.23	75.18	3.00	78.18	61.45	60.03
60.	डल-नागिन झील का पुनर्वास	60	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	उप-जोड़		**1,873.00**	**2,144.91**	**604.23**	**163.21**	**767.44**	**357.72**	**86.55**	**444.27**	**20.71**	**57.89**

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना सं.	पीएमडीपी लागत	संस्वीकृत लागत	निर्गत निधियाँ			प्रयुक्त निधियाँ			के प्रति व्यय प्रतिशत	
					जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	जीओआई अंश	जीओजेएण्डके अंश	कुल	संस्वीकृत लागत	निर्मोचन
एम-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग												
61	झेलम नदी और इसकी सहायक नदियों के व्यापक बाढ़ प्रबंधन हेतु योजना चरण I	61	280.00	399.29	193.86	93.59	287.45	187.39	93.49	280.88	70.34	97.71
62	झेलम नदी और इसकी सहायक नदियों के व्यापक बाढ़ प्रबंधन हेतु योजना चरण II	62	1,178.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	22.79	22.79		94.96
	उप-जोड़		**1,458.00**	**399.29**	**193.86**	**117.59**	**311.45**	**187.39**	**116.28**	**303.67**	**76.05**	**97.50**
एन-युवा सेवाएं एवं खेल विभाग												
63	खेल अवसंरचना, कोचों/ प्रशिक्षकों की सुविधाओं इत्यादि हेतु सहायता	63	200.00	200.00	100.05	0.00	100.05	81.95	0.00	81.95	40.98	81.91
	उप-जोड़		**200.00**	**200.00**	**100.05**	**0.00**	**100.05**	**81.95**	**0.00**	**81.95**	**40.98**	**81.91**
	कुल राज्य		**35,985.00**	**23,569.96**	**10,577.16**	**523.13**	**11,100.29**	**8,886.77**	**396.00**	**9,282.84**	**39.38**	**83.63**
	कुल योग		**80,068.00**	**57,109.07**	**29,995.76**	**812.55**	**30,808.31**	**27,719.91**	**685.50**	**28,405.40**	**49.74**	**92.20**

(स्रोतः जीओजेएण्डके द्वारा जारी पीएमडीपी परियोजनाओं पर अनुवीक्षण प्रतिवेदन)

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भित पैराग्राफ: 1.4, 5.2.3 एवं 5.5.1)

चयनित पीएमडीपी परियोजनाओं के लेखापरीक्षा नमूना चयन

योजना का नाम	कार्यान्वयन अभिकरण	चयनित जिले/ इकाइयाँ	प्रतिचयन कार्यविधि
मानवीय राहत परियोजनाओं हेतु लेखापरीक्षा नमूना			
पूर्णतः क्षतिग्रस्त/ अति क्षतिग्रस्त/ आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए सहायता-लगभग 73,000 कच्चे घर और 1,58,000 पक्के घर	आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण विभाग, जेएण्डके	सात जिले अर्थात् (1) श्रीनगर (2) बडगाम (3) बारामूला (4) बांदीपोरा (5) जम्मू (6) राजौरी (7) पुंछ। इसके अतिरिक्त, इन सात चयनित जिलों में 69 तहसीलों/ एसडीएम[1] में से 25 तहसीलों/ एसडीएम को लेखापरीक्षा में कवर किया गया था और इन 25 चयनित तहसीलों/ एसडीएम में 0.95 लाख क्षतिग्रस्त घरों में से 0.14 लाख (15 प्रतिशत) के संबंध में प्रतिकर के भुगतान संबंधी अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी थी	जिलों का चयन प्रतिचयन निर्णय के आधार पर किया गया था तथा हितभागियों का चयन व्यवस्थित नमूना चयन विधि का प्रयोग करते हुए यादृच्छिक प्रतिचयन के आधार पर किया गया था
जम्मू प्रवासियों के लिए पुनर्वास पैकेज	आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण विभाग, जेएण्डके	रियासी, जम्मू, ऊधमपुर	चयनात्मक (निर्णय) प्रतिचयन विधि
पीओजेके और छम्ब से विस्थापित व्यक्तियों के 36,384 परिवारों को एकबार बसने हेतु पुनर्वास पैकेज	आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण विभाग, जेएण्डके	पीआरओ जम्मू और डीसी जम्मू	चयनात्मक (निर्णय) प्रतिचयन विधि
व्यापारियों/ स्व-नियोजित/ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों इत्यादि के लिए आजीविका के पुनः स्थापन हेतु सहायता पर ब्याज संसहायिकी	वित्त विभाग, जेएण्डके	जेएण्डकेएसएलबीसी, वित्त विभाग, निदेशक पर्यटन, सीएम सचिवालय, संबंधित डीसी	चयनात्मक (निर्णय) प्रतिचयन विधि
आईआर बटालियन (जेएण्डके में पाँच लगभग ₹60 करोड़ प्रति बटालियन की लागत पर)	गृह विभाग, जेएण्डके	सभी पाँच आईआर बटालियन	100 प्रतिशत जाँच की गयी
संकट प्रबंधन परियोजनाओं हेतु लेखापरीक्षा नमूना			
उच्चतर शिक्षा में अतिरिक्त बालिका छात्रावास	जेएण्डके आवास बोर्ड, जेएण्डके पुलिस आवास निगम	जम्मू, राजौरी, भद्रवाह, बेमिना श्रीनगर और कारगिल में पाँच जीडीसी	व्यय और सामाजिक कारको के आधार पर गैर-संभाव्यता (चयनात्मक) प्रतिचयन विधि
जम्मू एवं कश्मीर में हाई एन्ड सुरक्षा तथा कानून-व्यवस्था प्रणाली	गृह विभाग	प्रशासनिक सचिव गृह विभाग और डीजीपी जेएण्डके	व्यय के आधार चयनात्मक प्रतिचयन विधि
झेलम नदी और इसकी सहायक नदियों के व्यापक बाढ़ प्रबंधन हेतु योजना (चरण-I)	मुख्य अभियंता, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग, श्रीनगर (कश्मीर)	मुख्य अभियंता आईएण्डएफसी विभाग और छह कार्यान्वयन प्रभाग	व्यय के आधार चयनात्मक प्रतिचयन विधि
क्षतिग्रस्त अवसंरचना का स्थायी पुनः स्थापन	20 विभाग/ अभिकरण	सात विभाग अर्थात् आरएण्डबी, आईएण्डएफसी, पीएचई, विद्यालय शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, संपदाएं और उद्योग एवं वाणिज्य	व्यय के आधार चयनात्मक प्रतिचयन विधि

[1] श्रीनगर जिले में तीन तहसीलें/ एसडीएम (उत्तर, दक्षिण और केन्द्रीय), बडगाम जिले में तीन तहसीलें/ एसडीएम (बडगाम, बी.के. पोरा और नरबाल), बारामूला जिले में चार तहसीलें/ एसडीएम (पट्टन, सोपोर, खोई और उरी), बांदीपोरा जिले में दो तहसीलें/ एसडीएम (हाजन और सुंबल), राजौरी जिले में तीन तहसीलें/ एसडीएम (राजौरी, थानामंडी और सुंदरबनी), पुंछ जिले में दो तहसीलें/ एसडीएम (हवेली और पुंछ) तथा जम्मू जिले में आठ तहसीलें/ एसडीएम (दक्षिण जम्मू, मंडल, खौर, चौकी चौरा, मरह, पर्गवाल, खारा बली और मायरा मैंद्रेयां)।

योजना का नाम	कार्यान्वयन अभिकरण	चयनित जिले/ इकाइयाँ	प्रतिचयन कार्यविधि
सामाजिक अवसंरचना परियोजनाओं हेतु लेखापरीक्षा नमूना			
हिमायत योजना के अंतर्गत वर्धक प्रयास, पाँच वर्षों में स्थानन संबद्ध योजना के माध्यम से एक लाख युवा स्व-रोजगार में प्रशिक्षित किए जाने थे	ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार हिमायत मिशन प्रबंधन इकाई (एचएमएमयू) के माध्यम से, जम्मू एवं कश्मीर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (जेकेएसआरएलएम)	प्रशासनिक सचिव, सीईओ हिमायत मिशन और 54 प्रशिक्षण केन्द्रों में से 14 प्रशिक्षण केन्द्र (जम्मू: 6; कश्मीर: 6 और दिल्ली: 2)	सामान्य यादृच्छिक प्रतिचयन
एसपीओ को ₹3,000 प्रति माह से ₹6,000 प्रति माह तक पारिश्रमिक की बढ़ी हुयी दर	प्रधान सचिव, गृह विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार के अधीन पुलिस महानिदेशक इसके कार्यान्वयन अभिकरण अर्थात् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी)/ पुलिस अधीक्षक (एसपी) इत्यादि के माध्यम से पर्यवेक्षण	विभाग की 20 कार्यान्वयन इकाइयाँ (79 इकाइयों में से)	इकाइयों में एसपीओ की संख्या पर आधारित चयनात्मक प्रतिचयन
विकास परियोजनाओं हेतु लेखापरीक्षा नमूना			
जम्मू एवं कश्मीर में पुनर्नवीकरण और शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन (एएमआरयूटी)	शहरी स्थानीय निकाय, जेएण्डके मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), लेह	चार मिशन शहर (श्रीनगर, जम्मू, लेह और अनंतनाग)	व्यय और सामाजिक कारकों के आधार पर चयनात्मक प्रतिचयन विधि
जम्मू एवं कश्मीर राज्य के लिए चालू जेएनएनयूआरएम परियोजनाओं की शेष केन्द्रीय अंश देयता	मुख्य कार्यपालक अधिकारी लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (एलएएचडीसी), लेह, निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, कश्मीर एवं जम्मू राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम	श्रीनगर, डोडा और लेह शहरों में पाँच उप-परियोजनाएं	व्यय और सामाजिक कारकों के आधार पर चयनात्मक प्रतिचयन विधि
जेएण्डके शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम की ईएपी परियोजना पीएमआरपी-2004 के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं का समापन: प्रतिरूप वित्तपोषण एडीबी-II	जम्मू एवं कश्मीर आर्थिक पुनर्निर्माण अभिकरण (जेकेईआरए)	जम्मू एवं कश्मीर के शहरों में निष्पादित 44 में से 15 उप-परियोजनाएं	व्यय और जोखिम कारकों के आधार पर चयनात्मक प्रतिचयन विधि
क्षतिग्रस्त/ नष्ट परिसंपत्तियों के बदले में सरकारी पर्यटक परिसंपत्तियों का निर्माण	जम्मू एवं कश्मीर केबल कार निगम लिमिटेड, जम्मू एवं कश्मीर आवास बोर्ड (जेकेएचबी), झील एवं जलमार्ग विकास प्राधिकरण, निदेशक पर्यटन कश्मीर, निदेशक पर्यटन जम्मू, निदेशक पुष्प कृषि कश्मीर, एसकेआईसीसी, चार विकास प्राधिकरण (गुलमर्ग, राजौरी, पुंछ और सुरिनसर-मानसर)	23 नमूना उप-परियोजनाओं में से 11 उप-परियोजनाएं	परियोजना लागत/ व्यय और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर चयनात्मक प्रतिचयन विधि

परिशिष्ट 2.3.1

(संदर्भित पैराग्राफ: 2.3.5)

अक्टूबर 2007 में पंजीकृत परंतु मई 2004 से सितंबर 2007 की अवधि हेतु प्रदत्त बकाया वाले जम्मू प्रवासियों के ब्योरो को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	प्रवासी परिवार के मुखिया का नाम	पिता/ पति का नाम	प्रदत्त बकाया (राशि ₹ में)
1.	अब्दुल रजाक़	अहमद गनी	1,61,584
2.	आशा देवी	बिशन सिंह की विधवा	1,16,797
3.	बलबीर सिंह	ठाकुर दास	1,57,974
4.	बंटी देवी	नंदलाल की विधवा	79,231
5.	बिमला देवी	मंगत राम	1,16,797
6.	बिशन सिंह	गणेश	1,54,360
7.	ब्रीत सिंह	तेज राम	1,61,584
8.	चुन्नी लाल	प्रेम नाथ	1,68,803
9.	दुर्गा दास	डोलो	1,57,974
10.	फकीर मोहम्मद	खुदा बक्श	1,54,360
11.	गुलाब सिंह	लक्षा	1,65,193
12.	गुलाम हुसैन	राजवाह	1,61,584
13.	हेम राज	तेज राम	1,79,634
14.	ईशर सिंह	राम चंद	1,57,974
15.	जसवंत सिंह	चुन्नी लाल	1,54,360
16.	जोध राम	तेज राम	1,65,803
17.	कल्याण सिंह	लाल चंद	1,57,974
18.	कृष्ण लाल	लाल चंद	1,65,193
19.	कृष्ण लाल	सुखी राम	1,57,974
20.	कृष्ण सिंह	करतार सिंह	1,65,193
21.	कृष्ण सिंह	तेज राम	1,54,360
22.	कृष्ण सिंह	जय सिंह	1,57,974
23.	लाल सिंह	लक्ष्मण	1,54,360
24.	मंगत राम	सुखी राम	1,54,360
25.	मिलाप सिंह	बोध राज	1,57,974
26.	मोहन लाल	राम कृष्ण	1,57,974
27.	मोहम्मद हनीफ	जंगा	1,72,413
28.	मोहम्मद हुसैन	फतेह दिन	1,68,803
29.	मोहम्मद हुसैन	जंगा	1,65,193
30.	मोहिन्दर पॉल	शिव राम	1,61,584
31.	मोहम्मद खलील	शेर खान	1,90,459
32.	नारायण सिंह	लाल मन	1,61,584
33.	ओम सिंह	ठाकुर दास	1,57,974
34.	ओमकार सिंह	ध्यान सिंह	1,54,360

क्र. सं.	प्रवासी परिवार के मुखिया का नाम	पिता/ पति का नाम	प्रदत्त बकाया (राशि ₹ में)
35.	परलाद सिंह	बंशी लाल	1,16,797
36.	पंजाब सिंह	गोटा ठाकुर	1,65,193
37.	राम सरन	चत्रू	1,54,360
38.	राम सिंह	चुन्नी लाल	1,57,974
39.	संजा सिंह कटोच	शेर सिंह	1,57,974
40.	संतोषा देवी	नसीब सिंह की विधवा	1,16,797
41.	शाबिल सिंह	लखू	1,61,584
42.	शाम सिंह	गोगर सिंह	1,54,360
43.	शेर सिंह	अमर नाथ	1,57,974
44.	शेर सिंह	दिलमनी	1,57,974
45.	सोबा राम	अनंत राम	1,65,193
46.	सुनीत सिंह	ठाकुर दास	1,61,584
47.	सुरम देवी	शिव राम	1,61,584
48.	स्वामी राज	राम दास	1,16,797
49.	विजय कुमारी	राम दास	1,16,797
	कुल		**75,52,660**

(स्रोत: तहसीलदार ऊधमपुर के विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट 2.4.1
(संदर्भित पैराग्राफ: 2.4.6)
सहायता के अदेय/ गलत भुगतानों को दर्शाने वाला विवरण

(राशि ₹ में)

क्रं. सं.	फाइल संख्या	पितृत्व सहित विस्थापित व्यक्ति का नाम	राशि	क्रं. सं.	फाइल संख्या	पितृत्व सहित विस्थापित व्यक्ति का नाम	राशि
1.	13610	मतवाल सिंह पुत्र हीरा	55,000	21.	14942	म्यान सिंह पुत्र मदन सिंह	1,83,230
	15759	मतवाल सिंह पुत्र हीरा सिंह			15800	म्यान सिंह पुत्र मदन सिंह	
2.	33	रघुबीर सिंह पुत्र गैंडा सिंह	5,49,692	22.	4735	ईशर सिंह पुत्र सुंदर सिंह	5,49,692
	6558	रघुबीर सिंह पुत्र गैंडा सिंह	0		9000	ईशर सिंह पुत्र सुंदर सिंह	
3.	2851	ज्ञान चंद पुत्र देवी दास	5,49,692	23.	4606	शाम लाल पुत्र राम चंद	1,83,230
	7629	ज्ञान चंद पुत्र देवी दास	5,49,692		17925	शाम लाल पुत्र राम चंद	
4.	1454	हरनाम सिंह पुत्र जगत सिंह	5,49,692	24.	14486	ओम प्रकाश पुत्र बेली राम	5,49,692
	18161	हरनाम सिंह पुत्र जगत सिंह	5,49,692		17666	ओम प्रकाश पुत्र बेली राम	5,49,692
5.	2299	चुन्नी लाल पुत्र बेली राम	0	25.	17817	नेतर सिंह पुत्र गुरदित सिंह	3,66,461
	17087	चुन्नी लाल पुत्र बेली राम	5,49,692		18431	नेतर सिंह पुत्र गुरदित सिंह	0
6.	3244	फकीर चंद पुत्र नारायण दास	0	26.	4932	तेजा सिंह पुत्र किशन सिंह	0
	16539	फकीर चंद पुत्र नारायण दास	5,49,692		17077	तेजा सिंह पुत्र किशन सिंह	5,49,692
7.	2425	कस्तूरी लाल पुत्र सुंदर दास	5,49,692	27.	14076	साधु सिंह पुत्र हरि सिंह	0
	11603	कस्तूरी लाल पुत्र सुंदर दास	5,49,692		14654	साधु सिंह पुत्र हरि सिंह	5,49,692
8.	8882	इंदर चंद पुत्र राम किशन	1,83,230	28.	12484	बलवंत सिंह पुत्र ईशर सिंह	1,83,230
	9192	इंदर चंद पुत्र राम किशन	3,66,461		17528	बलवंत सिंह पुत्र ईशर सिंह	
9.	9543	भगवान सिंह पुत्र काहन सिंह	1,83,230	29.	15008	बाला राम पुत्र सोहन लाल	0
	18063	भगवान सिंह पुत्र काहन सिंह			15050	बाला राम पुत्र सोहन लाल	4,12,269
10.	3938	ज्ञान चंद पुत्र शाम दास	5,49,692	30.	9222	हरनाम सिंह पुत्र छत्तर सिंह	0
	16270	ज्ञान चंद पुत्र शाम दास	5,49,692		15894	हरनाम सिंह पुत्र छत्तर सिंह	5,49,692
11.	18200	गुरबक्श सिंह पुत्र भोला सिंह	2,74,846	31.	13329	किशन सिंह पुत्र दिवान सिंह	5,49,692
	18209	गुरबक्श सिंह पुत्र भोला सिंह	2,74,846		16379	किशन सिंह पुत्र दिवान सिंह	
12.	11747	ज्ञान सिंह पुत्र हीरा सिंह	5,49,692	32.	9086	दौलत राम पुत्र अमीर चंद	0
	9980	ज्ञान सिंह पुत्र हीरा सिंह			15108	दौलत राम पुत्र अमीर चंद	5,49,692
13.	9836	हीरा सिंह पुत्र लाल सिंह	5,49,692	33.	3669	मूल सिंह पुत्र भोला सिंह	5,49,692
	10855	हीरा सिंह पुत्र लाल सिंह			14091	मूल सिंह पुत्र भोला सिंह	
14.	8481	रघबीर सिंह पुत्र करतार सिंह	5,49,692	34.	10273	जगत राम पुत्र मोती राम	0
	10157	रघबीर सिंह पुत्र करतार सिंह			15472	जगत राम पुत्र मोती राम	1,83,230
15.	358	जगत राम पुत्र शिव राम	5,49,692	35.	10993	अमर नाथ पुत्र कालू राम	1,83,230
	4168	जगत राम पुत्र शिव राम	5,49,692		15104	अमर नाथ पुत्र कालू राम	0
16.	1464	नानक चंद पुत्र गोपी चंद	5,49,692	36.	15808	अतर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह	1,83,230
	3063	नानक चंद पुत्र गोपी चंद			16428	अतर सिंह पुत्र प्रीतम सिंह	0
17.	15341	जय किशन पुत्र ठाकुर दास	2,74,846	37.	14840	किरपाल सिंह पुत्र ईशर सिंह	5,49,692
	16232	जय किशन पुत्र ठाकुर दास	2,74,846		18566	किरपाल सिंह पुत्र ईशर सिंह	5,49,692
18.	10552	राम चंद पुत्र जगत राम	5,49,692	38.	2137	सुंदर दास पुत्र गोकुल चंद	0
	14081	राम चंद पुत्र जगत राम			14492	सुंदर दास पुत्र गोकुल चंद	5,49,692
19.	6099	रूप सिंह पुत्र मूल सिंह	2,74,846	39.	5351	सैन दास पुत्र राम चंद	5,49,692
	14914	रूप सिंह पुत्र मूल सिंह	2,74,846		18601	सैन दास पुत्र राम चंद	5,49,692
20.	15160	पूरन चंद पुत्र बाला राम	78,527	40.	3613	स्वर्गीय बेली राम की विधवा इशरो	5,49,692
	18477	पूरन चंद पुत्र बाला राम			12636	स्वर्गीय बेली राम की विधवा इशरो	5,49,692
					कुल		**2,30,83,162**

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट 2.4.2

(संदर्भित पैराग्राफ: 2.4.7)

प्रकरण-1: दावेदार द्वारा तथ्य की अन्यथा प्रस्तुति

फाइल संख्या	पितृत्व सहित विस्थापित व्यक्ति का नाम (आवेदक के अनुसार पीओजेके पता)	प्रपत्र ए के अनुसार परिवार-विवरण	लेजर रजिस्टर के अनुसार परिवार-विवरण	वर्तमान में परिवार-विवरण	अभ्युक्तियाँ	निष्कर्ष
11295	बद्री नाथ पुत्र गोपी चंद, नागराकी हवेली, पुंछ	पीओजेके पता: नरवालकेत बद्री नाथ-स्वयं मेला राम-भाई	पीओजेके पता: नरवाल प्लांद्री-स्वयं मेला राम	उधय कपूर पुत्र बद्री नाथ	उधय कपूर ने शपथपत्र में प्रकथित किया कि मेला राम 1947 में पाकिस्तान में नरसंहार में मारा गया था और वह अपने पूरे जीवन अविवाहित रहा था। संलग्न विवरण में संदर्भित कोर्ट डिक्री को अभिलेखबद्ध नहीं किया गया है	मेला राम से संबंधित उधय कपूर का प्रकथन विरोधात्मक था क्योंकि एक व्यक्ति का नाम जो कि पाकिस्तान में मर चुका था वह प्रपत्र ए/ लेजर रजिस्टर में नहीं दर्शाया जायेगा
विभाग का उत्तर: प्रांतीय पुनर्वास अधिकारी जम्मू ने कहा (अगस्त 2020) कि मामला आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिक उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र, डिक्री और शपथपत्र के आधार पर अनुमोदित किया गया था। उत्तर मेला राम की स्थिति एवं परस्पर-विरोध के बारे में मौन है।						

(स्रोतः विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट 2.4.3

(संदर्भित पैराग्राफ: 2.4.7)

प्रकरण-2: दावेदार द्वारा प्रस्तुत विवरण और प्रपत्र ए के मध्य मिलान न होना

फाइल संख्या	पितृत्व सहित विस्थापित व्यक्ति का नाम (आवेदक के अनुसार पीओजेके पता)	प्रपत्र ए के अनुसार परिवार-विवरण	वर्तमान में परिवार-विवरण	अभ्युक्तियाँ
2866	सेवा सिंह पुत्र किरपाल सिंह भुरका बाग, पुंछ	स्वयं हरतेज कौर-पत्नी उत्तम देवी-माता कीरत सिंह-पुत्र मंजीत कौर-पुत्री	कीरत सिंह पुत्र सेवा सिंह मंजीत कौर विधवा स्वर्गीय सेवा सिंह मोहिन्दर कौर पुत्री स्वर्गीय सेवा सिंह	कोर्ट डिक्री के अनुसार परिवार-विवरण कीरत सिंह के पक्ष में हैं जिसमें उनकी माता (मंजीत कौर) और बहिन (मोहिन्दर कौर) प्रतिवादी हैं। प्रपत्र ए में सेवा सिंह की पत्नी और पुत्री के रूप में वर्णित हरतेज कौर एवं मंजीत कौर को प्रकरण में संदर्भित नहीं किया गया है। इस संबंध में कोई शपथपत्र अभिलेबद्ध नहीं है
पीआरओ ने कहा (अगस्त 2020) कि प्रपत्र ए में वर्णित कीरत सिंह पर विचार किया गया था क्योंकि अन्य सदस्य महिलाएं थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रपत्र ए में वर्णित परिवार के सदस्य दावेदार के परिवार-विवरण के साथ मेल नहीं खाते हैं।				

(स्रोतः विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट 2.4.4
(संदर्भित पैराग्राफ: 2.4.7)
54 अपात्र/ संदेहास्पद मामलों के ब्योरो को दर्शाने वाला विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	फाइल संख्या	पितृत्व सहित विस्थापित व्यक्ति का नाम	राशि	क्र. सं.	फाइल संख्या	पितृत्व सहित विस्थापित व्यक्ति का नाम	राशि
1.	8367	गोपाल सिंह पुत्र अतर सिंह	5,49,692	28.	9241	ज्ञान सिंह पुत्र जवाहर सिंह	5,49,692
2.	8104	जोध सिंह पुत्र हीरा सिंह	5,49,692	29.	18443	गणेश दास पुत्र धनी राम	5,49,692
3.	11295	बद्रीनाथ पुत्र गोपीचंद	5,49,692	30.	18533	काका सिंह पुत्र सुन्दर सिंह	5,49,692
4.	12550	हरनाम सिंह पुत्र हीरा सिंह	5,49,692	31.	16380	संत सिंह पुत्र रतन सिंह	5,49,692
5.	15457	बलवंत सिंह पुत्र परताप सिंह	5,49,692	32.	6919	बेली राम पुत्र काला राम	5,49,692
6.	18187	सरदार सिंह पुत्र चेत सिंह	5,49,692	33.	17636	लेहना सिंह पुत्र परताप सिंह	5,49,692
7.	14030	फकीर चंद और गंगा राम पुत्र गोकल चंद	5,49,692	34.	1583	भजन सिंह पुत्र सरूप सिंह	5,49,692
8.	7620	लाल चंद पुत्र काला राम	5,49,692	35.	3790	शिव राम पुत्र गोपी चंद	5,49,692
9.	11005	कृष्ण लाल पुत्र बेली राम	5,49,692	36.	713	किरपाल सिंह पुत्र गुलाब सिंह	5,49,692
10.	12902	मान सिंह पुत्र बिशन सिंह	5,49,692	37.	6735	लाल चंद पुत्र काका राम	5,49,692
11.	9021	लाल चंद पुत्र फकीर चंद	5,49,692	38.	1904	भगत राम पुत्र काका राम	5,49,692
12.	7350	सुन्दर सिंह पुत्र हीरा सिंह	5,49,692	39.	623	बलवंत सिंह पुत्र रूप सिंह	5,49,692
13.	17948	नन्द लाल पुत्र फकीर चंद	5,49,692	40.	3002	भगत सिंह पुत्र देवी सिंह	5,49,692
14.	6198	जोगिन्दर सिंह पुत्र भगत सिंह	5,49,692	41.	3501	खेम सिंह पुत्र धरम सिंह	5,49,692
15.	5278	अमर नाथ पुत्र कांशी राम	5,49,692	42.	17684	खेम चंद पुत्र कल्याण चंद	5,49,692
16.	10403	हरि सिंह पुत्र संत सिंह	5,49,692	43.	17688	प्रीतम सिंह पुत्र तीरथ सिंह	5,49,692
17.	1270	अमर नाथ पुत्र कांशी राम	5,49,692	44.	11877	योगराज पुत्र हरि चंद	5,49,692
18.	845	हाकम सिंह पुत्र जवाहर सिंह	5,49,692	45.	2703	मोती राम पुत्र सुन्दर दास	5,49,692
19.	8634	संत सिंह पुत्र मोहन सिंह	5,49,692	46.	12956	भगवान सिंह पुत्र मंगल सिंह	5,49,692
20.	12108	तारा सिंह पुत्र लैक सिंह	5,49,692	47.	13059	ओम प्रकाश पुत्र ठाकुर दास	5,49,692
21.	12471	प्रीतम सिंह पुत्र लाभ सिंह	5,49,692	48.	3097	ज्वाला सिंह पुत्र अत्तर सिंह	5,49,692
22.	13034	ज्ञान चंद पुत्र सुन्दर दास	5,49,692	49.	13461	बाबू राम पुत्र फकीर चंद	5,49,692
23.	13511	मान सिंह पुत्र बिशन सिंह	5,49,692	50.	3861	बिंदराबन पुत्र बसिया राम	5,49,692
24.	13118	पारस राम पुत्र हरि चंद	5,49,692	51.	4545	बलदेव सिंह पुत्र अमर सिंह	5,49,692
25.	7223	अमर नाथ पुत्र बिंदराबन	5,49,692	52.	9196	शंकर दास पुत्र फकीर चंद	5,49,692
26.	3081	सेवा सिंह पुत्र किरपाल सिंह	5,49,692	53.	13684	भगत सिंह पुत्र गुरदित सिंह	5,49,692
27.	2866	सेवा सिंह पुत्र किरपाल सिंह	5,49,692	54.	7404	हरि चंद पुत्र बिशन दास	5,49,692
					कुल		**2,96,83,368**

(स्रोतः विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट 2.4.5

(संदर्भित पैराग्राफ: 2.4.9)

10 अपात्र/ संदेहास्पद मामलों के ब्योरो को दर्शाने वाला विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	फाइल संख्या	पितृत्व सहित विस्थापित व्यक्ति का नाम	राशि	क्र. सं.	फाइल संख्या	पितृत्व सहित विस्थापित व्यक्ति का नाम	राशि
1.	2541	पिरथी सिंह पुत्र मोती सिंह	5,49,692	6.	1139	प्रेम चंद पुत्र मिठू राम	5,49,692
2.	758	जय सिंह पुत्र संसार सिंह	5,49,692	7.	3053	राजो देवी विधवा स्वर्गीय चूरा राम	5,49,692
3.	1003	रानो देवी स्वर्गीय धरम सिंह पुत्र खजूर सिंह की विधवा	5,49,692	8.	2525	मंगू राम पुत्र खेरू राम	5,49,692
4.	46	प्रेम चंद पुत्र साधु	5,49,692	9.	933	जल्ली राम पुत्र अमर नाथ	5,49,692
5.	149	रोहलू राम पुत्र मोहनी राम	5,49,692	10.	3134	मेजर सिंह पुत्र जगतू सिंह	5,49,692
					कुल		**54,96,920**

(स्रोतः विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट 2.5.1
(संदर्भित पैराग्राफ: 2.5.3.2)
01 सितंबर 2014 और 31 दिसंबर 2015 के मध्य अपात्र खातों को प्रभारित ब्याज के 50 प्रतिशत की उपलब्ध करायी जाने वाली संसहायिकी को दर्शाने वाला विवरण

(राशि ₹ में)

उधारकर्त्ता का नाम	खाता संख्या	ग्राहक आईडी	01.09.2014 से 31.12.2015 तक प्रभारित ब्याज	50 प्रतिशत की सीमा तक ब्याज संसहायिकी (₹ पाँच लाख प्रति इकाई के कैप के अध्यधीन)
यूनिवर्सल सेल्स एजेन्सी प्रोप. ताहिर अली 'इरफान' कुरसू राज बाग	0252020100000370	000754372	7,67,590	
यूनिवर्सल सेल्स एजेन्सी प्रोप. ताहिर अली 'इरफान' कुरसू राज बाग	0252260120000034	000754372	1,66,901	
		कुल	**9,34,491**	**4,67,246**
स्पलेन्डिड डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स	0005020100004420	000871238	8,47,234	
स्पलेन्डिड डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स	0005260120000032	000871238	18,119	
		कुल	**8,65,353**	**4,32,677**
मीर हैण्डीक्राफ्ट्स प्रोप. बिलाल अहमद मीर	0101020100008002	004113306	1,02,953	
मीर हैण्डीक्राफ्ट्स प्रोप. बिलाल अहमद मीर	0101260120000010	004113306	0	
मीर हैण्डीक्राफ्ट्स प्रोप. बिलाल अहमद मीर	0101260120000012	004113306	15,496	
		कुल	**1,18,449**	**59,225**
मैसर्स पॉश फार्मा फार्मास्यूटिकल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोप. अब्दुल रौफ वानी	0231020100000869	004856886	75,793	
मैसर्स पॉश फार्मा फार्मास्यूटिकल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोप. अब्दुल रौफ वानी	0231260120000037	004856886	18,068	
		कुल	**93,861**	**46,931**
बिलाल अहमद मीर	0391260000000004	001201127	14,468	
बिलाल अहमद मीर	0391266100000019	001201127	86,189	
		कुल	**1,00,657**	**50,329**
मोहम्मद अमीन भट्ट	0134020100000671	002519936	81,161	
मोहम्मद अमीन भट्ट	0134260120000032	002519936	31,489	
		कुल	**1,12,650**	**56,325**

उधारकर्त्ता का नाम	खाता संख्या	ग्राहक आईडी	01.09.2014 से 31.12.2015 तक प्रभारित ब्याज	50 प्रतिशत की सीमा तक ब्याज संसहायिकी (₹ पाँच लाख प्रति इकाई के कैप के अध्यधीन)
झेलम रोलर फ्लोर मिल्स	0081020100001257	002871586	17,81,975	
झेलम रोलर फ्लोर मिल्स	0081260120000021	002871586	16,69,551	
		कुल	**34,51,526**	**5,00,000**
शबीर अहमद भट्ट पुत्र मोहम्मद सुभन भट्ट	0231260000000002	004343126	11,122	
शबीर अहमद भट्ट पुत्र मोहम्मद सुभन भट्ट	0231266100000055	004343126	34,223	
		कुल	**45,345**	**22,673**
नूर फैशन डिजाइन प्रोप. मसरत	0002260000000002	008158943	7,648	
नूर फैशन डिजाइन प्रोप. मसरत	0002265550000007	008158943	19,033	
		कुल	**26,681**	**13,341**
		कुल योग		**16,48,747**

(स्रोतः विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट 2.5.2
(संदर्भित पैराग्राफ: 2.5.3.2)
01 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2018 तक अपात्र खातों को प्रभारित ब्याज के पाँच प्रतिशत की उपलब्ध करायी जाने वाली संसहायिकी को दर्शाने वाला विवरण

(राशि ₹ में)

उधारकर्त्ता का नाम	01.01.2016 से 31.12.2016 तक प्रभारित ब्याज हेतु 5 प्रतिशत संसहायिकी की राशि	01.01.2017 से 31.12.2017 तक प्रभारित ब्याज हेतु 5 प्रतिशत संसहायिकी की राशि	01.01.2018 से 31.03.2018 तक प्रभारित ब्याज हेतु 5 प्रतिशत संसहायिकी की राशि	01.04.2018 से 30.06.2018 तक प्रभारित ब्याज हेतु 5 प्रतिशत संसहायिकी की राशि	01.07.2018 से 30.09.2018 तक प्रभारित ब्याज हेतु 5 प्रतिशत संसहायिकी की राशि	01.01.2016 से 30.09.2018 तक प्रभारित ब्याज हेतु 5 प्रतिशत संसहायिकी की कुल राशि
यूनिवर्सल सेल्स एजेन्सी प्रोप. ताहिर अली 'इरफान' कुरसू राज बाग	3,34,126	3,29,225	1,00,634	70,548	96,969	9,31,502
स्पलेन्डिड डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स	2,60,719	3,04,869	76,567	79,184	82,288	8,03,627
बिलाल अहमद मीर	24,730	35,739	7,186	6,664	6,407	80,726
मोहम्म्द अमीन भट्ट	38,386	36,113	7,940	7,841	7,670	97,950
झेलम रोलर फ्लोर मिल्स	5,00,000	5,00,000	5,00,000	0	0	15,00,000
मीर हैण्डीक्राफ्ट्स प्रोप. बिलाल अहमद मीर	38,019	35,412	6,427	9,568	9,463	98,889
शबीर अहमद भट्ट पुत्र मोहम्मद सुभन भट्ट	15,451	13,290	2,007	1,564	774	33,086
मैसर्स पॉश फार्मा फार्मास्यूटिकल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोप. अब्दुल रौफ वानी	33,723	25,983	1,705	1,685	1,634	64,730
नूर फैशन डिजाइन प्रोप. मसरत	9,533	22,556	6,344	6,501	6,430	51,364
कुल योग						**36,61,874**

(स्रोतः विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट 2.5.3

(संदर्भित पैराग्राफ: 2.5.3.3)

₹ पाँच लाख की कैप से अधिक उपलब्ध करायी जाने वाली ब्याज संसहायिकी को दर्शाने वाला विवरण

(राशि ₹ में)

उधारकर्ता का नाम	उधारकर्ता का पता	01.09.14 से 31.12.2015 तक की अवधि हेतु 50 प्रतिशत ब्याज संसहायिकी		01.01.16 से 31.12.16 तक की अवधि हेतु 5 प्रतिशत ब्याज संसहायिकी		01.01.17 से 31.12.17 तक की अवधि हेतु 5 प्रतिशत ब्याज संसहायिकी		01.01.18 से 30.09.18 तक की अवधि हेतु 5 प्रतिशत ब्याज संसहायिकी		₹ पाँच लाख के कैप से अधिक संवितरित राशि
		एचडीएफसी बैंक	जेके बैंक	एचडीएफसी बैंक	जेके बैंक	एचडीएफसी बैंक	जेके बैंक	एचडीएफसी बैंक	जेके बैंक	
हिमालयन रोलिंग स्टील इण्डस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड	जेके एसआईडीसीओ इण्डस्ट्रीयल इस्टेट रंगरेथ, श्रीनगर - 190005	86,721.06	5,00,000	1,99,570	5,00,000	1,17,634	0	13,530	5,00,000	2,99,821
रेडियंट पब्लिक स्कूल	अनंतनाग-192101	0	5,00,000	33,421	4,72,691	44,112	0	2,869	4,75,307	6,112
ट्रम्बू ट्रेडिंग कम्पनी	हैदरपोरा बाईपास श्रीनगर-190014	0	5,00,000	2,18,965	5,00,000	52,367	0	19,929	5,00,000	2,38,894
कुल										**5,44,827**

(स्रोतः विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट 2.5.4
(संदर्भित पैराग्राफ: 2.5.4.2 (III))
सीएम की व्यवसाय ब्याज राहत योजना के अंतर्गत उपलब्ध करायी जाने वाली ब्याज संसहायिकी को दर्शाने वाला विवरण

खाता धारक का नाम	ग्राहक आईडी	राशि (₹ करोड़ में)
पीक ऑटो प्राइवेट लिमिटेड	001865428	5.73
एचके सीमेन्ट इण्डस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड	006176494	4.48
खैबर इण्डस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड	001402359	2.60
ट्रम्बो इण्डस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड	000627715	2.89
पीक ऑटो जम्मू प्राइवेट लिमिटेड	011557556	2.80
सेफको सीमेन्ट्स प्रा. लिमिटेड	001402041	2.00
जमकाश व्हीकल ऐड्स	004226807	2.14
शुहुल ऑटोमोबाइल्स	001758506	1.52
हिमालयन रोलिंग स्टील इण्डस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड	006313874	4.02
पीक्स एग्रो वेयरहाउसिंग प्रा. लिमिटेड	009158848	2.00
जेएण्डके सीमेन्ट्स लिमिटेड	001394354	1.84
इकबाल मोटर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज	001403176	1.10
कश्मीर फ्रूट प्रीजर्वर्स पार्टनर्स	007278311	0.89
कश्मीर प्रीमियम एप्पल्स प्रा. लिमिटेड	009162922	1.32
ग्रेविटी कंक्रीट सॉल्यूशन प्रा. लिमिटेड	006426313	1.01
शाहीन एग्रो फ्रैश प्रा. लिमिटेड	007922392	1.36
हसन रोड कंस्ट्रक्शन को. प्रा. लि.	002517779	0.69
पिनेकल रिसॉर्ट्स प्रा. लिमिटेड	001563269	2.09
एचएन एग्रीसर्व प्रा. लिमिटेड	007940879	0.84
कुल योग		**41.32**

(स्रोतः विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट 3.3.1
(संदर्भित पैराग्राफ: 3.3.2)
31 अगस्त 2020 तक परियोजना के विभिन्न घटकों की भौतिक स्थिति

क्र. सं.	मदों/ कार्यों का विवरण/ श्रेणी	संस्वीकृत मात्रा/ कार्य (सख्या में)	पूर्ण कार्य/ मात्रा (सख्या में)	स्थिति/ अभ्युक्तियाँ
भाग-ए (संस्वीकृत राशि: ₹203.26 करोड़)				
1.	बीपी रक्षक	25	25	अधिप्राप्ति पूर्ण
	बीपी बंकर	15	15	अधिप्राप्ति पूर्ण
2.	रक्षक वाहन	67	67	अधिप्राप्ति पूर्ण
3.	100 जिप्सी की बुलेट फ्रूफिंग	100	100	उन्नयन पूर्ण
4.	बीपी जिप्सी	74	74	अधिप्राप्ति पूर्ण
5.	पुलिस स्टेशनों के लिए बीपी बंकर्स	100	50	प्रगति पर
6.	सीआरपीएफ हेतु बीपी जैकेट्स	9,000	9,518	अधिप्राप्ति पूर्ण
7.	पीएचक्यू द्वारा बीपी पटकास	11,000	12,765	अधिप्राप्ति पूर्ण
8.	बीपी जेसीबी	01	01	अधिप्राप्ति पूर्ण
	बीपी ट्रेक्टर	01	01	
9.	बीपी मोरचास	60	00	प्रगति पर
10.	सीआरपीएफ हेतु बीपी वाहन (जिप्सी)	80	80	अधिप्राप्ति पूर्ण (केवल बेस वाहन सीआरपीएफ को सुपुर्द किये गये)
	सीआरपीएफ हेतु बीपी वाहन (महिन्द्रा मार्क्समैन)	10	10	अधिप्राप्ति पूर्ण
	सीआरपीएफ हेतु बीपी वाहन (बीपी रक्षक)	05	05	अधिप्राप्ति पूर्ण
	सीआरपीएफ हेतु बीपी वाहन (बीपी बंकर)	30	26	26 बंकरों से संबंधित अधिप्राप्ति पूर्ण कर ली गयी। चार बीपी बंकरों की खरीद प्रक्रिया प्रगति पर है
	कुल	**20,568**	**22,737**	
भाग-बी (संस्वीकृत राशि: ₹296.74 करोड़)				
1.	श्रीनगर और जम्मू में प्रत्येक एक-एक संबद्ध कार्यों एवं उपकरण सहित केन्द्रीय कमान केन्द्र	02	00	कमान केन्द्रों सहित राज्य व्यापक सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के लिए ₹116 करोड़ का संशोधित प्रस्ताव जून 2019 में अनुमोदित किया गया है। पीएचक्यू द्वारा कार्यान्वयन प्रक्रिया आरंभ कर दी गयी है। परामर्शदाता को नियुक्त करने के लिए निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी थी। डीपीआर तैयार करने और राज्य व्यापक सीसीटीवी निगरानी प्रणाली की अधिप्राप्ति हेतु प्रक्रिया आरंभ करने के लिए पार्टियों (परामर्शदाता और पीएचक्यू जेएण्डके) के मध्य अनुबंध पर हस्ताक्षर किये गये थे।
2.	संबद्ध कार्यों एवं उपकरण सहित जिला कमान केन्द्र (लेह और कारगिल के अलावा)	18	00	
3.	बृहत् आँकड़ा विश्लेषण सहित वीडियो प्रबंधन प्रणाली, विडियो विश्लेषण, आँकड़ा विश्लेषण, चेहरे की पहचान और अन्य संबद्ध विशेषताएं इत्यादि	01	00	
4.	आपात स्थिति के मामले में स्थल पर उपयोग हेतु एकीकृत कमान/ नियंत्रण वाहन	20	00	
5.	प्रति वर्ष कनेक्टिविटी और बैंडविड्थ की लागत	01	00	
6.	लेह और कारगिल के लिए जिला कमान केन्द्र	02	00	
7.	सभी जिला मुख्यालयों में त्वरित प्रतिक्रिया केन्द्र	25	00	

क्र. सं.	मदों/ कार्यों का विवरण/श्रेणी	संस्वीकृत मात्रा/ कार्य (सख्या में)	पूर्ण कार्य/ मात्रा (सख्या में)	स्थिति/ अभ्युक्तियाँ
8.	लाइट वेट बीआर जैकेट्स	6,240	8,000	अधिप्राप्ति पूर्ण
9.	बीआर वेस्ट लाइट वेट	700	00	खरीद प्रगति पर
10.	बॉम्ब सूट्स	05	00	खरीद प्रगति पर
11.	सेटेलाइट फोन	50	50	अधिप्राप्ति पूर्ण
12	हाइड्रॉलिक क्रेन	13	13	अधिप्राप्ति पूर्ण
13	इलैक्ट्रिक बूम बैरियर	12	12	अधिप्राप्ति पूर्ण
14	आरएफआईडी आधारित वाहन अभिगम नियंत्रण प्रणाली	10	10	अधिप्राप्ति पूर्ण
15	फेन्सिंग घटक के साथ अनुदेश पहचान प्रणाली	23	23	अधिप्राप्ति पूर्ण
16	ब्लास्ट इन्हिबिटर	08	09	अधिप्राप्ति पूर्ण
17	आरसीआईईडी के लिए प्री इनिशिएटर	04	00	मद की खरीद नहीं की जानी थी
18	शूट हाउस	01	00	आपूर्ति आदेश दिये गये
19	कंटेनरीकृत शूट हाउस	02	00	आपूर्ति आदेश दिये गये
20	मानव रहित हवाई वाहन	06	00	निविदा प्रक्रियाधीन
21	बीपी पटका	7,000	9,000	अधिप्राप्ति पूर्ण
22	सभी पुलिस स्टेशनों/ पुलिस चौकियों के लिए सहायक उपकरणों सहित सीसीटीवी कैमरे	413	00	निविदा प्रक्रियाधीन
23	आईपी आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली (वीआईपी अवस्थितियाँ)	20	01	निविदा प्रक्रियाधीन
24	विडियो फुटेज के लिए आईपी कैमरों से युक्त विशेष रूप से डिजायन किये गये दंगा-रोधी वाहन	130	87	मैसर्स टाटा मोटर्स (67) और मैसर्स महिन्द्रा (20) को आदेश दिये गये। 20 महिन्द्रा वाहन और 19 टाटा वाहन प्राप्त हुये। 48 पाइपलाइन में हैं। 43 और वाहनों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया
25	बीपी बंकर्स	63	38	(38) बीपी बंकरों हेतु आपूर्ति आदेश मैसर्स महिन्द्रा को दिये गये। 17 प्राप्त हो गये और शेष सर्वेक्षणाधीन हैं
26	बीपी रक्षक	55	55	अधिप्राप्ति पूर्ण
27	बॉडी प्रोटेक्टर सूट्स	14,620	15,000	अधिप्राप्ति पूर्ण
28	पेप्पर लॉचिंग नॉन-लीथल सिस्टम	50	00	निविदा प्रक्रियाधीन
29	दंगा-रोधी हेल्मेट	5,000	7,976	पूर्ण। सरकार से अतिरिक्त अधिप्राप्ति हेतु संस्वीकृति मांगी गयी
30	दंगा-रोधी गैस मास्क	3,334	00	निविदा प्रक्रियाधीन
31	पीसी लाठी	20,000	00	निविदा प्रक्रिया पूर्ण। तकनीकी मूल्यांकन/ भौतिक प्रदर्शन प्रक्रियाधीन
32	ऑप्टीकल फाइब्रो स्कोप	25	25	अधिप्राप्ति पूर्ण
33	बहुउद्देशीय बेल्ट	2,500	00	निविदा प्रक्रिया पूर्ण। तकनीकी मूल्यांकन/ भौतिक प्रदर्शन प्रक्रियाधीन

क्र. सं.	मदों/ कार्यों का विवरण/श्रेणी	संस्वीकृत मात्रा/ कार्य (सख्या में)	पूर्ण कार्य/ मात्रा (सख्या में)	स्थिति/ अभ्युक्तियाँ
34	दंगा-रोधी ग्रुप शील्ड	1,740	00	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी। तकनीकी मूल्यांकन/ भौतिक प्रदर्शन प्रक्रियाधीन
35	घुटने और कोहनी सुरक्षा पैड	10,000	2,551	अधिप्राप्ति पूर्ण
36	राइअॅट शॉक बैटन	18,333	00	निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी। तकनीकी मूल्यांकन/ भौतिक प्रदर्शन प्रक्रियाधीन
37	शिन गार्ड	18,400	4,563	अधिप्राप्ति पूर्ण
38	स्पॉटर एक्सट्रीम नाइट	30	00	मद की खरीद नहीं की जानी थी
39	कॉर्नर शॉट एसेम्बली	35	00	आपूर्ति आदेश दिये गये
40	बैलिस्टिक ग्रुप शील्ड्स	100	00	सीआरपीएफ, जो कि लाइट वेट बैलिस्टिक शील्ड्स की खरीद कर रहा है, से साथ ही जेएण्डके पुलिस के लिए बैलिस्टिक शील्ड्स खरीदने का आग्रह किया गया है। सीआरपीएफ सहमत हो गया। निधियाँ सीआरपीएफ को हस्तांतरित की जा रही है
41	वॉल थ्रू रडार	10	10	अधिप्राप्ति पूर्ण
42	सर्च लाइट्स (ड्रैगन)	1,500	1,500	अधिप्राप्ति पूर्ण
43	मोनोक्यूलर नाइट साइट	20	20	अधिप्राप्ति पूर्ण
44	टैक्टिकल लैडर (बहु उद्देशीय)	43	39	अधिप्राप्ति पूर्ण
45	हथियार पर रिफ्लेक्स साइट/ होलोग्राफिक साइट	30	40	अधिप्राप्ति पूर्ण
46	महिलाओं के प्रति अपराध को रोकने के लिए विशेष महिला सुरक्षा इकाइयाँ	08	05	-
	कुल	**1,10,602**	**49,027**	-
	कुल योग (ए+बी)	**1,31,170**	**71,764**	-

कुल मद: (10+46= 56)

अधिप्राप्ति पूर्ण= 33 मद

(स्रोतः विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट 3.3.2
(संदर्भित पैराग्राफ: 3.3.2.1)
निविदाओं के बिना खरीदों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	मद	आपूर्ति आदेश संख्या व दिनांक	फर्म का नाम	मात्रा	प्रदत्त राशि (₹ करोड में)	अभ्युक्तियाँ
1.	बुलेट प्रूफ एसयूवी वाहन/ महिन्द्रा रक्षक	एमटी/वीईएच-पीआरओसी-3/2016-17/7025-29 दिनांक 26.10.2016	मैसर्स महिन्द्रा डिफेन्स सिस्टम लिमिटेड, नई दिल्ली	25	10.59	जीओआई ने ₹10.50 करोड़ की लागत पर 25 बीपी रक्षक की खरीद को संस्वीकृति (अक्टूबर 2017) प्रदान की थी। दरों की उपयुक्तता को अभिनिश्चित किये बिना फर्म को आपूर्ति आदेश दिये गये
2.	महिन्द्रा स्कॉर्पियो बीपी (रक्षक प्लस)	एमटी/वीईएच-पीआरओसी-04/2017-18/178-82 दिनांक 08.01.2018	मैसर्स महिन्द्रा डिफेन्स सिस्टम लिमिटेड	67	26.15	जीओआई ने ₹30.15 करोड़ की लागत पर 67 रक्षक बाहनों की खरीद को संस्वीकृति (अक्टूबर 2017) प्रदान की थी। दरों की उपयुक्तता को अभिनिश्चित किये बिना फर्म को आपूर्ति आदेश दिये गये
3.	बीपी पटकास	पीआरओवी-II/एसईसी-86/2017-18/77716-20 दिनांक 28.10.2017 आपूर्ति आदेश दिनांक 27.10.2017	मैसर्स पीईसी लिमिटेड	20,000	9.44	जीओआई ने ₹13.85 करोड़ की लागत पर 18,000 बीपी पटकास की खरीद को संस्वीकृति (अक्टूबर 2017) प्रदान की थी। दरों की उपयुक्तता को अभिनिश्चित किये बिना फर्म को आपूर्ति आदेश दिये गये
4.	बॉडी प्रोटेक्टर्स	पीआरओवी-I/यूई-49/2016-17/27262-66 दिनांक 15.04.2016 तथा आपूर्ति आदेश दिनांक जून 2017	मैसर्स रबर प्राइवेट लिमिटेड	15,000	15.18	जीओआई ने ₹13.35 करोड़ की लागत पर 14,620 बॉडी प्रोटेक्टर सूट्स की खरीद को संस्वीकृति (अक्टूबर 2017) प्रदान की थी। मार्च 2015 की पूर्व निविदाओं के आधार पर (पुनरादेश आधार) फर्म को आपूर्ति आदेश दिये गये

क्र. सं.	मद	आपूर्ति आदेश संख्या व दिनांक	फर्म का नाम	मात्रा	प्रदत्त राशि (₹ करोड में)	अभ्युक्तियाँ
5.	फार्मट्रेक ट्रेक्टर और टिप्पर ट्रॉली	एमटी/वीईएच-पीआरओसी-03/ 2017-18/379-83 दिनांक 18.01.2018	मैसर्स साउथ काश सेल्स	एक फार्मट्रेक ट्रेक्टर और एक बैकहो लोडर	0.36	जीओआई ने एक बीपी जेसीबी और बीपी ट्रेक्टर प्रत्येक को ₹70 लाख की लागत पर खरीद के लिए संस्वीकृति प्रदान (अक्टूबर 2017) की। दरों की उपयुक्तता को अभिनिश्चित किये बिना फर्म को आपूर्ति आदेश दिये गये
6.	विशेष रूप से डिजायन किये गये दंगा-रोधी वाहन	एमटी/वीईएच-पीआरओसी-05/ 2016-17/1770-73 दिनांक 13.02.2019	मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड गुडगांव हरियाणा	80	13.84	जीओआई ने ₹15.60 करोड़ की लागत पर 'विडियो फुटेज हेतु आईपी कैमरों से युक्त 130 विशेष रूप से डिजायन किये गये दंगा विरोधी वाहनों' की खरीद को संस्वीकृति प्रदान (अक्टूबर 2017) की। दरों की उपयुक्तता को अभिनिश्चित किये बिना फर्म को आपूर्ति आदेश दिये गये
7.	विशेष रूप से डिजायन की गयी महिन्द्रा रक्षा प्रणाली	एमटी/वीईएच-पीआरओसी-05/ 2016-17/2045-47 दिनांक 28.02.2019	मैसर्स महिन्द्रा डिफेन्स सिस्टम लिमिटेड	20	3.24	
8.	बीपी (एसयूवी) महिन्द्रा स्कॉर्पियो	एमटी/वीईएच-पीआरओसी-05/ 2016-17/2042-44 दिनांक 28.02.2019	मैसर्स महिन्द्रा डिफेन्स सिस्टम लिमिटेड	55	21.47	जीओआई ने ₹22 करोड़ की लागत पर 55 बीपी रक्षक की खरीद को संस्वीकृति (अक्टूबर 2017) प्रदान की थी। दरों की उपयुक्तता को अभिनिश्चित किये बिना फर्म को आपूर्ति आदेश दिये गये
	कुल				**100.27**	

(स्रोतः विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट 3.5.1

(संदर्भित पैराग्राफ: 3.5.1)

31 मार्च 2019 तक पीएमडीपी के अंतर्गत राज्य सरकार के विभागों/ अभिकरणों, जिनके लिए निधियाँ अनुमोदित, निर्गत के साथ-साथ उपयोग की गयी हैं, का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग/ अभिकरण का नाम	अनुमोदित राशि	संस्वीकृत राशि	प्रयुक्त राशि
1.	लोक निर्माण (सड़क और भवन) विभाग	400.00	400.00	362.41
2.	संपदा विभाग	23.21	23.21	21.82
3.	उद्योग और वाणिज्य विभाग	149.96	149.96	147.01
4.	उच्चतर शिक्षा विभाग	50.00	50.00	35.58
5.	विद्यालयी शिक्षा विभाग	100.22	100.22	22.88
6.	सामाजिक कल्याण विभाग	5.00	5.00	2.66
7.	राहत व पुनर्वास: (i) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्य	254.66	252.16	219.46
	(ii) जलापूर्ति निर्माण कार्य	53.64	53.64	51.82
8.	वन	10.00	10.00	6.05
9.	लेह	15.00	15.00	15.00
10.	पशु और भेड़ पालन विभाग	5.15	5.15	3.96
11.	मत्स्य विभाग	0.50	0.50	0.48
12.	कृषि कश्मीर	6.00	6.00	3.19
13.	उद्यान कृषि कश्मीर	4.00	4.00	1.97
14.	उद्यान कृषि योजना और विपणन	5.75	5.75	5.71
15.	जेके एजीआरओएस	4.00	4.00	4.00
16.	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जम्मू	6.00	6.00	6.00
17.	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कश्मीर	2.00	2.00	2.00
18.	पुष्पकृषि कश्मीर	1.50	1.50	1.50
19.	कमाण्ड क्षेत्र विकास कश्मीर	0.25	0.25	0.25
20.	रेशम उत्पादन जम्मू एवं कश्मीर	1.50	1.50	1.42
21.	कारगिल	15.00	7.50	0.00
22.	शहरी विकास	150.00	75.00	0.00
	कुल	**1,263.34**	**1,178.34**	**915.17**

(स्रोत: 31 मार्च 2019 तक पीएमडीपी- 2015 पर अनुवीक्षण प्रतिवेदन)

परिशिष्ट 3.5.2

(संदर्भित पैराग्राफ: 3.5.2)

निधियों के अपयोजन को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	अपयोजित निधियाँ	विवरण	विभाग का जवाब	अभ्युक्तियाँ
1.	लोक निर्माण (सड़क और भवन)	26.04	मजदूरियों का भुगतान, लेखन-सामग्री की खरीद, पीओएल, अन्य निर्माण कार्यों का निष्पादन, कार्यालयीन खर्च इत्यादि	निधियाँ, कार्यालयीन खर्चे, लेखन-सामग्री, मजदूरियाँ, पेट्रोल तेल और लुब्रीकेन्ट्स इत्यादि के प्रति बुक की गयी थी, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में अंतर्निहित तीन प्रतिशत आकस्मिकताओं के प्रति डेबिट की गई।	विभाग द्वारा पीएमडीपी कार्यों संबंधी डीपीआर तैयार नहीं की गयी है
2.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	0.21	मजदूरियों का भुगतान, जलपान प्रभार, फोटोकॉपियर की खरीद, केरोसीन तेल, गैस, लेखन-सामग्री इत्यादि	माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए, भुगतान किसी भी पृथक शीर्ष के अभाव में किये गये थे और खरीदें सकल बचतों से बाहर की गयी थी।	पीएमडीपी से अपयोजित राशि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमित नहीं किया गया था
3.	उद्योग और वाणिज्य	2.83	सितंबर 2014 की बाढ़ों से पहले मजदूरियों का भुगतान, यार्न, रंजक, रसायन, बिजली और ईंधन की खरीद, देयताओं की निर्बाधता	जेएण्डके एसआईडीसीओ ने विद्युत विकास विभाग को ₹1.85 करोड़ का भुगतान किया था जैसा कि जेएण्डके एसआईडीसीओ प्रबंधन द्वारा अनुमोदित और निर्णय किया गया।	निर्णय, सिडको प्रबंधन द्वारा सक्षम प्राधिकारी से किसी अनुमोदन के अभाव में लिया गया था। ₹0.98 लाख की शेष अपयोजित राशि से संबंधित कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया था
4.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	0.21	ढुलाई प्रभारों का भुगतान, पीओएल, फोटोग्राफी प्रभार, आय कर विवरणियों को अपलोड करना इत्यादि	आकस्मिक व्यय यांत्रिक परिवहन के साधनों द्वारा सामग्री की ढुलाई के साथ-साथ हेड लोड एवं बाढ़ पुनः स्थापन योजनाओं से संबंधित दस्तावेजों की फोटोस्टेट पर किये गये थे।	पीएमडीपी से अपयोजित राशि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमित नहीं किया गया था
	कुल	**29.29**			

(स्रोतः विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट 3.5.3
(संदर्भित पैराग्राफ: 3.5.3)
प्रशासनिक अनुमोदन/ तकनीकी संस्वीकृति के बिना निष्पादित कार्यों को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	कार्यों की संख्या	व्यय	विभाग का जवाब (अगस्त 2020)
1.	लोक निर्माण (सड़क और भवन)	280	166.95	निर्माण कार्य अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार निष्पादित किये गये थे जो प्रशासनिक अनुमोदन के लिए मानित थे।
2.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	3,709	175.25	निर्माण कार्य आपात प्रकृति के होने से प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने के अनुमान में निष्पादित किये गये थे।
3.	उद्योग और वाणिज्य	35	149.23	कार्यों का निष्पादन आपातकालीन स्थिति के आधार पर किया गया था।
4.	विद्यालयी शिक्षा	145	21.31	यह माना गया था कि प्रशासनिक अनुमोदन और तकनीकी संस्वीकृतियाँ आरएण्डबी विभाग द्वारा प्रदान कर दी गयी थी क्योंकि प्राक्कलन उनके द्वारा तैयार किये गये थे।
5.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	1,500	44.62	निर्माण कार्य आपात प्रकृति के होने से प्रशासनिक अनुमोदन/ तकनीकी संस्वीकृति प्रदान करने के अनुमान में निष्पादित किये गये थे।
6.	उच्चतर शिक्षा	10	31.23	भारत सरकार द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर संस्वीकृत योजना/ परियोजना और जिनका 100 प्रतिशत वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है, उन्हें सरकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन के रूप में मान लिया जाएगा।
7.	संपदाएं	28	22.26 (एसपीए: 20.96; पीएमडीपी: 22.26)	सरकारी कर्मचारी, अधिकारियों/ मंत्रियों को समायोजित करने के लिए दर्शायी गयी आपात स्थिति की दृष्टि से; कार्य प्रशासनिक अनुमोदन के अनुमान में संपदा प्रभाग, जम्मू/ श्रीनगर द्वारा निष्पादित किये गये थे।
	कुल	**5,707**	**610.85**	

(स्रोतः विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट 3.5.4

(संदर्भित पैराग्राफ: 3.5.4)

निविदाओं के आमंत्रण के बिना निष्पादित कार्यों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	कार्यों की संख्या	किया गया व्यय (₹ करोड़ में)	विभाग का जवाब
1.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	3,709	175.25	कार्यों का निष्पादन तत्काल आधार पर उचित दरों पर निविदाओं के आमंत्रण के बिना किया गया था।
2.	उद्योग और वाणिज्य	10	5.86	कार्यों को पारदर्शी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से निष्पादित किया गया था क्योंकि एसआईसीओपी की स्वयं की अनुमोदित वार्षिक दरें थी तथा जेएण्डके एसआईडीसीओ ने ई-निविदा आधार पर कार्यों को आबंटित कर दिया और कुछ मामलों में, कार्य तात्कालिकता की दृष्टि से संविदाकारों को अन्य परियोजनाओं के लिए आबंटित किये गये थे।
3.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	1,500	44.62	उपयोज्यताओं के तत्काल पुनः स्थापन की दृष्टि से, उस समय प्रचलित उचित बाजार दरों पर निविदाओं के आमंत्रण के बिना कार्य निष्पादित किये गये थे।
4.	लोक निर्माण (पीडब्ल्यू) सड़क एवं भवन (आरएण्डबी)	66	103.15	निर्माण कार्य अनुमोदन आधार पर उच्च प्राधिकारियों और लोक प्रतिनिधियों के निर्देशों पर निविदाओं के आमंत्रण के बिना आरंभ किये गये थे।
	कुल	**5,285**	**328.88**	

(स्रोतः विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट 5.2.1
(संदर्भित पैराग्राफ: 5.2.3)
जेएण्डके राज्य में एएमआरयूटी मिशन (2015-20) के अंतर्गत परियोजनाओं का क्षेत्र-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रं. सं.	परियोजना का नाम	डीपीआर लागत	आबंटित लागत	व्यय	अभ्युक्तियाँ
1.	भगवती नगर, जम्मू में 164 केएलडी सेप्टेज ट्रीटमेन्ट प्लांट का डिजायन, निर्माण, परिनिर्माण और कमिशनिंग	5.53	4.37	3.25	चयनित
2.	सीवर/ जेटिंग मशीन इत्यादि की खरीद	3.10	3.10	3.10	चयनित
3.	5 नालों का सीवरेज ट्रीटमेन्ट (ए) तवी नदी के बायीं ओर पड़ने वाले नाला सं. 5 के लिए 4.00 एमएलडी सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एसटीपी) का डिजायन, निर्माण संस्थापन, कमीशनिंग और परीक्षण	27.52	7.80	2.03	चयनित
4.	(बी) 5 नालों के लिए मैनहोल के सीवर निर्माण को बिछाने के माध्यम से सीवरेज सिस्टम का निर्माण		22.60	0.00	चयनित
जल निकासी क्षेत्र					
5.	राजीव/ बिक्रम चौक गहरी नाली का निर्माण	1.25	1.08	1.05	
6.	वसंत विहार गहरी नाली का निर्माण	2.18	1.60	1.77	चयनित
7.	सरस्वती विहार गहरी नाली का निर्माण	1.87	1.60	1.67	चयनित
8.	सुंदर नगर गहरी नाली का निर्माण	2.54	3.08	0	
9.	शरिका विहार गहरी नाली का निर्माण	3.64	2.83	1.61	चयनित
10.	त्रिकुटा नगर विस्तार में तवी नहर के साथ गहरी नाली का निर्माण	2.08	1.63	1.70	
11.	एसटी मोहल्ला में जल निकासी नेटवर्क का निर्माण	5.23	3.69	2.32	चयनित
12.	स्वागत विहार डिल्ली में जल निकासी नेटवर्क का निर्माण	1.70	1.20	1.34	चयनित
13.	मुख्य रेहारी नाले का निर्माण/ सुधार	1.60	1.14	1.42	चयनित
14.	पीरखो नाले का निर्माण	4.63	3.69	1.15	
15.	नहर मार्ग से जल निकासी योजना का निर्माण/ अद्यतन (अग्रवाल कॉम्प्लेक्स)	6.87	5.28	0.73	
16.	कमला प्लेस जल निकासी नेटवर्क का निर्माण (चरण-2)	5.31	4.40	0.38	
17.	रेहारी नाला डी/ सी जीवल चौक का सुधार/ उन्नयन	3.58	3.27	1.96	चयनित
18.	ईसाई कब्रिस्तान में जल निकासी योजना का निर्माण	1.21	1.07	1.05	
19.	निदेश अपार्टमेन्ट्स के पास नाले और जल निकासी नेटवर्क का निर्माण	21.86	18.12	11.37	चयनित

क्रं. सं.	परियोजना का नाम	डीपीआर लागत	आबंटित लागत	व्यय	अभ्युक्तियाँ
20.	सीएम आवास से जल निकास प्रणाली का सुधार/ निर्माण	1.45	1.18	0.65	
21.	त्रिकुटा नगर, गांधी नगर इत्यादि से होकर गुजरने वाले जल निकासी नालों का निर्माण/ उन्नयन	10.39	8.64	0	
22.	डिगीयाना, प्रीत नगर इत्यादि के जल निकासी नेटवर्क	5.38	4.36	2.43	चयनित
23.	डेली एक्सेल्सियर्स इत्यादि से गहरी नाली का निर्माण	6.90	4.91	0	
24.	राजीव नगर नाले का निर्माण	9.37	0	0	
शहरी परिवहन क्षेत्र					
25.	पैदल यात्री मार्गों, फुटपाथों और साइकिल ट्रैकों का विकास	5.46	4.24	2.06	चयनित
26.	इंटेलिजेन्ट ट्रैफिक सिस्टम जम्मू	19.09	14.25	8.40	चयनित
27.	पंजतीर्थी, परेड, सर्कुलर रोड और गांधी नगर में मल्टी-टीयर पार्किंग का निर्माण	24.00	27.87	0	चयनित
28.	पीरखो में मल्टी-टियर पार्किंग का निर्माण	19.90	0	0	चयनित
ग्रीन स्पेस सेक्टर					
29.	जम्मू के भिन्न-भिन्न नालों के दोनों किनारों पर ग्रीन स्पेस का विकास	5.04	3.97	2.63	चयनित
30.	नाले के किनारे पार्क का विकास, मुठी कैंप जेडीए	1.28	0.78		
	कुल परियोजनाएं = 30 चयनित = 20				
(2) अनंतनाग					
सीवरेज और सेप्टेज सेक्टर					
1.	62 केएलडी सेप्टेज ट्रीटमेन्ट हेतु वैकल्पिक प्रौद्योगिकी	3.44	3.30	2.85	
2.	4 एमएलडी एसटीपी और सीवरेज पाइप लाइन का निर्माण (ए) अनंतनाग में 4.00 एमएलडी एसटीपी का डिजायन, निर्माण, संस्थापन, कमिशनिंग	40.22	13.90	5.49	चयनित
3.	(बी) अनंतनाग में सीवर्स, मैनहोल और हाउस कनैक्शन बिछाते हुए सीवरेज सिस्टम का निर्माण		16.81	9.14	चयनित
4.	सीवर जेटिंग मशीन और सकेट्स की अधिप्राप्ति	1.55	0	0	चयनित

क्रं. सं.	परियोजना का नाम	डीपीआर लागत	आबंटित लागत	व्यय	अभ्युक्तियाँ
जल निकासी क्षेत्र					
5.	खुले क्षेत्रों में तूफान के जल की नालियों का निर्माण	12.07	3.652	8.28	चयनित
6.	केपी रोड इत्यादि में तूफान के जल की नालियों का निर्माण		2.7285		
7.	खानाबल और जंगलात मण्डी इत्यादि में तूफानी जल नालियों का निर्माण		3.2950		
हरित स्थान					
8.	शीरापोरा अनंतनाग में पार्क का विकास	0.56	0.33	0.30	
9.	खानाबल कॉरीडोर का विकास/ सौन्दर्यीकरण	0.31	0.36	0.16	चयनित
10.	अनंतनाग में पार्क का निर्माण	0.93	0.7905	0	
जलापूर्ति					
11.	विश्वविद्यालय क्षेत्र में जलापूर्ति उपलब्ध कराना	6.20	1.62	1.10	चयनित
शहरी परिवहन					
12.	जंगलात मण्डी में बहु-स्तरीय पार्किंग का निर्माण	17.00	14.45	0.28	चयनित
	कुल परियोजनाएं = 12 चयनित = 10				
(3) कारगिल					
सीवरेज और सेप्टेज					
1.	सेप्टेज प्रबंधन और मशीनों की अधिप्राप्ति	3.20	3.04	1.70	
जलापूर्ति					
2.	वितरण नेटवर्क को बिछाना और सेवा जलाशयों इत्यादि का निर्माण (ए) ग्रेविटी मैन 300 एमएम इत्यादि को उपलब्ध कराना, बिछाना और फिटिंग	12.10	5.075	5.00	
3.	(बी) प्री-सेटिंग, क्लैरीफ्लोक्यूलेटर इत्यादि का निर्माण		4.400		
4.	दो चौकीदार क्वार्टरों का निर्माण		0.18		
5.	पहुँच मार्ग का निर्माण		0.428		
6.	ऊर्जा एफीसियेंट पंपिंग सहित लिफ्ट जलापूर्ति योजना का विकास	2.96	1.75	0.39	
7.	एसआर चंचीक से लंकूर लिफ्ट सिंचाई योजना को शामिल करते हुए वितरण जाल का उन्नयन/ बिछाना इत्यादि	19.27	11.53	0.11	
8.	इन्द्र नगर बारू में दो क्विक विन पार्को का विकास	0.30	0.31	0.27	
9.	शीर बाग बारू में पार्को का विकास	1.80	1.40	1.20	
10.	बुलबुल बाग में पार्को का विकास	0.902	0.6651	0.60	
(4) श्रीनगर					
सीवरेज और सेप्टेज सेक्टर					
1.	सेप्टेज ट्रीटमेन्ट की वैकल्पिक प्रौद्योगिकी (ए) आचन, श्रीनगर जोन-2 में 130 केएलडी सेप्टेज ट्रीटमेन्ट प्लांट का डिजायन, निर्माण इरेक्शन, परीक्षण और कमीशनिंग	8.61	4.70	5.12	चयनित

क्रं. सं.	परियोजना का नाम	डीपीआर लागत	आबंटित लागत	व्यय	अभ्युक्तियाँ
2.	(बी) अलूची-बाग/ टेंगपोरा, श्रीनगर जोन-1 में 164 केएलडी सेप्टेज ट्रीटमेन्ट प्लांट का डिजायन, निर्माण, इरेक्शन, परीक्षण और कमीशनिंग	10.41	5.94		चयनित
3.	डल झील जोन 2 और एलएडब्ल्यूडीए के 3 के परिधीय क्षेत्र हेतु सीवरेज योजना	24.80	18.85	7.88	
4.	सकर/ जेटिंग मशीनें	7.90		अभी तक आबंटित नहीं	चयनित
जल निकासी क्षेत्र					
5.	लाल चौक में अपशिष्ट स्थिर क्षेत्रों में जल निकासी नेटवर्क का निर्माण (जोन 1, 2 व 3)	10.88	9.45	8.42	
6.	शालटेंग में	18.16	14.71	6.18	चयनित
7.	इंदरा नगर में	21.03	9.67	5.23	
8.	मलबाग में	8.49	5.22	4.73	
9.	डिवाटरिंग स्टेशनों का निर्माण/ उन्नयन	4.00	3.24	1.86	
10.	गंगबक क्षेत्र के लिए तूफानी जल निकासी योजना	12.67	8.14	8.14	चयनित
11.	बरी नामबल का पुनर्नवीकरण (ए) पैच निर्माण कार्य प्रत्येक 250 एम (i) सेक्शन प्रथम एमपी स्कूल की तरफ	6.80			चयनित
	ii) सेक्शन द्वितीय एमपी स्कूल की तरफ				
	(iii) सेक्शन प्रथम बाबा दाउद खाकी पुल से				
	(iv) सेक्शन द्वितीय बाबा दाउद खाकी पुल से				
12.	बरी नामबल का पुनर्नवीकरण (ए) तलकर्षण कार्य (i) आरडी 0 से 370.79 एम (ii) आरडी 370.79 से 831.65 एम (iii) आरडी 831.65 से 1,044.64 एम (iv) आरडी 1,044.64 से 1,294 एम (v) आरडी 1,294 से 1,412.93 एम (vi) आरडी 0 से 250 एम-दो मल्लाहों सहित कुचू (vii) आरडी 250 से 500 एम-दो मल्लाहों सहित कुचूओं की आपूर्ति (viii) आरडी 500 से 750 एम-दो मल्लाहों सहित कुचूओं की आपूर्ति (ix) आरडी 750 से 1,000 एम-दो मल्लाहों सहित कुचूओं की आपूर्ति (x) आरडी 1,000 से 1,500 एम-दो मल्लाहों सहित कुचूओं की आपूर्ति		1.50	शून्य	चयनित

क्रं. सं.	परियोजना का नाम	डीपीआर लागत	आबंटित लागत	व्यय	अभ्युक्तियाँ
शहरी परिवहन क्षेत्र					
13.	शेख बाग में बहु-स्तरीय पार्किंग का निर्माण	23.04	22.61	6.59	चयनित
14.	एसएमजी में बहु-स्तरीय पार्किंग का निर्माण	30.05	26.91	9.46	
15.	(ए) पंथा चौक पर आइडल पार्किंग	5.00	1.28	1.13	
	(बी) बस टर्मिनल पंथा चौक पर 3 नंबर यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण		0.299		
	(सी) बस टर्मिनल पंथा चौक की सड़क का तारकोली रोड़ी ढलना के माध्यम से विकास		2.07		
16.	इंटेलिजेन्ट ट्रैफिक सिस्टम फेज-I	5.46	4.15	0.00	चयनित
17.	बसों की अधिप्राप्ति	10.10	10.1	2.23	
18.	वॉकवे/ फुटपाथों और श्रीन बाग साइकिल ट्रैकों का विकास	1.02	1.02		चयनित
19.	पीरबाग बंद के साथ पैदल मार्ग का विकास	2.05	1.83	0.65	
20.	रामबाग से टेंगपोरा बंद तक हरित पट्टी का विकास	1.58	1.53	0.62	
21.	श्रीन बाग बंद (दारिश कादल की तरफ) में वॉकवे/ फुटपाथ का विकास	0.70	0.70	0.16	चयनित
22.	निशात सोथ से निशात के साथ-साथ रैनवारी की तरफ साइकिल ट्रैक का विकास	2.94	0.00	अभी तक आबंटित नहीं	चयनित
23.	इंटेलिजेन्ट ट्रैफिक सिस्टम फेज-II	10.46		अभी तक निविदाकृत नहीं	चयनित
ग्रीन स्पेस					
24.	झेलम बंदों के साथ-साथ ग्रीन स्पेस का विकास	1.09	0.92	0.70	चयनित
25.	आचन में एसएलएफ साइट पर बफर जोन का सृजन	1.33	0.94	0.00	चयनित
26.	ट्यूलिप उद्यान का विस्तार	1.56	0.59	0.56	
27.	पार्क/ ग्रीन स्पेस का विकास (बेमिना पार्क)	2.20	1.80	1.46	
28.	बरी नामबल फेज-III का पुनर्नवीकरण	5.00	0.41		
29.	बरी नामबल फेज-IV का पुनर्नवीकरण	5.11		अभी तक आबंटित नहीं	
जलापूर्ति					
30.	टर्नकी आधार पर रांगिल में पुराने गांदरबल विद्युत गृह जल उपचार संयंत्र के अग्रखण्ड से 1,200 एमएम डीआईए के-9 डक्टाइल आयरन पाइप लाइन के परिचालन और अनुरक्षण को सम्मिलित करते हुए कमीशनिंग, बिछाना/ उपलब्ध कराना	20.19	20.66	2.00	चयनित
	कुल परियोजनाएं = 30 चयनित = 23				

क्रं. सं.	परियोजना का नाम	डीपीआर लागत	आबंटित लागत	व्यय	अभ्युक्तियाँ
(5) लेह					
सीवरेज और सेप्टेज क्षेत्र					
1.	दो सकर और जेटिंग मशीनों की अधिप्राप्ति	1.92	0.37		
जलापूर्ति क्षेत्र					
2.	दोषपूर्ण पाइपों के प्रतिस्थापन और एसडब्ल्यूआर और जीएसआर वितरण घटक के निर्माण सहित वितरण जाल को बिछाना/ उपलब्ध कराना	4.88	1.15		चयनित
3.	जलाशय घटक		0.44		
4.	राइजिंग मेन घटक		1.28		
ग्रीन स्पेस सेक्टर					
5.	विद्यमान 4 पार्कों का सुधार/ विकास तथा यूएलबी में विभिन्न क्विक-इन-पार्कों का विकास (ए) मुर्तसे पार्क	1.60	0.60	0.65	चयनित
6.	(बी) मनाली पार्क		0.68	0.68	चयनित
7.	मांगल्य बाग में ग्रीन स्पेस का सृजन	2.40	2.54		
शहरी परिवहन क्षेत्र					
8.	एसएनएम अस्पताल के पास फुट ओवर ब्रिज का निर्माण	2.71	0.83	0.00	
9.	मीडियन डिवाइडर व मिनी पार्किंग सिस्टम के सृजन द्वारा लेह कस्बे में यातायात प्रबंधन	0.70	0.61	0.34	
10.	बहु-स्तरीय पार्किंग का विकास	27.83	26.95	0.00	चयनित
	कुल परियोजनाएं = 10 चयनित = 4				

जिला वार कुल उप-परियोजनाओं की संख्या और चयनित उप-परियोजनाओं की संख्या

क्र. सं.	चयनित शहर/ कस्बे का नाम	कुल उप-परियोजनाएं	चयनित उप-परियोजनाएं
1.	जम्मू	30	18
2.	अनंतनाग	12	7
3.	श्रीनगर	30	16
4.	कारगिल	10	चयनित नहीं
5.	लेह	10	4
	कुल योग	**92**	**45**

(स्रोतः विभागीय अभिलेख और अनुमोदित दिशानिर्देश)

परिशिष्ट 5.4.1

(संदर्भित पैराग्राफ: 5.4.1)

जेकेयूएसडीआईपी के अंतर्गत जेकेईआरए द्वारा आरंभ की गयी पीएमआरपी/ पीएमडीपी वित्तपोषित परियोजनाओं का विवरण

(₹ कराड़ में)

क्र. सं.	उप-परियोजना का नाम	मूल लागत	परिशोधित लागत	पीएमआरपी व्यय	पीएमडीपी व्यय	कुल व्यय मार्च 2019	लागत वृद्धि	लागत लंघन	आरंभ की तिथि	समापन की लक्ष्य तिथि	समापन की वास्तविक तिथि	वित्तीय प्रगति मार्च 2019 (प्रतिशत)	भौतिक प्रगति मार्च 2020 (प्रतिशत)	अभ्युक्तियाँ
1.	श्रीनगर में सेनेटरी लैण्डफिल साइट के लिए पहुँच मार्ग	2.20	2.57	2.57	0.00	2.57	0.37	0.37	18.06.2008	17.10.2008	17.08.2011	100.00	100.00	पीएमआरपी के अंतर्गत आरंभ एवं पूर्ण की गयी परियोजनाएं
2.	अचन श्रीनगर में सेनेटरी लैण्डफिल साइट (सैल 1) पर निर्माण कार्यों की अधिप्राप्ति	14.59	24.11	23.77	0.00	23.77	9.53	9.18	24.12.2008	01.06.2011	21.08.2015	100.00	100.00	
3.	हरवान निशात रॉ वाटर पाइपलाइन	16.58	15.05	14.31	0.00	14.31	0.00	0.00	18.11.2010	11.05.2011	17.05.2015	100.00	100.00	
4.	पीएचईडी लोट 4 के लिए मोबाइल वाटर टैंकर्स और ओएण्डएम उपकरण की अधिप्राप्ति	0.30	0.32	0.32	0.00	0.32	0.03	0.03	10.12.2013	09.06.2014	09.07.2014	100.00	100.00	
5.	एसएमसी लोट 4 के लिए एसडब्ल्यूएम उपकरण की अधिप्राप्ति	0.96	1.03	1.03	0.00	1.03	0.07	0.07	28.10.2013	10.06.2014	10.07.2014	100.00	100.00	

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>उप-परियोजना का नाम</th><th>मूल लागत</th><th>परिशोधित लागत</th><th>पीएमआरपी व्यय</th><th>पीएमडीपी व्यय</th><th>कुल व्यय मार्च 2019</th><th>लागत वृद्धि</th><th>लागत लंघन</th><th>आरंभ की तिथि</th><th>समापन की लक्ष्य तिथि</th><th>समापन की वास्तविक तिथि</th><th>वित्तीय प्रगति मार्च 2019 (प्रतिशत)</th><th>भौतिक प्रगति मार्च 2020 (प्रतिशत)</th><th>अभ्युक्तियाँ</th></tr>
<tr><td>6.</td><td>श्रीनगर नगर निगम लॉट 5 के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपकरण की अधिप्राप्ति</td><td>2.56</td><td>3.10</td><td>3.10</td><td>0.00</td><td>3.10</td><td>0.54</td><td>0.54</td><td>30.09.2014</td><td>30.03.2015</td><td>30.07.2015</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>पीएमआरपी के अंतर्गत आरंभ एवं पूर्ण की गयी परियोजनाएं</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>श्रीनगर नगर निगम लॉट-2 के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपकरण का एसएण्डडी</td><td>1.90</td><td>2.37</td><td>2.30</td><td>0.07</td><td>2.37</td><td>0.47</td><td>0.47</td><td>14.06.2014</td><td>13.12.2014</td><td>14.05.2015</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td rowspan="4">पीएमआरपी के तहत आरंभ की गयी लेकिन पीएमडीपी के अंतर्गत पूरी (वित्तीय रूप से) की गयी परियोजनाएं</td></tr>
<tr><td>8.</td><td>श्रीनगर नगर निगम डम्पर लॉट 3 के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपकरणों की आपूर्ति और वितरण-</td><td>2.46</td><td>3.05</td><td>3.02</td><td>0.03</td><td>3.05</td><td>0.59</td><td>0.59</td><td>14.06.2014</td><td>13.12.2014</td><td>14.02.2015</td><td>100.00</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>9.</td><td>लॉट 3: पिकअप वाहन/ डिलीवरी वैन की आपूर्ति श्रीनगर</td><td>0.25</td><td>0.25</td><td>0.23</td><td>0.02</td><td>0.25</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>14.06.2014</td><td>13.02.2015</td><td>14.09.2015</td><td>100.00</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>लॉट 5: जेसीबी 3 डीएक्स सुपर प्रकार के बैकहो लोडर की आपूर्ति और सुपुर्दगी</td><td>0.38</td><td>0.38</td><td>0.34</td><td>0.04</td><td>0.38</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>30.09.2014</td><td>29.06.2015</td><td>16.09.2015</td><td>100.00</td><td>100.00</td></tr>
</table>

क्र. सं.	उप-परियोजना का नाम	मूल लागत	परिशोधित लागत	पीएमआरपी व्यय	पीएमडीपी व्यय	कुल व्यय मार्च 2019	लागत वृद्धि	लागत लंघन	आरंभ की तिथि	समापन की लक्ष्य तिथि	समापन की वास्तविक तिथि	वित्तीय प्रगति मार्च 2019 (प्रतिशत)	भौतिक प्रगति मार्च 2020 (प्रतिशत)	अभ्युक्तियाँ
11.	जम्मू में सीवरेज नेटवर्क पैकेज-1	26.91	24.44	14.75	0.09	14.84	0.00	0.00	01.12.2009	31.05.2012	समाप्त	शून्य	67.96	पीएमआरपी के तहत समाप्त और पीएमआरपी के तहत पुनः आबंटित
12.	जम्मू में सीवरेज नेटवर्क पैकेज-2	42.92	60.85	22.28	-0.07	22.21	17.93	0.00	01.12.2009	30.11.2012	समाप्त	शून्य	31.45	
13.	बक्शी नगर, शक्ति नगर, जम्मू डब्ल्यूडब्ल्यू-7 में सीवरेज नेटवर्क	58.08	58.06	2.65	53.35	56.00	0.00	0.00	28.09.2015	27.12.2016	31.03.2018	96.44	99.00	क्र. सं. 11 व 12 के शेष निर्माण कार्यों को साथ जोड़ा गया
14.	30 एमएलडी एसटीपी जम्मू का निर्माण	28.61	36.73	30.88	5.85	36.73	8.12	8.12	09.06.2010	08.12.2012	30.04.2017	100.00	100.00	
15.	विद्यमान लैण्डफिल साइट, श्रीनगर में सेनेटरी लैण्डफिल सैल सं. 2 का निर्माण	18.61	33.59	22.96	8.98	31.94	14.98	13.33	29.08.2012	28.12.2013	03.09.2018	95.11	100.00	
16.	बक्शी नगर, जानीपुर, शिव नगर और शक्ति नगर, जम्मू में तूफान जल नाली सीवरेज नेटवर्क	10.83	11.03	2.13	7.94	10.07	0.20	0.00	27.06.2014	26.12.2015	31.10.2017	86.17	100.00	
17.	श्रीनगर में जहांगीर चौक से रामबाग-नातीपोरा फ्लाईओवर	200.74	340.43	169.63	192.50	362.13	139.69	161.39	22.06.2013	21.06.2016	(प्रगति पर)	71.34	98.50	

क्र. सं.	उप-परियोजना का नाम	मूल लागत	परिशोधित लागत	पीएमआरपी व्यय	पीएमडीपी व्यय	कुल व्यय मार्च 2019	लागत वृद्धि	लागत लंघन	आरंभ की तिथि	समापन की लक्ष्य तिथि	समापन की वास्तविक तिथि	वित्तीय प्रगति मार्च 2019 (प्रतिशत)	भौतिक प्रगति मार्च 2020 (प्रतिशत)	अभ्युक्तियाँ
18.	बिक्रम चौक फ्लाईओवर जम्मू का निर्माण	64.30	81.35	28.09	56.75	84.84	17.05	20.54	15.05.2013	14.05.2016	30.05.2017	99.60	100.00	
19.	चन्नी हिम्मत जम्मू में तूफान जल की नालियों का पुनर्वास और चैनलाइज़ेशन	14.87	13.02	7.67	6.23	13.90	0.00	0.00	15.05.2013	14.05.2015	30.05.2017	97.05	100.00	
20.	एमएण्डई उपकरण लॉट I जम्मू के संस्थापन सहित नलकूपों का निर्माण	18.76	21.19	2.87	16.11	18.98	2.43	0.22	01.07.2013	30.06.2016	31.08.2017	83.72	100.00	
21.	जम्मू में घिसी-पिटी पाइपलाइनों का प्रतिस्थापन और नई पाइपलाइनों को बिछाना	35.76	25.04	5.61	10.58	16.19	0.00	0.00	15.07.2013	14.07.2016	प्रगति पर	66.66	80.00	
22.	लाल चौक श्रीनगर के पास पार्किंग सुविधा का निर्माण	26.75	27.52	5.41	17.44	22.85	0.77	0.00	24.08.2013	23.02.2015	30.05.2017	77.86	100.00	
23.	अथवाजन, श्रीनगर में सतही जल अपवाह प्रणाली	40.40	45.92	11.40	21.62	33.02	5.52	0.00	30.08.2013	29.08.2016	समाप्त (27.12.2018)	66.35	78.00	समाप्त
	अथवाजन, श्रीनगर में सतही जल अपवाह प्रणाली के शेष निर्माण कार्य	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.03.2019	19.06.2019	प्रगति पर	शून्य	21.76	शेष कार्य पुनः आबंटित

क्र. सं.	उप-परियोजना का नाम	मूल लागत	परिशोधित लागत	पीएमआरपी व्यय	पीएमडीपी व्यय	कुल व्यय मार्च 2019	लागत वृद्धि	लागत लंघन	आरंभ की तिथि	समापन की लक्ष्य तिथि	समापन की वास्तविक तिथि	वित्तीय प्रगति मार्च 2019 (प्रतिशत)	भौतिक प्रगति मार्च 2020 (प्रतिशत)	अभ्युक्तियाँ
24.	जम्मू में ट्यूबवैलों में घिसी-पिटी मशीनरियों का प्रतिस्थापन	23.26	24.12	4.44	21.34	25.78	0.86	2.52	26.10.2013	25.10.2015	31.08.2017	94.52	100.00	
25.	श्रीनगर नगर निगम लॉट 1 के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपकरण की अधिप्राप्ति	1.56	1.90	1.90	0.00	1.90	0.34	0.34	03.08.2015	02.02.2016	02.03.2016	100.00	100.00	
26.	शहर जलापूर्ति लॉट 2 जम्मू के तहत एमएण्डई उपकरणों के संस्थापन सहित ट्यूबवैलों का निर्माण	12.02	11.64	2.68	7.44	10.12	0.00	0.00	01.07.2013	30.06.2015	31.08.2017	81.25	100.00	
27.	डिगियाना, गंग्याल, आश्रम, थेंजर और ट्रिब्यूटरी जम्मू में तूफान के पानी की नालियाँ	82.10	113.72	41.34	78.28	119.62	31.62	37.52	05.11.2014	04.02.2017	30.05.2017	99.24	100.00	
28.	जम्मू में घरेलू जल मीटरों की आपूर्ति, संस्थापन और अपसारण	4.60	2.08	0.81	1.07	1.88	0.00	0.00	09.04.2015	08.04.2016	31.12.2016	95.38	100.00	

क्र. सं.	उप-परियोजना का नाम	मूल लागत	परिशोधित लागत	पीएमआरपी व्यय	पीएमडीपी व्यय	कुल व्यय मार्च 2019	लागत वृद्धि	लागत लंघन	आरंभ की तिथि	समापन की लक्ष्य तिथि	समापन की वास्तविक तिथि	वित्तीय प्रगति मार्च 2019 (प्रतिशत)	भौतिक प्रगति मार्च 2020 (प्रतिशत)	अभ्युक्तियाँ
29.	लॉट 1: विभिन्न क्षमताओं वाले जल टैंकरों की आपूर्ति और सुपुर्दगी	3.51	3.55	0.35	3.20	3.55	0.04	0.04	03.08.2015	02.02.2016	03.03.2016	99.87	100.00	
30.	रावलपोरा चौक से चनापोरा श्रीनगर तक तूफान के जल की अपवाह प्रणाली	107.01	162.12	42.33	132.01	174.34	55.11	67.33	09.06.2014	08.12.2016	28.02.2019	96.67	100.00	
31.	जम्मू में जलापूर्ति पाइप नेटवर्क जोन 2, 3, 4 और 5 का पुनर्वास	72.98	73.48	9.80	55.90	65.70	0.49	0.00	26.02.2015	25.10.2016	31.12.2017	93.69	100.00	
32.	जवाहर नगर में नया मेहजूर पुल और श्रीनगर में टू ग्रेड सेपरेटर्स	41.83	64.68	2.73	44.56	47.29	22.85	5.46	24.06.2015	23.12.2016	30.06.2019	57.01	100.00	
33.	दूधगंगा श्रीनगर के उच्च उपगमनों से रॉ वाटर पाइपलाइन	43.05	43.17	9.44	24.88	34.32	0.12	0.00	10.10.2014	09.10.2016	समाप्त (27.12.2018)	76.99	87.00	समाप्त
	दूधगंगा के उच्च उपगमनों से रॉ वाटर पाइपलाइनों के शेष निर्माण कार्य	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.05.2019	26.08.2019	प्रगति पर	शून्य	10.60	शेष कार्य पुनः आबंटित

क्र. सं.	उप-परियोजना का नाम	मूल लागत	परिशोधित लागत	पीएमआरपी व्यय	पीएमडीपी व्यय	कुल व्यय मार्च 2019	लागत वृद्धि	लागत लंघन	आरंभ की तिथि	समापन की लक्ष्य तिथि	समापन की वास्तविक तिथि	वित्तीय प्रगति मार्च 2019 (प्रतिशत)	भौतिक प्रगति मार्च 2020 (प्रतिशत)	अभ्युक्तियाँ
34.	अचन, श्रीनगर में विद्यमान लैण्डफिल साइट सेनेटरी लैण्डफिल साइट सैल 3 का निर्माण	19.55	19.55	0.00	11.12	11.12	0.00	0.00	12.09.2015	08.07.2016	03.09.2018	47.53	100.00	
35.	श्रीनगर लॉट ए में विद्यमान जल निकासी पंपिंग स्टेशनों का उन्नयन और उत्थान	30.26	30.24	0.00	22.62	22.62	0.00	0.00	01.10.2015	24.12.2016	28.02.2019	66.85	100.00	
36.	श्रीनगर में विद्यमान जल निकासी पंपिंग स्टेशनों का उन्नयन और उत्थान	20.84	16.24	0.00	11.46	11.46	0.00	0.00	01.10.2015	24.12.2016	28.02.2019	59.25	100.00	
37.	भवानी नगर, जम्मू (राज्य वित्तपोषित)	47.25	52.88	30.24	-7.93	22.31	0.00	0.00	01.12.2009	30.11.2012	समाप्त (27.02.16)	अनुपलब्ध	44.25	पीएमडीपी के तहत समाप्त
38.	भवानी नगर, जम्मू	12.91	16.41	0.00	9.23	9.23	3.50	0.00	10.02.2017	09.02.2018	प्रगति पर	56.22	82.00	उपर्युक्त क्र. सं. 37 के शेष निर्माण कार्य
39.	जानीपुर, जम्मू	10.63	14.09	0.00	6.66	6.66	3.46	0.00	10.02.2017	09.02.2018	प्रगति पर	47.26	68.00	
40.	पीएचईडी, श्रीनगर के लिए उपकरण का एसएण्डडी विभिन्न पंप श्रीनगर लॉट-1	0.25	0.25	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	18.05.2016	17.08.2016	10.11.2016	100.00	100.00	

क्र. सं.	उप-परियोजना का नाम	मूल लागत	परिशोधित लागत	पीएमआरपी व्यय	पीएमडीपी व्यय	कुल व्यय मार्च 2019	लागत वृद्धि	लागत लंघन	आरंभ की तिथि	समापन की लक्ष्य तिथि	समापन की वास्तविक तिथि	वित्तीय प्रगति मार्च 2019 (प्रतिशत)	भौतिक प्रगति मार्च 2020 (प्रतिशत)	अभ्युक्तियाँ
41.	पीएचईडी, श्रीनगर के लिए उपकरण का एसएण्डडी ऑटो प्राइम पंप 5-क्यूसेक लॉट 2	0.60	0.60	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	19.05.2016	18.08.2016	23.05.2017	99.77	100.00	
42.	पीएचईडी, श्रीनगर के लिए उपकरण का एसएण्डडी ऑटो प्राइम पंप 3-क्यूसेक लॉट 3	0.66	0.66	0.00	0.65	0.65	0.00	0.00	28.05.2016	27.08.2016	23.05.2017	99.82	100.00	
43.	पीएचईडी, श्रीनगर के लिए उपकरण का एसएण्डडी सेल्फ-प्राइम पंप 77.5 एलटीएस/ एसईसी लॉट 4	0.24	0.24	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00	19.05.2016	18.08.2016	28.02.2017	99.37	100.00	
44.	पीएचईडी, श्रीनगर के लिए उपकरण का एसएण्डडी डीजी सेट 320 केवीए (2) 11 केवी/ 440वी, 100 केवीए एचटी डिस्ट. ट्रांस. लॉट-5	0.66	0.66	0.00	0.66	0.66	0.00	0.00	07.06.2016	06.08.2016	18.10.2016	100.00	100.00	
45.	अल्ट्रा-सोनिक प्रवाह मीटर के एसएण्डडी का व्यास: (ए) 600 मिमी से 1,200 वेग	0.18	0.18	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	16.06.2016	15.09.2016	02.12.2016	100.00	100.00	

क्र. सं.	उप-परियोजना का नाम	मूल लागत	परिशोधित लागत	पीएमआरपी व्यय	पीएमडीपी व्यय	कुल व्यय मार्च 2019	लागत वृद्धि	लागत लंघन	आरंभ की तिथि	समापन की लक्ष्य तिथि	समापन की वास्तविक तिथि	वित्तीय प्रगति मार्च 2019 (प्रतिशत)	भौतिक प्रगति मार्च 2020 (प्रतिशत)	अभ्युक्तियाँ
46.	पानी के टैंकर की आपूर्ति और सुपुर्दगी 4के लॉट 5	0.63	0.63	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	27.06.2016	26.10.2016	30.07.2017	80	100.00	
47.	लॉट 6: छोटे उत्खनक, पोर्टेबल डामर, कंक्रीट की आपूर्ति और सुपुर्दगी	0.35	0.35	0.00	0.35	0.35	0.00	0.00	01.08.2016	15.09.2016	15.11.2016	100.00	100.00	
48.	लॉट 9: हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन की आपूर्ति और सुपुर्दगी	0.59	0.59	0.00	0.59	0.59	0.00	0.00	01.10.2016	31.01.2017	10.05.2017	100.00	100.00	
49.	लॉट 11: एसएमसी में उपयोग के लिए उपकरणों की आपूर्ति और सुपुर्दगी	0.67	0.67	0.00	0.66	0.66	0.00	0.00	19.10.2016	18.01.2017	17.05.2017	99.66	100.00	
50.	एसएमसी में उपयोग के लिए उपकरणों की आपूर्ति और सुपुर्दगी	0.59	0.59	0.00	0.59	0.59	0.00	0.00	17.10.2016	09.01.2017	26.05.2017	100.00	100.00	
51.	बहु-स्तरीय पार्किंग जम्मू का निर्माण और परिचालन	46.11	46.50	0.00	47.08	47.08	0.39	0.97	03.03.2016	02.06.2017	30.09.2017	92.86	100.00	

क्र. सं.	उप-परियोजना का नाम	मूल लागत	परिशोधित लागत	पीएमआरपी व्यय	पीएमडीपी व्यय	कुल व्यय मार्च 2019	लागत वृद्धि	लागत लंघन	आरंभ की तिथि	समापन की लक्ष्य तिथि	समापन की वास्तविक तिथि	वित्तीय प्रगति मार्च 2019 (प्रतिशत)	भौतिक प्रगति मार्च 2020 (प्रतिशत)	अभ्युक्तियाँ
52.	जम्मू में एनआरडब्ल्यू कमी प्रबंधन संविदा घरेलू जल मीटर की अधिप्राप्ति	26.24	24.80	0.00	22.97	22.97	0.00	0.00	28.03.2016	27.03.2017	30.09.2017	92.60	100.00	
53.	जम्मू में विस्तृत प्रवाह मीटर की आपूर्ति और संस्थापन	23.16	22.98	0.00	20.50	20.50	0.00	0.00	10.06.2016	09.03.2017	15.03.2018	89.20	100.00	
	कुल	**1,272.28**	**1,589.24**	**523.38**	**915.19**	**1,438.57**	**333.60**	**329.03**						

(स्रोतः विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट 5.4.2
(संदर्भित पैराग्राफ: 5.4.5)
नमूना-जाँच के लिए प्रतिदर्श के रूप में चयनित जेकेयूएसडीआईपी उप-परियोजनाओं के ब्योरों को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उप-परियोजना का नाम	मूल लागत	परिशोधित लागत	पीएमआरपी व्यय	पीएमडीपी व्यय	कुल व्यय मार्च 2019	लागत वृद्धि	लागत लंघन	आरंभ की तिथि	समापन की लक्ष्य तिथि	समापन की वास्तविक तिथि	विलंब (दिवस)	वित्तीय प्रगति मार्च 2019 (प्रतिशत)	भौतिक प्रगति मार्च 2020 (प्रतिशत)	अभ्युक्तियाँ
1.	भवानी नगर, जम्मू (3-ए)	12.91	16.41	0.00	9.23	9.23	3.50	0.00	10.02.2017	09.02.2018	प्रगति पर	781	56.22	82.00	समाप्त संविदा का शेष कार्य
2.	जानीपुर, जम्मू (3-बी)	10.63	14.09	0.00	6.66	6.66	3.46	0.00	10.02.2017	09.02.2018	प्रगति पर	781	47.26	68.00	
3.	घरेलू पानी के मीटरों की आपूर्ति/ संस्थापन/ अपनयन	4.60	2.08	0.81	1.07	1.88	0.00	0.00	09.04.2015	08.04.2016	31.12.2016	267	95.38	100.00	
4.	श्रीनगर लॉट ए में विद्यमान ड्रेनेज पंपिंग स्टेशनों का उन्नयन और उत्थान	30.26	30.24	0.00	22.62	22.62	0.00	0.00	01.10.2015	24.12.2016	28.02.2019	796	66.85	100.00	
5.	पीएचईडी श्रीनगर के लिए उपकरण का एसएण्डडी- डीजी सेट इत्यादि लॉट 5	0.66	0.66	0.00	0.66	0.66	0.00	0.00	07.06.2016	06.08.2016	18.10.2016	73	100.00	100.00	
6.	एसएमसी में उपयोग हेतु उपकरणों का एसएण्डडी	0.67	0.67	0.00	0.66	0.66	0.00	0.00	19.10.2016	18.01.2017	17.05.2017	119	100.00	100.00	
7.	अधिक ऊंचाईयों से रॉ वाटर पाइपलाइन-दूधगंगा	43.05	43.17	9.44	24.88	34.32	0.12	0.00	10.10.2014	09.10.2016	समाप्त (27.12.2018)	1269	80.96	87.00	समाप्त
	पुन: निविदाकृत शेष कार्य	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.05.2019	26.08.2019	प्रगति पर		शून्य	10.60	शेष कार्य
8.	जम्मू में एनआरडब्ल्यू कमी प्रबंधन संविदा	26.24	24.80	0.00	22.97	22.97	0.00	0.00	28.03.2016	27.03.2017	30.09.2017	187	92.60	100.00	
9.	विद्यमान लैंडफिल साइट पर लैंडफिल सेल नंबर 2 का निर्माण	18.61	33.59	22.96	8.98	31.94	14.98	13.33	29.08.2012	28.12.2013	03.09.2018	1710	99.44	100.00	
10.	श्रीनगर में जहांगीर चौक से रामबाग- नटिपोरा फ्लाईओवर	200.74	340.43	169.63	192.50	362.13	139.69	161.39	22.06.2013	21.06.2016	प्रगति पर	1379	87.54	98.50	

क्र. सं.	उप-परियोजना का नाम	मूल लागत	परिशोधित लागत	पीएमआरपी व्यय	पीएमडीपी व्यय	कुल व्यय मार्च 2019	लागत वृद्धि	लागत लंघन	आरंभ की तिथि	समापन की लक्ष्य तिथि	समापन की वास्तविक तिथि	विलंब (दिवस)	वित्तीय प्रगति मार्च 2019 (प्रतिशत)	भौतिक प्रगति मार्च 2020 (प्रतिशत)	अभ्युक्तियाँ
11.	बिक्रम चौक फ्लाईओवर, जम्मू का निर्माण	64.30	81.35	28.09	56.75	84.84	17.05	20.54	15.05.2013	14.05.2016	30.05.2017	381	99.60	100.00	
12.	एसएमसी लॉट-2 के लिए एसडब्ल्यूएम उपकरण का एसएण्डडी	1.90	2.37	2.30	0.07	2.37	0.47	0.47	14.06.2014	13.12.2014	14.05.2015	152	100.00	100.00	
13.	एसएमसी डम्पर लॉट-3 के लिए एसडब्ल्यूएम उपकरण का एसएण्डडी	2.46	3.05	3.02	0.03	3.05	0.59	0.59	14.06.2014	13.12.2014	14.02.2015	63	100.00	100.00	
14.	विभिन्न क्षमताओं के पानी के टैंकरों का एसएण्डडी लॉट-1	3.51	3.55	0.35	3.20	3.55	0.04	0.04	03.08.2015	02.02.2016	03.03.2016	30	100.00	100.00	
15.	बहु-स्तरीय पार्किंग जम्मू का निर्माण और परिचालन	46.11	46.50	0.00	47.08	47.08	0.39	0.97	03.03.2016	02.06.2017	30.09.2017	120	100.00	100.00	
	कुल	**470.63**	**646.94**	**236.60**	**397.36**	**633.95**	**180.29**	**197.33**							

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

परिशिष्ट 5.5.1

(संदर्भित पैराग्राफ: 5.5.1)

सितंबर 2020 तक नमूना उप-परियोजनाओं की प्रास्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उप-परियोजना का नाम	परियोजना लागत	जीओआई द्वारा उपलब्ध करायी गयी निधियाँ	निर्माण कार्यों की संख्या	कार्यान्वयन अभिकरण	अभ्युक्तियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	एसकेआईसीसी में पर्यटक सुविधाओं का विकास	9.25	7.19	6	शेर-ए-कश्मीर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय केन्द्र	क्षति प्रतिवेदन की तैयारी के बिना उप-परियोजना पूरी की गयी।
2.	डल झील में पर्यटक सुविधाओं का विकास	9.50	5.69	3	शेर-ए-कश्मीर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय केन्द्र	कोई क्षति प्रतिवेदन तैयार नहीं किया गया। उप-परियोजना पूर्ण नहीं की गयी थी और निर्माण कार्यों का निष्पादन प्रगति के अधीन था।
3.	बाबाडेम्ब लैगून में पर्यटक सुविधाओं का विकास	8.25	2.45	8	झील एवं जलमार्ग विकास प्राधिकरण	उप-परियोजना पूर्ण नहीं की गयी थी और निर्माण कार्यों का निष्पादन प्रगति के अधीन था।
4.	अथवाजन, श्रीनगर में पर्यटक पार्क का विकास	4.47	0.89	7	जेएण्डके आवास बोर्ड	उप-परियोजना पूर्ण नहीं की गयी थी और निर्माण कार्यों का निष्पादन प्रगति था।
5.	खादीनार पार्क-बारामूला का विकास	1.80	1.11	4	गुलमर्ग विकास प्राधिकरण	उप-परियोजना पूर्ण कर ली गयी थी।
6.	नागिन में पर्यटक सुविधाओं का विकास	5.20	3.31	6	निदेशक पर्यटन कश्मीर	क्षति प्रतिवेदन की तैयारी के बिना उप-परियोजना पूरी की गयी।
7.	मुगल उद्यानों- निशात बाग, शालीमार बाग और हर्वान में पर्यटक सुविधाओं का विकास	6.95	1.22	6	निदेशक पुष्पकृषि	उप-परियोजना की परियोजना लागत क्षतियों की लागत के अतिरिक्त संस्वीकृत की गयी थी। परियोजना पूर्ण कर ली गयी थी।
8.	सुरिनसर झील में पर्यटक सुविधाओं का विकास	1.50	-	1	सुरिनसर-मानसर विकास प्राधिकरण	क्षति प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं था। उप-परियोजना को पूरा नहीं किया गया था और निर्माण कार्यों का निष्पादन प्रगति पर था।
9.	मानसर झील में पर्यटक सुविधाओं का विकास	1.23	0.90	2	सुरिनसर-मानसर विकास प्राधिकरण	उप-परियोजना पूर्ण कर ली गयी थी लेकिन क्षति प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं था।
10.	भगवती नगर, जम्मू में पर्यटक सुविधाओं का विकास	15.96	9.02	15	निदेशक पर्यटन जम्मू	उप-परियोजना की परियोजना लागत क्षतियों की लागत के अतिरिक्त संस्वीकृत की गयी थी। उप-परियोजना पूर्ण नहीं की गयी थी और निर्माण कार्यों का निष्पादन प्रगति के अधीन था।
11.	राजौरी/ नौशेरा/ पुंछ में पर्यटक सुविधाओं का विकास	2.86	1.91	12	राजौरी विकास प्राधिकरण और पुंछ विकास प्राधिकरण	क्षति प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं था। उप-परियोजना पूर्ण नहीं की गयी थी और निर्माण कार्यों का निष्पादन प्रगति के अधीन था।
	कुल	**66.97**	**33.69**	**70**		

(स्रोत: विभागीय अभिलेख)

संक्षेपाक्षरों की शब्दावली

संक्षेपाक्षरों की शब्दावली

संक्षेपाक्षर	विस्तारित रूप
एएण्डई	लेखा व हकदारी
एए	प्रशासनिक अनुमोदन
एसी	शीर्ष समिति
एसीए	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता
एसीसी	शिल्पकार क्रेडिट कार्ड
एडीबी	एशियाई विकास बैंक
एआईआईएमएस	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
एएमआर	स्वचालित मीटर रीडिंग
एएमआरयूटी	पुनर्नवीकरण और शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन
एपीएल	गरीबी रेखा के ऊपर
एएसआई	सहायक उप-निरीक्षक
एएसपी	सक्रिय स्लज प्रक्रिया
बीएएमके	बाग-ए-अली मर्धान खान
बीईसी	बोली मूल्यांकन समिति
बीओजी	बोर्ड ऑफ गवर्नर्स
बीओक्यू	मात्रा का बिल
बीपी	बुलेट प्रूफ
बीपीएल	गरीबी रेखा के नीचे
बीपीएम	खण्ड कार्यक्रम प्रबंधक
बीएसयूपी	शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सेवाएं

संक्षेपाक्षर	विस्तारित रूप
सीएपीडी	उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण
सीएपीएफ	केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल
सीसीटीवी	क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन
सीडी	निर्माण प्रभाग
सीई	मुख्य अभियंता
सीईओ	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सीएफसी	शिल्प सुविधा केन्द्र
सीजीडब्ल्यूबी	केन्द्रीय भौमजल बोर्ड
सीआईडी	अपराध अन्वेषण विभाग
सीएम	मुख्यमंत्री
सीएमबीआईआरएस	मुख्यमंत्री व्यवसाय ब्याज राहत योजना
सीएमएफआरएफ	मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कोष
सीओओ	मुख्य परिचालन अधिकारी
सीपीएसएमएस	केन्द्रीय आयोजना योजना निगरानी प्रणाली
सीआरपी	सामुदायिक संसाधन व्यक्ति
सीआरपीएफ	केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल
सीयूएम	क्यूबिक मीटर
सीडब्ल्यूसी	केन्द्रीय जल आयोग
सीडब्ल्यूपीआरएस	केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केन्द्र
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण
डीसी	उपायुक्त
डीडीसी	जिला विकास आयुक्त

संक्षेपाक्षर	विस्तारित रूप
डीडीयू-जीकेवाई	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना
डीईए	आर्थिक मामले विभाग
डीजीपी	पुलिस महानिदेशक
डीजीएसएण्डडी	महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान
डीआईसी	जिला उद्योग केन्द्र
डीएमए	जिला मीटर्ड एरिया
डीपी	विस्थापित व्यक्ति
डीपीआर	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
डीएससी	अभिकल्प एवं पर्यवेक्षण परामर्शदाता
डीएसपी	उप पुलिस अधीक्षक
ईएपी	बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजना
ईई	कार्यपालक अभियंता
ईओसी	आपातकालीन संचालन केन्द्र
ईआरपी	उद्यम संसाधन योजना
एफबीआई प्रभाग	फिरोजपुर बेसिन सिंचाई प्रभाग
एफसी	बाढ़ नियंत्रण
एफसीआर	सुविधा समापन प्रतिवेदन
एफएमपी	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम
एफएससी	फ्लड स्पिल चैनल
जीडीसी	सरकारी डिग्री महाविद्यालय
जीईएम	सरकारी ई-मार्केट प्लेस
जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली

संक्षेपाक्षर	विस्तारित रूप
जीओआई	भारत सरकार
जीओजेएण्डके	जम्मू एवं कश्मीर सरकार
जीपी	ग्राम पंचायत
जीआर	प्राप्त माल
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
एचएण्डयूडीडी	आवास एवं शहरी विकास विभाग
एचसी	हेड कांस्टेबल
एचएचयू	हैण्ड हेल्ड इकाइयाँ
एचएमएमयू	हिमायत मिशन प्रबंधन इकाई
आईएण्डसी	उद्योग एवं वाणिज्य
आईएण्डएफसी	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण
आईबीए	भारतीय बैंक संगठन
आईई	औद्योगिक संपदा
आईएचएसडीपी	एकीकृत आवास एवं झुग्गी बस्ती विकास कार्यक्रम
आईआईएम	भारतीय प्रबंध संस्थान
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईएनटीएसीएच	भारतीय राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति विरासत न्यास
आईआर बटालियन	भारतीय रिज़र्व बटालियन
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आईटीएलएस	इंटेलिजेन्ट ट्रैफिक लाइट सिस्टम
जेएण्डके	जम्मू एवं कश्मीर
जेकेबीएल	जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड

संक्षेपाक्षर	विस्तारित रूप
जेकेसीसीसी	जम्मू एवं कश्मीर केबल कार निगम
जेकेईआरए	जम्मू एवं कश्मीर आर्थिक पुनर्निर्माण अभिकरण
जेकेएचबी	जम्मू एवं कश्मीर आवास बोर्ड
जेकेएचडीसी	जम्मू एवं कश्मीर हथकरघा विकास निगम
जेकेपीसीसी	जम्मू एवं कश्मीर परियोजना निर्माण निगम
जेकेपीएचसी	जम्मू एवं कश्मीर पुलिस आवास निगम
जेकेएसएलबीसी	जम्मू एवं कश्मीर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति
जेकेएसआरएलएम	जम्मू एवं कश्मीर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
जेकेयूएसडीआईपी	जम्मू एवं कश्मीर शहरी क्षेत्र विकास निवेश कार्यक्रम
जेएमसी	जम्मू नगर निगम
जेएनएनयूआरएम	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन
केसीसी	किसान क्रेडिट कार्ड
केएमएस	किलोमीटर
एलएएचडीसी	लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद
एलएलएससी	स्थानीय स्तरीय संचालन समिति
एमएण्डई	मशीनरी एवं उपकरण
एमएण्डडब्ल्यू	अनुरक्षण एवं निर्माण
एमबीबीआर	मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर
एमबीपीवी	मध्यम बुलेट प्रूफ वाहन
एमडी	प्रबंध निदेशक
एमएचए	गृह मंत्रालय

संक्षेपाक्षर	विस्तारित रूप
एमएलए	विधानसभा सदस्य
एमएलडी	मिलियन लीटर प्रतिदिन
एमओएचयूए	आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय
एमओआरडी	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एमओटी	पर्यटन मंत्रालय
एमओयू	सहमति ज्ञापन
एमओयूडी	शहरी विकास मंत्रालय
एमटी	मीट्रिक टन
एनएबीएआरडी	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
एनएबीसीओएनएस	नाबार्ड परामर्शी सेवाएं
एनबीएफसी	गैर-बैंकिग वित्तीय कंपनियाँ
एनडीएमए	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
एनएचआरसी	राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
एनआईटी	निविदा आमंत्रण सूचना
एनओसी	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
एनपी	गैर-दबाव
एनआरडब्ल्यू	गैर-राजस्व जल
ओबीसी	अन्य पिछड़ा वर्ग
ओईएम	मूल उपकरण विनिर्माता
ओएफसी	आउट फॉल चैनल
पीएण्डएस	योजना एवं सांख्यिकी
पीसी	व्यक्तिगत कंप्यूटर

संक्षेपाक्षर	विस्तारित रूप
पीसीआर	परियोजना समापन प्रतिवेदन
पीसीयू	यात्री कार इकाइयाँ
पीडीएण्डएमडी	योजना, विकास एवं निगरानी विभाग
पीडीडी	विद्युत विकास विभाग
पीएफएमएस	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
पीजी	स्नातकोत्तर
पीएचई	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी
पीएचईडी	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
पीएचक्यू	पुलिस मुख्यालय
पीआईए	कार्यक्रम कार्यान्वयन अभिकरण
पीएमडीपी	प्रधानमंत्री विकास पैकेज
पीएमएनआरएफ	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष
पीएमआरपी	प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण योजना
पीएनसी	मूल्य वार्ता समितियाँ
पीओए	मुख्तारनामा
पीओजेके	पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर
पीआरसी	स्थायी निवास प्रमाण-पत्र
पीआरओ	प्रांतीय पुनर्वास अधिकारी
पीडब्ल्यू (आरएण्डबी)	लोक निर्माण (सड़क एवं भवन)
आरसीसी	प्रबलित सीमेन्ट कंक्रीट
आरडी	रनिंग डिस्टेन्स
आरएलवीडी	लाल बत्ती संकेत उल्लंघन संसूचन

संक्षेपाक्षर	विस्तारित रूप
आरएम	रनिंग मीटर
आरटीओ	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी
एसएण्डडी	सीवरेज एवं ड्रेनेज
एसएएपी	राज्य वार्षिक कार्य योजना
एसएआर	संक्षिप्त मूल्यांकन प्रतिवेदन
एसबीआर	अनुक्रमिक बैच रिएक्टर
एससी	अनुसूचित जाति
एसडीबीसी	सेमी डेन्स बिटुमिनस कंक्रीट
एसडीएम	उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट
एसडीआरएफ	राज्य आपदा राहत कोष
एसई	अधीक्षक अभियंता
एसएफसी	राज्य वित्तीय निगम
एसजीए	कौशल अंतराल आंकलन
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
एसएचपीएससी	राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति
एसआई	उप-निरीक्षक
एसआईसीओपी	लघु पैमाना उद्योग विकास निगम
एसआईडीसीओ	राज्य उद्योग विकास निगम
एसकेआईसीसी	शेर-ए-कश्मीर अंतरराष्ट्रीय अभिसमय केन्द्र
एसएलबी	सेवा स्तर मानक
एसएलसीसी	राज्य स्तरीय संविदा समिति
एसएलआईपी	सेवा स्तरीय सुधार योजनाएं

संक्षेपाक्षर	विस्तारित रूप
एसएलपीसी	राज्य स्तरीय क्रय समिति
एसएलएससी	राज्य स्तरीय जाँच समिति
एसएलटीसी	राज्य स्तरीय तकनीकी समिति
एसएमसी	श्रीनगर नगर निगम
एसएमपी	सेप्टेज प्रबंधन परियोजना
एसओपी	मानक प्रचालन प्रक्रिया
एसपीए	विशेष योजना सहायता
एसपीसीबी	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
एसपीआईपी	राज्य परिप्रेक्ष्य कार्यान्वयन योजना
एसपीओ	विशेष पुलिस अधिकारी
एसक्यूएम	वर्ग मीटर
एसआर	सेवा जलाशय
एसआरई	सुरक्षा संबंधी व्यय
एसआरएलएम	राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
एसआरओ	सांविधिक नियम और आदेश
एसआरएसडब्ल्यूओआर	प्रतिस्थापन बिना सरल यादृच्छिक प्रतिचयन
एसएसपी	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
एसएसआर	संस्वीकृत दरों की अनुसूची
एसटी	अनुसूचित जनजाति
एसटीपी	सीवरेज/ सेप्टेज उपचार संयंत्र
एसयूआईडीए	राज्य शहरी संरचनात्मक विकास अभिकरण
एसडब्ल्यूएमएस	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली

संक्षेपाक्षर	**विस्तारित रूप**
टीएसी	निविदा अनुमोदन समिति
टीएएम	त्रिकोणीय एरियल मस्ट
टीएएमईआईआर	समन्वित बृहत आर्थिक एवं अवसंरचना पुनर्निर्माण योजना
टीडीएस	स्रोत पर कर कटौती
टीएस	तकनीकी संस्वीकृति
टीएसए	तकनीकी सहायता अभिकरण
यूसी	उपयोगिता प्रमाण-पत्र
यूईईडी	शहरी पर्यावरण अभियांत्रिकी विभाग
यूजीसी	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
यूआईडीएसएसएमटी	लघु एवं मध्यम कस्बों के लिए शहरी अवसंरचनात्मक विकास योजना
यूआईजी	शहरी अवसंरचना एवं शासन
यूएलबी	शहरी स्थानीय निकाय
यूपीएस	निर्बाध विद्युत आपूर्ति
यूटी	संघ शासित क्षेत्र
वीआईपी	बहुत महत्त्वपूर्ण व्यक्ति

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.agjk.nic.in